लोक सभा वाद-विवाद

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

26 से 30 अगस्त और 1 सितम्बर, 1997

4 से 8 और 10 भाद्र, 1919 (शक)

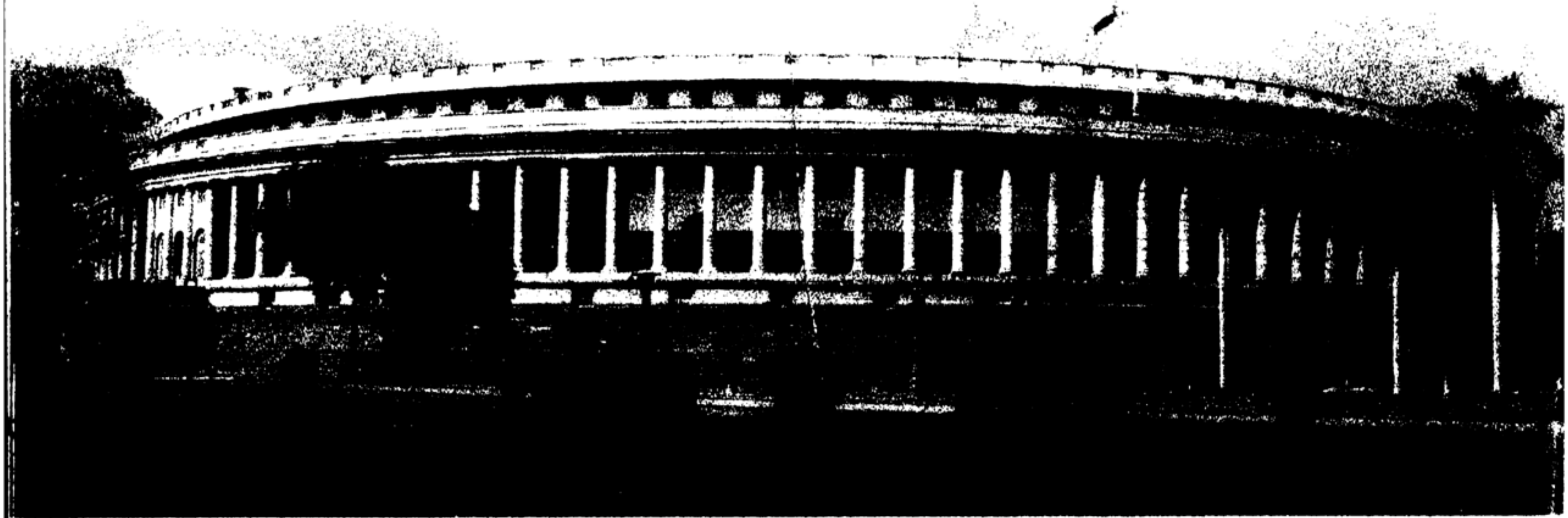

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष बैठकें

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पाण्डेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम. आर. खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री विद्या सागर शर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

श्री हरनाम दास टक्कर
सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री जगदीश चन्द चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

मूल्य : 1500 रु./-

© 1999 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

आमुख

देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोक सभा के छह दिन के एक विशेष सत्र में भाग लिया और विगत पांच दशकों के दौरान पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने का प्रयास किया। ये क्षेत्र थे, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकरण, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, बुनियादी ढांचे का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां और संभावनाएं तथा मानव विकास की स्थिति।

सभा के इतिहास में पहली बार स्वयं माननीय अध्यक्ष ने चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 360 के अन्तर्गत सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। उनका विचार था कि इस बार यह लड़ाई "हमारी समृद्धि और गरीबी के बीच, संसाधन व्यवस्था के प्राचुर्य और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन के अभाव के बीच, शांति और सहनशीलता की हमारी संस्कृति और वर्तमान की हिंसा, असहनशीलता और भेदभाव की ओर बढ़ते हुए झुकाव के बीच हमारे आन्तरिक विरोधाभासों से मुक्ति के लिए होनी चाहिए।" उन्होंने सदस्यों को आमंत्रित किया कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा करें। स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की उपलब्धियों का जायजा लें, कमियों का आत्मलोचन करें और देश के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें।

सभा ने, लोक सभा में सभी दलों और ग्रुपों के नेताओं की ओर से, विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार किया। यह प्रस्ताव लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 342 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

लोक सभा सचिवालय ने इस अवसर पर चर्चा को सुगम बनाने हेतु "भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष" नामक एक वृहत सन्दर्भ दस्तावेज प्रकाशित किया।

सभा की इन विशेष बैठकों से कई कीर्तिमान स्थापित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि सभा का विशेष सत्र केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। सभा ने इस प्रस्ताव पर 64 घन्टे और 29 मिनट चर्चा की जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। इस चर्चा में माननीय अध्यक्ष, प्रधान मंत्री और 9 मंत्रियों सहित सभा के 209 सदस्य बोले। चूंकि समयाभाव के कारण बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को मौका दिया जाना संभव नहीं था, इसलिए 5 मंत्रियों सहित 103 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। इस चर्चा में कुल 312 सदस्यों ने भाग लिया जो सभा की कुल सदस्य संख्या (545) का 57.25 प्रतिशत था। सभापति तालिका के सदस्य श्री पी.सी. चाक्को ने 31 अगस्त, 1997 को 00.30 बजे से लेकर प्रात: 08.24 बजे तक लगातार 7 घन्टे 54 मिनट सभा में पीठासीन होकर नया इतिहास रचा।

चर्चाओं के दौरान सौहार्दपूर्ण तथा व्यवस्थित वातावरण बना रहा जो अपने आप में एक मिसाल है।

सभा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया जिसमें "भारत के लिए कार्यसूची" की रूपरेखा दी गई है।

लोक सभा सचिवालय ने इन बैठकों की कार्यवाहियों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में अलग-अलग विशेष खण्ड के रूप में प्रकाशित किया है।

मुझे आशा है कि इसके हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सांसदों, इतिहासकारों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
अक्तूबर, 1997
आश्विन, 1919 (शक)

एस. गोपालन,
महासचिव

विषय सूची

[एकादश माला, खंड 17, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/4 भाद्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	2
अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन	3
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	16–25
श्री माधवराव सिंधिया	25–35
श्री शरद यादव	36–47
श्री सोमनाथ चटर्जी	47–55
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे	55–60
श्री चतुरानन मिश्र	60–69
श्री जगमोहन	69–76
श्री पी.आर. दासमुंशी	76–85
श्री चित्त बसु	85–90
श्री पी. कोदंड रमैया	90–95
श्री जार्ज फर्नान्डीज	95–107
श्री मेजर सिंह उबोक	107–113
श्री अनंत कुमार	113–117
डा. गिरिजा व्यास	117–122

अंक 19, बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख	123
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*	
डा. गिरिजा व्यास	123–126
श्री चन्द्रशेखर	126–137
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	137–142
श्री सुन्दर लाल पटवा	142–149
श्री शरद पवार	150–158
श्रीमती गीता मुखर्जी	158–162
कर्नल राव राम सिंह	162–167
श्री कांशी राम	168–176
कुमारी ममता बनर्जी	177–185
श्री एन.वी.एन. सोमू	186–189
श्री जी.जी. स्वैल	190–194
डा. एम. जगन्नाथ	194–197
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	197–204
श्री नीतीश कुमार	205–212

विषय	कालम
श्री संतोष कुमार गंगवार	213–218
श्री एन.एस.वी. चित्यन	219–225
श्री सैयद मसूदल हुसैन	225–228
श्री अनंत गंगाराम गीते	229–232
श्री नवल किशोर शर्मा	232–240
श्री राम कृपाल यादव	240–245
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा	245–250
श्री लाल बिहारी तिवारी	250–253
श्री मनोरंजन भक्त	253–260
अंक 20, गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक)	
सभा के कार्य के बारे में घोषणा.	261
देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव – *जारी*	
श्री पी.वी. नरसिंह राव	262–275
श्रीमती सुषमा स्वराज	276–286
श्री मुलायम सिंह यादव	287–305
श्री सुरेन्द्र सिंह	306–311
श्री शिवराज वी. पाटिल	312–330
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	331–348
श्री सत्यदेव सिंह	349–361
श्री कमरूल इस्लाम	361–367
श्री ई. अहमद	367–373
श्री शिबु सोरेन	374–377
डा. अरविन्द शर्मा	377–380
कुमारी उमा भारती	380–389
श्रीमती संध्या बौरी	390–393
श्रीमती मीरा कुमार	394–399
श्रीमती वसुन्धरा राजे	400–403
श्री पीताम्बर पासवान	404–407
श्री एल. बालारमन	407–412
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	412–415
श्रीमती रजनी पाटिल	415–419
श्री इलियास आजमी	419–425
श्री नवीन पटनायक	426–429
श्री सतपाल महाराज	429–431
श्री चमन लाल गुप्त	432–435
श्री सुरेश प्रभु	435–442
श्री सनत मेहता	442–448
श्री नील एलायसियस ओ'ब्रायन	448–450
श्री मानवेन्द्र शाह	450–454
डा. देवी प्रसाद पाल	454–459
श्री बादल चौधरी	460–464
श्री के.एस. रायुडू	464–470

विषय	कालम

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 470–474
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण 475–479
श्री बृज भूषण तिवारी 479–482
डा. राम विलास वेदान्ती 482–485
श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी 485–488
प्रो. पी.जे. कुरियन 488–493
डा. जयन्त रंगपी 493–497
श्री आई.डी. स्वामी 498–502
श्री नारायण आठवले 503–505
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 506–508
श्री एस.के. कारवेंधन 508–510
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद 511–514
श्री दिलीप सिंह भूरिया 514–516
प्रो. ओम पाल सिंह ''निडर'' 517–522
श्री शिवानन्द एच. कौजलगी 523–524
श्री हंसराज अहीर 525–526
प्रो. आर.आर. प्रामानिक 527–531
श्री रमेश चेन्नितला 531–535
श्री पुण्डलिकराव रामजी गवाली 536–537
श्री लालमुनी चौबे 537–542
श्री सुकदेव पासवान 543–545
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका 546–551
श्री डी.पी. यादव 552–554
डा. मदन प्रसाद जायसवाल 555–558
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल 559–561
श्री मंगत राम शर्मा 561–564

अंक 21, शुक्रवार, 29 अगस्त, 1997/7 भाद्र, 1919 (शक)

सभा के कार्य के बारे में घोषणा 565

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

श्री राम विलास पासवान 567–577
डा. मुरली मनोहर जोशी 578–597
श्रीमती शारदा टाडीपारथी 597–600
श्री एस. बंगारप्पा 601–607
श्री तरित वरण तोपदार 607–613
श्री बेनी प्रसाद वर्मा 613–619
प्रो. रीता वर्मा 619–630
श्री पी. उपेन्द्र 631–639
श्री मोहम्मद मकबूल डार 640–645
श्री वी.वी. राघवन 646–650
श्री भक्त चरण दास 651–654
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता 655–658
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 659–664
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 664–669
डा. के.पी. रामलिंगम 670–671

विषय	कालम
श्री समीक लाहिड़ी	672–675
श्री सत महाजन	675–679
श्री आनन्द मोहन	679–682
श्री ओ.पी. जिन्दल	683–685
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल	685–688
श्री मोहन सिंह	689–691
श्री ए.सी. जोस	691–695
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	695–698
श्री चन्द्रभूषण सिंह	699–701
श्री अनादि चरण साहू	702–706
श्री सी. नारायण स्वामी	706–710
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	711–714
श्री पी.एस. गढ़वी	715–720
कुमारी सुशीला तिरिया	720–723
श्री सत्य पाल जैन	724–725
श्री के.एच. मुनियप्पा	725–728

अंक 22, शनिवार, 30 अगस्त, 1997/8 भाद्र, 1919 (शक)

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

श्री देवेन्द्र बहादुर राय	729–737
श्री अब्दुल रहमान अन्तुले	737–751
श्री मधुकर सरपोतदार	751–762
श्री रूपचन्द पाल	762–769
श्री जोआचिम बक्सला	769–771
श्री सोहन वीर सिंह	772–781
श्री राजेश पायलट	781–790
श्री राजाभाऊ ठाकरे	791–797
डा. अरुण कुमार शर्मा	798–805
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	805–810
श्री पी.सी. चाक्को	811–816
श्री राम टहल चौधरी	816–820
श्री ए. सम्पत	820–827
श्री पी.सी. थामस	828–835
श्री उत्तम सिंह पवार	838–838
श्री इन्द्रजीत गुप्त	838–842
श्री नकली सिंह	842–846
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	847–852
श्री नवल किशोर राय	852–855
श्रीमती हैडविग माइकेल रीगो	855–856
श्री सुख राम	857–860
श्री हरिन्दर सिंह खालसा	860–862
श्री अजय चक्रवर्ती	863–865
श्री बुद्धसेन पटेल	866–868
श्री अमर रायप्रधान	869–871

विषय	कालम
श्री मनोज कुमार सिन्हा	872–876
श्री सुरेश कलमाडी	877–881
श्री सी. नरसिम्हन	881–884
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	885–888
श्री वी. प्रदीप देव	888–890
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	891–896
श्री पी. षण्मुगम	896–900
*श्री प्रदीप भट्टाचार्य	900–901
श्री सुरेश आर. जाधव	901–905
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	905–913
श्री लक्ष्मण सिंह	913–916
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	916–920
*श्री किशन लाल दिलेर	921–922
*श्री मोहन रावले	923–933
श्री गंगा चरण राजपूत	934–939
*श्री विजय गोयल	940–943
श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा	944–948
श्री कृष्ण	948–952
*श्री के. परसुरामन	953–955
चौधरी रामचन्द्र बैंदा	955–958
*श्री महेन्द्र बैठा	959–960
*श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	960–962
डा. रामचन्द्र डोम	963–966
राजकुमारी रत्ना सिंह	966–968
श्री पी. नामग्याल	969–971
श्री एल. रमना	972–975
*श्री वीरेन्द्र कुमार	975–978
श्रीमती कमल रानी	978–981
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	982–983
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया	983–985
श्री विजय हाण्डिक	986–989
*श्री अशोक प्रधान	989–997
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	997–999
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	999–1003
*श्री चन्द्रेश पटेल	1003–1005
श्री दत्ता मेघे	1005–1009
श्री तिलक राज सिंह	1009–1012
श्री राजीव प्रताप रूडी	1012–1017
श्री के.सी. कोंडय्या	1017–1020
श्री हन्नान मोल्लाह	1021–1025
*श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्त	1025–1028
श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर	1028–1031
लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी	1032–1035
श्री शरत पटनायक	1036–1039
प्रो. अजित कुमार मेहता	1039–1043
डा. रमेश चन्द तोमर	1043–1045

विषय **कालम**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 1046–1050
डा. वल्लभभाई कथीरिया 1050–1054
श्री रामबहादुर सिंह 1055–1057
डा. बी.एन. रेड्डी 1058–1061
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 1061–1065
श्री राजू राणा 1065–1067
श्री सौम्य रंजन 1068–1072
श्री राधा मोहन सिंह 1072–1076
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी 1076–1077
श्री अंचल दास 1078–1080
डा. राम लखन सिंह 1081–1085
श्री पवन सिंह घाटोवार 1085–1088
श्री रामशकल 1089–1091
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा 1091–1093
श्री आर.एल.पी. वर्मा 1093–1096
श्री नन्दकुमार सिंह चौहान 1097–1099
श्री सुरेन्द्र यादव 1100–1103
डा. अमृत लाल भारती 1104–1106
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 1106–1110
श्री शिवराज सिंह 1110–1116

अंक 23, सोमवार, 1 सितम्बर, 1997/10 भाद्र, 1919 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख 1117

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव - *जारी*

*श्री धीरेन्द्र अग्रवाल 1118–1121
*श्री सनत कुमार मंडल 1121–1123
*वैद्य दाऊ दयाल जोशी 1123–1125
*श्री के.एस.आर. मूर्ति 1125–1135
*श्री जी.ए. चरण रेड्डी 1135–1139
*श्री आर. साम्बासिवा राव 1140–1142
*श्री पुन्नू लाल मोहले 1143–1145
*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव 1145–1149
*श्रीमती पूर्णिमा वर्मा 1150–1154
*श्री लुई इस्लेरी 1154
*श्री हरिवंश सहाय 1155–1156
*जस्टिस गुमान मल लोढा 1156–1157
*श्री श्रीकान्त जेना 1158–1165
*श्री पवन दीवान 1165–1168
*श्री टी. गोपाल कृष्ण 1168–1169
*श्री हरिन पाठक 1169–1170
*श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 1171–1172
*श्री पी.एम. सईद 1172–1177
*प्रो. रासा सिंह रावत 1177–1179

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कालम
*श्रीमती सुभावती देवी	1179–1180
*श्री सुखलाल कुशवाहा	1180–1182
*श्री एस.पी. जायसवाल	1182–1185
*श्री विश्वेश्वर भगत	1186–1188
*श्रीमती रत्नमाला डी. सवानूर	1189–1193
*डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	1193–1195
*श्री सिद्दय्या कोटा	1195–1197
*श्री जसवंत सिंह	1198–1204
*श्रीमती कान्ति सिंह	1204–1208
*डा. सी. सिल्वेरा	1209–1210
*श्री संतोष मोहन देव	1211–1217
*श्री के.पी. सिंह देव	1217–1224
*श्री आनन्द रत्न मौर्य	1224–1225
*श्री येल्लैया नंदी	1225–1230
*श्री मृत्युंजय नायक	1230–1233
*श्री भगवान शंकर रावत	1233–1236
*चौधरी तेजवीर सिंह	1236–1238
*श्री अनिल कुमार यादव	1239–1240
*श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला	1241–1242
*श्री बीर सिंह महतो	1243–1244
*श्रीमती केतकी देवी सिंह	1244
*श्रीमती सुमित्रा महाजन	1245–1246
*श्री छतर सिंह दरबार	1247–1248
*श्री जगतवीर सिंह द्रोण	1248–1250
*श्री अशोक शर्मा	1250–1251
*श्री प्रह्लाद सिंह	1251–1253
*डा. सत्यनारायण जटिया	1253–1255
*श्री एम. कमालुद्दीन अहमद	1256–1258
*श्री निहाल चन्द चौहान	1258–1260
*श्री कल्लप्पा आवाडे	1260–1261
*श्री विद्यासागर सोनकर	1262–1263
*श्री साई प्रताप अन्नाय्यागरी	1263–1265
*कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	1266–1275
*श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1275–1276
*श्री गिरधारी लाल भार्गव	1276–1277
*स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी	1277–1279
*कुमारी शैलजा	1279–1284
*श्री टी.आर. बालू	1284–1288
*श्रीमती उषा मीणा	1288–1289
*श्री जयसिंह चौहान	1289–1290
*श्री दादा बाबूराव परांजपे	1291–1294
*श्री देवी बक्स सिंह	1294–1296
*श्री नन्द कुमार साय	1296–1297
*श्री कृष्ण लाल शर्मा	1298–1300

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

विषय	कालम
*श्री श्याम बिहारी मिश्र	1300–1302
*श्री भेरूलाल मीणा	1302–1304
*श्री छत्रपाल सिंह	1305–1306
*श्री माणिकराव होडल्या गावीत	1307–1309
*श्री चित्रसेन सिंकु	1309–1310
*श्री राममूर्ति सिंह वर्मा	1310–1311
*श्री श्रीराम चौहान	1311–1314
*श्री पद्मसेन चौधरी	1314–1315
*श्री चुन चुन प्रसाद यादव	1315–1317
*श्री ऑस्कर फर्नान्डीज	1317–1319
*श्री अशोक अर्गल	1319–1321
*श्री सौडे रमैया	1322–1324
*श्री अनिल बसु	1324–1325
*श्री नरेन्द्र बुडानिया	1326–1330
*श्री लाल बाबू प्रसाद यादव	1330–1331
*श्रीमती फूलन देवी	1331–1332
*श्रीमती शीला गौतम	1332–1334
*मुहम्मद शहाबुद्दीन	1334–1337
*श्री परसराम मेघवाल	1337
*श्री राजकेशर सिंह	1338–1339
*श्री गिरधारी यादव	1339–1341
*श्री मुनिलाल	1341–1343
*श्री तसलीमुद्दीन	1344–1345
*श्री विनय कटियार	1345–1347
*श्री छीतुभाई गामीत	1347–1350
*श्री वी. धनन्जय कुमार	1350–1351
*श्रीमती भगवती देवी	1351–1353
*कर्नल सोनाराम चौधरी	1353–1355
*श्री नामदेव दिवाथे	1356–1357
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	1357–1363
श्री धर्मभिक्षम	1363–1365
श्री सोमजीभाई डामोर	1365–1369
डा. बलिराम	1369–1372
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	1372–1378
**श्री इन्द्र कुमार गुजराल	1379–1404
विदाई उल्लेख	1404–1406
स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर "भारत के लिए कार्यसूची" के बारे में संकल्प—*स्वीकृत*	1406–1410
राष्ट्र गीत—राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई	1410
अनुबंध – *संकल्प, लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सहित*	1411–1453
अनुक्रमणिका	1455–1474

---

*भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ लिखित अंश भी सभा पटल पर रखे।

बुधवार, 27 अगस्त, 1997/5 भाद्र, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे सहयोगी श्री बाबूनाथ सिंह के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री बाबूनाथ सिंह ने पहली से पाचवीं लोक सभा के दौरान 1952 से 1977 तक मध्य प्रदेश के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बाबूनाथ सिंह पेशे से किसान थे तथा एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए दो दशकों से अधिक समय तक अथक परिश्रम किया।

अपने लम्बे संसदीय जीवन के दौरान उन्होंने कमजोर वर्गों और दलितों की समस्याओं के प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट करवाया। श्री बाबूनाथ सिंह का निधन 18 जुलाई, 1997 को 89 वर्ष की आयु में सरगुजा में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा उस शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. व्यास चर्चा जारी रखेंगी। डा. व्यास आप दस मिनट बोल चुकी हैं।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने उपलब्धियों पर आकर छोड़ा था।

आजादी के बाद प्लान इकॉनोमी के द्वारा, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा बहुत कुछ हमने पाया है। हमारी ग्रोथ रेट जो पहले 3.5 प्रतिशत थी, वह बढ़कर अब सात प्रतिशत हो गई है। इंवेस्टमेंट रेट पच्चीस प्रतिशत बढ़ी। जी.डी.पी. ग्रोथ छः और सात प्रतिशत तक हो गई लेकिन जहां पर कल आपने अपने भाषण में एक सोच व्यक्त की कि हम लोग एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाकर नहीं बढ़ा पाए हैं। 70 प्रतिशत हमारी आबादी आज भी किसी न किसी तरह गांव में हैं और गांव की कृषि से जुड़ी हुई है लेकिन उन लोगों तक टैक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है। ग्रीन रिवोल्यूशन का सपना लगता है कि अधूरा कहीं पर छूट गया है और यदि एक बार हम सैल्फ सफिशिएन्ट हो गए तो उसके आगे की बात हम लोग नहीं करते हैं।

पोप्यूलेशन ग्रोथ को दृष्टिगत रखते हुए एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत स्लो है। उसको 1.3 प्रतिशत हम लोग कैसे बढ़ाएं, इस पर विचार होना चाहिए। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि हालांकि नरसिंह राव जी की सरकार ने लिबरेलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया। हम सबने खुले मन से उसका स्वागत किया लेकिन मैं जार्ज फर्नांडीज साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसको खुले रूप से यदि पूरी तरह से अपनाया गया तो हमारा देश कहीं का नहीं रहेगा। अभी जो आंकड़ें आ रहे हैं, वे भयावह आंकड़ें हैं और संसद को इस पर विचार करना पड़ेगा। धीरे-धीरे ये कंपनियां जो हमारे यहां के लोगों को करप्ट ही नहीं कर रही हैं बल्कि उनको इसमें लगाकर धीरे-धीरे उनसे संबंध विच्छेद करके पूरी तरह से उन पर आधिपत्य करना चाहती हैं। नेहरू जी ने इसीलिए मिक्स्ड इकोनोमी का कॉनसैप्ट दिया था और गांधी जी ने दो कदम आगे बढ़कर कहा था कि ग्राम स्वराज के बगैर हम लोग न आर्थिक दृष्टि से, न राजनीतिक दृष्टि से और न सामाजिक दृष्टि से उन्नत हो पायेंगे। वह ग्राम स्वराज का सपना कहां खो गया? उस पर पचास साल के बाद सोचना तो पड़ेगा।

महोदय, मैं एक बात से बार-बार दुखी हो रही हूं। आलम इकबाल ने कहा था "क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।" हालांकि आपने अपने भाषण में थोड़ा सा संकेत किया कि बुद्धिजीवियों के संबंध में हमें सोचना पड़ेगा और उनकी जो कुछ परिस्थितियां हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इकबाल ने जो कहा, वह किसी और विचारधारा को लेकर कहा। कोई भी संस्कृति, किसी भी प्रकार की विचारधारा और किसी भी प्रकार की परम्परा दिल और दिमाग के बिना जीवित नहीं रहती है। हम संस्कृति के बगैर नहीं चल सकते हैं। 21वीं सदी का सपना हम सब लोग देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर दस्तक दे रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की संस्कृति भी होगी, कला की भी, कम्प्युटर की भी, संगीत की भी, गणित की भी, दर्शन की भी, तकनीक और साहित्य की भी। यदि गांधी, गांधी नहीं होते, तो एक अच्छे विचारक, अच्छे लेखक, अच्छे रचनाधर्मी और समाज सुधारक नहीं होते। हम राजनीतिज्ञों को दुनिया कितना याद रखती है, यह हम सब लोग जानते हैं। पानी के बुलबुले की तरह आते हैं और चले जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग खोखले होते जा रहे हैं। आज इस संसद में मैं एक विचार रखना चाहती हूं। गत वर्ष हम गोरखपुरी जी की जन्मशताब्दी नहीं मना सके, हम लोग गत वर्ष निराला जी की जन्मशताब्दी नहीं मना सके। इस बारे में किसी सरकारी अधिकारी ने सोचा तक नहीं। गुजराल जी सदन में नहीं बैठे हुए हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि फिल्म डिवीजन ने सतीश गुजराल जी पर एक फिल्म बनाई। लेकिन क्या हम रामकुमार जी पर, सुब्रहमण्यम जी

पर, हब्बर जी पर, स्वामीनाथन जी पर और सन्याल जी पर फिल्म नहीं बना सकते हैं? इस पचासवीं वर्षगांठ पर क्या हम थोड़ा सा अर्थ उन कलाकारों और उन साहित्यकारों पर खर्च नहीं कर सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को गोरखपुरी जी पर एक डाक टिकट 20 तारीख को जनता के सामने रखना था, लेकिन अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण नहीं रख पाए। मुझे पता नहीं, चुपचाप वह स्टैम्प कब रिलीज हो जाएगी। इसलिए जब तक संस्कृति, साहित्य की धरोहर को हम सब लोग नहीं इकट्ठा करेंगे, तब तक संस्कृति बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। नरसिंह राव जी यहां बैठे हुए नहीं हैं। यदि उनकी शार्ट स्टोरीज आती हैं, तो आप तो खुद मंत्री थे और मंत्रालय लेकर आ जाता है कि वे बहुत अच्छे लेखक हैं, उन पर फिल्म बनानी चाहिए। माननीय अटल जी बैठे हुए हैं, वे बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन जब सारे का सारा प्रकाशक जगत और दूसरी बात सामने आ जाती है, तो सतीश जी या दूसरे या वी.पी. सिंह या मैं स्वयं अपनी बात भी करूं, जब राजनीति में होते हैं, तो हमारा साहित्य उभर कर सामने आ जाता है। लेकिन जिन साहित्यकारों, जिन कलाकारों ने इस देश को और इस धरती को, इस जमीन को जो कुछ दिया, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उनकी शताब्दियों को मना सकें। इस पर विचार करना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप एक पार्लियामेन्ट्री कमेटी बनाएं, जिसमें यह विचार हो कि हम लोग किस तरह से हमारी इस संस्कृति को प्रिजर्व कर सकें। जिस प्रकार आपने महिलाओं के संबंध में बनाई।

महोदय, जरूरत ऐसे बिल की भी है, जो हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर को जीवित रख सके। डिस्को और पॉप में डूबे हुए और पॉप स्टाइल में गाए हुए वन्दे मातरम् को एप्रीशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बन्दे मातरम् के लेखक थे, उनके संबंध में आज कितने स्कूल के बच्चे जानते हैं। इस प्रकार की सोच हम लोग पैदा नहीं कर सके हैं। मैं अटल जी की मुद्रा को बार-बार याद करती हूं, जब आपके दिल्ली के साहिब सिंह जी गांधी जी और नेहरू जी का नाम लेना भूल गए। एक आक्रोश, एक उदासीनता और असहाय मुद्रा में आप खड़े थे। हम आजादी के जश्न को पॉप और डिस्कों में झूमकर मना लें, लेकिन जो आजादी दिलाने वाले थे, उन लोगों को हम क्यों भूल जाते हैं। गांधी जी के नाम को ही भूल जाएं, तो इस देश के पास क्या कुछ रह जाएगा। क्या नेहरू जी के नाम से उनको खुंदक थी, जो उनका नाम वहां पर नहीं ले सके? मैं आपकी असहायता को समझ सकती हूं। आपको बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा, आपका बहुत बार सुधारवादी और आधुनिक दृष्टिकोण आपकी पार्टी के द्वारा किए गए कामों में चुप हो जाता है। महोदय, यह बात आपके ही संबंध में नहीं है बल्कि बहुत से लोगों के संबंध में है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अपनी-अपनी सीमाओं में जकड़े हुए हैं। इसलिए यदि हमें इस डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो नये दृष्टिकोण से राष्ट्र धर्म की बात भी करनी पड़ेगी।

महोदय, कल शरद जी कह रहे थे कि फिल्मों में या दूरदर्शन पर किस तरह के धार्मिक सीरियल दिखाए जा रहे हैं लेकिन मैं आपसे क्षमायाचना करते हुए कहना चाहती हूं कि इस देश में हम लोग धर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकते। इस देश की एक खासियत है कि यहां पर धर्म की परिभाषाएं और धर्म की आवश्यकता के अनुरूप उनकी परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ है। आज जरूरत इस बात की है, हम आजादी के 50 साल बाद ही करें लेकिन अब हम एक नये धर्म को यहां से पुनर्जागृत करें और उस धर्म का रूप राष्ट्र धर्म हो, इस संबंध में भी आपको सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं जानती हूं कि समय बहुत कम है लेकिन मेरा यह कहना है कि इस नये राष्ट्र धर्म को आप यहां से उजागर कर सकें तो यह देश आपका उजागर रहेगा। मैं आपके लिए कह सकती हूं कि आपको बहुत कुछ करना है। इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि

"अभी तो और भी रातें सफर में आएंगी,
चिरागे शब मेरे महबूब अभी संभाल के रख।"

महोदय, आपको पापुलेशन पर एक नया बिल लाना है, महिलाओं के संबंध में नया बिल लाना है और आपको उन हजारों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास यहां से करना पड़ेगा। आज हमें अपने नेताओं की छवि को सुधारना पड़ेगा और जो हमारे दूरदराज पर बैठे हुए लोग हैं वे हम लोगों की तरफ देख कर कह रहे हैं कि-

"आशना होकर तग़ाफुल आशना क्यों हो गए,
बावफा थे तुम आखिर बेवफा क्यों हो गए।"

उसको हमें पूरा करना पड़ेगा।

महोदय, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देती हूं कि मौजू विषय पर आपने इस डिबेट को रखा है।

श्री चन्द्रशेखर

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, हम 50 वर्ष पहले आजाद हुए थे। हमने आजादी के पहले ढाई सौ वर्ष के बेबसी और गुलामी के दिन देखे थे। हम गुलाम थे, भारत गरीब देश नहीं था। कल अटल जी ने यह बात कही थी कि दुनिया के धनी देशों में हमारी गणना थी, लेकिन हम गुलाम हो गए। जब ढाई सौ वर्षों के बाद आजादी मिली तो दुनिया के गरीब देशों में हमारी गणना होने लगी। हमें इतिहास के कुछ पन्ने देखने चाहिए तो हमें पता चलेगा। हमारे देश की पुरानी परम्परा है, गौरवमय इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यह कटु सत्य शायद हमारी नजर से ओझल हो रहा है।

महोदय, दुनिया में भारत अकेला देश है जहां पर किसी सेना ने हमला नहीं किया था, किसी राज सत्ता ने यहां कब्जा करने के लिए अपनी फौज नहीं भेजी थी। आज से साढ़े तीन सौ वर्ष पहले यहां एक कम्पनी व्यापार करने के लिए आई थी, उसने अपने आफिसरों को सेना का नायक बना दिया। हमारे ही देशवासियों को अपना सैनिक बना दिया और हम गुलाम हो गए। आपको दुनिया के सारे इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जब हमारे मित्र आज की परिस्थिति पर पूछते हैं तो भारत के गौरवमय इतिहास के साथ-साथ इस भारत की बेबसी को, इस भारत की परेशानी को, इस भारत की एक बेबस कहानी को भी हमें याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने इस निष्प्राण देश को एक नयी शक्ति दी। उन्होंने उस शक्ति को देने के लिए हमारी शाश्वत् शक्ति के स्रोतों को जोड़ने का प्रयास किया। वे गांव-गांव में घूमे।

उन्होंने लोगों के बीच में जाकर उनकी भावना को परखा। उन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे सामने जो कार्यक्रम रखे, जो आदर्श रखे, उद्देश्य रखे वे हमारी परम्परा पर आधारित थे। हर परम्परा में कुछ शुभ लक्षण होते हैं। हजारों वर्षों के इतिहास में, हम यह नहीं कहते कि उसमें विकृतियां नहीं आईं, उसमें रुढ़िवादिता नहीं आई, उसमें अंधविश्वास नहीं आया लेकिन अंधविश्वास, रुढ़िवादिता से दूर समाज की जो शाश्वत शक्ति है उसको परख करके अगर हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो देश की जनता उसमें सहयोग करने को तैयार हो जाती है। आजादी की लड़ाई के दिनों में हम बेबस थे, लाचार थे, हमारे पास फौज या पुलिस नहीं थी। लेकिन निहत्थे देश को गांधी ने खड़ा कर दिया। गांधी कोई संत नहीं थे, गांधी एक योद्धा थे। गांधी देश के लोगों की मानसिकता की समझ रखने वाले सेना-नायक थे। गांधी जी ने हमें अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, मानव-मर्यादा के विरुद्ध किये गये कामों के विरुद्ध खड़े होने की एक शक्ति दी। यह दुनिया में राजनीति का एक नया दर्शन था। हम गांधी को जिस रूप में परखने की कोशिश करते हैं, क्षमा करें, गांधीवादी कहने वाले वे लोग गांधी को नहीं समझते हैं। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में एक परम्परा चल रही थी कि अपने आप अच्छा बन जाओ, दुनिया अच्छी बन जाएगी। बड़े-बड़े महात्मा, पैगम्बर पैदा हुए। मैं इतिहास के उन पन्नों में नहीं जाऊंगा। उन्होंने लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश की, लगा कि दुनिया अच्छी बन रही है। चाहे महात्मा बुद्ध हों, ईसा-मसीह हों, मौहम्मद साहब हों, महावीर स्वामी हों,—लगा कि दुनिया बदल रही है। लेकिन फिर वही घृणा, फिर वही ईर्ष्या हमारे सामने आ गयी। आदमी बदला लेकिन समाज नहीं बदला।

फिर दुनिया में एक दूसरा प्रयोग चला। जिस प्रयोग में हमारे बहुत से साथी सहभागी थे। उससे हमारे बहुत से साथी भी, नौजवान भी प्रभावित थे कि किसी तरह समाज को बदल दो, मनुष्य बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने समाज को बदला। दुनिया के एक-तिहाई हिस्से में 70 वर्ष तक एक प्रयोग चला, एक आशा बंधी और बहुत सी उपलब्धियां हुईं। मैं यह नहीं कहता कि वह इतिहास का एक भूला हुआ अंश है। उसमें मानवता ने अपने गौरव के लिए लड़ाई का सबक सीखा। लेकिन उसमें भी विकृतियां आईं। जो लोग साथ-साथ आजादी की लड़ाई में एक साथ थे, वे ही एक दूसरे के दुश्मन हो गये। इसी समय महात्मा गांधी ने एक नया दर्शन दिया कि समाज को बदलना है तो अपने को बदलो। अपने को बदलकर ही आप समाज को बदल सकते हो। गांधी ने कहा था कि अपने को बदलना है तो पोथी का ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि पीड़ा में तड़पते लोगों के साथ एकाकार करो, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करो। झोंपड़ी में जाओ। रचनात्मक कार्यों की व्याख्या महात्मा गांधी ने इस रूप में की कि एक सफाई करने वाले का काम अपने हाथ से करो। महात्मा गांधी ने कहा कि अपने पैरों पर खड़े हों। हमको और आपको याद रखना चाहिए कि जब हम धनी थे तब हमारे पास बड़ी कंपनियां नहीं थीं, हमारे पास बड़ी टैक्नोलोजी नहीं थी। ढाका का मलमल दुनिया में मशहूर था, बनारस का जरी का काम, मुरादाबाद के बर्तन, राजस्थान की छपाई के काम, हैदराबाद की मीनाकारी, हमारे आदिवासी गांव की कलाकृतियां दुनिया में जाती थीं और उनके बल पर यह देश बना था। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि इन कुटीर उद्योगों को, इन ग्रामीण आर्टिजन्स को और कलाकारों को मदद करने का काम करो। यह अचानक नहीं हुआ था कि उन्होंने यह बात कह दी। हमारी परम्परा में जो कुछ शाश्वत सत्य था, जो कुछ शुभ था उसे गांधी जी ने परखा था।

अध्यक्ष महोदय, आज उन बातों को हम भूलते जा रहे हैं। गांधी जी ने धर्म-निरपेक्षता का नारा नहीं दिया। गांधी जी ने कहा था कि भारत ही अकेला देश है जहां हमने माना है कि सत्य एक है, भगवान एक है। यहां सदन के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि सत्य एक है, ऋषि अनेक रास्तों से वहां पहुंचते हैं। गांधी जी ने कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति कौनसा रास्ता अपनाता है इसके लिए हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह बात केवल गांधी जी ने ही नहीं कही, लेनिन ने भी कही,

[अनुवाद]

> ''यह समझा जा सकता है कि धर्म मनुष्य और भगवान के बीच सम्पर्क का साधन है। लेकिन जब यह सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रवेश करता है तो यह एक खतरनाक चीज बन जाती है।''

[हिन्दी]

महात्मा गांधी ने कहा कि भगवान की पूजा के लिए सबको आजादी है, इसलिए धर्मों के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। भारत में हजारों वर्षों तक कोई किसी धर्म का आया तो उसको समान रूप से आदर दिया गया और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारत ही अकेला देश है जहां सारे धर्मों के लोग सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। मैं उसकी विवेचना में नहीं जाना चाहता। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि ''ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान''। वह सन्मति हममें है या नहीं है यह बात हम सबको आज सोचनी होगी। हम धर्म में विश्वास करें या न करें, हमें भगवान में विश्वास हो या न हो, लेकिन अगर मानव की भावनाओं में, जज्बातों में विश्वास है तो हम धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष न करें। आजादी की लड़ाई के दिनों में हमारे जितने कार्यक्रम थे उनमें उन्होंने कहा था कि गरीब की सेवा करो, आजादी का सूरज आयेगा तो पहले गरीब की झोंपड़ी पर चमकेगा। लेकिन कहां गया वह सपना, कहां गया आत्मविश्वास? महात्मा गांधी जी ने जब आत्मविश्वास पैदा किया तो गरीब ने सोचा कि आजादी आएगी। सात समुद्र पार जो हमारी दौलत लूट कर अंग्रेज ले जा रहा है, वह हमारे घर में खुशहाली का नया संदेश लेकर आएगा लेकिन पचास वर्षों के बाद आज एक निराशा, एक मुर्दनी, हमारे दिलों में दिखायी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, अगर मैं एक कटु बात कहूं। आपने कहा कि हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है तो हमें सुनकर झटका सा लगा। आपके द्वारा यह बात कहने से मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी आजादी को भूल गए हैं। आजाद है हिन्दुस्तान, आजाद है इस देश के लोगों की मानसिकता। गुलाम है, हम लोगों की मानसिकता जो इस देश को बनाने की जिम्मेदार है। आज कौन आजादी के लिए उत्साहित

नहीं है? पांच फीसदी लोग, डेढ़ फीसदी इनकम टैक्स देने वाले लोग, कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ संसद में बैठे हुए हम लोग, कुछ अपने को पढ़े-लिखे कहने वाले लोग। इनके मन में शंका है। वे करोड़ों लोग जिन को महात्मा गांधी ने आजादी के मैदान में उतार दिया था, वे बिना पढ़े लिखे लोग थे। गांधी जी ने उनको अहिंसा के रास्ते पर उतारा था। अंग्रेजी हुकूमत के समय सूरज उसके राज में डूबता नहीं था। गांधी जी ने उन्हें उसके सामने खड़ा कर दिया था। आज वही जनता है। आप इस बात को याद रखिए। हमको और आपको यह याद रखना होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रों का निर्माण वोटों और गोलियों से नहीं होता, बल्कि उनका निर्माण लोगों की इच्छा शक्ति से होता है।

[हिन्दी]

बन्दूक की नली से नहीं, वोट से नहीं, देश लोगों की इच्छा शक्ति से बनता है। उस इच्छा शक्ति को जगाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया था। इस तरह से हम आजाद हुए। आज इच्छा शक्ति इसलिए नहीं मर रही है कि देश के लोग बदल गए हैं। यह धरती वही है। गंगा, यमुना, नर्मदा, रावी, व्यास और कावेरी का पानी वही है। हिमालय के उच्च शिखर वही हैं। हिन्द महासागर और अरब सागर अपनी जगह पर है। वही मलयानिल बहता है।

अध्यक्ष महोदय, हम यहां बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम मरे हुए लोग हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बेसहारा लोग हैं। आजादी के बाद जब हमने संविधान बनाया तो निर्देशक तत्वों में उन्हीं बातों को कहा। मैं संसद के सामने उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। 14 वर्ष का कोई लड़का और लड़की बिना पढ़ी-लिखी नहीं रहेगी। मैं सुषमा जी और गिरिजा जी को यह बात कहते हुए सुनता हूं। हमारी बुजुर्ग गीता जी बैठी हुई हैं। वह कहती हैं कि संसद और विधान सभाओं में 33 परसैंट महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने कभी नहीं सुना कि इस देश की हर लड़की और लड़के को कम से कम बालिका को शिक्षा देने का कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए। हमारे संविधान के निदेशक तत्व हैं। अगर बालिकाएं शिक्षा पा जाएं तो पापुलेशन का जो रोना रोया जा रहा है, शायद बहुत कुछ कम हो जाए। हम इन मौलिक सवालों पर क्यों नहीं जाते? हम जजबात को उभारना चाहते हैं। आज राजनीति सबसे बड़ी विडम्बना है। हमारे एक मित्र राजनीति को विडम्बना कहते हैं लेकिन विडम्बना हमने पैदा की। राजनीति भूख, प्यास से जुड़ी हुई है। राजनीति अशिक्षा से जुड़ी हुई है। वह बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। राजनीति नारों से नहीं जुड़ी हुई है। राजनीति धर्म से नहीं जुड़ी हुई है। राजनीति जाति से नहीं जुड़ी हुई है। राजनीति उन सवालों से नहीं जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा दुराग्रह या विकृति हमारी राजनीति की है कि हम लोग मानव समस्याओं से हट कर मानव जजबातों पर खेलने का काम कर रहे हैं। हमें इसको बदलना होगा। अगर हम इसे नहीं बदलेंगे तो चाहे जो भी हम भाषण दे दें, जो भी कार्यक्रम बनाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले वर्षों में जो काम किया, थोड़े दिन मैं भी उसमें था। मैं उससे संतुष्ट नहीं था। मैंने लगातार इसकी आलोचना की है। जब कोई कहता है कि चारों ओर अन्धेरा है, 50 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें लगता है कि वास्तविकता से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। दुनिया के अनेक तीसरे विश्व के देश हमारे साथ आजाद हुए थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ने और बाकी देशों ने जम्हूरियत का चिराग जलाया। सब चिराग बुझ गए। हिन्दुस्तान अकेला देश है, जहां लोकशाही का चिराग आज भी टिमटिमा रहा है। क्या हम उन मान्यताओं को भूल जाएंगे? इसी संसद में बैठ कर उस समय के प्रधान मंत्री ने, उस समय के संसद सदस्यों ने जम्हूरियत का चिराग जलाने का प्रयास किया था। इन संस्थाओं को एक महत्व और आदर दिया था। अटल जी 1957 में यहां आए। मैं 1962 में आया था। मुझे याद है, जब संसद में कोई सवाल उठता था तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे प्रधान मंत्री उठकर खड़े होकर कहते थे, हमसे भूल हुई, मैं सदन से क्षमा चाहता हूं। क्या आज का कोई प्रधान मंत्री यह कह सकता है? क्या आज यह बात कही जा सकती है? पं. जवाहर लाल नेहरू की कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनी। आज हमारे प्रधान मंत्री की डॉक्ट्रिन बन गई। मुझे नहीं मालूम वह कौन-सी डॉक्ट्रिन है? उसका नतीजा आज सीमाओं पर दिखाई पड़ रहा है। मैं आलोचना के लिये नहीं कहता हूं। शब्द हमारी जबान नहीं पकड़ते लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुये हमें बहुत सावधान रहना चाहिये। खासकर दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंधों के बारे में जब हम अखबारों में शोहरत पाने के लिए चर्चा करते हैं, अगर चर्चा करने का काम करेंगे तो कहीं न कहीं उलझन में फंस जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को इसलिये कह रहा हूं कि आज भूल किस स्तर पर नहीं है? भूल अनेक स्तर पर है। क्या हम आज गरीबी के बारे में सोचते हैं? इस संसद में पिछले वर्ष में कितनी बार गरीबी की चर्चा हुई? गीता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि आपने पुराने दिनों को देखा है कि देश में एक-दो नहीं, लाखों मातायें-बहनें ऐसी हैं जो भरपेट खाना न पाने की वजह से अपंग बच्चों को जन्म देती हैं। छः वर्ष की उम्र में कितनी हमारी लड़के-लड़कियां अंधी हो जाती हैं? हमारे देश में कितने अनपढ़ लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कर सकता। क्या इन सवालों पर चर्चा नहीं करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, हम दुनिया से विदेशियों को बुला रहे हैं। नई टैक्नालॉजी लेकर आयेंगे। यहां हमारे करोड़ों लोग कहां जायेंगे? बड़ी उपलब्धियों की चर्चा होती है। मैं कहता हूं कि उपलब्धियां हुई हैं। 1947 में हम अकाल के कगार पर थे। दुनिया कहती थी कि हम भूख से मर जायंगे लेकिन हमारे किसानों ने मेहनत की। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया। हम अनाज के मामले में आगे बढ़े। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अपनी पीठ ठोंकना बड़ी बात है। दुनिया के 11 देशों में हम हैं जहां सब से कम अनाज फी आदमी खर्च होता है, केवल 200 किलोग्राम अनाज। हम कहते हैं कि हम अनाज में सैल्फ सफिशिएंट हो गये। अभी एक संस्था ने यहां पर सबको अनाज देने की बात पर सेमिनार किया था। मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा लेकिन हम अनाज में आगे बढ़े। पंजाब, हरियाणा, बंगाल और दूसरी जगहों पर लोगों ने बड़ा काम किया।

अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में हमारा विकास हुआ और औद्योगिक विकास सर्वांगीण हुआ। आज हमारे वित्त मंत्री जी नहीं हैं। जब दूसरे वित्त मंत्री थे, तो एक बार मैंने कहा था कि मैं सब बात स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैं एक बात मन से स्वीकार नहीं कर पाता कि पं. जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री सारे लोगों की बुद्धि से बड़ी बुद्धि डा. मनमोहन सिंह और श्री नरसिंह राव की हो गई। मैं यह बात समझने में असमर्थ हूं। एक रास्ता हमने अपनाया था। किसी हठवादिता के कारण नहीं। आज पब्लिक सैक्टर की, सार्वजनिक उद्योगों की आलोचना होती है। सोमनाथ जी, आपको याद होगा जब पं. जवाहर लाल जी यह कहने के लिये अमरीका गये थे कि हमको यहां एक स्टील प्लांट लगाना है। उस समय के प्रेजीडेंट ने कहा था कि आप यहां से स्टील ले जाईये। सस्ते दाम पर देंगे। आप पूंजी लगायेंगे, पैसा लगायेंगे, क्यों यह खर्चा व्यर्थ करोगे। तब पं. जवाहर लाल नेहरू ने क्या जवाब दिया था?

[अनुवाद]

"भारत जैसा विशाल देश पूंजीगत माल के लिए विदेशी संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकता।"

[हिन्दी]

आज हम से कहा जाता है कि सस्ते दर पर आ रहा है। मैं स्टील प्लांट की आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक व्यवस्था थी। हमारे देश का कोई पूंजीपति स्टील में जाने को तैयार नहीं थे। टाटा के लोग थे लेकिन पॉवर जैनेरेशन में जाने के लिये तैयार नहीं थे। ये सब काम इसलिये किये गये कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना था। वह सैल्फ सफिशिएंसी का नारा, अपने पैरों पर खड़ा होने का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था। आज हमारे कांग्रेस के मित्र जवाहरलाल जी का नाम लेते हैं लेकिन साथ ही साथ उदारीकरण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि गिरिजा जी को दूसरी लाईन दिखाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग धीरे-धीरे समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो-जो काम हुये हैं, उन सब कामों को आज भुलाया जा रहा है। आज इन सवालों को फिर से सोचने को जरुरत है। दुनिया बड़ी निर्दयी है। उस देश की कोई मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद करने को तैयार नहीं होता। किन से हम मदद की अपेक्षा कर रहे हैं? जो अपने हथियार बेचने के लिये गरीब देशों को आपस में लड़ाते हैं, खूं-खुरेजी कराते हैं, उनके जरिये हम इस देश का विकास करना चाहते हैं। मैंने अमरीका के एक बड़े राजनेता से कहा था। उन्होंने पूछा कि आप हमारी नीतियों के खिलाफ क्यों हैं? मैंने कहा कि मैं जिन्दगी में एक ही बार अमेरिका गया हूं। मैंने कहा मैं दो दिन न्यूयार्क में रहा। हर चौराहे पर काले लोगों को भीख का कटोरा लिये हुए मैंने देखा है। तुम डेढ़ करोड़ लोगों को मर्यादा की जिन्दगी नहीं दे सके तो हमारे 40 करोड़ गरीबों को मर्यादा की जिन्दगी कैसे दे दोगे, यह हमारी सरकार के लोग समझ सकते हैं। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं इंसान हूं और एक इंसान जो अनुभव से सीखता है, उसके कारण मैं इसका विरोधी हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज इन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। ये गरीबी का सवाल, ये भूख का सवाल, ये पानी का सवाल। मुझे याद है 1983 में जब मैं पद यात्रा करके लौटा तो मैंने दिल्ली में एक बयान दिया कि पानी की समस्या सबसे जटिल समस्या है। खेत की सिंचाई की नहीं, पीने के पानी की समस्या हल करो। किसी अखबार ने एडिटोरियल लिखा कि चंद्रशेखर जी छः महीने पैदल चले, केवल उनको प्यासे लोग ही दिखाई पड़े, पानी की समस्या ही उनके सामने है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि हमारे देश के राज्यों की एक भी राजधानी ऐसी नहीं है दिल्ली समेत, जहां पानी की समस्या आज जटिल रूप में न हो? हम लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते। कुपोषण से कितने लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। कहा जाता है कि भूख से नहीं मरे, वह तो डायरिया से मर गए। भूख कोई गोली नहीं है कि मार देती है। भूख से आदमी धीरे-धीरे तिल-तिल करके मरता है। कालाहांडी के भक्त चरण दास इस सदन में रोज़ रोते रहते हैं। यही परिभाषा सरकार नहीं कर पाई कि वह भूख से मर गए या डायरिया से मर गए। आज इन सवालों पर हमें और आपको सोचना होगा और यदि कोई कार्यक्रम बनाना है तो अटल जी ने एक प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को मानिए कि जो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। हर व्यक्ति को कम से कम उतने पोषण के लिए अनाज या फल मिले जिससे वह स्वस्थ रह सके। हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, हर बच्चे को शिक्षा का इंतज़ाम हो। जो निरक्षर रह गए, मगर 20 वर्षों के बाद जो इतिहास में कदम रखेंगे, अगर वह निरक्षर रहेंगे तो दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं होती। कोई बीमार पड़े तो एड़िया रगड़-रगड़ कर मरने को मजबूर न हो। ये तीन-चार काम हम कर दें तो दूसरा एक ही काम रह जाएगा। वह स्वस्थ नागरिक बन जाए तो जाति और धर्म के नाम पर उसमें कोई अंतर न किया जाए। सबको मर्यादा से जिन्दगी जीने का अधिकार है। यह मान्यता थी आजादी की, यह बुनियादी आदर्श थे हमारी आज़ादी के, लेकिन इन सवालों पर चर्चा नहीं होती। कल भी जब भाषण हुए, हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे नहीं हैं। हमें नहीं लगा कि यह रोज़ वाला सदन है कि आज कुछ बदला हुआ सदन है। वही बातें, वही धर्मनिरपेक्षता, वही सब बातें।

धर्मनिरपेक्षता का नारा भी कुछ जरुरत से ज्यादा दिया जा रहा है। एक धर्म के बारे में इतनी चिन्ता और दूसरे धर्म के बारे में बिल्कुल चिन्ता नहीं? निर्मल जी से मैं कहूंगा कि लेनिन के शब्द याद है कि 'धर्म दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए।' यह नहीं होगा कि कोई कट्टरवादिता हिन्दू धर्म के नाम पर करता है तो वह गलत है और अगर कोई मुसलमान धर्म के नाम पर कट्टरवादिता करता है तो वह सही है। यह नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि अल्पमत की एक समस्या होती है, माइनौरिटीज़ की एक साइकोलौजी होती है। उसको समझना चाहिए। सारी दुनिया में अल्पमत के लोग अपनी बात कड़वे ढंग से कहते हैं। उसके लिए हमारे मन में सहनशीलता होनी चाहिए और इसीलिए केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया के लोगों ने कहा है कि अल्पमत के लोगों की बातों पर विचार करते समय हमें ममत्व के साथ, सहानुभूति के साथ, सहनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। लेकिन माइनौरिटीज़ का सवाल होना चाहिए उनके सामाजिक-आर्थिक अधिकारों

के लिए। यह नहीं कि शुक्रवार को डेढ़ बजे हाउस नहीं बैठेगा क्योंकि हमें नमाज़ पढ़ना है और उसके बाद यहां बजरंग दल के लोग कहेंगे कि मंगलवार को हाउस नहीं हो। इस तरह का सवाल उठा था। क्या यह सदन इसलिए बना हुआ है? क्या इस बात के लिए हम लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं और एक स्वर से आप उठकर खड़े हो जाते हैं? धर्मनिरपेक्षता की नयी परिभाषा करने की जरुरत है। परिभाषा बनी हुई है, उसको अपने मन में बटोरने की, संजोने की जरुरत है, उसको लाने की जरुरत है। मत कीजिए छुआछूत की राजनीति। कहेंगे कि हमको बीजेपी वालों से कुछ नहीं करना है, हमको तो कोई नहीं पूछता है। यहां जितने प्रगतिशील लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से और जसवंत सिंह जी से रोज बात करते हैं कि संसद कैसे चलानी है। अंदर संसद चलाने के लिए संतोष मोहन देव चर्चा करेंगे और बाहर उनको अछूत कहेंगे? यह देश को बनाने का रास्ता नहीं है। इस रास्ते को बदलो। धर्मनिरपेक्षता यह है कि चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, उसके धार्मिक जज़्बात पर चोट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह संसद उसके लिए जगह नहीं है। अगर कहीं चोट होती है उसके खिलाफ अभी हमारे कुछ मित्रों ने उस दिन बड़ा गुस्सा किया था और कहा था कि आपने कहा कि गोली चलाओ, मैंने कहा था, सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। किसी धर्म के ऊपर अगर आक्षेप हो और मैं केवल मुसलमान या ईसाइयों के लिए नहीं कहता, अगर हिंदू धर्म पर भी कोई आक्षेप करे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रास्ते पर लाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए दमन की शक्तियों का इस्तेमाल करे। क्योंकि यह सरकार कोई अनाथालय नहीं है कि हर चीज में हम जाकर आपके पास प्रार्थना करें।

अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी चर्चा इस देश में भ्रष्टाचार की चल रही है और जो उठता है भ्रष्टाचार पर भाषण कर देता है और भ्रष्टाचार में कहा जाता है कि दुनिया के आठ भ्रष्ट देशों में हम हैं। आपसे किसने यह कहा? इस देश में 95 फीसदी लोग दिन-रात कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। पांच फीसदी लोग हैं जो भ्रष्ट हो सकते हैं। उन्हीं को भ्रष्ट होने के लिए अवसर हैं। उसमें से भी बहुत से लोग ईमानदार हैं। इस सदन में बहुत से सदस्य हैं जो ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करते हैं। मैं सरकारी कर्मचारियों को जानता हूं जो ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हमारी सीमाओं पर बैठे हुए फौज के हमारे भाई ईमानदारी के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हमारी पुलिस के लोग चाहे वे बी.एस.एफ. के हों चाहें सी.आर.पी.एफ. के हों, कितने बलिदानों की कहानी, कितनी गाथा उनकी इतिहास में भरी पड़ी है। क्या ये लोग भ्रष्ट हैं। क्या यही पांच फीसदी राष्ट्र है। जिसमें बहुत से ईमानदार लोग हैं। इस देश के 95 फीसदी लोग ईमानदार हैं। लेकिन जब हमारे राष्ट्रपति जी भाषण करते हैं, जब हमारे प्रधान मंत्री जी भ्रष्टाचार के लिए सैल खोलते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं व्यक्तिगत बातें नहीं कहना चाहता। लेकिन मन में बड़ी पीड़ा होती है, 15 अगस्त को दिन के कोई 11 बजे इंटरनेट के लोग हमारे पास आये और कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक सवाल कुछ आजादी के बारे में था वह किसी लड़के ने पूछा। दूसरा सवाल था कि आपके प्रधान मंत्री और प्रेसीडेंट कहते हैं कि हिंदुस्तान एक भ्रष्ट देश है। इस पर आपको क्या कहना है। अमरीका से सवाल हमसे पूछा गया। मैंने कहा कि ये लोग अपने आत्मविश्वास को खो दिये हैं। ये लोग किसी हीन भावना से ग्रसित हैं। इस देश के 95 फीसदी लोग ईमानदार हैं और मैं कहता हूं कि भारत दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में है। ये पांच फीसदी लोग राष्ट्र नहीं हैं। 95 फीसदी लोग राष्ट्र हैं। ये पांच फीसदी लोग आजादी भी नहीं लाये थे। उसमें बड़ा सहयोग 95 फीसदी गरीबों, किसानों, मजदूरों और मेहनतकश लोगों और उन नौजवानों का है जिन्होंने इस देश को आजाद किया। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हम एक दूसरे की खींचातानी करेंगे, सारी परिधियों को लांघ जायेंगे और हमारे देश में कुछ उच्च पदों पर बैठे हुए लोग यह कहेंगे कि सारी संसद भ्रष्ट है, सारे राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। एक राजनेता का परसों मैंने बयान पढ़ा राजनीति से अब कुछ नहीं होने वाला है। राजनीतिशास्त्र के सारे विद्वानों ने सब कुछ सोच-विचार कर हमारे सामने जनतंत्र की यह कल्पना रखी थी। अब नये विचारक पैदा हो रहे हैं। कोई यह नहीं बताता है कि राजनीति की जगह पर क्या किया जाए, इस संसद की जगह पर किसको लाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आलोचना के लिए नहीं कहता हूं। मेरी यह मान्यता है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जो कोई अपराधी होता है, अपराधी अपनी मौत का संदेश अपने साथ लेकर आता है। कोई अपराधी ऐसा नहीं हुआ जो कानून के शिकंजे में से 10 दिन, 15 दिन, एक साल या दो साल बाहर चला गया हो। लेकिन अपराध मिटाने के लिए जब सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो इतिहास को वर्षों के लिए या कभी-कभी सदियों के लिए अंधेरे कोने में धकेल देते हैं। आज चाहे न्यायपालिका के लोग हों, आज चाहे हमारे समाचार पत्रों के लोग हों, उन्हें केवल भ्रष्टाचार दिखायी देता है। अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्र में 95 प्रतिशत लोग उनके लिए जिंदा लोग नहीं है। उनके लिए कुरबानी करने वाले वे लोग नहीं हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कायदे-कानून बने हुए हैं, कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं। उनका एक बयान था, वह मर्चेंट चैम्बर ऑफ कामर्स में गये और कहा कि अगर आपसे अपने मंत्रिमंडल का कोई मंत्री घूस मांगे तो आप हमको खबर दीजिए। प्रधान मंत्री जी को इतना भी मालूम नहीं है कि किसी उद्योगपति से कोई घूस मांगने नहीं जाता है। दो-चार उद्योगपति आपस में होड़ लगाये रहते हैं कि कौन अधिक घूस देकर मंत्री महोदय को ठीक कर ले। इसमें कौन किससे शिकायत करने जायेगा। वास्तविकताओं से दूर केवल अखबारों में शोहरत पाने के लिए अगर राजसत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुये लोग काम करेंगे तो यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। कहा जाता है कि देश से भ्रष्टाचार मिटाओ, उसके लिए कानून बने हुए हैं, पुलिस एजेन्सियां बनी हुई हैं। अपने मित्र जसवन्त सिंह जी से मैंने उस दिन कहा था कि बोफोर्स कांड मैं इसलिए नहीं उठाना चाहता क्योंकि 1987 में जिस वक्त यह मामला उठा था, उस समय मैं संसद का सदस्य नहीं था। जब अखबारों के लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि यह काम पुलिस इंसपैक्टर का है। उसके बाद वी.पी. सिंह जी की सरकार आई, उस समय भी मैंने यही बात कही थी। जब मैं सरकार में था, मैंने इसी सदन में कहा था कि यह प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, यदि पुलिस इंसपैक्टर जांच करता है तो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी, अगर

कोई मुकदमा बनेगा तो सजा होगी। उसके बाद नरसिंह राव जी की सरकार आई, फिर देवगौड़ा जी की सरकार आई, उनके समय में भी बोफोर्स का मामला बराबर चलता रहा। कुछ दिनों बाद बड़ा शोर मचा कि स्विटरलैंड से कागज आ गए हैं, अब सब लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। बड़े उत्साह से जसवन्त सिंह जी ने यहां उस सवाल को उठाया, दिन भर बहस चली और शाम को खलप जी ने यहां खड़े होकर कहा कि हमारे पास स्विटजरलैंड से एक फैक्स मैसेज आई है, हमने वी.पी. सिंह की सरकार के समय में एक मैमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, ये कागजात केवल पुलिस अधिकारियों को दिए जाएंगे, यदि कोई चार्ज बनेगा तब कोर्ट को दिए जाएंगे—इसे सुनकर सारे सदन में चुप्पी छा गई। तब अखबारों में छपा है, एडिटोरियल लिखे गए, उससे दस दिन पहले दिल्ली के एक प्रमुख अखबार ने कहा कि भोंडसी के बाबा कहते हैं कि यह पुलिस इंसपैक्टर का जाब है। वे नहीं समझते कि आज यह देश की जिन्दगी और मौत का सवाल है। जब जसवन्त सिंह जी से मैंने कहा था, तब आप चुप क्यों हो गए? दस वर्ष पहले जब मैंने कहा कि यह पुलिस का काम है तो उसकी आलोचना की गई थी। दस वर्ष बाद, आपको तब यह ज्ञान हुआ, जब स्विटजरलैंड की कोर्ट ने आपसे कहा, अब उसके बारे में कोई बयान अखबारों में नहीं आता, अब कोई संसद में इस सवाल को नहीं उठाता। क्या हम इतना भी नहीं सोच सकते, जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते?

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का भूत हमारे सिर पर सवार है लेकिन उस भूत को मिटाने का रास्ता क्या है? ...*(व्यवधान)* मैं मल्टी-नेशनल्स की बात नहीं करता, वे ईमानदार लोग हैं। दुनिया में जहां भी वे गए, ईमानदारी का संदेश लेकर गए। जब वे हमारे देश में आए हैं, अभी एक उद्योगपति ने कहा है कि हम अपने लाभ का पांच फीसदी हिस्सा चुनाव कोष के लिए इकट्ठा करेंगे। और दूसरे लोगों से भी इकट्ठा करके देंगे। अटल जी कहते हैं कि चुनाव का खर्च सरकार दे - आप चिन्ता मत करिए, अगर मल्टी-नेशनल्स आ गए हैं तो उनके जरिए बहुत से लोगों को पैसा मिल जाएगा। सरकार को भी चिन्ता करने की जरुरत नहीं है। फिर यहां एक ईमानदारी का समाज बन जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि इस बुनियादी सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोग और सबको सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। जब प्रधान मंत्री जी कहते हैं–

[अनुवाद]

मुझे प्रधान मंत्री बन कर शर्म महसूस हो रही है।

[हिन्दी]

जब हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमें प्रैशराइज किया जाता है, जब आप गुस्से में कहते हैं।

[अनुवाद]

मुझे अध्यक्ष बन कर शर्म महसूस हो रही है।

[हिन्दी]

तो मेरे जैसे व्यक्ति के मन को एक धक्का लगता है। अगर आप ऐसा कहेंगे, लड़ाई के मैदान में अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, अगर मान लीजिए बम के गोले यहां गिरने लगें, लोग खाने के बिना मरने लगें तो क्या हमारे राष्ट्र नेता यह कहेंगे कि हम बेहाल हैं, बेसहारा हैं। यदि इतने सम्मानित पद पर रहने के बावजूद कोई लज्जा अनुभव करता है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का यह अधिकार है। लज्जा की जगह पर रहकर राष्ट्र के नियन्ता का काम नहीं करना चाहिए। जब ऐसी बातें कही जाती हैं, अखबारों में छपती हैं तो उससे देश की इच्छा-शक्ति टूटती है। मुझे आप लोगों से शिकायत नहीं है, संसद्-सदस्यों से भी शिकायत नहीं है। हम जो कुछ बोलते हैं, उसका सीधा असर देश के मानस पर होता है, देश के जज्बातों पर होता है, देश की जनता पर होता है, इच्छा-शक्ति पर होता है। उस इच्छा-शक्ति को फिर से जगाने की जरूरत है।

हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी रोज मल्टी-नेशनल्स के खिलाफ बयान देते हैं और कहते हैं कि तुम भी कुछ करो। वे रोज सैमिनार करते हैं लेकिन अपने मित्रों को नहीं समझा पाते। कुछ लोग कहते हैं कि हम जरा सोच-समझकर लिबरलाइजेशन करेंगे, थोड़े हिस्से में करेंगे, थोड़े हिस्से में नहीं करेंगे, जैसे उनकी इच्छा से ही लिबरलाइजेशन हो रहा है। मालूम होता है कि जैसे उन्होंने डब्ल्यू.टी.ओ. का दस्तावेज नहीं पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि आप भूखों मरिए और उन्हें आजादी है कि वे आपका शोषण करें। पैसे वालों को आजादी है देश के पैसे को लूटने की और बिना पैसे वालों को आजादी है कि उनकी मोह-माया और जंजाल में फंसकर, मृग-मरीचिका की तरह उनके पीछे दौड़ें।

अध्यक्ष महोदय, आज इस विकृति से इस समाज को इस राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, संसद सदस्यों के ऊपर है। अगर हम एक दूसरे की आलोचना करते रहे, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हम यह नहीं कहते कि हम एक हो जाएं, लेकिन दो-चार बुनियादी सवालों पर, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हम एक राय से कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते? हमारे 40 करोड़ निरक्षर लोग, पांच करोड़ हमारे लड़के-लड़कियां हाईस्कूल और एम.ए. पास सड़कों पर भटक रहे हैं, क्या हम उनको इस काम के लिए नहीं लगा सकते? हमारे 10 करोड़ ऐसे लोग जिनकी बाहों में फावड़ा चलाने की ताकत है और हमारे देश में करोड़ों अरबों एकड़ ऐसी जमीन है जो खेती के लायक बन सकती है, क्या हम उसको उन्हें देकर खेती के लायक नहीं बना सकते? आज इस दिशा में सोचिए। देश की जो शक्ति है उसको पहचानने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात के लिए बधाई देता हूं जब आपने कहा था कि आप एक विशेष सदन बुला रहे हैं, तो हम यह नहीं समझते थे कि इस विशेष सत्र में भी हम वही पुराने गीत गाएंगे। मुझे, अध्यक्ष महोदय, आप क्षमा करेंगे क्योंकि मैं व्यक्तिगत कारणों से

पूरे समय तक सदन में नहीं रह सकता, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, नेता विरोधी दल से अनुरोध है, नेता सदन से अनुरोध है अगर हम इस देश में कुछ ऐसा कर सकें कि कुछ बुनियादी सवालों पर हम एक होकर देश के जनमत को एक करने, देश की इच्छा शक्ति को जगाने, जिसको महात्मा गांधी ने जगाया था, उसको जगाने का काम कर सकें, उसको मिटने नहीं देंगे, यह संकल्प लेकर कुछ काम कर सकें, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम हमेशा यह याद रखें कि हम इतिहास के आखिरी आदमी नहीं हैं, हम असफल हो जाएंगे, लेकिन देश असफल नहीं होगा। यह देश जिंदा रहेगा, इस देश को दुनिया की कोई शक्ति तबाह नहीं कर सकती। यह असीम शक्ति का देश, हमारी जनता की अपार शक्ति को अगर हम जगा सकें, तो यह सदन अपने कर्तव्य का पालन करेगा।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन का विशेष अधिवेशन बुलाया और जो कुछ हम यहां चर्चा सुन रहे हैं इससे देश को बहुत कुछ मिलेगा, हम लोगों को मिल रहा है। आपने अपने भाषण में जिन विभिन्न समस्याओं को रखने का काम किया है और हमारे आदरणीय नेतागण ने बहुत सारे सवालों को यहां रखा, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भी सदन के सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। जो चर्चा यहां चल रही है उसमें यह बात कही गई है कि यह देश गांवों का देश है। इस देश की 74 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उनमें से हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, सिक्किम और बिहार जैसे राज्यों में 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन गावों की समस्याओं के निदान हेतु, ग्राम स्वराज्य की जो परिकल्पना आजादी मिलने के बाद की थी और गांधी जी ने जो परिकल्पना की थी, उसको गांवों तक पहुंचाने का काम हमने नहीं किया, हमने उस ओर नहीं सोचा। मैं यहां यह बात कहना चाहता हूं कि इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और यदि इस देश को एक सम्पन्न और सुदृढ़ देश हम बनाना चाहते हैं।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

गांवों की जो आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम क्यों तेजी से विकास नहीं कर रहे हैं? गांव में स्कूल हैं, स्कूल में शिक्षक हैं। विद्यालय में मास्टर हैं तो फिर उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करने का काम राजधानियों से जैसे पटना से, दिल्ली से व देश के विभिन्न भागों से होता है। उनकी नियुक्ति करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको उस गांव से कोई मतलब नहीं होता है। जब गांव में शिक्षक हैं, जब विद्यालय में मास्टर हैं तो गांव के आदमी क्यों नहीं बहाल करते, गांव के आदमी नियुक्त क्यों नहीं करते? गांव के आदमी क्यों नहीं वेतन देते? गांव के आदमी उसको क्यों नहीं बर्खास्त करते? गांव के आदमी क्यों नहीं हाजिरी लेते? उसका जवाबदेह कौन है? नियुक्ति करने वाला कोई और है। नौकरी देने वाला कोई और है। उसकी देख-रेख करने वाला, उसे सस्पैंड और डिस्चार्ज करने वाला कोई और है। वह क्यों जवाबदेह होगा? वह आदमी उस गांव के प्रति कभी भी जवाबदेह नहीं होगा। इसलिए यदि इस देश को विकसित करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को मुख्यधारा से जोड़ना है तो गांवों में जो बहाली होती है, गांव के विकास का जो भी काम होता है, उसकी देख-रेख गांव के लोगों द्वारा, ग्राम सभा द्वारा व ग्रामीण जनता द्वारा होनी चाहिए। इस तरह से देख-रेख करने का काम गांव के ऊपर निर्धारित होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो मुख्य समस्यायें हैं जैसे अभी श्री चन्द्रशेखर जी कह रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार नहीं है। केवल पांच प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बाकी 95 प्रतिशत जनता भ्रष्टाचार से अलग है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 95 प्रतिशत जनता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पांच प्रतिशत लोगों ने 95 प्रतिशत लोगों की मानसिकता को, उनके मनोबल को नीचे गिरा दिया है। उन पांच प्रतिशत लोगों पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? उन पर कन्ट्रोल करने के लिए आप कोई योजना क्यों नहीं बना रहे हैं? आप भाषण देते हैं। आप एक सेल बनाते हैं और सेल बनाकर आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपने कोई ठोस उपाय क्यों नहीं प्रस्तुत किये? आपको उसके लिए एक ठोस उपाय प्रस्तुत करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार दूर हो। मान लीजिये कि पूरे देश में पांच प्रतिशत लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं या बेईमान हैं तो आप उनकी सम्पत्तियों की जांच करें। आप 10 वर्ष बाद जनसंख्या का सर्वे कराते हैं तो आप आज एक सर्वे आयोग गठित करें जो कि देश के सारे लोगों की संपत्तियों की जांच करे और उनका एक कार्ड बना दीजिए जिस पर उनकी संपत्ति का ब्यौरा हो। इसके बाद एक ऐसा सशक्त विधेयक और कानून बनाइये कि आने वाले 10 वर्ष में अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, आने वाले दस वर्ष में अगर किसी के पास घोषित संपत्ति से अधिक संपत्ति पाई जायेगी तो उस समय उसको आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी।

तो फिर कौन भ्रष्टाचार करेगा। अगर आप ऐसे विधेयक बनायेंगे तो फिर पांच प्रतिशत लोग भी भ्रष्टाचार क्यों करेंगे। आप पूरे देश के लोगों की संपत्ति जांच कराइये, चाहे उसमें बुद्धिजीवी हों, चाहे उसमें वकील हों, चाहे उसमें कोई नेता हों, चाहे कोई जज हों, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, पदाधिकारी हों या उद्योगपति हों। सारे लोगों

की संपत्तियों की आप एक बार जांच करा लीजिए और 10 वर्ष बाद जिस तरह से आप जनसंख्या की जांच कराते हैं, उसी तरह से 10 वर्ष बाद आप पुनः सम्पत्ति की जांच होगी, उसकी घोषणा कर दीजिए। आप आज सज़ा मत दीजिए। आज आप किसको सजा देंगे। अगर सज़ा देंगे तो आज आप कोई कानून नहीं बना पायेंगे क्योंकि जो कानून बनाने वाला है, वह भी उसमें लिप्त है, कानून बनाने वाला उसमें संलग्न है। इसलिए वह कानून नहीं बनायेगा। आप आज कोई सजा निर्धारित न करें। आप आने वाले दस वर्ष में जो जांच करायेंगे, दसवें वर्ष में क्या सज़ा होगी, इसकी आप घोषणा कीजिए। उस सर्वे ईयर में अगर किसी संपत्ति उससे अधिक पाई गयी तो आप उसे आजीवन कारावास की सजा दीजिए। हम फांसी की सजा की वकालत नहीं करते। आप उसे आजीवन कारावास की सजा दीजिए और तब देखिये कि कैसे भ्रष्टाचार नहीं रुकता। आप कोई योजना नहीं बना रहे। आप केवल भाषण दे रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है या संपत्ति जमा करने या पैसा जमा करने आदि जो होड़ मची हुई है, वह किसलिए हो रहा है। वह इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ कान्वेंट स्कूल है, तो दूसरी तरफ नर्सरी स्कूल है। एक तरफ डी.पी.एस है, तो एक तरफ ऐसे-ऐसे विद्यालय भी हैं जिसमें लाखों रुपये डोनेशन देना पड़ता है। ऐसे प्राइवेट स्कूल आपने इस देश में क्यों खोल रखे हैं। इस देश में एक तरह का विद्यालय बनाइये जिसमें सारे देश के लोगों के बच्चे-बच्चियां उसमें पढ़ें, तो फिर उन्हें क्यों अवैध धन जमा करने की जरूरत होगी। जब हमारे बेटों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं मिलते, हम चाहते हैं कि उसका किसी अच्छे स्कूल में नामांकन कर दें, तो उसके लिए हमें धन जमा करना पड़ता है। उसके ट्यूशन के लिए हमें पांच-दस हजार रुपये देने पड़ते हैं इसलिए हम धन जमा कर रहे हैं। आप इसको पूरे देश के मौलिक अधिकार में जोड़िये। जैसे अभी श्री चन्द्रशेखर जी कह रहे थे, उसी तरह से सारे लोगों के लिए एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। आप इस पर क्यों नहीं सोचते? इस पर एक कानून बनाइये और उसको एकदम अनिवार्य रूप से लागू करिये। आप सारे लोगों के लिए एक तरह की अनिवार्य शिक्षा लागू कराइये। कोई प्राइवेट स्कूल न हो, कोई डी.पी.एस. न हो, कोई बड़े-बड़े विद्यालय नहीं होने चाहिए। बड़े लोगों के बड़े बेटे बड़े स्कूल में जायें और छोटे लोगों के बेटे छोटे स्कूल में जायें, ऐसा न हो। जब कोई लड़का गांव में पढ़ता है तो वह कहता है कि गांव में कोई पढ़ाई नहीं होती, तो फिर गांव में पढ़ने से क्या फायदा। उसकी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बिगाड़ने का काम किया जाता है। आप इस देश में एक तरह की शिक्षा नीति लागू करेंगे तो कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी।

आप आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं। आप भविष्य में चलिये। आप जरा पीछे मुड़कर देखिये कि इस देश में कौन सा विदेशी व्यापार था। एक अंगूठी में ढाका की मलमल की चादर निकल जाती थी। यहां पर कौन से विदेशी उद्योग-धंधे लगे हुए थे। इस देश में भी अच्छे हुनर प्राप्त लोग, इंजीनियर लोग थे। आप एक आध मंदिर देख लीजिये जो कि आज से दो हजार वर्ष पहले का बना हुआ है। आप उसकी कलाकृतियों को देखिये। आपको उससे पता चल जायेगा कि हम कितने आगे थे। भारत कितना आगे था। भारत कितना बढ़ा हुआ था।

मध्याह्न 12.00 बजे

यह पता चलता है। उसे देखने की जरूरत है। आप अपने यहां टैक्नोलॉजी डैवलप कीजिए। विदेशी उद्योग धंधों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, विदेशी पूंजीपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज दुनिया में उदारीकरण की होड़ लगी है। एक उद्योगपति आया था, गुलाम कर गया था। सारे लोग आ रहे हैं, कब्जा होगा। हम देख रहे हैं कि दूध नहीं मिलने लगा है। लेकिन विदेशी लेबल वाला मिनरल वाटर सारे ऑफिसों में मिलता है। हमें भी जब कहीं मीटिंग में जाना पड़ता है तो वहां भी विदेशी लेबल वाला मिनरल वाटर मिलता है। कहा जाता है कि यह बहुत बढ़िया रिफाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा है। भारत के 99 प्रतिशत गरीबों को कौन सा पानी मिलता है। विदेशी लेबल वाला मिनरल वाटर इसलिए मिलता है क्योंकि वे खुलेआम कमीशन देते हैं। 30-40-50 प्रतिशत कमीशन देकर सारे डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया है। इसका विकास आप कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कनक्लूड कीजिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : मैं समाप्त करूंगा। बहुत सारी बातें हैं जिसमें जनसंख्या इस देश की बहुत गंभीर समस्या है। जो विकास की गति है, आज हमको जो आंकड़े दिए जाते हैं, वे बिल्कुल गलत हैं। हमारी विकास की गति बिल्कुल नीचे है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेजी से हम विकास नहीं कर रहे हैं। यह सच्चाई है और इस पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप समझते हैं कि इससे देश का हित होगा, देश का भला होगा, इससे देश सुधरेगा तो जनसंख्या पर रोक के लिए कानून क्यों नहीं बनाते। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र कुमार जी, आपके 10 मिनट थे लेकिन आपको 14 मिनट हो गए हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर 10 मिनट वाले तो 45 मिनट तक बोले। इस बात को भी देखना होगा। जो लोग मीठी आवाज में लच्छेदार बात बहुत करीने से कहते हैं, उनको बोलने देते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सदन को देश देख रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हां, देख रहा है। आपको 10 मिनट से 14-15 मिनट हो गए हैं। अब कनक्लूड कीजिए। आपको दूसरों पर आक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : कनक्लूड करूंगा लेकिन ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन क्या।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : लेकिन हम कुछ बातें कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* जैसे मेरा सुझाव है कि जिस तरह नौकरी में ऐज लिमिट है, फिक्स हैं, उसी तरह आप यहां राजनीतिज्ञों की भी ऐज निर्धारित करें। पौलिटीशियन सबसे बड़ी उम्र का होता है। वे बड़े नेता माने जाते हैं। जो जुलजुल होते हैं, बूढ़े होते हैं, जिनकी देह कांपती रहती है, जिनके हाथ कांपते रहते हैं, जिनका ब्रेन काम नहीं करता, गांवों में कहा जाता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी याददाश्त कमजोर होती है। याददाश्त क्यों कमजोर होती है, आज कम्प्यूटर का युग है, कम्प्यूटर जब भर जाता है तो उसमें नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है,

उसी तरह जब बूढ़े लोगों का ब्रेन भर जाता है तो उनके ब्रेन में नई चीज रखने की, देश को नई चीज देने की जगह नहीं होती, देश को कुछ देने की जगह नहीं होती, इसलिए सीलिंग लगाई जानी चाहिए, उन पर भी उम्र की सीलिंग लगाई जानी चाहिए। एकदम कोई प्रतिबन्ध होना चाहिए, उस पर ऐज लिमिट होनी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे विभागों में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सारी चीजों में एज लिमिट होनी चाहिए। बूढ़े आदमियों का ब्रेन भ्रष्ट होता जाता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके बोलने की लिमिट क्या है? औरों की तो लिमिट करेंगे, आपके बोलने की भी तो लिमिट होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खत्म कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, अब बार-बार आपकी तरफ से इशारा किया जा रहा है तो हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो तीक है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : लिमिटेशन के अन्दर तो हम लोग आ ही जाते हैं। मैं इस बात को पुन: दोहराते हुए अपनी बात आज यहीं समाप्त किये दे रहा हूं कि लिमिटेशन जो आप करते हैं, उसका भी आप एकदम निश्चित आधार फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी जो रोज बोलता है, अगली बैंच पर बैठता है, आगे बैठता है, वह किसी बात को कहने के लिए कभी भी उठ सकता है, कभी भी कुछ बोल सकता है। वह एक लाइन भी बोलता है तो पूरे देश के पेपर, पूरे देश का मीडिया, पूरे देश के समाचार-पत्र उसकी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर छापते हैं, बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखते हैं। हमको कहने का अवसर कब दिया जायेगा, हमको बोलने का अवसर कब दिया जायेगा? हमको अपनी बात रखने का अवसर कब दिया जायेगा? जो चीज हमारे जेहन में है, हमारे मन में जो कुछ है, हमारे अन्दर में जो सुधार है, हम कब कहेंगे, हम कब बोलेंगे, जब सब दिन आप बोलते रहेंगे, जब सब दिन आप अपनी बात को रखते रहेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। श्री सुन्दर लाल पटवा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में लोक पर तंत्र हावी हो रहा है। इस तंत्र पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ने जा रहा है। आज तंत्र के लोग क्या कर रहे हैं, आज तंत्र के लोग लोकहित याचिका दायर करा रहे हैं। लोकहित याचिका दायर कराकर चार्जशीट दायर करवाने का काम करते हैं और लोकतंत्र को समाप्त करने पर लगे हुए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हुए हैं। यह तंत्र की साजिश है। इस तंत्र को रोकिये ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सुन्दर लाल पटवा

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल अध्यक्ष जी ने इस सदन में अपना ऐतिहासिक और प्रथम वक्तव्य देते हुए जो कुछ कहा और मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा, यह सदन और यह देश उनके प्रति आभारी रहेगा।

50 वर्ष के बाद एक अवसर है, जब हम आत्ममुग्धता और आत्मप्रशंसा, इस सबसे बचकर आत्मनिरीक्षण और आत्मचिन्तन करें कि हमें कहां पहुंचना था, हम कहां तक पहुंचे। कमी रही तो क्या रही। यह चिंतन का समय है। अध्यक्ष महोदय ने कल अपने भाषण में हमारे विचार के लिए काफी सामग्री दी है। मैं वहीं से प्रारम्भ करता हूं। विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा एक प्रतिशत से कम है। मुझे कहा गया है कि मैं आर्थिक स्थिति के ऊपर अपना वक्तव्य सीमित रखूं। मैं अपनी सीमा में रहने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष जी कहते हैं आर्थिक सुधार का सीधा-सा अर्थ है कि अपने साधनों के भीतर रहकर निर्वाह करना। इन साधनों का सृजन केवल धन के सृजन द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन धन का सृजन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक हम अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं करते।

अध्यक्ष जी आगे कहते हैं कि नि:संदेह हम देश-विदेश से ऋण ले सकते हैं, लेकिन उस पर ब्याज देना और कर्जा चुकाने के लिए हमारी निवेश नीति में दूरदर्शिता और धन के सृजन की क्षमता होनी चाहिए। अतीत में ऐसा नहीं हो रहा है, अब हमें यह प्रयास करना

चाहिए विशेषतौर पर क्योंकि हमारा विदेशी ऋण सेवा अनुपात हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 26 प्रतिशत हो गया है। हमारा प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 3,286 रुपये है जोकि 9,321 रुपये की प्रति व्यक्ति आय का 35 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति आय का 35 प्रतिशत हम विदेशी ऋण से ग्रस्त हैं। हम वास्तव में ऋण जाल में फंस चुके हैं। राज्य सरकारें भी आंतरिक ऋण जाल के शिकंजे में जकड़ी हुई हैं। फिर आगे अध्यक्ष जी कहते हैं कि पूर्व में हमने कुछ दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था की तरफ निर्यात साधनों की तरफ जोर नहीं दिया। निर्यात के क्षेत्र में हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जरूर हासिल की हैं। 1951 में हमारा मात्र 647 करोड़ रुपये का निर्यात था। उसकी तुलना में 1996 में 1 लाख 8 हजार 478 करोड़ रुपए का निर्यात है। तथापि 1980 के दशक में उत्पादित हमारे निर्यात का 85 प्रतिशत था। अब निर्मित उत्पादों का निर्यात पूरे निर्यात का 75 प्रतिशत से अधिक है। रत्नाभूषण, सिले-सिलाए परिधान, सूती कपड़े, समुद्री उत्पाद और औषधियां ये सब हमारा निर्यात है, वह निजी क्षेत्र में है। विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए मांस का निर्यात होता है। हम मूल्यवान पशुधन का विनाश करके विदेशी मुद्रा कमाने के लिए मांस का निर्यात करते हैं और यह सरकार करती है। जनता जो निर्यात करती है, वह इससे अलग है।

एक नई बात की तरफ अध्यक्ष जी ने ध्यान आकर्षित किया है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि पर एक वर्ष में 61,000 टन कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के अतिरिक्त 33 मिलियन टन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। अजैविक कृषि पद्धतियों पर आधारित सघन कृषि को लम्बे समय तक जारी रखने की व्यावहारिकता की भी विस्तृत रूप से जांच की जानी चाहिए। ऐसी कृषि से खाद्यान्न की गुणवत्ता, पर्यावरण की सुरक्षा और जैविक वैविध्य के परिरक्षण की दृष्टि से अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। यह अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश था। माननीय अटल जी ने उसको आगे बढ़ाया। मैं आशा करता था कि और भी प्रथम वक्ता के रूप में जो बोलने का प्रारम्भ करेंगे, वे इस टोन को, इस ट्रैंड को जिसे हाउस में अध्यक्ष जी ने और अटल जी ने सैट किया, उसको कायम रखेंगे। परंतु जब मैंने श्रीमन् माधव राव सिंधिया का भाषण सुना, आज वे यहां नहीं हैं। वह बहुत सुंदर, सुदर्शन, सुकोमल, नौजवान और नौनिहाल भी हैं। ...*(व्यवधान)* परंतु उस अपेक्षा पर वह खरे नहीं उतरे हैं और मुझे उनका भाषण सुनते-सुनते यह लगा कि शायद वह यह भूल गए कि मैं संसद में खड़ा हूं या ग्वालियर के राजवाड़ा चौक पर खड़ा हूं। भाइयो और बहनो, आइए। कहां आएं? क्यों आएं? ...*(व्यवधान)* शरद पवार जी जरा दर-गुजर करके उनके नेता ने जो जॉब एसाइन किया था, जो टारगेट एसाइन किया था, उसे निभाने में ...*(व्यवधान)* मैं उनकी आलोचना नहीं करता। मैं अपनी निराशा जाहिर करता हूं और नौजवान से जो अपेक्षा की थी, उससे मैं बहुत निराश हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय लोक तंत्र के पचास वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें आर्थिक स्थिति के बारे में जो कुछ कहा गया, उसको पढ़ने की जरूरत है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। पचास वर्ष के बाद हम चौराहे पर खड़े हैं। यह चिंतन का अवसर है। क्या हम उससे निकलने के लिए तैयार नहीं हैं? कहां से चले और कहां के लिए चले? अभी मेरे मित्र माननीय चन्द्रशेखर जी गांधी जी की चर्चा कर रहे थे। गांधी जी ने जो कुछ कहा था कि इस देश में अपना राज होगा तो राम राज्य होगा। कहां गया वह रामराज्य? गांधी जी ने तो भारत देखा था, भारत को परखा था परंतु उनके बाद जो दूसरे रचनाकार बने, वे जिंदगीभर डिस्कवरी ऑफ इंडिया करते गए। उनको भारत कहां से मिलता? समाजवादी समाज रचना, नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था, कोटा, परमिट, कंट्रोल राज, केन्द्रिय पंचवर्षीय योजना, महालानौबिस और नेहरू आर्थिक ढांचा, सार्वजनिक बनाम राज के सैक्टर, एकाधिकारवादी उत्पादन, नियंत्रण व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, तथाकथित निश्चित अर्थ-व्यवस्था के नाम पर अंडा-मुर्गी, होटल, मोटल, दाल-रोटी, कपड़ा, तेल, सीमेंट, लोहा और लकड़ी सब सरकार बनाए और बेचे। अब अचानक एकदम पलटकर पचास वर्ष में लगा कि हम तो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं कि एक कदम आगे बढ़े तो आगे कुआं है। गिरकर मरेंगे। देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। तब वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीयकरण, खुला बाजार, प्रतिस्पर्धा, ऑटोमाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइंवेस्टमेंट आ गया। यह हमारी विवशता थी और जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमरीकी नियंत्रण ने हमारी बांहें मरोड़ी कि तुम यह करो तो उधार देंगे नहीं करोगे तो नहीं दंगे। मजबूरी का नाम ही वैश्वीकरण योजना है। कुएं से निकलकर खाई में जा रहे हैं। पहले साम्यवाद बनाम समाजवाद, अब पूंजीवाद बनाम सरवाइवल ऑफ फिटेस्ट है। क्या भारत का कोई आर्थिक जीवन दर्शन है? क्या भारत के पास अपनी कोई नीतियां हैं? हमें वह देखने की फुर्सत नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, हम जनसंघ में जब कहते थे कि कोटा, परमिट, कंट्रोल राज खत्म करो। लोगों के पुरुषार्थ और प्रतिभा को अवसर दो तब हमें रूढ़िवादी कहा जाता था। पता नहीं क्या-क्या कहा जाता था। स्वदेशी के बारे में महात्मा गांधी और पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि यह एक सपना नहीं है, एक फंक्शनल नीड है। आज प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। कोयला, बीमा, बैंकिंग, विद्युत उत्पादन—ये हमारे निजी हाथों में थे। देश के लोग इसको करते थे। उनसे छीना, अब फिर उधर ही जा रहे हैं। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली—एक पागल बादशाह ने एक समय यह काम किया था और अब बड़े समझदार लोग यह काम कर रहे हैं। हमारी अपनी हजारों वर्षों से कराधान प्रणाली थी। आय का छठा हिस्सा कर के रूप में देना, लोग कर्तव्य मानकर देते थे। 15-20 प्रतिशत कराधान होता था और आज 95 प्रतिशत तक हमारा कराधान है। सब इस व्यवस्था के चलते लोगों को चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए और धन छिपाने के लिए अवसर दिए। इसका नतीजा यह है कि एक समानान्तर काले बाजार की अर्थ-व्यवस्था देश में चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी है।

श्रीमन्, साम्यवाद, समाजवाद और समाजवादी रचना के नाम पर कुछ व्यक्तियों ने राज्य के बल पर तानाशाही या पूंजीवाद के नाम पर, धन के बल पर कुछ व्यक्तियों के समूह की तानाशाही चल रही है। दोनों का परिणाम एक ही है, रास्ता चाहे अलग हो। मानव और मानवीय संवेदन से हीन और शोषण से युक्त, देश आज जहां खड़ा है,

इसका एक लेख में वर्णन है, जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों के साथ चौराहे पर खड़ी है।

चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में, भारत सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी पीछे है। वहां विकास की वही स्थिति थी जैसी कि भारत में 1960 में थी।

भारत में 13.5 करोड़ लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं है।

22.6 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है।

साक्षरता दर मात्र 52 प्रतिशत है जबकि चीन में यह 81 प्रतिशत तथा श्रीलंका में 91 प्रतिशत है।

भारत की एक तिहाई जनसंख्या अभी भी भयंकर गरीबी में पल रही है।

[हिन्दी]

आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। हमारे इस पचास साल के दस्तावेज में इन सारी बातों के उल्लेख हैं। हमने आर्थिक नीति और आर्थिक दर्शन पर कभी विचार नहीं किया और जिस दर्शन की ओर हम भाग कर जा रहे हैं, उसके प्रणेता मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी खड़े हैं। इस दर्शन का क्या परिणाम है, वह भी मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं—

[अनुवाद]

अमेरिका में विद्यमान प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वर्तमान पश्चिमी स्वरूप में 60 प्रतिशत विकास पर शीर्ष के 1 प्रतिशत लोगों का एकाधिकार है और 20 प्रतिशत लोगों का समस्त विकास पर एकाधिकार है तथा 60 प्रतिशत लोगों की वास्तविक आय उस आय से कम है जो 20 वर्ष पहले थी (लेसर थूरू)—फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म।

[हिन्दी]

यह है देश का वर्णन, जिस माडल की नकल के लिए हम बावले हो रहे हैं।

[अनुवाद]

परिवार, समुदाय और पर्यावरण जैसी सामाजिक अवसंरचना को इस संगणना में नहीं जोड़ा गया है।

12 वर्ष की लड़कियों के बच्चे हो रहे हैं।

[अनुवाद]

अमरीका की सिनेट के चेयरमैन न्यूट गियरिच ने पूछा: जब 12 वर्ष की बच्ची गर्भवती हो सकती है, 14 वर्ष का बच्चा एक दूसरे की हत्या कर सकता है, 16 वर्ष के बच्चे एच.आई.वी. पोजिटिव हो सकते हैं और 18 वर्ष का युवक डिप्लोमा कर सकता है, जिसे वह पढ़ नहीं सकता, तो हम कैसी सभ्यता का विकास कर रहे हैं? अमेरिका उन्मुख वर्तमान पश्चिमी सभ्यता, जिसका मुख्य उद्देश्य भौतिकवादिता का अनुसरण करना है, से यह स्पष्ट है कि इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह उस देश का वर्णन है, उस देश की सिविलाइजेशन का वर्णन है, जिसकी नकल करने के लिए हम आज उतावले हैं। महोदय, एक समाचार पत्र की कतरन से मैं उद्धृत करता हूं—

> "मलेशिया के प्रधान मंत्री महातिर मोहम्मद कहते हैं। हमें यह कहा जाता है कि हम अपने व्यापार और वाणिज्य को पूर्ण रूप से खोल दें लेकिन क्यों और किसके लिए खोलें? क्या इन दुष्ट सट्टेबाजों के लिए या उन अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैलाने वाले तत्वों के लिए खोलें, जो हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करके अंतर्राष्ट्रीय चालबाजों के समक्ष घुटने टेकने के लिए बाध्य करते हैं? इन्हीं स्वरों को तीखा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों के वाणिज्य और व्यवसाय को निगल गईं, इसलिए उदारीकरण में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वर्ण मृग भारत की पंचवटियों के इर्द-गिर्द घूम रहा है और उसकी नई लीलाओं से भारत को सावधान रहना होगा।"

यह मलेशिया जैसे देश के छोटे से प्रधान मंत्री को समझ में आता है परन्तु दुर्भाग्य है कि हमारे महान चिदम्बरम साहब को और हमारे महान निर्माता उदारीकरण वालों को कब समझ में आएगा, यह मैं नहीं जानता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ निकलता है, इससे पता चलता है कि इस नीति के कारण से आज एक समानान्तर काले धन की व्यवस्था हमारे देश के लिए चुनौती बन कर खड़ी है। वह केवल आर्थिक क्षेत्र में चुनौती नहीं है वह राजनीतिक क्षेत्र में भी चुनौती है। हमारे सांसदों को खरीद-फरोख्त करने का मार्ग बना कर वह अर्थव्यवस्था आज हमारे इस राजनीतिक प्रजातंत्र पर ग्रहण बन कर उसको निगलने के लिए तैयार खड़ी है। क्या संसद के सदस्य नीलामी का माल हैं, क्या बाजार में घोड़े-गधे की तरह बिकने के लिए हैं? यह आज के भारत की तस्वीर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपलब्धियों को नकारता नहीं हूं, मैं यह पाप नहीं करूंगा, परन्तु उपलब्धियां किस की हैं? कल हमारे मित्र सिंधिया जी आवेश में कह गए कि जब पीएल 400 पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया तब इंदिरा जी ने आह्वान किया और हम आत्मनिर्भर हो गए। वह महाशय भूल गए कि इंदिरा जी नहीं बल्कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी इस भारत के प्रधान मंत्री थे और उन्होंने खुद भूखे रह कर इस देश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक समय व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे परन्तु अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। आप उनका नाम ही लेना भूल गए, वफादारी और फर्ज अदायगी में इतने दीवाने हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, बस यहीं पर खत्म, यह देश वहां से प्रारम्भ होता है और यहां आकर खत्म हो जाता

है। अब सोनिया जी हैं, वह उनका काम है। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। ...(व्यवधान) मैं आलोचना करने का काम नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, क्या हम यहां पहुंच सकते थे? अगर आज भारत अन्न में आत्मनिर्भर है तो इसके लिए राजनीतिज्ञों को सेहरा बांधने की जरूरत नहीं है, यह भारत के लाखों-करोड़ों किसानों की देन है कि आज भारत अन्न में आत्मनिर्भर है। आज हमारे उपग्रह आसमान में उड़ रहे हैं, यह राजनीतिज्ञों की देन नहीं है बल्कि उन वैज्ञानिकों की, इंजीनियरों की देन है, भारत उनका आभारी है।

परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। गर्व तो तब करते जब हमारे जैसे लोग जहां खड़े थे वहां से वे आगे पहुंचते। मेरे पास और जसवंत सिंह जी के पास सौ-सौ रुपये थे। दस वर्ष के बाद आज जसवंत सिंह जी के पास एक लाख रुपया है और मेरे पास एक हजार रुपया है, तो मैं एक हजार रुपयों के ऊपर क्या फूलता फिरूं। जसवंत सिंह जी और मैं एक स्थान से चले और जसवंत सिंह जी आज कहां पहुंच गये और मैं कहा हूं। यह मेरे लिए फूलने की बात नहीं है बल्कि शर्म की बात है। आज भारत कहां है? गरीबी में, इंफ्राक्ट्रचर में आज भारत कहां है? यह हमारी आर्थिक स्थिति है जिसका हम जिक्र करते हैं। यह कोई गर्व करने की बात नहीं है बल्कि यह शर्म की बात है। मलेशिया, थाईलैंड जैसे छोटे-छोटे देश आज कहां हैं। जापान, जर्मनी ध्वस्त हुए, बंट गये, गुलाम हो गये लेकिन आज वे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। येन कहां है, मार्क कहां है और रुपया कहां है? हमारे प्रधान मंत्री ने एक दिन बोल दिया तो रुपया गिरने लगा और डॉलर बढ़ने लगा। येन और मार्क के साथ भी यही हाल है। जर्मनी तो बंट गया। इन देशों को देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। समाजवाद का नतीजा हमने भुगत लिया और पूंजीवाद का परिणाम आज अमरीका में क्या है वह मैंने आपको बताया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा अपना जीवन-दर्शन है और वह है, स्वधर्म, स्वराष्ट्र और स्वराज। महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशी का कोई सपना नहीं लिया था, बल्कि वह तो हमारे ट्रेडिशन में था। आज भी तीन-चौथाई रोजगार हमारे ट्रेडिशनल सैक्टर से आता है। बड़े-बड़े तीर्थ और मंदिर जिनको कहा गया वे तो आज सफेद हाथी हो गये हैं और आज डिस-इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी तमाम जमा-पूंजी खा गये। आज विदेशी पूंजी निवेश एक ऐसा नारा हो गया है जैसे यह एक पागलपन हो। आज हमारा राष्ट्र-स्वाभिमान और आत्मविश्वास खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि बिना उसके हम आज कुछ करने लायक नहीं बचे हैं।

भारत में फाह्यान और ह्वेनसांग आए और उन्होंने कहा कि इस देश में ताले नहीं लगते, चोरियां नहीं होती। जिस देश के लोग अतिथि को भोजन कराकर ही भोजन करते थे। *ऐसा हमारा जीवन-दर्शन था।* जहां तक इस देश में बचत की बात है तो इस देश के हर गांव में एक सुनार का परिवार रहता है और इस देश का छोटे से छोटा गरीब किसान भी फसल आने के बाद एक तोला, दस तोला सोना या चांदी खरीदकर रखता है। बचत तो हमारी परम्परा में है, रक्त में है।

संत दादू दयाल चर्मकार थे। उनको किसी ने पूछा कि आप इतना सुंदर जूता किसके लिए बनाते हो। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के लिए बनाता हूं। जो भी इसे पहनेगा वह मेरे लिए भगवान का रूप है, नर ही नारायण है। यह भारत किसने खोजा? खोजते तो मिलता। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया करते रहे, यह उनकी देन है कि आज भारत की आर्थिक रचना, भारत का जीवन-दर्शन यहां आकर खड़ा है। आज हम भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़े हैं। भारत 68 हजार करोड़ रुपया प्रति-वर्ष ब्याज के लिए अपने बजट में से निकालता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जिस समय ठगों और पिंडारियों का जोर था उस समय भी बनारस के हीरे-जवाहरात सूरत जाते थे और सुरक्षित जाते थे, गारंटी के साथ जाते थे। उपाध्यक्ष महोदय, नानकी पालकीवाला की एक पुस्तक मेरे हाथ आई है। उसका नाम है ''हम हिन्दुस्तानी''। उसका एक वाक्य है,

''भारत में विलक्षण संभावनाएं हैं, जैसा कि ली क्वान यू ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक सोये हुए दैत्य के समान है। यदि वह दैत्य जगा दिया जाए तो इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा।

किसी देश की अमीरी कभी इस बात का पैमाना नहीं होती कि उस देश ने मानव समृद्धि तथा विकास में कितना योगदान दिया है? इतिहास गवाह है कि वैभवशाली राष्ट्र और संभावनाएं प्रचुर मात्रा में धन होते हुए भी नष्ट हो गईं परन्तु विपत्तियों के दबाव में कभी किसी राष्ट्र या सभ्यता का विनाश नहीं हुआ है।

आज राष्ट्र की नैतिकता का क्षय हो चुका है तथा इसकी चेतना पतित हो गई है। विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में भी उपभोक्ता संस्कृति ने मानवता का ही भक्षण कर लिया है। हमें उन मूल्यों को फिर से अंगीकार करना होगा जो हमारी अविनाशी विरासत की जीवन शक्ति है।''

यह जीवन शक्ति है।

मैं अपनी बात केवल एक उद्धरण के साथ समाप्त करना चाहूंगा। बिजनस इंडिया का 11 अगस्त से 24 अगस्त का अंक मेरे हाथ में है। इसमें पृष्ठ 16 से 20 तक में एक सूची प्रकाशित हुई है। फिफ्टी इयर्स ऑफ स्कैम्स एंड स्कैंडल्स। इसके अलावा इसमें 48, 49, 51, 56, 58 और 64 की सूची प्रकाशित है। इसमें 40 स्कैम्स और स्कैंडल्स की

सूची है जिस ने इस देश का हजारों करोड़ रुपया ले लिया। किस ने लिया? विदेशों में धन किस ने जमा किया? कालाबाजारी की अर्थव्यवस्था का अवसर किस ने दिया? अगर यह नहीं होता तो इस देश की इतनी क्षमता थी, इतनी क्षमता है, यह सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। वह इतनी लूट के बाद भी रहेगा।

अभी चन्द्रशेखर जी कह रहे थे कि पांच फीसदी ही ऐसे लोग हैं और 95 फीसदी जनता ही हमारी आशा का केन्द्र है। हमारे राजनैतिक तंत्र को, आर्थिक तंत्र को, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को अगर कोई ठीक कर सकता है और इसकी आशा का कोई केन्द्र है तो 95 परसैंट जनता है। पांच फीसदी यहां बैठे लोग हैं जो पूंजी का गट्ठा अपने सिर पर उठा कर ढोते हैं, वे लोग नहीं हैं। 40 स्कैम्स और स्कैंडल्स की वह सूची इसमें दी हुई है जिस ने इस देश के गरीबों, मेहनतकशों का उत्पादन किया हुआ धन हड़प लिया, वरना हमें विदेशों से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और विदेशी मॉडल की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर भारत को खोजा होता, गांधी जी को न भूला होता, पंडित दीन दयाल के एकाग्रदर्शन को देखा होता तो शायद न साम्यवादी, न समाजवादी रचना के समाज की अर्थव्यवस्था और न वैश्वीकरण, न किसी दूसरे करण की आवश्यकता पड़ती। इस भारत में वह सब कुछ है। भारत दुनिया का अकेला देश है कि जिस के घरों में ताले नहीं लगे। जहां चोरी न हो, कर चोरी न हो, जहां समृद्धि हो, जहां समान अवसर प्राप्त हों, ऐसे समाज की रचना हो जहां कोई किसी की अमानत में खयानत न करे। धर्म के आधार पर अर्थ की व्यवस्था, काम का सेवन और मोक्ष की प्राप्ति, यही समाज का जीवन दर्शन है। यह जब तक नहीं अपनाया जाएगा, इस पर जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक भटकते रहेंगे। आज भी भटकते हैं, कल भी भटकते थे, कल समाजवाद समाज रचना के नाम पर भटकते थे, आज ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण, मल्टीनैशनलाइजेशन के नाम पर भटकेंगे। पिछले तीन सालों में कितनी विदेशी कम्पनियां यहां आकर पैसा हजम कर गईं? यह सिलसिला अभी भी जारी है। एक ईस्ट इंडिया कम्पनी आई थी। हमारे चिदम्बरम साहब लंदन जाकर कहते हैं कि आओ हमने दरवाजे खोल दिए, उन्होंने ढाई सौ वर्ष राज किया, तुम आओ, हमारी जिन्दगी में तुम पीढ़ियों तक राज करो। यह किसी की आलोचना का समय नहीं है। यह चिंतन का समय है। हम चिंतन करें। क्या हमारा जीवन दर्शन है? क्या हम इतने कंगाल हैं कि हम समाजवादी समाज रचना पर जाएं। हम पूंजीवाद पर जाएं या दूसरे किसी वाद पर जाएं। ये सारे अधूरे जीवन दर्शन हैं। यह अभी ट्रायल में हैं और हम इसमें फेल हो चुके हैं। हम अपने घर को देखें और खोजें। हम अपने घर का पता लगाएं। हम अपने घर के रास्ते पर चलें। स्वयं सिद्ध रास्ते पर चलें। यह भारत 21वीं शताब्दी में जा रहा है। यह 21वीं सदी भारत की सदी हो। यह भारत समृद्धशाली, सम्पन्न और शक्तिशाली देशों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में गरिमामय होकर खड़ा हो, यह अपेक्षा हम करें, इस अवसर पर इसकी आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री शरद पवार

श्री शरद पवार (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस संसद का खास अधिवेशन बुलाने का आपने जो निर्णय लिया, उसका मैं स्वागत करता हूं।

पिछले 50 सालों में देश में कई क्षेत्रों में हमने अच्छे काम किये। कई क्षेत्रों में कमियां भी हैं। यह मौका ऐसा है कि थोड़ा बहुत पार्टी लाईन तो पूरी तरह कोई छोड़ नहीं सकता मगर राष्ट्र की परिस्थिति मद्देनजर रखते हुये आत्म-निरीक्षण करके इस परिस्थिति से आगे जाने के लिये हम लोगों को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। राष्ट्रपति के विचार सदन में स्पष्ट रूप से रखने का मौका है। मुझे खुशी है कि इस बहस में मदद करने के लिये आपकी तरफ से जो किताब निकाली गई है 'भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष' यह बहुत अच्छा प्रकाशन है, उपयुक्त है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुये आदरणीय स्पीकर जी ने कल इस सदन के सामने अपने विचार रखे। इसके बाद ही अटल जी ने यहां एक प्रस्ताव रखा। मुझे विश्वास है कि वहां तक हम सीमित नहीं रहेंगे और हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर सर्वमान्यता लेकर कोई नीति तैयार कर सकते हैं जिससे पूरे देश को मदद हो जायेगी। जब इसमें हिस्सा लेना है तब मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा विषयों पर ध्यान देना ठीक नहीं होगा। मेरी पार्टी के और कई सदस्य इसमें हिस्सा लेने वाले हैं तब मैंने उनको यह सूचना दी कि अलग-अलग विषय पर अपने विचार रखिये। अपने भाषण को उस विषय तक सीमित रखने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो विषयों पर यहां बोलने वाला हूं। मगर इससे पहले एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि 8-10 दिन पहले विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी पार्लियामेंटरी पार्टी के नेताओं को एक खत लिखकर अपने विचारों की सूचना दी। सदन में गरिमा रखने की आवश्यकता, संसदीय लोकशाही पद्धति की प्रतिष्ठा रखने की आवश्यकता। देश की सबसे बड़ी सुप्रीम संस्था हाउस के बारे में देशवासियों की क्या भावना होनी चाहिये, इन बातों को अटल जी ने हम सब के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने तीन सुझाव इसमें दिये हैं कि कम से कम इन तीन मुद्दों पर सहमति हो सकती है तो इसको स्वीकार करने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए।

[अनुवाद]

1. कोई भी किन्हीं भी परिस्थितियों में सदन के बीचों-बीच नहीं जाएगा।
2. प्रश्नकाल के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
3. जब कभी राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करें कोई भी गड़बड़ी या व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

[हिन्दी]

मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन तीनों सुझावों का स्वागत करता हूं और इनको स्वीकार करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी पोलिटिकल पार्टीज़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो इससे हम लोगों को सदन का काम अच्छी तरह से करने में मदद होगी।

मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें सोचना होगा। जो किताब आपने हम लोगों को दी है, उसमें परफॉरमेन्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में एक चैप्टर है। परफौरमेन्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जो कुछ इनफौर्मेशन आपने दी है, उसमें कुछ ऐसी इनफौर्मेशन है कि हमें बहुत गौर से सोचना होगा।

[अनुवाद]

''प्रति दिन औसत कार्यावधि 6.27 घंटे से घटकर 5.55 घंटे हो गई है। विधान बनाये जाने संबंधी मुख्य कार्य पर दिये जाने वाले समय में भारी गिरावट आयी है और पहली लोक सभा के दौरान 49 प्रतिशत की तुलना में यह घटकर 22 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के बीच रह गया है।

दसवीं लोक सभा के दौरान कुल समय का 14 प्रतिशत शून्य काल पर व्यतीत किया गया।

हाल में शुरू एक गंभीर मुद्दा अव्यवस्था और व्यवधान का बारंबार होना है। दसवीं लोक सभा के दौरान कुल समय का 10 प्रतिशत समय सभा को स्थगित करने पर व्यतीत हुआ।''

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि यह जो कुछ इनफौर्मेशन आपने सदन के सामने रखी है, हम सब लोग बड़े जिम्मेदार सदस्य हैं। देश के सभी राज्यों की विधान सभाएं और विधान परिषदें जब कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ निर्णय लेना चाहती हैं, तब संसद की परिस्थिति क्या है, इस पर हमेशा ध्यान देती हैं। संसद की परिस्थिति दिन ब दिन ऐसी हो रही है कि इसका असर पूरी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पर, पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन्स पर ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि 50 साल का अनुभव देखने के बाद इसमें सुधार करने की तैयारी हम सबको करनी चाहिए। मैं इस सदन को और आपको अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में जो-जो कदम उठाने की जरूरत है, इसमें मेरी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से सदन को सहयोग रहेगा जिससे संसदीय प्रजातंत्र की इज्जत देश में बढ़े।

दूसरा एक विषय मुझे सदन के सामने रखना है जिस पर यहां ज्यादा बात नहीं हुई। कुछ आदरणीय सदस्यों ने कुछ पासिंग रैफरेन्स इस बारे में दिये। डैवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में यहां बहुत बातें कीं। गरीबी दूर करने के बारे में जो कुछ कदम उठाए हैं, इस बारे में यहां बहुत अच्छी सूचनाएं आईं। रीजनल इम्बैलेंसिज देश में कैसे हो रहे हैं, इस पर भी यहां कुछ विचार हुआ और इनका असर पूरे देश की एकता पर किस बुरी तरह से होता है, यह बात भी सदन के सामने रखी गई। इसके डीटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मुझे कई साल प्रशासन में काम करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि यहां पर बहुत कुछ विषय महत्वपूर्ण हैं, इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन जब हम लोकप्रतिनिधि लोगों के विश्वस्त ट्रस्ट के रूप में कहीं भी काम करते हैं, चाहे लोकल सैल्फ गवर्नमेंट में हों, पंचायत राज, म्युनिसिपेलिटी, कारपोरेशन, विधान मंडल, प्रशासन, संसद या भारत सरकार में हों, हमें इस पर ध्यान देना होगा कि भारत जैसे देश में जहां सुधार करने के लिए राशि की कमी है वहां जो-जो प्रावधान हम विविध कामों के लिए करते हैं, वे ठीक प्रकार से जिन कामों के लिए किये गये हैं, उनके लिए ही वह खर्च होने चाहिएं। आप इस बारे में सोचेंगे और देखेंगे तो एक परिस्थिति दिन-ब-दिन हमारे सामने आ रही है कि प्रशासन के खर्च में नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है। यह बिलकुल ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है। मैंने छः राज्यों की बजट की किताबें देखी हैं, दो-तीन क्षेत्र में आपने सिर्फ ध्यान दिया है। अब एक आइटम सॉइल कंजर्वेशन है। राज्यों में सॉइल कंजर्वेशन में जो टोटल प्रॉविजन है वह लगभग 110 करोड़ का है और सॉइल कंजर्वेशन के क्षेत्र में जो काम करना है, उस काम को करने के लिए जो मशीनरी लगाई गई है उसका एक्सपेंडीचर 230 करोड़ रुपये है। दूसरा एक और सैक्शन मैंने चार राज्यों का देखा उसमें एक पब्लिक हैल्थ सर्विसेज है। पब्लिक हैल्थ सर्विसेज में प्रशासकीय खर्च के लिए जो टोटल प्रॉविजन है वह 630 करोड़ रुपये है और जो दवा और सर्विसेज दी गई हैं उसके लिए टोटल प्रॉविजन 86 करोड़ रुपये है। मुझे लगता है कि हमारी कहीं तो गलती हो रही है। देश के छः कारपोरेशंस्-महापालिका की मैंने स्टडी की। अलग-अलग राज्यों में महानगरपालिका निगम हैं जिसमें एक बात सामने आई कि सौ रुपया इकट्ठा करने के लिए इस कारपोरेशन का व्यय 102 रुपये है। लोकल सैल्फ गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ रहा है, भारत सरकार में बढ़ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जब हम लोग सहमति से कुछ निर्णय लेने के लिए बैठेंगे तो मुझे यह लगता है कि हमारे ऊपर जब कहीं भी संस्था में काम करने की जिम्मेदारी आती है तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम ट्रस्ट के रूप में वहां बैठते हैं और ट्रस्ट के रूप में वहां बैठने के बाद लोगों की तरफ से टैक्सिज या अन्य मार्गों से जो धन हमने इकट्ठा किया है, वह हम ठीक तरह से नहीं संभाल सकते, ठीक तरह से खर्च नहीं कर सकते, तो इसका बुरा असर विकास की पूरी प्रक्रिया पर होता है। इसको दुरुस्त करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। प्लानिंग कमीशन को जिस तरह इस विषय पर ध्यान देना चाहिए था, वह ध्यान उसने नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि उसके लिए यहां संसद की एक यंत्रणा बन सकती है या बाहर के लोगों को शामिल करके बन सकती है। हमारे लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के जितने फाइनैंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनैंस हैं, भारत सरकार के जो फाइनैंस हैं, उनमें फाइनैन्श्यल डिसिप्लिन लाने के लिए एक नई गाइडलाइन तैयार की जा सकती है जिससे मैं समझता हूं कि पूरे देश को काफी मदद मिलेगी और देश की विकास प्रक्रिया में उससे काफी योगदान मिल सकता है।

जब मैं अपने विचार सदन में रखने के बारे में सोच रहा था कि किस विषय पर ज्यादा जोर दूं, दिलचस्पी लूं तो मैंने यह तय किया कि जनसंख्या वृद्धि का मामला सबसे महत्वपूर्ण है जो विपक्ष के नेता ने कल यहां उसे उठाया था तथा हमारे कुछ अन्य साथियों ने भी कहा था। यह ऐसा विषय है जिस पर पिछले 50 सालों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण कुछ निराशा के स्वर उसमें आ गए। जिन क्षेत्रों में हमने अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम को करने के लिए

जिन्होंने मेहनत की, योगदान किया, उनका हमेशा स्वागत होना चाहिए। निराशाजनक परिस्थिति समाज में फैलने से किसी देश को फायदा नहीं हो सकता। जब हम पिछले 50 सालों में हुई प्रगति के इकोनौमिक पैरामीटर को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कई क्षेत्रों में हमने निश्चित रूप से प्रगति की है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा ग्रोथरेट 3.5 परसेंट था जबकि आज हम 7 परसेंट पर आ गए हैं जो प्रगति का लक्षण है। हमारी जी.डी.पी. की वृद्धि 1950-60 के दशक में तीन प्रतिशत थी, आज वह 6.5 परसेंट पर आ गई है जो प्रगति का सूचक है। अनाज उत्पादन के मामले में जहां 1950 में हम पांच करोड़ टन अनाज पैदा करते थे, आज 20 करोड़ टन पैदा करते हैं। जैसा यहां चन्द्र शेखर जी ने कहा, समाज के कई वर्ग अभी भी ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग पावर बहुत कम है, जिसके कारण वे जरूरत के मुताबिक अनाज नहीं खरीद सकते मगर यह बात पक्की है, जिसका यहां जिक्र भी हुआ कि स्वतंत्रता के बाद, अनाज के मामले में जहां हम पी.एल.-480 पर निर्भर करते थे, आज हम अनाज निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं जिसका श्रेय हमारे देश के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को जाता है।

इतना ही नहीं, हमारे औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 में जी.डी.पी. में औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा छः प्रतिशत के आसपास था जबकि 1996-97 में हम आठ प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। टर्सरी सैक्टर में जहां पहले हम जी.डी.पी. में 3.97 परसेंट पर थे, आज हम 8.0 परसेंट तक पहुंच गए हैं। पिछले 50 सालों में हमने सभी क्षेत्रों में मिलकर कुछ न कुछ काम किया है, प्रगति की है फिर भी हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते जैसाकि दो दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें विभिन्न देशों में रहने वाले बिलो-पावर्टी लाइन की जानकारी दी गई थी, उसमें इंडिया का उल्लेख एक पूअरैस्ट कंट्री के रूप में हुआ है, गरीबी की रेखा के नीचे वाले देशों में भारतवर्ष का नाम आगे आ गया। यह रिपोर्ट 1996 की है। एक तरफ जहां कई क्षेत्रों में हमने प्रगति की है, दूसरी तरफ जो बेसिक ईश्यूज हैं, जैसे पावर है, भले ही बिलो-पावर्टी लाइन की संख्या पहले से कम हुई है।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी दुनिया के गरीब राष्ट्रों में हमारा नाम आता है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। आर्थिक क्षेत्र में काम करना होगा। नीतियों में परिवर्तन करना होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कल जैसा हमारे मित्र शरद यादव जी ने बिजली निर्माण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें पानी को खेत तक पहुंचाना होगा, पानी से बिजली बनानी होगी। हमें हाइड्रोइलैक्ट्रिक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें पीने का पानी सबको दिलाना होगा। सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना होगा। ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जिनकी तरफ ध्यान देना होगा। जहां इन सब बातों की तरफ ध्यान देना होगा, वहां एक बहुत जरूरी बात को हम नहीं भूल सकते हैं और वह इतनी तरक्की करने के बाद भी आज जो परिस्थिति भारत में है उसका एक महत्वपूर्ण कारण भारतवर्ष की आबादी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से 50 साल पहले भारतवर्ष की आबादी 34 करोड़ थी। आज हम 96 करोड़ तक पहुंच गए हैं और 2001 में हम 100 करोड़ तक हो जाएंगे और शायद चीन से आबादी के मामले में आगे जाने का कार्य हमारी पीढ़ी करेगी। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बनेगा। यह परिस्थिति आगे आने वाले चार सालों में होने वाली है। इस पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे, तो विकास की हम चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाएं, चाहे हम कितनी ही धनराशि खर्च करें, चाहे हम कितनी ही बंजर जमीन ठीक करें, चाहे हम कितना ही पानी लाएं हमारा वह सब प्रयास इस बढ़ती हुई आबादी के सामने असफल हो जाएगा। इसलिए यह जनवृद्धि एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे देश को एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा और उसमें सभी धर्मों, सभी वर्गों, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, लोक प्रतिनिधि आदि को साथ लेकर चलना होगा और एक तरह से इसके खिलाफ जंग लड़नी होगी। तभी इस देश को भयावह परिस्थिति से बचाया जा सकता है। हम दुनिया के सामने नए सवाल पैदा कर रहे हैं। इस बारे में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। भारत के समाज का जो फर्टीलिटी रेट था वह अफ्रीकी और लैटिन अमरीकी देशों से आगे नहीं था, फिर भी हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा है। 1971 में भारत का बर्थ रेट 40 से 45 प्रति हजार था और उसके बाद फर्टीलिटी और बर्थ रेट कम हो गया। बर्थ रेट प्रति हजार 29 हो गया और फर्टीलिटी रेट 35 प्रति हजार हो गया। पिछले 25 सालों में यह रेट 40 प्रति हजार से कम रहा, फिर भी दुनिया के कई देशों से हमारी आबादी ज्यादा बढ़ रही है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इसके क्या कारण हैं?

श्री शरद पवार : जी हां, वही बता रहा हूं। भारतवर्ष में प्रति वर्ष एक करोड़ 70 लाख आबादी बढ़ती है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। ऐसे राज्यों में मैं केरल और तमिलनाडु राज्यों का नाम लेना चाहूंगा जहां इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है उनका नाम लेने में जहां हमें खुशी महसूस होती है वहां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चार राज्य ऐसे हैं जहां प्रति साल जनसंख्या की वृद्धि 42 प्रतिशत है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि यह परिस्थिति क्यों पैदा होती है, इसका असर क्या होता है। आज भारतवर्ष में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ग्राउंड वाटर लैवल पर असर हो रहा है, फारेस्ट कम हो रहे हैं, डीफारेस्टेशन का सवाल हमारे सामने आ गया है। जब वन्य पशु-प्राणियों की बात आती है, उस पर बुरा असर हुआ है। इस सबका कारण बढ़ती हुई आबादी है। मुझे लगता है कि राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रोथ रेट कैसे कम होगा। इस बारे में एक माहौल पूरे देश में तैयार करने की जरूरत है कि फैमिली का क्या साइज रखना चाहिए। इस पर दुनिया में कुछ बात हुई थी जैसे चीन ने वन चाईल्ड कान्सैप्ट स्वीकार किया। इस पर कुछ स्टडी की गयी। मगर स्टडी होने के बाद इसके कुछ रिजल्ट अच्छे और कुछ बुरे हैं। जहां तक भारत की परिस्थिति है, यहां दो से ज्यादा परिवार नहीं होना चाहिए। वह दो तक ही सीमित रखने की जरूरत है। फिर भी हमारा सवाल खत्म नहीं हो सकता क्योंकि

हमारी आबादी की आयु देखने के बाद वन थर्ड पापुलेशन आयु 15 के आसपास है। चार और पांच सालों में शादी होने के बाद वह जनसंख्या वृद्धि में हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए हमें यह सोचना होगा कि आज तक हमने शादी की जो उम्र फिक्स की है, क्या वह कुछ लम्बी कर सकते हैं? 18 साल या 21 साल के बारे में क्या हम सोच सकते हैं? इसके बारे में हम 25-26 या 27 तक जा सकते हैं। शादी होने के बाद तुरंत बच्चा न हो जाये, क्या इस पर भी कुछ ध्यान दे सकते हैं? एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में सात-आठ साल का अंतर होना चाहिए, इस पर भी क्या हम एक तरह की जन-मान्यता तैयार कर सकते हैं? अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो इस परिस्थिति में कुछ न कुछ फर्क हो सकता है।

मुझे लगता है कि इस सदन में दो दिन के बाद हम कुछ विषय पर सहमति बनायेंगे। जन-वृद्धि के सवाल पर हम भी सहमति बनाने में कामयाब होंगे। इसलिए हमें एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार करनी होगी। इस नीति के लिए जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित न रहकर व्यापक नीति बनानी होगी जिसमें जनसंख्या के कल्याण की नीति जैसे महिलाओं का अधिकार, न्यूट्रेशन, मालन्यूट्रेशन, सेनीटेशन, इम्प्रूव्ड इक्नोमिक स्टेटस, इन सभी क्षेत्रों में ध्यान देना होगा। नई जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण जब हम बनायेंगे तो इसमें डा. स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन्स का भी समावेश करना होगा और तमाम मुद्दों के ऊपर ध्यान देना होगा। इस बारे में मेरे पास कुछ सूचना है जो कि मैं सदन में रखना चाहता हूं। पहला ध्यान देने की यह जरूरत है कि प्राईमरी शिक्षा का सर्वत्रीकरण। यूनीवर्सलाइजेशन ऑफ प्राईमरी एजुकेशन। आज भी कई स्टेटों में इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे आंकड़े सामने आये हैं जो कि इस किताब में भी हैं। केरल स्टेट का अनुभव हमारा अच्छा है। यूनीवर्सलाइजेशन ऑफ प्राईमरी एजुकेशन में जो भी कारण है, उसमें केरल को जो सफलता मिली, वह भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना होगा।

दूसरा सवाल महिलाओं का अधिकार है। केरो डिक्लेरेशन, डा. स्वामीनाथन ग्रुप रिपोर्ट यह सूचित करती है कि जन-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को अधिकार देने की आवश्यकता है। यह अधिकार निर्णय लेने का अधिकार होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको अधिकार देना है भले ही पोलिटिकल हो, इक्नोमिकल हो या घरेलू मामले हों। जितने अधिकार पुरुषों को हैं, उतने अधिकार महिलाओं को देने की जरूरत है। इसके साथ-साथ हमारी जो लड़कियों के बारे में सोच है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। एक नया माहौल पैदा करना होगा। अभी भी यदि लोगों के परिवार में बच्ची पैदा हो जाती है तो शुरू में तो वे कहते हैं कि घर में लक्ष्मी पैदा हो गई है लेकिन यदि दूसरी बच्ची हो जाती है तो उनका चेहरा बिल्कुल खराब हो जाता है, उस परिवार में एक मायूसी सी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लोगों के मन में, जब तक घर में बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक, मेरा आगे का भविष्य ठीक नहीं रहेगा, इस तरह की परिस्थिति होती है। इसे हमें दुरुस्त करना होगा।

मैं एक लड़की का पिता हूं। मुझे याद है, तीस साल पहले मेरी शादी होने के बाद जब मेरे घर में एक लड़की ने जन्म लिया तो बाद में मैंने और मेरी पत्नी ने यह तय किया कि यहीं तक रोकें। मैं हमेशा गांव में लोगों के पास जाता था, असैम्बली का मैम्बर था। 2-4 सालों के बाद लोग पूछते थे कि आगे क्या होगा। एक ही लड़की है। मैंने बोला हां, एक ही लड़की है। कहने लगे कि लड़का नहीं चाहिए। मैंने कहा कि लड़का नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। कहने लगे कि यदि कुछ हो जाएगा तो कौन अग्नि देगा, कौन गंगा जल देगा। यानि आज समाज के मन में यह भावना है कि अग्नि देने का अधिकार, गंगा जल देने का अधिकार सिर्फ लड़के को है। धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इसमें भी परिवर्तन कीजिए। आपको इसमें भी परिवर्तन करना चाहिए। जहां-जहां लड़कों को जो-जो अधिकार हैं, वे सभी अधिकार लड़कियों को देने की परिस्थिति हमें यहां पैदा करनी चाहिए भले ही बर्निंग घाट पर जाने की परिस्थिति हो, श्राद्ध वगैरह में मेरा विश्वास नहीं है लेकिन यदि श्राद्ध करने की भी बात हो ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : पुणे में ग्राम पुरोहितों ने शुरू कर दिया है।

श्री शरद पवार : मैं उनका स्वागत करता हूं। इन सभी क्षेत्रों में लड़कियों को, महिलाओं को पूरे अधिकार देने चाहिएं और यह परिस्थिति हमें यहां पैदा करनी चाहिए। जहां हम अधिकार देते हैं, शरद जी इस ईशू पर हमसे कुछ डिटेल में बात करना चाहते हैं, हम भी उनसे जरूर बात करेंगे, वैसे महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ उनकी विचारधारा नहीं है, उनका इतना ही कहना दिखाई देता है कि सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे कई वर्ग ऐसे हैं जिनका मन महिलाओं को अधिकार देने के बारे में आज भी तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे ठीक तरह से संभाल नहीं सकतीं। इसमें मेरा अनुभव दूसरा है। मेरी पार्लियामैंट्री कौन्सटीटूऐंसी में छः पंचायत समितियां हैं जिसमें से पांच पंचायत समितियों की चेयरमैन महिलाएं हैं। एक जिला परिषद है जिसकी प्रैजीडेंट महिला है। दो कौर्पोरेशन्स हैं, यहां दोनों महापौर, मेयर महिलाएं हैं और मेरा अनुभव यह है कि न्यूट्रीशन, ऐजूकेशन, सैनीटेशन, हैल्थ एंड ऐनवायरनमैंट, इन सबजैक्ट्स पर इससे पहले हमारे मर्द प्रतिनिधि कभी ध्यान नहीं देते थे, आज महिला प्रतिनिधि इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं और यदि यह परिस्थिति रहेगी तो मुझे विश्वास है कि इसका फायदा ठीक से होगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : फिर 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दे दीजिए।

श्री शरद पवार : इस बात पर मेरा समर्थन है।

उपाध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं घंटी नहीं बजा रहा हूं।

श्री शरद पवार : दूसरा ध्यान इम्प्रूवमैंट ऑफ क्वालिटी हैल्थ सर्विसेस, जिसका उल्लेख यहां चंद्र शेखर जी ने अपने भाषण में किया, की ओर देना होगा। यह बात सच है, मैटरनल मौर्टेलिटी और इनफैंट मौर्टेलिटी, इन सभी क्षेत्रों में यहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं

सिर्फ एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जितनी मैटरनल डैथ्स होती हैं, उसमें 25 प्रतिशत हिस्सा भारत का है और यह परिस्थिति बहुत गंभीर है। इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि स्टैरीलाईजेशन का प्रोग्राम जो इस देश में शुरू किया गया है, वह पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर है। इसमें बहुत सुधार होने की जरूरत है। अभी भी लड़का या लड़की देखने की जो टैक्नोलोजी पैदा हुई है, एबोर्शन्स की बात आती है। मुझे लगता है कि इस पर हमें ध्यान देना होगा। मुझे खुशी है कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर की रैड फोर्ट से जो स्पीच हुई, उसमें उन्होंने एनाउंसमेंट की कि 1994 का जो एक्ट है, रैगुलेशन ऑफ मिसयूज़ ऑफ दि प्रिनेटल डाइग्नोस्टिक टैक्नीक पर वे सख्त अमल करेंगे, मैं यहां पर इसका स्वागत करना चाहता हूं।

दूसरे कई क्षेत्र हैं, इसमें शासन को, गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, पार्लियामेंट को ध्यान देने की जरूरत है। कई एक्ट्स हैं, कानून हैं, लैजिस्लेशंस हैं, जिनमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार तो छोड़िये, मगर समान अधिकार तक हम पहुंचें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए पार्लियामेंट की जो कमेटी है, दैट इज कमेटी ऑन इम्पावरमेंट ऑफ वीमैन, उन्हें कोई नया मैथड सदन के सामने रखना चाहिए और सभी कानूनों पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है।

मुझे लगता है कि ऐसे कई इश्यूज़ हैं कि जिनमें हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षा का सर्वत्रीकरण, लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान, लोगों का सहभाग, इससे परिस्थिति में बदल हो सकता है। मेरा आखिरी सुझाव इसमें है। यहां अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हैल्थ रेणुका चौधरी जी मौजूद नहीं हैं, उन्होंने सभी पार्टी के नेता लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें बहुत से लोग मौजूद थे, उन्होंने एक प्रस्ताव सादर किया। उस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ, मगर उनका प्रस्ताव ऐसा था कि इसके आगे या आज की पीढ़ी छोड़कर जिन व्यक्तियों के दो से ज्यादा बच्चे हो जायें, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, नहीं रहेगा, यह प्रस्ताव था।

श्री शरद यादव : नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : इसके आगे है, आप चिन्ता मत करिये।

मुझे लगता है कि इस पर भी हमें सोचना होगा कि समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग जब तक इस पर ध्यान नहीं देता ...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : जिसने शादी ही न की हो, उसको निर्विरोध जीतने का अधिकार होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : तब तक इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। रेणुका जी को मैंने सिर्फ इतनी ही सूचना की कि हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, मगर इसमें कुछ दुरुस्ती का हम सुझाव देना चाहते हैं। यह कम्पलशन महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए, यह कम्पलशन पुरुषों के लिए होना चाहिए। बच्चे कितने पैदा करने हैं, वह अधिकार आज की स्थिति में महिलाओं को नहीं है और इसलिए राजनैतिक नेता पर, लोक प्रतिनिधि पर इस बारे में हम कोई नया कानून तैयार करने की बात करते हों तो इसमें कुछ सालों के लिए महिलाओं को दूर रखिये, पुरुष प्रतिनिधि को सामने करिये, उनका आदर्श समाज के सामने रखिये। मुझे विश्वास है कि परिस्थिति में कुछ न कुछ सुधार होने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कितना ही डवलपमेंट करें, कितनी ही राशि लगायें, कितनी ही दुनिया से राशि यहां लाइये, फिर भी गरीबी दूर नहीं होगी, रीजनल इम्बेलेंसेज़ खत्म नहीं होंगे और नेचर रखने के बारे में जो कुछ हमारे कदम हैं, इसमें हमारे कामयाबी नहीं होगी और इसलिए इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा।

यही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आरम्भ में, मैं इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं जो स्वतंत्रता हेतु सदियों से अपने प्राणों की आहुति देने आए हैं।

चूंकि मेरे अन्य मित्र भी बोलना चाहते हैं इसलिए मैं संक्षेप में बोलूंगी। लेकिन उन दो मुद्दों पर बोलने से पूर्व जिनमें से एक पर श्री शरद पवार द्वारा विस्तार से बोलने के बावजूद मैं उस पर भी संक्षेप में बोलूंगी - मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूं।

महोदय, स्वतंत्रता की यह पचासवीं वर्षगांठ है लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्ष समस्त देश में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है। मैं संसद सदस्यों से अपील करूंगी कि इस विशेष सत्र के दौरान उन्हें भत्तों के रूप में जो भी राशि मिले, वे उसे प्रधान मंत्री प्राकृतिक आपदा राहत कोष में दे दें। यह कोई ज्यादा राशि नहीं है लेकिन इसमें लोगों में यह संदेश जाएगा कि इस विशेष सत्र के दौरान हम उनका स्मरण करते हुए उनके लिए कुछ करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्र की समाप्ति के पूर्व सभी राजनैतिक दलों के

नेताओं से परामर्श करके माननीय अध्यक्ष महोदय यह सूचित करेंगे कि वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं।

महोदय, मैं दो विषयों पर ही बोलना चाहती हूं। सर्वप्रथम, मैं जनसंख्या पर बोलना चाहती थी उसके बारे में श्री शरद पवार ने बहुत विस्तार से बोला है। इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है और मैं उन आंकड़ों का उल्लेख नहीं करूंगी जिनका उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन जनसंख्या के इस प्रश्न पर मैं सभा को अपना अनुभव बताना चाहती हूं। मेरी कोई संतान नहीं है। मेरा एक ही बच्चा था जिसकी मृत्यु 11 महीने की आयु में हो गई थी। अत: हमने यह निर्णय लिया कि हम और संतान को जन्म नहीं देंगे क्योंकि हम उस बच्चे पर उचित ध्यान नहीं दे सके। इस बात को ग्रामीण महिलाओं द्वारा गंभीरता से लिया गया और 1953 में ग्रामीण महिलाओं के कहने पर शिशु जन्म को रोकने के संबंध में मैंने पहला कैम्प आयोजित किया। महोदय ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पितृ प्रधान समाज में महिलाएं संतानोत्पत्ति के प्रश्न का निर्धारण नहीं करतीं। फिर भी वे अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन बातों पर कि वे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगी, कितना ध्यान देती हैं? इसीलिए, इस बात को समझ जाना चाहिए कि हमारी जनसंख्या संबंधी नीति में लक्षित समूह पुरुष होने चाहिए न कि स्त्रियां क्योंकि महिलाएं इसे तय नहीं करती है। परन्तु दुर्भाग्यवश जब कभी भी हम जनसंख्या संबंधी नीति पर बोलते हैं तो लक्षित समूह महिलाएं होती है। ऐसा क्यों है। लक्षित समूह पुरुष होने चाहिए। यदि इस संबंध में हम कुछ गंभीरता से कार्य करना चाहते हैं तो ऐसा करना होगा।

महोदय, यह बात सब जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात प्रतिकूल है। हमारे देश में प्रति हजार आबादी में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में हमारे समाज में स्त्री की निम्न स्थिति, विवाह की कम आयु, साक्षरता की कमी, उच्च प्रजनन क्षमता और प्रजननात्मक आयु के दौरान उच्च मृत्यु दर के कारण हुई है। इस संबंध में श्री शरद पवार ने कुछ मुद्दे उठाये थे। मैं उन बातों का समर्थन करती हूं। उन तथ्यों का समर्थन करते हुए मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं।

महोदय, श्री शरद पवार ने काहिरा में 1994 में आयोजित जनसंख्या और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उल्लेख किया था। सम्मेलन की अपनी कार्य योजना थी जिसे सरकार द्वारा अपनाया या स्वीकार किया गया था।

उस सम्मेलन की कार्य योजना में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों के परिवार नियोजन कार्यक्रम को सामूहिक स्तर पर जनसंख्या की प्रजनन क्षमता के स्तरों को प्रभावित करने के लिए नीति संबंधी हस्तक्षेप करने वाले उपायों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कार्य योजना यह सिफारिश करती है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजननात्मक स्वास्थ और स्त्री पुरुष की समानता के लिऐ लक्षित कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें सिफारिश की गई है कि अपने परिवार के आकार और संतानों की आयु में अंतर रखने के संबंध में स्त्री के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

जैसाकि पहले कह चुकी हूं, इस कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी है। परन्तु क्या हम उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? हम उस कार्य योजना के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारी नीति भी इस कार्य योजना के अनुरूप नहीं है। मैं मांग करती हूं कि यदि हम जनसंख्या को कम करने के प्रति वास्तव में गंभीर हैं, जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो हमें वास्तविक रूप से इस कार्य योजना, जिस पर हमने भी हस्ताक्षर किये हैं, के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

मैं स्त्री-पुरुष समानता के प्रश्न पर आती हूं। पिछले 50 वर्षों में कुछ प्रगति हुई है तथा और अधिक महिलाओं को शिक्षित किया गया हैं, वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। उन्होंने तरह-तरह के कार्यों को करने के लिए स्वयं को योग्य भी बनाया है। मैं यह नहीं कहती कि कोई प्रगति नहीं हुई। निश्चित रूप से कुछ प्रगति हुई है परन्तु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। यह न केवल घोर निराशा का कारण है अपितु यदि स्थिति को ऐसे ही चलने दिया जाए तो यह खतरनाक होगा। अपराधीकरण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बलात्कार की कितनी घटनाएं हो चुकी है? कई बार तो स्त्रियों को गांवों में निर्वस्त्र करके घुमाया भी गया। इस प्रकार की अन्य भयावह घटनाएं बढ़ रही हैं।

उपभोक्तावाद के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि दहेज की मांगें और दहेज से संबंधित मौतें रोजमर्रा की बातें बन गई हैं। इस संबंध में, स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोहों के अवसर पर मैं संसद सदस्यों से अपील करना चाहूंगी कि क्या हम यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि संसद के सभी सदस्य अपने लड़कों के विवाह में दहेज नहीं लेंगे। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों से दहेज न लेने और न देने का आह्वान करते हुए एक अभियान चलाना चाहिए। इसके लिए उन्हें एक विशेष प्रयास करना होगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? सभी पार्टियों के जनता में भारी समर्थक मौजूद हैं और सभी पार्टियां मिलकर यह निर्णय लेती हैं कि "हम इसे कर दिखायेंगे", तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं इस दहेज की समस्या को कम किया जा सकता है और निश्चित रूप से दहेज संबंधी मौतों को भी कम किया जा सकता है। मैं सभी संसद सदस्यों से अपील करती हूं कि वे यह प्रतिज्ञा करें।

हमें ऐसा विवाह समारोहों का बहिष्कार करना चाहिए जहां दहेज दिया जाता है। संसद सदस्यों को ऐसे विवाह समारोहों में नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसे विवाह समारोहों में नहीं जाती जहां पर दहेज दिया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अधिकतर सहयोगी इस बात का बुरा नहीं मानते हैं और हमें इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए।

अंतिम परंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, विकास के प्रश्न का नजदीकी संबंध समर्थ बनाने के प्रश्न से है। अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, महिलाओं को समर्थ बनाने के प्रश्न को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

मुझे प्रसन्नता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण से हमारी सहायता हुई है। जैसाकि श्री शरद पवार ने कहा और जैसाकि मेरा अपना अनुभव रहा है कि कई पंचायतों में महिलाएं सामान्य रूप से पुरुषों की अपेक्षा अच्छा कार्य कर रही हैं। यह कोई नियम नहीं है परन्तु सामान्य रूप से देखें तो अधिकांशतः पंचायतों में यही स्थिति है। इसके अपवाद भी हो सकते हैं।

यदि ऐसा होता है तो मेरा विश्वास है कि इसे केवल पंचायतों तक ही सीमित नहीं रहने दिया जाना चाहिए अपितु इसे राज्य विधायिकाओं और संसद में भी क्रियान्वित करना चाहिए। मैं यहां पर यह बात कहना चाहूंगी कि इसका समर्थन न केवल महिलाएं कर रही हैं अपितु पुरुष भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मैंने कई गांवों का दौरा किया और पाया कि पुरुष मतदाता भी पंचायतों के अपने अनुभव से, इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं। इस प्रकार पुरुष और महिला मतदाता दोनों इस विधेयक के पक्षधर हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगले सत्र में इस विधेयक पर चर्चा की जानी चाहिए और इस पर सभा में मतदान कराया जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या होता है और हम यह जान पायेंगे कि कौन इस विधेयक के पक्ष में और कौन इसके विरोध में मत देता है। मेरा विश्वास है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इस विधेयक को पारित किया जा सकता है।

मैं आशा करती हूं कि इस विशेष सत्र में हम सभी विशेष प्रयास करेंगे जिससे अगले सत्र में इस विधेयक पर चर्चा की जा सके और इस पर सभा में मतदान हो सके। मुझे विश्वास है कि इसे सभा के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं, इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

कई माननीय सदस्य : महोदय, अपराह्न 2.35 बजे तक स्थगित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, सभा अपराह्न 2.35 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.42 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.42 बजे पुनः समवेत हुई

[**श्री पी. एम. सईद** *पीठासीन हुए*]

देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

कर्नल राव राम सिंह

[हिन्दी]

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। समय की कमी की वजह से मैं कोई रूपरेखा नहीं बनाऊंगा, बल्कि सीधे अपने मुद्दों पर आऊंगा और अपनी बात को समय पर समाप्त करने की कोशिश करूंगा। चेयरमैन साहब, हर मुल्क की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति और आर्थिक ताकत की बुनियाद या तो कृषि होती है या इंडस्ट्री होती है। कोई-कोई खुशकिस्मत देश ऐसा होता है जहां की इकोनॉमी दोनों पर बेस होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। आजादी के बाद योजना आयोग ने जो प्राथमिकता रखी, उस वक्त शुरू में कृषि की बजाए इंडस्ट्री को ज्यादा महत्व दिया। जिसकी वजह से हिन्दुस्तान के करोड़ों-अरबों रुपयों का अनाज बाहर से आयात करना पड़ा। इस वजह से हिन्दुस्तान कर्जे के जाल में फंसलने लगा। वह कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर उस समय कृषि को प्राथमिकता दी जाती और हम अपने को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर करते, तो शायद ऐसा न हुआ होता। हमें 1947 में आजादी मिली और हम कृषि के मामले में 1972-73 में जाकर आत्मनिर्भर हुए। इन बीच के वर्षों में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में जो हमारा नुकसान हुआ, इससे हम अभी तक उभर नहीं सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम कर्जे के जाल में फंसते जा रहे हैं। इस कर्जे के फंदे से हम को अब या तो भगवान ही बचा सकता है या हिन्दुस्तान का किसान बचा सकता है। इस कर्जे के फंदे से बचाना मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी के बस में नहीं है। इस वक्त

भी अगर कृषि को प्राथमिकता दी जाती है, जितना पैसा इस वक्त पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स पर और दूसरी इंडस्ट्रीज पर खर्च किया जा रहा है, उसका दसवां हिस्सा भी अगर एग्रीकल्चर पर लगाया जाए, रिसर्च ऐंड डैवलपमैंट पर लगाया जाए तो हम इस कर्जे के फंदे से बच सकते हैं।

कहा जाता है कि हम फूड ग्रेन्स के मामले में नैट एक्सपोर्ट कंट्री हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है क्योंकि प्लानिंग ठीक नहीं है। कहा गया कि हमने पिछले साल अनाज का निर्यात किया लेकिन उसके तुरन्त बाद हमें आयात भी करना पड़ा। यह कैसी प्लानिंग है? कहा जाता है कि वह दूसरी गवर्नमैंट ने किया था। गवर्नमैंट दूसरी कोई हो सकती है लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरशाही हैं, जो सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, वे सब वहीं पर बैठे हुए हैं। क्या उनसे इस बारे में लेखा-जोखा लिया गया कि अगर अनाज की कमी होने वाली थी तो उन्होंने किस आधार पर अनाज एक्सपोर्ट किया? मेरे ख्याल में वास्तविकता यह है कि जो अनाज का निर्यात हुआ है तो इसमें भी पैसा बनाया गया और उसके बाद जो आयात हुआ, उसमें भी पैसा बनाया गया। पैसे के खेल में हिन्दुस्तान का गरीब आदमी भूखा मर रहा है।

आदरणीय माधवराव सिंधिया जी ने अपने भाषण में कहा कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन पचास सालों में जो सरकार हिन्दुस्तान में रही, उसकी वजह से बड़ी उपलब्धियां और तरक्की हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि उपलब्धियां तो हुई हैं लेकिन वे उपलब्धियां किसी सरकार के चलते नहीं हुईं। मेरे ख्याल में वे तरक्की और उपलब्धियां जमाने की रफ्तार के कारण से हुई हैं, हिन्दुस्तान के गरीब किसान और मजदूर की मेहनत और मजदूरी की वजह से हुई हैं। सरकार की उपलब्धियों से जो प्राप्ति और तरक्की हुई, वह करप्शन में हुई है, भूखमरी में हुई है, गरीबी बढ़ाने में हुई है, आतंकवाद में हुई है, हवाला में हुई है, यूरिया कांड में हुई है।

हिन्दुस्तान की फौज जो दुनिया की एक जानी-मानी फौज है उसको 1962 में जो बेइज्जती का सामना करना पड़ा, वह उस समय की सरकार के चलते ही करना पड़ा। 1962 की लड़ाई में हम पर जो मार पड़ी, वह भी उस सरकार के कारण पड़ी।

कम्युनल फ्लेयर अप्स जितने अब हो रहे हैं और जितने पहले हुए, उनमें बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। यह गवर्नमैंट की उपलब्धियां हैं। हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि इसका क्या इलाज है? पिछले सालों में जो कुछ हुआ, उसको लेकर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करें, पोस्ट मार्टम करें, यह कोई शोभा नहीं देता। हमें सोचना चाहिए कि इसका क्या इलाज है? मेरे ख्याल में इसका इलाज यह है कि हम कृषि की तरफ और अधिक ध्यान दें। अभी भी समय है कि हम इस तरफ ध्यान दें। हिन्दुस्तान का किसान इतना मेहनतकश है कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। कुदरत ने हमको अनेकों नदियां दी हैं। हमारी पानी बहुत बढ़िया है। हमारी जमीन में कोई कमी नहीं है। हमारे जंगलात बढ़िया हैं लेकिन वे इस समय बेरहमी से काटे जा रहे हैं। अगर हम इन चीजों की तरफ ध्यान दें तो अब भी कोई समय खराब नहीं हुआ है। इस वक्त हिन्दुस्तान का कुल रकबा 330 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो वेस्टलैंड है यानी 1/3 से अधिक भूमि इस वक्त उपजाऊ नहीं है। जो 2/3 भाग भूमि उपजाऊ है उसमें भी बड़ी तेज़ी के साथ इंडस्ट्रीज और बढ़ती हुई आबादी से उस जमीन का रोज़ रकबा कम होता जा रहा है। एक किसान 15-20 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। अगर कोई इंडस्ट्री लगानी हो तो 200 एकड़ या 500 एकड़ और यहां तक कि 1000 एकड़ जमीन ले सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है लेकिन किसान जमीन नहीं रख सकता है। हर संस्था में जमीन एक्वायर करने की क्रेज़ है। अगर किसी ने किसी काम के लिये या कोई उद्योग धंधा सैट अप करना है, अगर उसके लिये 50 एकड़ जमीन चाहिये तो वह 500 एकड़ जमीन एक्वायर करेगा। हरियाणा में एक मशहूर बात है कि गवर्नमेंट ने कहा कि दिल्ली के पास डिज़नीलैंड बनाईये। अमरीका में फलोरिडा के अंदर कुल 500 एकड़ जमीन में डिज़नीलैंड स्थापित है। इन्होंने 28 हजार एकड़ जमीन एक्वायर करने की योजना बनाई है। मकसद यह था कि जमीन को एक्वायर करके उस पर कब्जा करके आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ करते जाओ और पैसे लेते जाओ। मैं इस किस्म की मिसाल दे रहा हूं लेकिन इस किस्म की हज़ारों मिसालें हैं। आज आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग् को देखिये। उनको जरूरत है 100 एकड़ तो उन्होंने रोक रखी है 1000 एकड़। बाकी सब जमीन बेकार पड़ी है जो बहुत उपजाऊ जमीन है।

सभापति जी, मेरे क्षेत्र में गुड़गांव के नज़दीक मानसेर में एन.एस.जी. का हैडक्वार्टर सेट अप होना था।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : यह गर्व की बात है।

कर्नल राव राम सिंह : हमने अज़हद कोशिश की कि उसके पास का जो इलाका है, वहां एन.एस.जी. को सैट अप करें लेकिन नहीं। जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, जो लैवल था जहां आराम से बिल्डिंग बन सकती थी। वह जमीन एक्वायर की और हज़ारों किसानों को बेकार किया गया है। कोई सुनने वाला नहीं है। दुख की बात तो यह है कि उस समय मैं सरकार का सदस्य था।

सभापति जी, हिन्दुस्तान में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, उससे अनाज की पैदावार बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने नई नई पैकेज बनाईं। किसान मेहनतकश हैं। उसने मेहनत की जिससे अनाज की उपज बहुत बढ़ी। लेकिन इस वक्त एक प्लैटो आ गया, प्लैटो ही नहीं बल्कि पर हेक्टेयर पैदावार का ग्राफ नीचे जा रहा है। आपको हैरानी होगी और मैं समझता हूं कि पैदावार बहुत बढ़िया है लेकिन स्पीकर साहब ने जो किताब बनवाई, वह यूज़फुल है, इसमें देखिये कि जापान में चावल की उपज 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, अमरीका में 41 क्विंटल पर हेक्टेयर, चाइना में 35 क्विंटल पर हेक्टेयर और हिस्दुस्तान में 17 क्विंटल पर हेक्टेयर है। हम घमंड और फख्र करते हैं कि हमारे खेतों में इतनी उपज हो रही है। गेहूं की पैदावार देखिए। जर्मनी में 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, फ्रांस में 61, चीन में 30 और हिन्दुस्तान में केवल 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह तो उपजाऊ जमीन की हालत है। ये फिगर्स ऐवरेज हैं। वैसे मैं कह सकता हूं कि पंजाब और हरियाणा में इस वक्त 55 और 60 के बीच में गेहूं की उपज कम से कम हो रही है। चावल का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं अपने खेतों में भी 55 से 60 क्विंटल गेहूं प्रति हेक्टेयर पैदा कर रहा हूं। मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं, बड़ा सुस्त आदमी हूं, लेकिन उसके बावजूद इतनी आमदनी होती है। यह हो सकता है लेकिन कमी

है इनवेस्टमेंट की। किसान के पास पैसा नहीं है। रेन्यूमरेटिव प्राइस उसको अपने प्रोड्यूस की नहीं मिलती है। ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाले सोते रहते हैं। जब रबी की फसल की बिजाई हो जाती है उसके बांद वे अपना मिनिमम प्रोक्योरमंट प्राइस अनाउंस करते हैं। उससे तीन महीने पहले उनको अनाउंस करना चाहिए ताकि किसान फैसला कर सके कि मैंने अपने खेत में गेहूं बोना है, चावल बोना है, सरसों बोना है, कोई ओइलसीड बोना है या क्या बोना है। बाहर से जो गेहूं हम आयात कर रहे हैं उसकी कीमत 750 रुपये प्रति क्विंटल है और हमारे किसान को 475 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। यह कहां का इंसाफ है? कृषि मंत्री महोदय बड़े तजुर्बेकार और लैफ्टिस्ट पार्टी के बड़े स्टार लीडर हैं और उनसे बार-बार हमने प्रार्थना की कि कम से कम 525 रुपये कर दो लेकिन उनकी मजबूरी होगी, वित्त मंत्री की मजबूरी होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से अगर हम 750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं मंगाते हैं तो हिन्दुस्तान के किसान को कम से कम 525 रुपये प्रति क्विंटल मिलने का हक है और इसका बड़ा भयंकर नतीजा रहेगा। हरियाणा में तो मैं जानता हूं किसानों ने फैसला किया है कि अब की आने वाली रबी की फसल में गेहूं की बिजाई कम से कम करेंगे। पंजाब के बारे में मैं नहीं कह सकता, बरनाला साहब बता सकेंगे कि वहां के किसानों में इस बारे में क्या चर्चा हो रही है कि हमारी सरकार बाहर वालों को जो मर्जी दाम देने के लिए तैयार है। हमने जो निर्यात किया वह भी सब्सीडाइज्ड रेट पर किया गया। उसमें हमारा यूरिया लगा, हमारा बीज उसमें लगा, हमारी मेहनत लगी और जो आयात किया, वह मार्केट रेट पर किया। मार्केट रेट इस वक्त 600 रुपये है और आपने मिनिमम प्रोक्योरमेंट रेट 475 रुपये रखा है। यह कहां का इंसाफ है किसान के साथ? कम से कम जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं किसान के लिए, वह किसान के खिलाफ बहुत भारी पड़ता है और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वह किसान के हक के खिलाफ जा रहे हैं। जो ऐग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन है, उसकी कीमत निकालता है। उसमें उसके लेबर का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी ज़मीन की कीमत का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तविकता तो यह है कि ऐग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन में बैठने वाले साहब ने शायद कभी कोई खेत देखा ही न होगा। उनको पता ही नहीं होगा कि रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल क्या होती है। वह क्या प्राइस का फैसला करेंगे? मैं समझता हूं कि सरकार में बड़े-बड़े जमींदारों के, किसानों के दोस्त और खुद किसान लोग बैठे हैं। मुलायम सिंह जी बैठे हैं। आप लोगों को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। देवेन्द्र प्रसाद जी बैठे हैं। दुख है कि इस वक्त वे कैबिनेट में नहीं हैं। उनको होना चाहिए था।

सभापति महोदय : कर्नल साहब, अब आप समाप्त कीजिए। समय हो गया है।

[अनुवाद]

कर्नल राव राम सिंह : मैं अभी खत्म करता हूं। मैं सीधे समाप्ति पर आता हूं। मैं बीच की सारी चीजें छोड़ दूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

करप्शन के बारे में कुछ कहने के लिए मैं दो मिनट का समय चाहूंगा। चंद्रशेखर जी बड़े सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में कई करप्शन नहीं है। 95 परसेंट लोग ईमानदार हैं। मैं मानता हूं कि गरीब लोग ईमानदार हैं। उनके हाथ में क्या हैं। जो पांच परसेंट बेईमान लोग हैं, सब कुछ वे कंट्रोल कर रहे हैं। 95 परसेंट ईमानदार लोग बेचारे गांव में बैठे भूखे मर रहे हैं, वे क्या करेंगे। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जो आदमी बेईमानी से पैसा बनाकर नेता बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, उसके सामने हम सब झुकते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। क्या हम उनका सोशल बॉयकाट करेंगे, क्या हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, उनसे बातचीत करना बंद करेंगे, नहीं। गरीब आदमी से बातचीत करना हम बंद कर सकते हैं। लेकिन जो पैसे वाला है, उसके सामने सब झुकेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, उसके सामने साष्टांग दंडवत करेंगे। यह हमारा हाल है। मैं कहता हूं कि हममें से हर एक, हम आठ सौ के करीब यहां पर सांसद हैं। आठ सौ में से एक-एक हम अपने गिरेबान में झांककर देखें, हम अपने आपको सुधारें तो दुनिया खुद-ब-खुद सुधरती चली जायेगी।

सभापति महोदय, एग्रीकल्चर और पावर के बारे में मैं एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं। पावर एक सबसे जरूरी चीज है, जो एग्रीकल्चर के लिए निहायत आवश्यक है। इस वक्त पावर की स्थिति बहुत खराब है और यह बेइमानी के कारण है। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनमें काफी हद तक चोरी और बेइमानी हो रही है। सिर्फ एक समय था कि जब हरियाणा में श्री बंसीलाल मुख्य मंत्री थे तो उस वक्त हरियाणा में पावर सरप्लस थी और हरियाणा 12 सौ मेगावाट बिजली दिल्ली को सप्लाई करता था। सिर्फ बंसीलाल जी के टाइम में यह बात हुई कि कोई स्टेट पावर में सरप्लस थी। शायद हिमाचल प्रदेश अब भी सरप्लस होगा क्योंकि वहां खपत इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन यह बात वहां पर थी। लेकिन उसके बाद मांग बढ़ती चली गई। इस वक्त हरियाणा में आठ सौ मेगावाट पावर की पैदावार होती है और 11 सौ मेगावाट का खर्च है। इसलिए कृषि और उद्योग दोनों के ठप्प होने का खतरा पैदा हो रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अगले दिन फरीदाबाद में साढ़े चार सौ मेगावाट बिजली पैदा करने का गैस बेस्ड प्लांट का शिलान्यास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह शिलान्यास ही नहीं रहेगा। वह वाकई में बिजली पैदा करेगा। इस वक्त देश की मौजूदा पावर इंस्टाल्ड कैपेसिटी 90 हजार मेगावाट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट था कि 31 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी और अचीवमेंट केवल 15 हजार मेगावाट का था। 31 हजार मेगावाट का टारगेट और 15 हजार मेगावाट का अचीवमेंट, क्या कारण है। या तो जो योजना आयोग है वह हमको बहका रहा है। वह सिर्फ कागजों पर दिखाने के लिए 31 हजार बता रहा है। 31 हजार कोई रियलिस्टिक फीगर होनी चाहिए और अगर 31 हजार रियलिस्टिक फीगर थी तो कहां कमजोरी रही कि अचीवमेंट सिर्फ 15 हजार मेगावाट का हुआ। उनका लेखा-जोखा जवाब-तलब करना चाहिए और उनके साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह इस सरकार के बस का रोग नहीं है कि किसी के साथ कड़ी कार्रवाई कर सके। अपनी कुर्सी के खतरे के मारे किसी के साथ कड़ी कार्रवाई करने की इसकी हिम्मत इस वक्त नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

कर्नल राव राम सिंह : लेकिन शरीफ लोग हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूं। सब मेरे मित्र हैं और मैडम की तो मैं क्या तारीफ करूं।

सभापति महोदय : तारीफ मत कीजिए आप कंक्लूड कीजिए।

कर्नल राव राम सिंह : सभापति महोदय, यह पहली हैल्थ मिनिस्टर हैं जो हर एम.पी. की डिमांड पर रीएक्ट करती हैं। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे सुझाव यह हैं कि सरकार एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दे। इस वक्त भी हालात सुधर सकते हैं। एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दो, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर, इरीगेशन कैनाल बेस्ड छोटी-छोटी स्मॉल इरीगशन प्रोजेक्ट्स को महत्व दो, पावर को महत्व दो। ताकि ट्यूबवैल से किसान अपनी फसल को पानी दे सकें। ड्राई-लैंड फार्मिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। भ्रष्ट लोगों का बहिष्कार करना चाहिए - यह सबसे जरूरी है क्योंकि भ्रष्टाचार आज हिन्दुस्तान की बौडी पौलिटिक्स में एक कैंसर की तरफ घुस चुका है और इसे जब तक हम नहीं निकालेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता।

अंत में मेरा सुझाव है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारें। जब तक गवर्नमेंट की पौलिसीज को इम्पलीमेंट करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर सही नहीं होंगे, हमारा पौलिसी बनाना बेकार है। मेरा सुझाव है कि इस वक्त सैन्ट्रल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट बंद होना चाहिए। उसके स्थान पर ऑफिसर कॉडर में, सारी रिक्रूटमेंट पहले आर्म्ड फोर्सेज में होनी चाहिए। वहां 5-5 साल हर आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारी नौकरी करे, कुछ डिसिप्लिन सीखे, सियाचिन जाकर देश के बचाव के बारे में सीखे और पांच साल के बाद उसे औप्शन होनी चाहिए कि वह चाहे तो फौज मे रहे या आई.ए.एस. में जाकर मौज करे, आई.एफ.एस. में जाकर मौज करे।

मैं फिर कहता हूं कि ऐसा करना सरकार के वश में नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए। एक मजबूत सरकार ही ऐसा कर सकती है। मुलायम सिंह जी कर सकते हैं क्योंकि वे एक मजबूत आदमी हैं।

सभापति जी, आप दिल्ली के तमाम आई.ए.एस. ऑफिसरों की सी.आर. मंगवाकर देख लीजिए - सभी सी.आर. आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगी।

[अनुवाद]

प्रत्येक अधिकारी की रिपोर्ट उत्कृष्ट होगी।

[हिन्दी]

एक भी आपको 'वैरी गुड' या 'गुड' नहीं मिलेगी, पूअर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं स्पीकर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी ऑफिसर्स की सी.आर. मंगाएं और देखें कि सभी आउटस्टैंडिंग होने के बावजूद हमारे देश के साथ यह खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इन शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और फालतू टाइम लेने के लिए माफी चाहता हूं।

श्री कांशी राम

श्री कांशी राम (होशियारपुर) : सभापति जी, यह खुशी की बात है कि आज हम इस सदन में आजादी के बाद पिछले 50 सालों में हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इन दिनों में यहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था। दो-तीन महीने पहले तक मुझे नहीं लगता था कि सदन में इस किस्म की चर्चा होगी, पिछले 50 सालों में जिन लोगों पर जुल्म हुए, ज्यादतियां हुईं, अन्याय हुआ, उनकी चर्चा इस सदन में की जाएगी। इसलिए हमारी पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया था कि अगर संसद में ऐसी चर्चा नहीं होती या इस देश के हुकमरान इस किस्म की चर्चा करना नहीं चाहते तो पिछले 50 सालों में जिनका नुकसान हुआ, उनके बारे में हमें सोच-विचार करना चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत 15 अगस्त से देश के पांच कोनों से कन्याकुमारी, कोहिमा, कारगिल, पुरी और पोरबंदर से, हम लोगों ने 'अवेयरनैस ड्राइव' शुरू किया है। यह खुशी की बात है कि आज इस संसद में इस किस्म की चर्चा हो रही है और मुझे उसमें भाग लेते हुए, कुछ कहने का मौका मिल रहा है।

मैं समझता हूं कि यह स्पेशल सैशन है इसलिए जिस मकसद के लिए यह स्पेशल सैशन बनाया गया है, उसके बारे में अगर ज्यादा चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। जो आर्डिनरी सैशन है, जो हमेशा लोक सभा के सैशन होते हैं, अगर उस किस्म की डिसक्शन हम इन चार दिनों में करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम जो पिछले 50 साल में देश के लिए कोई खास एजेंडा नहीं बना पाये, तो आने वाले समय में भी शायद नहीं बना पायेंगे। मेरा अनुमान है कि पिछले 50 साल में बहुत शुभकामनायें हमने देखी हैं। हमारे देश का कांस्टीट्यूशन बना तो कांस्टीट्यूशन का प्रीऐम्बल शुभकामनाओं से भरा पड़ा है। कांस्टीट्यूशन के प्रीऐम्बल से शुभकामनायें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 50 साल में से काफी समय कांग्रेस ने रूल किया। उनकी तरफ से भी शुभकामनाओं की कोई कमी नहीं रही है। उनके जो रेजोल्यूशन्स हैं, वे भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने जो प्लान बनाये हैं, वे भी ठीक लगते हैं। जो प्रोग्राम बनाये हैं, वे भी ठीक लगते हैं लेकिन जो इम्पलीमेंटेशन हुआ है, वह सही नहीं हुआ है। उसके कारण कांग्रेस भी आज मुश्किल में नजर आती है। कांग्रेस के अलावा हम लोगों ने दूसरी पार्टियां भी देखी हैं। इस देश के दबे-कुचले लोगों ने हर किस्म की पार्टी आजमाई है। अगर देश में नहीं तो प्रदेशों में जरूर आजमाई है। उस आजमाईश के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि हर पार्टी की तरफ से शुभकामनायें तो बहुत हुई हैं, रैजोल्यूशन्स भी अच्छे पास हुए हैं और हर पार्टी की तरफ से बातें भी अच्छी हुई हैं लेकिन जो काम होना

चाहिए था, वह नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? इसका कारण अगर हम ढूंढ़े तो मैं समझता हूं कि अगर हमने पिछले 50 साल में इसका कारण ढूंढ़ा होता तो शायद हमें कोई हल मिल गया होगा। लेकिन हल ढूंढ़े बगैर ही हम आगे बढ़ते गये हैं।

मेरा ऐसा ख्याल है कि पिछले 50 साल में हमारे देश में अंग्रेजों के राज में जो कल्चरल रिवोल्ट देश के कोने-कोने में हमें नजर आ रहा था, तो उस रिवोल्ट के बारे में हमने नहीं सोचा। उसके ऊपर हमने गौर नहीं किया। उसके ऊपर गौर करने के बजाय उसको दबाने की कोशिश की गयी और पिछले 50 साल में उस कल्चरल रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की गई और आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आज हमारे सामने उसका नतीजा है। महाराष्ट्र में 1848 से कल्चरल रिवोल्ट शुरू हुआ जो कि 1956 तक यानी 108 साल तक लगातार चलता रहा। 1848 से 1891 तक महात्मा ज्योति भा फुले की देख-रेख में, 1892 से 1922 तक शाहू जी महाराज की देख-रेख में और 1922 से 1956 तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देख-रेख में इस रिवोल्ट की भावना हमें महाराष्ट्र में नजर आयी।

मैं समझता हूं कि अगर हमने उसका नोट लिया होता तो हम नोट लेकर कोई हल ढूंढ़ सकते थे। जिन लोगों के लिए महाराष्ट्र में आवाज उठती थी, उन लोगों की आवाज बंद करने के लिए पिछले 50 साल में हमारा बहुत नुकसान हुआ है।

इसी तरह से हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि पैरियार रामस्वामी नायकर, जो 1924 में तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने जब वायकम सत्याग्रह में हिस्सा लेने का फैसला किया तो गांधी जी ने उनको सलाह दी कि यह कांग्रेस का एजैंडा नहीं है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी के खिलाफ या सामाजिक दिशा में इस किस्म का रिवोल्ट करना कांग्रेस का एजैंडा नहीं है। इसलिए आपको यह नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर गौर किया। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 1925 में सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमैंट शुरू की और उस सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमैंट के कारण आज कांग्रेस तमिलनाडु में भी पीछे जा रही है।

इसी तरह से हम बंगाल में देखते हैं कि वहां पिछले 20 सालों से कम्युनिस्टों का राज है। उससे पहले उधर कांग्रेस का राज रहा है। बंगाल में नाईनटीन्थ सैन्चुरी में चंडालों का जो रिवोल्ट था, उसका नोट अंग्रेजों ने लिया लेकिन हमारी सरकार ने नहीं लिया। पिछले पचास सालों से उसका नोट हमारी सरकार ने नहीं लिया है। चंडालों के साथ जो अन्याय होता था, उनकी जो मुश्किलें थीं, उन्हें वे अंग्रेजों के सामने रखते थे। अंग्रेज उनका कुछ न कुछ हल ढूंढ़ते थे। जो 1891 तक सैन्सस में चंडाल का नाम हमें नजर आता है, उन्होंने अंग्रेजों के रिक्वैस्ट की कि हमारे ऊपर से चंडाल का शब्द हटाया जाए, हमें नमः शुद्र करके लिखा जाए। अंग्रेजों ने उनकी बात मानी और 1901 से हम उन्हें चंडाल की बजाए नमः शुद्र के नाम से जानते हैं। नमः शुद्रों का इस देश की सामाजिक और अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो रिवोल्ट था, वह हमें 1946 तक नजर आता है, 1947 के बाद नजर नहीं आता। इसी तरह से देश के कोने-कोने में इस किस्म का रिवोल्ट 1947 तक हुआ लेकिन उसके बाद वह रिवोल्ट हमें नजर नहीं आया। यह बात कहने वाले लोगों को डिसकरेज किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनकर नहीं आना चाहिए, कन्सटीटूऐंट असैम्बली में नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए भी प्रबंध किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर को बम्बई से जाकर कलकत्ता क्रॉस करके जैसोर और खुलना से चुनकर कन्सटीटूऐंट असैम्बली में आना पड़ा। जैसोर और खुलना से जब चंडालों ने उनको चुनकर कन्सटीटूऐंट असैम्बली में भेजा ...*(व्यवधान)*

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : क्या बात करते हैं? चंडाल थोड़ी कहते है। ...*(व्यवधान)*

श्री कांशी राम : आज हम उनको नमः शुद्र कहते हैं। यदि चंडाल नहीं कहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन टैगोर ने जो 'चंडालिका' लिखी है, उसको भी कन्डैम करो। टैगोर की कहानी 'चंडालिका' से हमें उस जमाने के इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है। ...*(व्यवधान)*

डा. असीम बाला : ये असत्य बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ये इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कांशी राम जी, आप चेयर की तरफ ऐड्रैस करके बोलिए, उनकी तरफ मत देखिए। इससे गड़बड़ हो रही है।

श्री कांशी राम : यदि उन लोगों ने हमारा नोट नहीं लिया तो हमें तो दूसरों का नोट लेना चाहिए। यदि हम कोई बुरी बात कह रहे हैं तो हमें नहीं कहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस किस्म का जो रिवोल्ट है, यदि हमने उसका नोट लिया होता तो हम उसका हल ढूंढ़ सकते थे। लेकिन हमने इस किस्म के हल ढूंढ़ना तब तक जरूरी नहीं समझा जब तक किसी की कुर्सी नहीं हिलने लगी। आज हम लोग उठकर कुछ करते हैं, हिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो लोग उसका नोट लेने लगे हैं। मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस सदन में कुछ ज्यादा समय मिलेगा या मेरी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे, लेकिन मेरी बात कड़वी होने के बावजूद भी हमारे सदस्यगण सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कड़वी बात कहना जरूरी है। यह बात कहना जरूरी है, इस बात का नोट लेना जरूरी है और इसके बार में कोई प्रबन्ध करना जरूरी है। मैं अपने साथी को जानता नहीं हूं, जिनको चाण्डाल कहने से दुख हुआ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. असीम बाला, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि आप बोलना चाहते हैं तो पहले इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह कोई तरीका न हुआ।

डा. असीम बाला : उन्होंने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि जैसे कि मैं ''चण्डाल'' शब्द से बहुत ज्यादा खफा हूं। मैं उस शब्द से खफा नहीं हूं।

सभापति महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह एक स्थापित प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री कांशी राम : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने उस वक्त जो बातें कही हैं, अंग्रेजों के जमाने में अगर उन बातों का हमने बाद में भी नोट लिया होता तो गांधी जी ने जो 1924 में कहा था कि अनटचेबिलिटी हमारा एजेण्डा नहीं है तो उसके बाद अनटचेबल्स की हालत को सुधारने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए थी ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अनटचेबिलिटी का तो गांधी जी का एजीटेशन था। गांधी जी ने तो सारे हिन्दुस्तान में 1928 में पदयात्रा की थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप यह कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह ठीक बात नहीं है, कांशी राम जी को बोलने दिया जाये। जब उनका मौका आये, तब सफाई दीजिए। उनको बोलने दीजिए, हम लोग सुनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप ऐसे व्यवधान नहीं डाल सकते।

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अनटचेबिलिटी के खिलाफ गांधीजी का अपना एजीटेशन था। ये जो बात है, यह जो डिस्कशन है, यह इस तरह से ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री कांशी राम : बंगाल में आठ सीटें शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। उन सीटों पर कोई दूसरा आदमी चुनकर नहीं आ सकता है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन जब बंगाल के बारे में हम इधर सुनते हैं तो हमें चटर्जी जी नजर आते हैं या फिर कोई मुखर्जी हैं, अपनी ममता जी हैं, ये बोलती हैं, या फिर ये साथी हैं, मेरे ख्याल से ये भी बंगाल से ही हैं, जो आठ लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, वे शैड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में बोलते हुए हमें कभी बंगाल से नजर नहीं आये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : डा. असीम बाला तो रोज बोलते हैं, ये शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कांशी राम : चलो, कोई बात नहीं है। हर रोज तो मैं पार्लियामेंट में नहीं आता हूं। आज आया हूं तो ये बोलते हैं, लेकिन उनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है।

खैर, मैं अपनी बात की तरफ आता हूं कि अगर 1924 के बाद जो गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि यह हमारा एजेण्डा नहीं है, अगर हमने 1947 के बाद यह अपना एजेण्डा बनाया होता और 1947 से पहले 1932 में डा. अम्बेडकर ने इन लोगों के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सैपरेट इलैक्टोरेट हासिल किया लेकिन वह भी गांधी जी और कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इस देश के लोगों को मंजूर नहीं था, नहीं तो डा. अम्बेडकर का सोचना था कि जो लोग अनुसूचित जाति के वोटों से चुनकर आएंगे, वे अनुसूचित जाति वालों की बात संसद में और विधान सभाओं में रखेंगे और अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जो दूसरों के वोट से चुनकर आएंगे वे अपने लोगों की बात नहीं रखेंगे। 1932 में जो हमें सैपरेट इलैक्टोरेट मिला था, वह चला गया।

1942 में फिर उन्होंने अंग्रेजों से बात की, अंग्रेज इस देश के हुक्मरान थे, उनसे कहा कि अगर आप हमें सैपरेट इलैक्टोरेट नहीं दिला सकते हैं, हमारे सही प्रतिनिधि संसद और विधान सभा में नहीं भिजवा सकते हैं तो हम दूसरे लोग जो अलग मुल्क मांगते हैं वैसा भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारा सैपरेट सैटलमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें सामाजिकता के साथ आर्थिकता भी जुड़ी हुई है। 1942 में अंग्रेजों ने उनकी बात मानी और रजामंदी जाहिर की कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे और बीस साल के अंदर हम उनका सैपरेट सैटलमेंट बना देंगे।

जो लोग खेतों में काम करते हैं और अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उनके पास खेत नहीं है। 1947 में जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते थे, उनके पास खेत नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं, करीब 35 प्रतिशत कृषि में ऐसा काम करने वाले लोग हैं और 32 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास खेत बहुत कम है, जो मार्जिनल फारमर हैं और लगभग दो तिहाई खेतों में खेती करने वाले लैंडलेस या मार्जिनल फारमर हैं। उनके बारे में डा. अम्बेडकर ने 1942 में आवाज उठाई थी और अपना सुझाव पेश किया था कि इन लोगों के लिए सैपरेट सैटलमेंट होना चाहिए। उन्होंने अलग मुल्क नहीं मांगा था। पूरे देश के नक्शे पर 80 ऐसे पवाइंट बनाए थे कि यहां इनका सैटलमेंट किया जा सकता है। इस देश में खेतों की कमी नहीं है। जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं और उनके पास जमीन नहीं है, उनको खेत दिए जा सकते हैं। इस देश में ऐसे खेत बहुत से हैं। आज भी जितने खेतों में खेती होती है, उतनी ही खेती लायक जमीन देश में और भी पड़ी है, लेकिन वह जमीन उनको नहीं दी जाती है जो खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं। इसलिए वे लोग देहात छोड़कर शहरों की तरफ बढ़े। अगर हम उनको सेपरेट सैटलमेंट दे देते जो डा. अम्बेडकर ने सुझाव दिया था, अगर वह हो गया होता तो वे शहरों की तरफ नहीं आते। वे खाली जमीन की तरफ चले गए होते और खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते। लेकिन उनको खेत नहीं मिले, पचास साल से नहीं मिले। इसलिए लैंड टू दि लैंडलैस की बात बहुत चली, लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। इस कारण वे देहात छोड़कर शहरों की तरफ आ गए। आज लाखों-करोड़ों की तादाद में वे शहरों में आ गए हैं। इससे झोंपड़ियों की, हाउसिंग की और अन्य तरह की समस्याएं शहरों में पैदा हो गई हैं। यह समस्या क्यों पैदा हुई, इसलिए कि जो खेतों में काम करने वाले खेतीहर मजदूर थे उनको खेत नहीं मिले। खेतों की आज भी देश में कमी नहीं है। हो सकता है बंगाल में कमी हो, पंजाब में कमी हो, केरल में कमी हो। इन तीन प्रदशों को छोड़कर पूरे देश में खेतों की कमी नहीं है। इसके साथ ही खेतों में खेती करके अनाज पैदा करने वाले किसान की भी कमी नहीं है। लेकिन इन पचास सालों में हम उसका समाधान नहीं कर पाए हैं। इसलिए वे देहात छोड़कर शहरों की तरफ आ गए हैं और शहरों की समस्या बढ़ गई है। शहरों की समस्या की जहां तक बात है तो जो लोग शहरों में आए हैं, हम लोग उनके बारे में सोचते हैं।

सभापति महोदय : समाप्त करें।

श्री कांशी राम : हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। अगर यहां हमारी बात नहीं सुनी।

सभापति महोदय : इसमें रोष प्रकट करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि छोटी पार्टी के लीडर्स को भी पन्द्रह, बीस, पच्चीस मिनट तक का समय दिया जाता है। बाकियों को दस-दस मिनट दिया जाता है। यह लीडर्स मीटिंग में तय किया गया था। मैंने कंक्लूड करने के लिए बैल बजाई थी।

श्री कांशी राम : यह तो ठीक है लेकिन अगर हमारी बात इस सदन में नहीं सुनी जाएगी तो कहां सुनी जाएगी? हमने तो पहले ही बाहर प्रबंध किया हुआ है। हम इस सदन में प्रबन्ध करके ही पहुंचेंगे। हमें पूरा भरोसा है और हम आने वाले समय में ज्यादा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा मेम्बर लेकर आएंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी।

सभापति महोदय : अभी भी आपकी बात सुनी जा रही है।

श्री कांशी राम : नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में हम ज्यादा मेम्बर लाने की कोशिश करेंगे। आज हम किसलिए स्पेशल सैशन में आए हैं? अगर हमें पचास साल में कुछ कमज़ोरियां, कमियां नजर आती हैं तो उनक बारे में गौर करके आने वाला एजेंडा हमें सही बनाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक दिशा में जो अंग्रेजों के राज में रिवोल्ट हुआ था। ...*(व्यवधान)*

श्री तिरुची शिवा (पडुक्कोट्टई) : सभापति जी, टाइम रेगुलेट कर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शिवा, मैं यहां पर टाइम रेगुलेट करने के लिए हूं। कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री कांशी राम : मैं तो आता ही बहुत कम हूं और आता हूं तो बोलता बहुत कम हूं लेकिन अगर आज बोलने का मौका दे दें तो बहुत अच्छा है। नहीं देंगे तो बाहर तो रोकने वाला कोई नहीं है। अभी तक तो रोकने वाला कोई नहीं है लेकिन हो सकता है कि बाहर भी रुकावट हो जाए।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आप बोलिए। हम सुन रहे हैं।

श्री कांशी राम : नहीं मैं तो अटल जी को भी देखकर कह रहा हूं। मैं बोलता हूं या कुछ करता हूं या मेरा जो करना है, बोलना है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यह भी बंद हो जाए तो अच्छा है। मैं बोल रहा था कि आज से छः सात महीने पहले उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करने के लिए हमारी अटल जी से बातचीत हो रही थी। अटल जी ने मुझसे कहा कि अभी थोड़े समय में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। हम सोचते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाए। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आपका विरोध करेगी। मैंने अटल जी से कहा कि मैं कुछ बात बोलता हूं, कुछ काम करता हूं, अगर मैं बड़े घर में जाकर बैठ जाऊंगा तो यह काम कौन करेगा? इसलिए मुझे मैदान में डटे रहना चाहिए। इस तरह से मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। कोई बात नहीं है। अगर अच्छी नहीं है तो हम बाहर बोलते हैं।

यह जो इस किस्म का रिवोल्ट पहले से चल रहा था, उस रिवोल्ट के बारे में आज भी हमें उसके बारे में सोचना और समझना चाहिए। हमें सोच-समझकर ही आगे प्लान बनाना चाहिए। उस बात को सोच-समझकर अगर प्लान बनाते हैं तो कोई लाभ होता है। अगर बगैर सोचे-समझे प्लान बनाते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है। सन् 1990 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की सेंटीनरी सेलीब्रेशंस मना रही थी तो केन्द्रीय सरकार ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई थी। हमने नहीं बनाई। केन्द्र सरकार ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई। आज उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी की सरकार है क्या उसके अलावा किसी प्रदेश में वह योजना चालू रही है, मेरे नोटिस में नहीं है। सारे सांसद देश के कोने-कोने से इधर आए हैं, सब को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएसपी की सरकार अम्बेडकर ग्रामीण विकास योजना को लागू कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : मुलायम सिंह जी के टाइम में भी यह था। ...*(व्यवधान)*

श्री कांशी राम : आज तो मुलायम सिंह जी वहां नहीं है जब होंगे तो फिर देखा जाएगा। फिर उनसे रिकवेस्ट करेंगे कि वह चलाएं। अम्बेडकर ग्रामीण विकास योजना क्यों बनाई गई? अगर देशवासियों को उसको लागू नहीं करना था तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी।

महोदय, इसी तरह से इसी सदन में इसी गवर्नमेंट ने सेंटर की तरफ से एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बनाया। इसी सदन में यह एक्ट पास हुआ। आज उसकी बहुत चर्चा हो रही है। मुझे इसी सदन में बोलना था इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से फैक्ट्स मंगाए हैं कि इसके बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बाहर कई महीनों से चर्चा चल रही है कि यह प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज जो एक्ट है वह खत्म होना चाहिए। वह इस सदन ने बनाया है तो इस सदन को चाहिए कि वह इसको खत्म करे, अगर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम इसको उत्तर प्रदेश की असेम्बली में खत्म कर देंगे। इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट उत्तर प्रदेश की असेम्बली में कैसे खत्म होगा, यह तो इस पार्लियामेंट को ही खत्म करना होगा। अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जरूरी नहीं है, जो इस सदन में 1989 में पेश हुआ और 1995 में कम्पलीट हुआ, यह एक्ट जरूरी नहीं है तो इस सदन को इसे खत्म करना चाहिए। अगर कोई भी एक्ट बनाते हैं उसका मिसयूज़ होता है तो उसे भी रोकना

चाहिए। मैंने फैक्ट्स मंगाए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या फैक्ट्स हैं। जब से इधर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तो इस एक्ट के खिलाफ बहुत आवाज उठ रही है। पिछले तीन-चार महीने में, जब से बीएसपी की सरकार आई है उसी समय में जो पहले सरकारें रही हैं उसमें जो फीगर्स हैं कि हमारे समय में, बीएसपी की सरकार के समय में 1611 केसेस इस एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं लेकिन उससे पहले सेंट्रल रूल था तो सेंट्रल रूल में उस समय में 1737 दर्ज हुए हैं। इससे पहले हमारे एक साथी ने बताया कि मुलायम सिंह जी का रूल था, उसी समय में जब मुलायम सिंह जी का रूल था तो उस सय 2767 केस दर्ज हुए हैं। हमारे एक साथी इस समय यहां नहीं हैं उन्होंने मुझ से कहा कि हमारे खिलाफ यह एक्ट लगा हुआ है तो मायावती को कह कर इसको रफा-दफा करा दीजिए। उन्होंने अटल जी को भी बोला। कनोजिया जी संसद सदस्य हैं, मैंने उनसे कहा कि मायावती जी ने यह एक्ट लगा दिया है तो वह कहने लगे कि वह तो मुलायम सिंह जी के जमाने में लगा था लेकिन आपको चाहिए कि इसको रफा-दफा कर दें। इसलिए मैं समझता हूं कि जो यह एक्ट का मिसयूज़ होता है तो इसको रोकना ठीक बात हो सकती है लेकिन एक्ट को खत्म करना अगर ठीक बात है तो इस सदन में यह बात उठनी चाहिए और इस सदन में इस एक्ट को रद्द करना चाहिए। यह एक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, यह देश भर में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं, क्या उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? हर व्यक्ति कहता है कि इसको रोकना चाहिए लेकिन जब रोकने की बात आती है, रोकने की कोशिश होती है तो लोग विरोध करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदन में ऐसे ही एक्ट बनने चाहिएं जिनको हम लागू कर सकें। जिन कानूनों को हम लागू नहीं कर सकते हैं उन्हें हमें पास नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि डैमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस देश में डैमोक्रेसी बहुत लम्बे अर्से से चल रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डैमोक्रेसी नहीं है। एक खेल खेला जा रहा है कि जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है, जिसको डैमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह से हमारे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर शेषन हैं उन्होंने एक किताब लिखी है:

[अनुवाद]

''ए हार्ट फुल आफ बर्डन'' इस किताब में उन्होंने लिखा कि भारत में प्रजातांत्रिक परम्परा अपनी समाप्ति के पथ पर बहुत आगे बढ़ चुकी है।

[हिन्दी]

ऐसा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को कहना पड़ा है। 1951-52 में जब इस देश में डैमोक्रेटिक प्रोसेस चलने वाला था बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अमीर के पैसों से चुनाव लड़ा जाएगा तो अमीरों की ही बात इस देश में चलेगी, और वही बात आज हम देश में देख रहे हैं। इस देश की डैमोक्रेसी में मनी, माफिया और मीडिया का रोल बहुत बड़ा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त महाभारत से उद्धरण दिया था क्योंकि उस समय लोग महाभारत और रामायण के बारे में बहुत जानते थे। भीष्म पितामह के बारे में उन्होंने कहा:-

[अनुवाद]

''मैं चाहूंगा आप महाभारत का संदर्भ लें। कौरवों और पाण्डवों के बीच युद्ध के दौरान, भीष्म और द्रोण कौरवों के पक्ष में थे। पाण्डव सत्य के साथ थे और कौरव असत्य के पक्ष में। भीष्म भी इसे जानते थे। किसी ने भीष्म से पूछा कि यदि सत्य पाण्डवों के पक्ष में है तो आप क्यों कौरवों का साथ दे रहे हैं, भीष्म ने इस स्मरणीय वाक्य में उत्तर दिया-

''मुझे नमक का हक अदा करना होगा। मैं कौरवों का भोजन खाता हूं। यदि वे असत्य के पक्ष में भी होंगे तब भी मुझे उनका पक्ष लेना होगा।

[हिन्दी]

1951-52 से इस बात के बारे में हमें मालूम था कि अमीर के नोटों से गरीब के वोटों के साथ खेल खेला जाता है और हम दुनिया वालों को बताते हैं कि इस देश में डैमोक्रेसी है। इसलिए चुनाव सुधार की बात बहुत चली है। चुनाव सुधार के बारे में हम लोगों ने 1972 से काम शुरू किया है। 1990 तक बहुत सारी कमेटियां बैठाई गयी हैं। 1972 में राव कमेटी बैठाई गयी तथा 1974 में तारकूंडे कमेटी बैठाई गयी। उसके बाद 1982 में बहुत सी कैबिनेट कमेटियां बैठीं। उसके बाद आज तक 14 मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं जिन्होंने चुनाव सुधारों के बारे में अपनी रिपोर्टें भी दी हैं कि यह रिफोर्म होने चाहिएं। लेकिन आज तक जिन रिफोर्म्स की बातें हमने कही हैं वे हम कर नहीं पाए हैं क्योंकि हम करना नहीं चाहते। पिछले पचास सालों में इलैक्ट्रोल रिफार्म्स की बात बहुत कही गई लेकिन हम इसे कर नहीं पाए क्योंकि हम उसे करना नहीं चाहते थे। अगर सही मायने में पोलिटिकल डैमोक्रेसी को रैस्टोर करना है तो इलैक्ट्रोल रिफार्म्स करने होंगे। अगर हम पोलिटिकल डैमोक्रेसी को कामयाब करना चाहते हैं तो सामाजिक और आर्थिक दिशा में परिवर्तन करने होंगे। यह भी इस देश में आज तक कामयाब नहीं हुई और आने वाले समय में कामयाब होती दिखायी नहीं देती। हमने पिछले पचास सालों से इस बारे में नहीं सोचा। पचास साल के बाद पूरा देश जब यह सोचने लगा है तो उनको यह सोचना चाहिए कि इसमें क्या कमियां रह गईं? उन कमियों को दूर करने का एजेंडा बनाना चाहिए। आने वाले समय का एजेंडा इस किस्म का होना चाहिए। इतनी बात कहते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ज्यादा समय बोलने का दिया।

कुमारी ममता बनर्जी

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं अपनी राष्ट्रीय भाषा में बोलने की कोशिश करूंगी। हम आजादी की गोल्डन जुबली सैलिबरेट कर रहे हैं। इस हाउस का स्पैशल सैशन हो रहा है। देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, खून बहाया, जिन्होंने इसे प्रश्रेय दिया था, जिन्होंने बहुत खराब जिन्दगी बितायी, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। देश के आजाद होने के बाद उसकी रक्षा करने के लिए जिन नेतागणों और जवानों ने अपनी जिन्दगी को दाव पर लगाया और कुर्बानी दी, मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

यह कहना बहुत आसान है कि देश में पचास वर्षों में कोई भी काम नहीं हुआ। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते जो कि गलत हो और जिस में सच्चाई कम रहे। सच बात कहना इस स्पैशल सैशन में जरूरी है। मैं इस बात को मानती हूं।

हमारा देश 50 वर्ष पहले आजाद हुआ था। उस दौरान देश में डिस्ट्रबैंसिज हुए थे, कम्युनल रॉयट्स हुए थे। इतिहास सही कहता है कि हम में से बहुत से लोगों ने आजादी की लड़ाई को नहीं देखा। जब देश में दंगे शुरू हुए तो महात्मा गांधी जी सब को सही रास्ते पर लाए। उन्होंने हिन्दुओं, मुसलमानों को समझाया और उनसे कहा कि सभी को देश में इकट्ठे रहना है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यह हमारे देश की परम्परा है। इसके बाद गांधी जी को कुर्बानी देनी पड़ी। महात्मा गांधी जी जैसे दूसरे नेता जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, लाल-बाल-पाल तथा सुभाष चन्द्र बोस जैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए। इन्होंने देश के बारे में सोचा था कि अगर हमारा देश आजाद हो जाएगा तो आम जनता को पूरे अधिकार मिल जाएंगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनको मॉडर्न आर्टिटेक्ट आफ इंडिया कह कर पुकारा जाता था। उन्होंने देश हित के लिए काम शुरू किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। उन्होंने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था। उन्होंने यह नारा इसलिए दिया कि जवान देश को सम्भालता है और किसान हम को खाने के लिए अन्न देता है। इसके बाद इंदिरा गांधी आई और उन्होंने नारा दिया 'गरीबी हटाओ'। उन्होंने सोचा था कि अगर हमारे देश में कुछ करना है तो ग्रास रूट लेवल पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वह जरूरी है। इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया। 20 सूत्री कार्यक्रम के मुताबिक हमारे आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी., डी.आर.डी.ए., सैल्फ इंप्लौयमेंट स्कीम और बहुत सारे प्रोग्राम इंदिरा जी ने बनाए। उसके बाद इंदिरा जी को भी कुर्बानी देनी पड़ी। इंदिरा जी ने जब कुर्बानी दी तो उससे एक दिन पहले उड़ीसा में एक मीटिंग हुई। वहां कई लोगों ने उनको कहा कि आपकी जिन्दगी खतरे में है। तब इंदिरा जी ने कहा था–

[अनुवाद]

मैं इस बात की परवाह नहीं करती हूं कि मैं जीऊंगी या मरूंगी। मैं अन्तिम सांस तक सेवा करती रहूंगी और यदि मैं मर जाती हूं तो मेरे खून का हरेक कतरा देश को मजबूत करेगा और राष्ट्र को एकजुट करेगा।

[हिन्दी]

लेकिन इंदिरा जी को भी कुर्बानी देनी पड़ी।

इसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गाधी ने एक स्लोगन दिया था 'मेरा भारत महान।' तब राजीव गांधी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत से लोगों ने उसको पोलिटिकली मिसयूज़ भी किया कि राजीव गांधी कहते हैं कि मेरा भारत महान है, लेकिन वह कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार महान है। आज मैं गौरव से कहना चाहती हूं एक परिवार में माता इंदिरा गांधी और उनके लड़के राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी है तो वह परिवार महान नहीं है तो कौन परिवार महान है? उस परिवार को हम सलाम करते हैं क्योंकि उसने देश के लिए कुर्बानी दी।

पंजाब के मुख्य मंत्री बेअंत सिंह जी थे। उनको भी देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। जनरल वैद्य को भी कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे बहुत सारे इनोसेन्ट आदमी कभी टैररिज्म में मारे गए तो कभी कम्यूनल रायट्स में मारे गए। जितने परिवारों की जिन्दगी बरबाद हुई उसके लिए देश में सरकार को पचास वर्षों में कुछ करना चाहिए था। जो जवान देश के लिए आज भी बोर्डर पर लड़ते हैं, जिनकी जिन्दगी खतरे में है, जो महीनों बाद अपने परिवारों को देखते हैं, उनके परिवार के लोगों को इंप्लौयमेंट नहीं मिलता है। क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि जो सिपाही हमारे देश के लिए लड़ते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके परिवार के एक आदमी को रोज़गार मिले? सभापति जी, मैं गांधी जी को क्वोट करना चाहती हूं:–

[अनुवाद]

"हमारा प्रमुख शत्रु सांप्रदायिकता होना चाहिए। हमारी बुनियादी धर्म-निरपेक्षता होनी चाहिए। राष्ट्रवाद हमारी मुख्य राजनीति होनी चाहिए मानवता हमारा धर्म और देशभक्ति आदर्श होना चाहिए।"

[हिन्दी]

मैं जिस स्टेट से आती हूं उसका नाम पश्चिम बंगाल है। आज़ादी के पहले बंगाल ने आज़ादी की लड़ाई में सच्चा योगदान दिया था। साथ-साथ देश में जो रिफार्म्स हुए थे, रेनेसां हुआ था, वह भी बंगाल से ही शुरू हुआ था। इसलिए आज जो बात हम लोग कहने जा रहे हैं, वह बात कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में कही थी।

अपराह्न 3.54 बजे

[**श्री पी.सी. चाक्को** *पीठासीन हुए*]

रवीन्द्रनाथ टैगौर की बंगला में लिखी कविता का अंग्रेजी ट्रांसलेशन मैं पढ़ना चाहती हूं जो मैकमिलन ने लिखा था–

''व्हेयर द माइन्ड इज विदाउट फीयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, व्हेयर नोलेज इज फ्री,

व्हेयर द वर्ल्ड हैज नोट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रैगमैंटस बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स,

व्हेयर द वर्डस हैव कम आउट फ्राम द डैप्थ आप ट्रूथ,

व्हेयर क्लीयर स्ट्रीम आफ रीजन हैज नोट लोस्ट इट्स वे इन्टू द डियरी डेजर्ट सैण्ड आफ डेड हैबिट,

व्हेयर टायरलैस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स

आर्म्स टूवर्ड्स परफैक्शन,

व्हेयर द माइण्ड इज लेड फोरवर्ड बाई दी

ओह! माई फादर लैट माई कन्ट्री अवेक।''

हम लोग यह चाहते हैं कि हमारा हिन्दुस्तान जो कि सारे जहां से अच्छा हमारा हिन्दुस्तान है। हमारे इस हिन्दुस्तान का जो तिरंगा झंडा है यह झंडा जिंदा रहे और यह झंडा मान-सम्मान के साथ जिंदा रहे। आजादी के पहले जो कांस्टीट्यूशन तैयार हुआ है, उससे पोलिटिकल फ्रीडम तो हम लोगों को जरूर मिली है, लेकिन सच्ची पोलीटिकल फ्रीडम देश भर में आज तक नहीं मिली है। यह बात सच है कि आज भी बहुत सारी जगहों पर रिगिंग होती है, बहुत सारी जगहों पर वोटर लिस्ट में डबल-डबल नाम हैं। एक-एक आदमी पांच-पांच जगह पर वोट देता है। काफी दिन पहले एलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें कहा गया है कि हमारी स्टेट में पचास लाख आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन के लिए बनाये थे पहचान पत्र नहीं तो वोट नहीं उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर इस तरह से इलेक्शन होगा तो हमारी परम्परा का क्या होगा। मैं इस बारे में कहना चाहती हूं कि आज सबसे जरूरी यह है कि इस स्पेशल सैशन में खाली भाषण देने से देश में मैसेज नहीं जायेगा। लेकिन भाषण के बदले अगर कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होगा तो देश में मैसेज जायेगा कि स्पेशल सैशन हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि लोकपाल बिल जितनी जल्दी से जल्दी हो आपको इसे स्पेशल सैशन में पास कर देना चाहिए। हमें यह मैसेज स्पेशली देना चाहिए। वोहरा कमीशन ने 1993 में जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दी थी। लेकिन आज तक उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई है। वोहरा कमीशन ने वन सैक्शन ऑफ पोलीटीशियन, बहुत सारे पोलीटीशियंस के माफिया गैंगस्टर्स के साथ नैक्सस हैं, उसके बारे में बात की थी। लेकिन वे कौन लोग हैं, कौन राजनीतिक दल हैं, कौन पोलीटीशियंस हैं, कौन एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, हम लोग उनके नाम जानना चाहते हैं। देश की आम जनता उनके नाम जानना चाहती है। लेकिन वह पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी अभी तक टेबल पर पेश नहीं हुई है। मैं चाहती हूं कि वोहरा कमीशन की पूरी रिपोर्ट टेबल पर रखी जाए।

[अनुवाद]

जिससे लोगों को सच्चाई का पता चल जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह बात भी सच है जो हम लोग सभी से कहना चाहते हैं कि

[अनुवाद]

अगर हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें राष्ट्र और इसके लोगों का निर्माण करना होगा, हमें निचले स्तर पर एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की नीव रखनी होगी।

[हिन्दी]

हमारी बहुत सी स्कीम्स हैं लेकिन उनका फायदा ग्रास रूट को क्या जाता है। आज आम जनता का क्या कहना है?

[अनुवाद]

राजनीतिज्ञ अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि सभी राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि सभी राजनीतिज्ञ के निहित स्वार्थ हैं। परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं यह नहीं जानती कि आप इसका समर्थन करेंगे या नहीं परन्तु यह सही है कि लोग यह मानते हैं कि राजनीति एक व्यवसाय बन गई है। यह एक व्यवसाय या एक कला की तरह है। मैं सभी राजनीतिज्ञों से यह अपील करना चाहती हूं कि वे तुच्छ राजनीति में विश्वास न करें। हमें किसी कार्य योजना या किसी कड़ी कार्रवाई पर विचार करना चाहिए जिससे राजनीतिज्ञ काले धन का दुरूपयोग अपने राजनैतिक उद्देश्यों या निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए न कर सकें। इस देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। यह सामानान्तर अर्थव्यवस्था काला धन जमाखोरों, माफिया गैंग, अपराधियों और राजनीतिज्ञों द्वारा चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

इसमें हर आदमी नहीं है। लेकिन बहुत सारे नेतागण हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेज हैं। उनमें सदन के मैम्बर भी हो सकते हैं। बहुत सारे आदमी हैं जिनको इंडिस्ट्रियलिस्ट्स खरीद सकते हैं, बहुत सारे आदमी हैं जिनको इंडिस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो। ऐसे देश में नहीं चलेगा। आज ग्रासरूट के लोगों की फीलिंग्ज यह है और आज यंग जनरेशन पोलीटिक्स में क्यों नहीं आ रही है। इसी वजह से नहीं आ रही है। हमारी वैल्यू बेस आज कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

मूल्यों पर आधारित राजनीति अब मूल्य रहित राजनीति बन गई है। राजनैतिक प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है।

[हिन्दी]

आज पोलीटिकल पोल्यूशन इतना ऊंचा आसमान का तारा हो गया है। उसके मुकाबले इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या है। अगर देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है तो वह पोलीटिकल पोल्यूशन है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि इलेक्शन के लिए श्री वाजपेयी जी ने जो कहा है वह बात सच है। इलेक्शन के लिए फंड जरूरी होता है।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन हमारे यहां स्टेट फंडिंग क्यों नहीं होता, हमारे कंट्री में स्टेट फंडिंग क्यों नहीं होता? पिछले 50 सालों में हमने क्या देखा कि डैवलपमेंट के लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितना पैसा गांवों में भेजा गया, उसमें से 90 परसेंट रुपया पौकेट में चला गया, किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी की पौकेट में चला गया और शेष 10 परसेंट पैसा भी खर्च नहीं हुआ—ऐसी स्थिति में हम अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे?

जहां तक नेशनल हाईवेज का सवाल है, महाराष्ट्र में मुझे यह देखकर खुशी है कि वहां कंक्रीट के रास्ते बनाए जा रहे हैं लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में मैंने देखा कि नेशनल हाईवे की स्थिति बहुत जर्जर है, खराब है, उनमें गड्ढे हैं। यदि उन पर आदमी चले तो मरने की स्थिति पैदा हो जाती है। उन रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत खराब हो गया है। टैंडर के मामले में माफिया गैंग इतने मजबूत और कामयाब हो गए हैं जिन्हें अब रोका नहीं जा सकता। उनके साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक सैक्शन भी जुड़ गया है।

आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि गवर्नमेंट सी.बी.आई. के काम में इंटरफियर करती है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजादी के बाद, जब कांग्रेस ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय देश में एक नीडल भी नहीं बनती थी जबकि आज हम एरोप्लेन बना सकते हैं। पहले हमारे देश की मिट्टी को पानी नहीं मिलता था जबकि आज हम अपनी भूमि के काफी बड़े हिस्से को पानी उपलब्ध कराते हैं। मैं मानती हूं कि पूरी भूमि को पानी देने में हम कामयाब नहीं हुए लेकिन तीन-बार खेती हमारे यहां हो सकती है। पहले देश में कुछ नहीं था लेकिन आज काफी तरक्की हुई है। उसके साथ-साथ यह सच नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं यहां तीन टर्म से एम.पी. हूं। राजीव जी के टाइम में हमने कभी नहीं देखा कि सी.बी.आई. या किसी औटोनोमस बोडी के काम में सरकार की तरफ से इंटरफियर किया गया हो। सी.बी.आई. के काम में कौन इंटरफियर कर सकता है?

[अनुवाद]

नियंत्रक महालेखापरीक्षक एक स्वायत्त संस्था है। वे नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। अगर यह चलता रहा तो इस सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं इसे एक अच्छी बात नहीं समझती। ऐसी संस्थाओं पर राजनैतिक दबाव डालना बंद किया जाना चाहिए। निष्पक्ष संस्थाओं को सुचारू रूप से तथा निष्पक्षता से कार्य करने दिया जाए। हमें निष्पक्ष संस्थाओं के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो देश में यह गलत संदेश जाएगा कि चूंकि किसी व्यक्ति विशेष का मामला है, कोई उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ऐसा ही हो रहा है।

मैं समझती हूं कि विशेष सत्र से एक संदेश जाना चाहिए। पहला, कि हम चुनावी सुधार चाहते हैं। दूसरा, हम प्रशासनिक सुधार चाहते हैं। तीसरा, हम न्यायिक सुधार चाहते हैं। चौथा, हम सामाजिक सुधार चाहते हैं। पांचवा, हम राजनैतिक सुधार चाहते हैं। जनसंख्या पर भी मियंत्रण के लिए कोई कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए संदेश के लिए मैं उनकी आभारी हूं।

[हिन्दी]

मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देती हूं कि 14 अगस्त के मिडनाइट प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हटाओ—लेकिन भ्रष्टाचार कैसे हटेगा क्योंकि भ्रष्टाचार आज देश के चप्पे-चप्पे में फैला हुआ है, उसे कैसे हटाएंगे। जब हमारे विकास का 90 परसेंट पैसा कुछ लोगों की पौकेट में जा रहा है तो हम कैसे भ्रष्टाचार को मिटाएंगे? भ्रष्टाचार को हटाने के लिए समयबद्ध योजना होनी चाहिए। सभी पोलिटिकल पार्टीज को मिलकर इसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश में हर दो साल बाद इलैक्शन होते रहेंगे। उन पर होने वाला खर्च हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उनमें रुपया किधर से आता है, कोई न कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इलैक्शनों को कंट्रोल करते हैं। सरकार के बारे में कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाई द पीपल, फार द पीपल—यदि भ्रष्टाचार के खिलाप हमने सख्त कदम नहीं उठाए तो इसकी डैफिनीशन होगी—पीपल बाई द मनी-पावर, ऑफ द मनी-पावर, फार मिस-यूज ऑफ मनी। इससे देश में बहुत गलत सिगनल जाएगा।

इसलिए मैं आपके सामने दो सुझाव रखना चाहती हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरा पहला सुझाव है कि भ्रष्टाचार मिटाओ लेकिन उसके साथ-साथ अगर हमारे देश में कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह बेरोजगारी की समस्या है। इंदिरा गांधी जी ने स्लोगन दिया था—गरीबी हटाओ, राजीव जी ने नारा दिया था—भारत महान है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था—जय जवान, जय किसान, उसी तरह हमारी सरकार 'बेरोजगारी हटाओ, देश बचाओ' का नारा क्यों नहीं दे सकती? आज देश में अन-एम्प्लायमेंट बढ़ती जा रही है, मजदूर अपनी तकदीर पर रो रहे हैं। धनवान खजाना भरता है तो कानून उसकी हिफाजत करता है और मजदूर बेचारा रो-रो कर शहीद हो जाता है। आज मजदूर कमजोर हो गया है। आप कहते हैं कि बाहर की मनी लेकर इन्वेस्ट कीजिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन हमारी जो स्वदेशी मिलें हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो कापरेटिव मूवमेंट है, वह किधर गयीं। एन.टी.सी. बंगाल की कॉटन मिल जिसका

श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने फाउंडेशन किया था, आज वह जल गयी है, मर गयी है। आज जब हम टेक्सटाइल मिनिस्टर से क्वश्चन करते हैं तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता या गलत रिप्लाई दे दिया जाता है। उस रिप्लाई से कोई भी मजदूर संतुष्ट नहीं होता। वहां कारखानें बंद पड़े हुए हैं। पब्लिक सैक्टर की भी कंडीशन खराब हो गयी है। आप पब्लिक सैक्टर में देखिये। हमारे आदमी कहते हैं कि सरकार क्या समस्या हल करेगी, सरकार तो खुद बेसहारा हो गयी है। सरकार बेचारी गरीब हो गयी है इसलिए जिस चीज का चाहे निजीकरण कर देती है। चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, मेट्रो रेल हो, उनका निजीकरण करने जा रही है। कोल इंडिया का निजीकरण करने जा रही है। हमारे कलकत्ता में टी बोर्ड है, उसका भी सरकार निजीकरण करने जा रही है। पब्लिक सैक्टर तो सब बेचने के लिए तैयार है और कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भाषण देना बहुत आसान है लेकिन जो सिचुएशन है, जो हमारे देश की परिस्थिति है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे देश में जो रजिस्टर्ड अनइम्पलायड यूथ हैं, उनकी संख्या तीन करोड़ से ज्यादा है और हमारे बंगाल में उनकी संख्या 50 लाख से ज्यादा है। अगर ऐसा चलेगा तो हमारे सारे कारखाने बंद हो जायेंगे जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। वह बेरोजगार लोग क्या करेंगे? इससे टेररिज्म क्यों नहीं बढ़ेगा? इससे टेररिज्म बढ़ता है, हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। न्यू जनरेशन के लिए कुछ नहीं किया गया। कोई गवर्नमेंट आती है तो एक छोटा सा प्रोग्राम दे देती है। जस्ट लालीपॉप के माफिक, जस्ट भिक्षा देने के माफिक होता है। ...*(व्यवधान)* मैं बहुत दिनों तक कुछ नहीं बोली। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

बहुत सारे बेरोजगार युवकों ने संसद में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझसे अनुरोध किया था। इसीलिए मैं विशेष रूप से इस पर ध्यान केन्द्रित कर रही हूं जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। महोदय, आप बेरोजगारी की समस्या के बारे में जानते हैं। यह कैंसर की तरह बढ़ रही है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं चाहती हूं कि इस स्पेशल सैशन से एक मैसेज देना चाहिए। जो हमारा अनइम्पलायड यूथ है, उसके लिए एक कम्प्रीहैन्सिव प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। हर आदमी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती। जो एस.सी. और एस.टी. की वेकेन्सी हैं, वे फुलफिल नहीं हुई हैं। अभी श्री कांशी राम जी ने बहुत भाषण दिया लेकिन श्री कांशी राम जी ने यह बात नहीं कही कि एस.सी. और एस.टी. का जो कोटा है, वह फुलफिल नहीं हुआ है।

श्री कांशी राम : पार्लियामेंट में है।

कुमारी ममता बनर्जी : आप पार्लियामेंट के अंदर नेता की बात कर रहे हैं और मैं वर्कर्स की बात कर रही हूं। बाहर के लाखों ग्रासरूट लेवल के लोगों की बात कर रही हूं। एस.सी. और एस.टी. का जो कोटा है, वह पूरा नहीं होता है। उसका मिसयूज़ करते हैं। हमारे जो अदर कम्यूनिटीज़ हैं, उसके लिए मंडल कमीशन ने 77 कास्ट बतायी हैं। हर स्टेट में कमीशन बना है कि कितनी कास्ट जोड़ी गयी हैं। केवल 52-60 कास्ट ही जुड़ी हैं लेकिन यह भी काम में नहीं आती है। इसका मतलब उनको जो एडवांटेज मिलना चाहिए, वह एडवांटेज उनको नहीं मिलता है। वह माइनोरिटीज को गाली देते हैं। आप देखिये कि हाउस में कितने माइनोरिटीज के मैम्बर्स हैं। माइनोरिटीज फैक्टर भी है। आज हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं लेकिन मैं दुख के साथ बोलना चाहती हूं कि माइनोरिटीज की संख्या ज्यादा बढ़ानी चाहिए। इसमें बिल लाने की जरूरत नहीं है। पार्टी की विल होनी चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी की विल होनी चाहिए। जब सारे लोग कहते हैं कि यह दंगा-फसाद करते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, क्या आप अन्य वर्गों की तुलना में अल्पसंख्यकों के बेरोजगारों का अनुपात जानते हैं। अल्पसंख्यकों में केवल एक प्रतिशत लोग ही रोजगार में हैं तथा देश में केवल दो प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। ये लोग कहां जाएंगे।

[हिन्दी]

आप शिक्षा नहीं देते। अस्पताल में एस.सी. और एस.टी. लोगों के लिए कोई जगह नहीं हैं। कैसे हमारी आम जनता जिंदगी बिताएगी। जो हमारी असली चीज है, यदि आप उसमें ध्यान नहीं दे सकते तो सारी पोलीटिकल पार्टियां तो रहेंगी लेकिन ड्राइंग रूम में रहेंगी और आम जनता, ग्रास रूट की जनता जरूर लड़ाई करेगी। जब तक खेती की फसल ग्रास रूट में नहीं जाएगी, तृण मूल में नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ग्रास रूट लेवल के लिए।

[अनुवाद]

इसलिए यह संदेश आम जनता तक जाना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं।

एक और बात भी है। इसमें सब कुछ आ जाता है। आप तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* के हस्तक्षेप कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब आप अपनी बात समाप्त कर सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केवल दो मिनट का समय चाहती हूं। यह मेरा आरोप भी है। हमारी कुछ परम्पराएं हैं। कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आते हैं और हमारे संसदीय प्रतिनिधिमंडल उन देशों में

जाते हैं। यह हमारा शिष्टाचार है। यह हमारी प्रणाली है। मुख्य मंत्रियों, प्रधान मंत्री और सभी अति-विशिष्ट व्यक्तियों सहित कितने नेता विदेश गए हैं। मैं कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात नहीं कर रही हूं। इस देश में उनका कोई महत्व नहीं है। वे कितनी बार विदेश गए हैं? भारतीय मुद्रा को भारत में निवेश करने की बजाए इसे विदेश में भेजा जा रहा है। नेता, नौकरशाही के सभी वर्ग तथा प्रशासनिक लोग आपराधिक लोगों के माध्यम से विभिन्न बैंकों में अपना धन रख रहे हैं। क्या मैं उनका नाम लूं? ये स्वीस और अन्य बैंक हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास इसका कोई रिकार्ड है या नहीं? पहले आप अपना धन, हमारे गाढ़े पसीने से कमाया हुआ धन वसूल करो, फिर आप अप्रवासी भारतीयों से देश में निवेश करने के लिए कहें। मैं समझती हूं कि यह देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

महोदय मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे केवल दो बातें और कहनी हैं।

एक बात यह है कि यह वर्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष है। समाचार पत्रों में यह खबर आ चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री और रक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य में यह कहा था कि वे उनकी अस्थियां जापान से लाने वाले थे। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास कोई दस्तावेज या साक्ष्य है कि यह सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। यह ठीक नहीं है। मैं समझती हूं कि इस वर्ष आप इस देश को गुमराह न करें। 1942 के बाद एशियाटिक सोसाइटी का एक शिष्टमंडल रूस गया था और उन्होंने सूचना इकट्ठी की थी कि नेताजी 1942 के बाद जिन्दा थे और वे रूस में थे। इसलिए जब तक यह बात साबित नहीं हो जाती, तब तक आप किसी अन्य व्यक्ति की अस्थियां केवल अपनी संतुष्टि के लिए नहीं ला सकते।

दूसरी बात यह है कि श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत लिखे थे। हम भी वे गीत गाते हैं। महोदय, मैं इस संबंध में इस सदन के पूर्व अध्यक्षों को भी कई पत्र लिख चुकी हूं। मैंने यह मामला इस सदन में कई बार उठाया है। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का चित्र लगाने के लिए कोई स्थान नहीं है। यह हमारी स्वतंत्रता का 50वां वर्ष है। हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या यह सरकार के लिए उचित है? मैं समझती हूं कि माननीय सभापति जी कोई निर्णय ले सकते हैं। मैंने इस संबंध में दो-तीन पत्र लिखे हैं। रिकार्ड के लिए मैं आपको बता रही हूं। इस वर्ष कम से कम श्री बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जी के सम्मान में उनका चित्र लगाया जाए। उन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि:

"रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे,
रही जिन्दगी तो फिर मिलेंगे।"

श्री एन.वी.एन. सोमू

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : सभापति महोदय, मेरी पार्टी डी.एम.के. के नेता श्री मुरासोली मारन सहित, सभी पार्टियों के नेताओं ने जो प्रस्ताव पेश किया था, उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वस्तुत: यह एक ऐतिहासिक अवसर है। भारत के लोगों तथा संसद के लिए भी यह एक ऐतिहासिक घड़ी है, वह संसद जो भारतीयों की इच्छाओं का साकार रूप है। हमने अपनी स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे कर लिये हैं। इन पचास वर्षों में हमने अनेक पर्वतों की चोटियों पर विजय पाई, बहुत सी घाटियों को बांधा बहुत सी चुनौतियों और बहुत से तूफानों का सामना किया। कुल मिलाकर प्रजातांत्रिक संस्थाओं के फलने-फूलने पर हम गर्व कर सकते हैं। आज हमारे देश में प्रजातंत्र वास्तव में जन-कार्य बन गया है। यह विचार हमारे लोगों के दिलों-दिमाग में घर कर चुका है। स्वतंत्रता के लाभ समाज के सभी स्तरों तक पहुंचे हैं। विगत पचास वर्षों में हमने प्रजातंत्र की अवधारणा को साकार किया है।

अर्थ-व्यवस्था, मानव विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। आर्थिक नीतियों के अनुसरण के 50 वर्षों के हमारे अनुभव ने हमें अपने देश की आर्थिक स्थितियों के प्रति बहुत सी जानकारी दी है। अत: अब वह समय आ गया है जब देश स्थिति पर दृष्टिपात करे, जिस रास्ते को हम पार कर आये हैं, उस पर एक विचारावलोकन करें ताकि हम और अधिक गर्व और गति से भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए राष्ट्र को योग्य बना सकें। इसी कारण हमारी संसद के इतिहास में भी यह एक ऐतिहासिक घड़ी है। अगले कुछ दिनों के दौरान संसद का महती उद्देश्य यह रहेगा कि वह हमें भारत के लिए एक बड़े भविष्य की संकल्पना का अवसर प्रदान करें।

विगत पांच दशकों के दौरान, भारत इस बात पर सही रूप से गर्व कर सकता है कि उसने स्वतंत्रता के फायदों की रक्षा की और उनमें संवर्धन किया। संविधान के निर्माताओं ने हमें जो संवैधानिक ढांचा बनाकर दिया हमने उसे साकार रूप प्रदान किया। हमारे संविधान में हमें जो मजबूत ढांचा प्रदान किया वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि मजबूत राज्य ही मजबूत केन्द्र की स्थापना करते हैं। द्रविड़ मुनेत्र

कझगम, जिसका सदस्य होने पर मुझे गर्व है ने, हमेशा देश में एक सच्ची और वास्तविक संघीय सरकार बनाने का कार्य किया है। डी.एम.के. के जन्मदाता डा. अन्नादुरई इस कार्य के प्रणेता थे। भारत जैसे विस्तृत, भौगोलिक, भाषायी सांस्कृतिक और जातीय आधारों वाले देश में, राज्यों को सुदृढ़ करना ही एकमात्र समाधान है। मुझे इस बात का गर्व है कि डी.एम.के. देश में समुचित संघीय प्रणाली और व्यवस्था की स्थापना के कार्य करने में सदा अग्रणी भूमिका निभाती रही है। डा. एम. क्लाईनार करूणानिधि के मुख्यमंत्रित्व काल में, तमिलनाडु में डी.एम.के. सरकार ने 1971 में ही इस मामले के अध्ययन हेतु राजामन्नार आयोग की नियुक्ति कर दी थी। 1972 में राष्ट्रीय विकास परिषद् को सम्बोधित करते हुए डा. कलाईनार ने स्पष्ट कर दिया कि "विकेन्द्रीकरण को देश के संसाधनों को अधिक कुशल प्रबन्धन के लिए एक अनुरोध; केन्द्र को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में मजबूत बनाने के एक साधन तथा लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को कम से कम समय में कुशल से कुशल तरीके से पूरा करने का तरीका समझा जाना चाहिए।" यह डी.एम.के. की नीति है कि इस अवधारणा का विस्तार किया जाए और इसे संवर्धित किया जाए।

संयुक्त मोर्चे के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के अनेक उपाय सम्मिलित किए गए हैं। संयुक्त मोर्चे ने स्वयं को द्विपथ नीति के प्रति समर्पित किया है। एक ओर तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों को जिन पर पहले ही पर्याप्त जनमत तैयार है, विधायी और प्रशासनात्मक तरीके से लागू किया जाएगा तथा दूसरी ओर सरकारिया आयोग की सिफारिशों की समीक्षा और नवीनीकरण के लिए एक नये अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की जायेगी। यह समिति वित्तीय शक्तियों को केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरण के प्रमुख मुद्दे पर भी विचार करेगी। इन वायदों को और विलम्ब किए बिना जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए।

केन्द्र राज्यों के निर्विवाद सम्बन्धों में धारा 356 सदैव ही अवरोध बनी रही है। हमें स्मरण है कि श्री एच.वी. कामथ, काज़ी सैयद करीमुद्दीन, श्री पी.एस. देशमुख तथा कुंजरू जैसे व्यक्तियों द्वारा धारा 356 के प्रति प्रकट किए गए संशय आने वाले वर्षों में सही साबित हुए। अत: अब समय आ गया है कि इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो स्वयं को संघीय कहता हो, जहां ऐसा निष्ठुर प्रावधान हो जो किसी राज्य में प्रजातंत्र को मनमाने तरीके से समाप्त कर देता हो।

महोदय उन पिछड़े वर्गों के उत्थान का कार्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जिन्होंने दमनकारी और कठोर सामाजिक व्यवस्था के संत्रास को लम्बे समय तक भोगा है, इस क्षेत्र में भी तमिलनाडु में विशेष कार्य किया गया जब जस्टिस पार्टी इन वर्गों के लिए 1921 में प्रथम साम्प्रदायिक जी.ओ. के द्वारा आरक्षण हासिल करने में सफल हुई। 1950 में जब उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति को अस्वीकार कर दिया तब जिसने उस आन्दोलन को शुरू किया और जिसके फलस्वरूप इस नीति के विधिकरण द्वारा संविधान में पहला संशोधन किया गया, वह हमारी पार्टी ही थी परन्तु अब जब उच्चतम न्यायालय ने फिर से यह निर्णय दिया है कि कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए (और इससे तमिलनाडु जैसे राज्यों को फिर पिछले दौर में धकेलने जैसा असर होगा) डी.एम.के. को लगता है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी विधिक और संवैधानिक तरीके से सुलझाना बहुत आवश्यक है ताकि पिछड़े वर्गों को जो लाभ प्राप्त हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके। संविधान में संशोधन करके कुछ शक्तियां राज्यों को दी जानी चाहिएं ताकि वे यह निर्णय ले सकें कि आरक्षण किस सीमा तक आवश्यक है।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के हमारे अनुभव ने हमें इस तथ्य के प्रति आश्वस्त कर दिया है कि वर्तमान प्रणाली में बहुत सी खामियां हैं। संविधान में बनायी गई त्रिस्तरीय प्रणाली की अपेक्षा तमिलनाडु में प्रचलित द्विस्तरीय प्रणाली अधिक लाभकारी और अर्थ-क्षम सिद्ध होती है और यह पंचायती राज की अवधारणा को किसी तरह से प्रभावित भी नहीं करती। अत: राज्यों के स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रणाली को अपनाने का लचीलापन प्रदान करने के लिए संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी।

हमारे जैसे इस विशाल देश में लोगों की स्थानीय आकांक्षाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए अन्यथा वे सामाजिक शान्ति को भंग करने के रूप में प्रकट होंगे। उदाहरणार्थ भाषा अभी भी बहुत संवेदनशील मामला है और इस बात का कोई कारण नहीं कि हमारी राष्ट्रीय भाषाएं सरकारी भाषा का ओहदा न प्राप्त कर पायें। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषा है, इसे इस दिशा में उठाए जाने वाले पहले कदम के रूप में तत्काल राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

हमारे देश में मानवीय संसाधन बहुत हैं। इन्हें सम्पत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, एक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं। परन्तु मानव संसाधन तभी एक सम्पत्ति का रूप ले सकेंगे यदि हम लोगों में कुछ निवेश कर सकेंगे।

ईसा से पांच सौ वर्ष पूर्व एक महान पूर्वी दार्शनिक क्वान-जू ने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं:

> "यदि एक वर्ष के लिए योजना बनाई जा रही हो, तो एक पौधे के लिए बीज बोइए। यदि दस वर्षों के लिए तो एक पेड़ लगाइये। परन्तु यदि सौ वर्षों के लिए योजना बन रही हो तो लोगों को शिक्षित बनाइये। एक बीज बोने से एक ही फसल होगी परन्तु लोगों को शिक्षित करने से सौ फसलें होंगी।"

लोगों में निवेश अर्थव्यवस्था के विकास की मजबूत आधारशिला की आधारभूत अपेक्षा है। देश, मनुष्यों की भांति बिना ज्ञान और हुनर के, जिसे दूसरे शब्दों में श्रम पूंजी कहा जाता है, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। मानव संसाधनों में धन लगाने का महत्व अब और अधिक स्पष्ट होता चला जा रहा है क्योंकि इससे तथा विकास के अन्य कारकों के साथ इसके सम्बन्ध परिवर्तन के साधन बनते है।

हमने अणु तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा बायोप्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी में शानदार प्रगति की है। परन्तु यह सच है कि सफलता का लाभ गिने-चुने लोगों को ही मिला है। बहुत सी जनसंख्या अभी

भी उन्हीं परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही है जिनमें उनके पुरखों ने की थी।

आई.एम.एफ. और विश्व बैंक चाहे हमारे देश को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित कर दे परन्तु यू.एन.डी.पी. की मानव विकास सूची 1994 के अनुसार इसका स्थान 138वां है। यद्यपि यह भी सच है कि एच.डी.आई. अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाओं के लिए एक शुद्ध मापक संस्था नहीं है तथापि यह विगत पचास वर्षों में हमारे देश द्वारा की गई असंतुलित प्रगति की ओर संकेत करते हैं।

भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत है परन्तु विश्व के गरीब लोगों की संख्या हमारे यहां एक-तिहाई है। विश्व के आधे अनपढ़ यहीं हैं और आधे बाल-श्रमिक भी यही हैं।

यदि हम अपनी समस्याओं पर तुलनात्मक रूप से विचार न भी करना चाहें तब भी जीवन स्तर को ऊपर उठाना स्पष्ट रूप से अनिवार्य है। जैसाकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि गरीबी दूर करना हमारा पहला काम है, इसके लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद की दर को 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा।

एल्विन टॉफ्लर ने अपनी पुस्तक ''पॉवर शिफ्ट'' में कहा है कि विश्व अब धनी और गरीब देशों के रूप में और विभाजित नहीं रह पाएगा लेकिन यह तीव्र और धीमी गति के विकास के बीच विभाजित हो जाएगा।

आइए हम आठ बड़े देशों पर गौर करें—जापान, दक्षिणी कोरिया, हांग-कांग, ताईवान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तीस वर्ष पहले पूर्वी एशियाई देशों की 2/5 जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती थी। अब इनकी संख्या नगण्य है। उनमें से जापान, हांग-कांग, सिंगापुर और ताईवान जैसे अनेक देशों का नाम विश्व के सबसे धनी देशों में गिना जाता है। पूर्वी एशिया में चमत्कार वाले ये सब आठ देश अपने तरीके से और एक अलग तरीके से काम करते हैं। हम, भारत के लोग परम्परागत रूप से धीमी गति के लोग हैं। जब तक कि हम अपनी गति को तीव्र नहीं करते और महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के मामलों पर सहमति नहीं बनाते तब तक हम अपने एशियाई भाईयों के साथ चलने का स्वप्न नहीं ले सकते। मैं इस बात को एक बार फिर दोहराऊंगा कि हमें पूर्वी देशों की ओर देखना चाहिए और उनकी अच्छी परम्पराओं को सीखना चाहिए। हमें चीन की विचारधारा को अपनाना चाहिए, जिसने तटवर्ती चीन को विश्व की नम्बर तीन आर्थिक शक्ति बना दिया है, केवल तभी, हम लाखों लोगों की गरीबी को दूर कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम की आवश्यकता है। वह स्वतंत्रता संग्राम एक आम मनुष्य को गरीबी से मुक्त कराने के लिए होना चाहिए, एक उपयुक्त तथा पूर्ण संघवाद, उत्साह से भरे लोकतंत्र तथा भ्रष्टाचार और हिंसा से मुक्त सामाजिक न्याय वाले समाज को स्थापित करने के लिए होना चाहिए।

श्री जी.जी. स्वैल

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : धन्यवाद, सभापति महोदय।

जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो मैं तथा अनेक अन्य लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि इसनें दलगत भावना से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से आत्मनिरीक्षण करने का अवसर होगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा कल दिए गए भाषण में हमारे देश की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया था जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं प्रसन्न हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था। किसी दल का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। असफलता के लिए किसी की ओर उंगली नहीं उठाई गई उन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया। उन्होंने केवल यह आह्वान किया कि हम इस सभा में इस संसद में आदर्श व्यवहार करें क्योंकि यह संसद ही इस देश को एक सूत्र में बांध कर रख सकती है। मैं विपक्ष के नेता के विचारों से पूर्णत: सहमत हूं। पचास वर्ष बीत चुके हैं। मेरे विचार से यह इन पचास वर्षों को पीछे मुड़कर देखने का अवसर है—हमने क्या उपलब्धियां हासिल कीं और हम किन उपलब्धियों को हासिल करने में असफल हुए हैं। हमें वर्तमान में यह देखना है कि हम कहां हैं और हमें भविष्य की ओर देखना है कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। यदि हम उन पर चर्चा आरम्भ करना शुरू करें तो उसका कोई अन्त नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इस विशेष सत्र का यह प्रयोजन है। इन समस्याओं के लिए हमें एक उपयुक्त तरीके से पृथक रूप से विचार करना होगा।

जहां तक हमारी उपलब्धियों का संबंध है, मेरा विचार है कि भारत ने जो सबसे महान उपलब्धि हासिल की है वह है इस बृहत, भिन्न-भिन्न रूप वाले, बहु-भाषायी, बहु-धार्मिक, बहु-जातीय देश को एक-जुट रखना। ऐसा हमने संसदीय प्रणाली के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक तरीके से किया है। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि भारत शासन करने योग्य नहीं है हमने उन्हें गलत साबित कर दिया। उनके मूल्यांकन के अनुसार, उन्होंने यह सोचा था कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसमें एक ही धर्म के लोग हैं, उनके लिए यह बेहतर अवसर है।

लेकिन, क्या हुआ है, यह हमने देखा है। पाकिस्तान का विभाजन हो गया और आज तक हम यह नहीं जान पाये हैं कि वास्तव में पाकिस्तान में सत्ता किसकी है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच थोड़ी बहुत मित्रता है लेकिन अचानक ही

प्रधानमंत्री के श्रीनगर के दो दिन के दौरे तथा उनके द्वारा स्थिति के प्रति आश्वस्त होने के बाद कि कश्मीर में फिर से शान्ति बहाल हो रही है और लोग फिर से अच्छा और शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे, दो देशों के बीच गोलाबारी आरम्भ हो गई, यह बहुत गंभीर बात है कि यह गोलीबारी काफी लम्बे समय से चल रही है और अभी भी जारी है। अब, पाकिस्तान सरकार एक आवाज में बोलती है लेकिन सेना तथा आई.एस.आई. का व्यवहार भिन्न है। इसलिए हम नहीं जानते हैं कि वहां की सत्ता किसके पास है और हम किससे बात-चीत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में सांप्रदायिक-हिंसा भी होती रहती है और इसलिए, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुसरण करना हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, यदि हम पूरे विश्व को देखें, तो मेरे विचार से शायद आधा दर्जन ही देश वास्तव में लोकतंत्रात्मक हैं और संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते हैं। यह वे देश हैं जो सैकड़ों वर्षों से आजाद हैं और जहां एक धर्म और एक भाषा है। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि भारत क्या है, भारत क्या था—इतनी बृहत विभिन्नताओं से परिपूर्ण, इससे कई बार विभिन्न समुदायों के बीच हिंसा अथवा झगड़े उत्पन्न होते हैं, फिर भी हम इस देश को एकजुट रखने में सफल हुए हैं। पिछले पचास वर्षों के दौरान, अनेक चुनाव हुए हैं। जैसे संसद के लिए राष्ट्रीय चुनाव तथा राज्यों की विभिन्न विधान सभाओं के लिए चुनाव। यह चुनाव हर तरह से निष्पक्ष हुए हैं। कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं लेकिन सत्ता का शान्तिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है जो कि अनेक देशों में नहीं होता है और इसलिए मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और यहां से हमें आगे बढ़ना है। लेन-देन, एक दूसरे की बात को सुनने, आपसी समझ तथा सहयोग की भावना होनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए—इस देश को ऊपर उठाना और आगे बढ़ाना।

अब, हमने अनेक अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति की है। हमने आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी प्रगति की है चाहे वह धरती पर हो अथवा वायु में अथवा इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में। भारत में आज पहले की अपेक्षा काफी लम्बी-लम्बी सड़के हैं, पहले से अधिक रेलगाड़ियां चल रही हैं और हमारी संचार व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। हम उन्हें चला रहे हैं और हमने गैर-सरकारी कम्पनियों को भारत आने और हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की भी अनुमति दी है। हमने उपग्रह छोड़े हैं जो कि हमारे देश में ही बनाए गए थे, तथापि वे दूसरे देश के एरियन जैसे उपग्रह प्रक्षेपण मंच से छोड़े गए हैं। इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन तथा क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। हम अनेक अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर हैं। खाद्य के क्षेत्र में पूर्णत: खाद्य आयात करने वाले देश से अब हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और अब हम पूर्णत: खाद्य निर्यात करने वाले देशों में हैं।

यह उपलब्धियां कोई कम नहीं हैं। यह उपलब्धियां भारत के लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं। यह उपलब्धियां राजनीतिक प्रणाली द्वारा प्राप्त की गई हैं। लेकिन इसके बाद मैं वर्तमान पर गौर करना चाहूंगा और हमारे समक्ष जो समस्याएं हैं उनकी जांच करना चाहूंगा।

सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है, वह है जनसंख्या की समस्या। वर्ष 1947 में 36 करोड़ जनसंख्या से आज हमारी जनसंख्या 96 करोड़ हो गई है अर्थात् पचास वर्षों में तीन-गुना वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, अगले दशक की जनगणना तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। यह चिन्ताजनक बात है। खाने वाले अधिक हो जाएंगे जिसका अर्थ है हमें खाद्यान्न का उत्पादन अधिक करना पड़ेगा और अपने खाद्य-उत्पादन को दुगुना करना है। हमें कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा और इसमें उत्पादन के साधनों पर विचार करना होगा। इतने लोगों को आवास प्रदान करने के लिए हमें और मकान बनाने होंगे। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस विषय पर काफी चर्चा हुई है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए स्वयं लोगों में यह प्रेरणा जगाने के अतिरिक्त कोई दूसरा बेहतर उपाय नहीं है। मैं नहीं समझता कि प्रेरणा की कमी है लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। काफी लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। उनके पास सोने की जगह नहीं है, खाने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, परिवार की अपनी कोई एकान्तता नहीं है और इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। उनके पास परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रहती है। यह कहा जा रहा है कि 14 वर्ष से नीचे सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी, इस निर्णय को मद्देनजर रखते हुए हमें काफी अधिक लोगों को शिक्षा प्रदान करनी है। क्या हम यह कर पायेंगे? यह प्रश्न है।

सभापति महोदय मैं जानता हूं कि समय की पाबन्दी है। हम अब तक हुई प्रगति और मार्ग में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण अलग से नहीं कर सकते और न ही अपने भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। हमें अपने चारों ओर भी देखना है। निस्संदेह हम अपनी तुलना अन्य छोटे पड़ोसी देशों के साथ कर सकते हैं और गर्व का अनुभव कर सकते हैं। किन्तु एक अच्छी विदेश नीति के संबंध में हम थोड़ा हट कर भी रहे हैं। एक बड़ा देश होते हुए हम विशाल एवं उदार हृदयी हो सकते हैं। बांग्लादेश और नेपाल के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा ही रहा है और इसीलिये अन्य देशों की अपेक्षा इन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे और सहयोगपूर्ण रहे हैं। किन्तु पाकिस्तान और श्रीलंका के संबंध में हमारी नीति कुछ अलग है। अभी हम दक्षिण-पूर्व और 'आसियान' की तरफ मुखरित हुए हैं और 'आसियान' के अब हम मुख्य साझेदार हैं तथा इसी वजह से पिछले कुछ सालों में आर्थिक क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई है। 'आसियान' देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध होंगे और ये देश तो काफी समृद्ध भी हैं। इसके बाद हम 'एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग' की ओर बढ़ेंगे जिससे हम चीन, जापान और अमरीका के सम्पर्क में रहेंगे। यह एक बहुत बड़ी सम्भावना और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश म्यांमार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। चीन के अलावा म्यांमार के साथ भी हमारी काफी लम्बी जल और थल सीमा लगती है। म्यांमार से लगी थल सीमा पर कठिनाई घुसपैठ और नशीली दवाओं की वजह से है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा।

किन्तु मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं वह यह है कि म्यांमार के साथ हमारे समुद्री संबंधों में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। म्यांमार में प्रचुर मात्रा में तेल और गैस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किसी समय म्यांमार चावल निर्यातक देश की तरह तेल निर्यातक देश भी था और इसमें पूरे विश्व को चावल का निर्यात करने की क्षमता है। म्यांमार की सैनिक सत्ता ने एक बहुराष्ट्रीय फ्रैंच कम्पनी जिसका नाम 'टोटल' है को म्यांमार में समुद्र से तेल निकालने के लिए नियुक्त किया है। यह कार्य तीव्र गति से चल रहा है। यह कोई नहीं जानता कि समुद्र तल में क्या है। वहां तेल और गैस का भंडार है। यह कितना है? यह संभव है कि समुद्र के नीचे तेल और गैस का भंडार इधर-उधर बिखरा हुआ हो। महाद्वीपीय तटवर्तीय पट्टियां जिसमें विद्यमान संसाधनों पर संबंधित देश का ही अधिकार होता है, भी बिखरी हुई हो सकती है और इसी कारण दोनों देशों के आर्थिक क्षेत्र भी बिखरे हुए हो सकते हैं। अगले पांच दस वर्षों में हमें म्यांमार के साथ व्यापार करना है। म्यांमार के साथ हमारी समस्या राजनैतिक है क्योंकि वहां पर सैनिक शासन है। हम चाहेंगे कि म्यांमार में भी लोकतंत्र आ जाये। मगर यह कैसे आयेगा मैं नहीं जानता। हमें कुछ देर इंतजार करना होगा।

किन्तु हमें अपनी तुलना जिस देश के साथ करनी है, वह है चीन। चीन कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। यह एक दलीय देश है अतः वहां संसदीय लोकतंत्र नहीं है। मगर चीन में इतना अधिक सुधार हो चुके हैं कि वह एक "सुपर पावर" बनने जा रहा है। विश्व में केवल यही एक देश है जो अपने बलबूते पर अमरीका के विरुद्ध खड़ा है। मानवीय अधिकारों की समस्या के संबंध में चीन और अमरीका का बहुत बार आमना-सामना हो चुका है। अमरीका ने चीन के विरुद्ध कोई कदम उठाने या दंड देने की धमकी कई बार दी है किन्तु चीन इससे जरा भी विचलित नहीं हुआ। चीन में अमरीकी कम्पनियों द्वारा किये गये निवेश की मात्रा और अमरीकी बहुराष्ट्रीयी कम्पनियों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि अमरीका ने चीन के विरुद्ध कोई कदम उठाया तो अमरीका में ही विद्रोह हो जायेगा। चीन केवल आणविक शक्ति रखने वाला देश ही नहीं वरन् यह कई प्रकार से अपने आप में समर्थ और समृद्ध भी है। यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि चीन ने अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भी छोड़ा है और इसने एक "कौसमोड्रोम" और प्रक्षेपण मंच का निर्माण किया है और गुरूत्वाकर्षण विहीन कक्षा में एक उपग्रह भी छोड़ा है जिसके लिये हम पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्नशील है। हमने रूस से क्रायोजनिक इंजन लेने का प्रयास किया था। रूस ने हमें क्रायोजनिक तकनीक देने का वादा भी किया है किन्तु उपग्रहीय प्रौद्योगिकी नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ शक्तिशाली देशों के संघ की वजह से हम यह तकनीक नहीं ले पाये और अमरीका ने इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हम नहीं जानते कि हम कब यह पाने में सफल हो सकेंगे। हर तरह से हम चीन की तुलना में पिछड़े हुए है। क्यों, हमें इस बारे में विचार करना होगा।

सभापति महोदय : आपने सत्रह मिनट ले लिये हैं, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी.जी. स्वैल : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं नियमों का पाबंद रहने वाला सदस्य हूं। मैं किसी भी तरह की परेशानी या अड़चन पैदा नहीं करना चाहता।

इसलिये हमें इन सभी समस्याओं के बारे में सोचना होगा। सर्वप्रथम तो जनसंख्या की समस्या है। जब तक हम लोगों को उचित शिक्षा और उचित आवास नहीं देते, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। बहुत बार यह कहा जाता है कि परिवार बढ़ाने या न बढ़ाने का निर्णय लेने का अधिकार पुरुष का नहीं बल्कि महिला का है क्योंकि बच्चों का पालन पोषण तो उसे ही करना होता है। हमें ऐसा ही करना है। मगर यह कैसे होगा। एक बार यह कहा गया था कि संसद सदस्यों पर यह पाबंदी लगायी जाए कि दो से अधिक बच्चे होने पर उन्हें संसद में निर्वाचित नहीं किया जायेगा और न ही वे कोई सरकारी नौकरी प्राप्त पर सकेंगे।

किन्तु जितना यह कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। तब हम किस प्रकार यह कर सकेंगे। ये कुछ समस्याएं है जिन्हें हमें परस्पर सहयोग की भावना से हल करना चाहिये। किन्तु मुझे खेद है कि हम इस विशेष सत्र में इस तरह का वातावरण बनाए नहीं रख पा रहे हैं। इस तरह के बहुत से भाषण इस सभा में दिये गये जो कि केवल संबंधित राजनैतिक दलों के बारे में ही बखान करते रहे। यहां आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। इन सब चीजों का कोई अंत नहीं किन्तु यदि हमारे पास इच्छा शक्ति है और कार्य करने का मन है तो हम वास्तव में सही दिशा की ओर बढ़ सकते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं तेलगू देशम पार्टी की ओर से मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय हमारे स्वर्ण जयन्ती समारोह संबंधी राष्ट्रीय स्मृति उत्सव आयोजन समिति ने पिछले पचास वर्षों में उपलब्धियों और कमियों के बारे में हमें बोलने का मौका देने के लिए विशेष सत्र बुलाने का अच्छा विचार रखा है। यह आत्मनिरीक्षण का अच्छा अवसर है ताकि हम त्याग की उस भावना को फिर से जागृत कर सकें जो हमारे स्वाधीनता संग्राम में प्रबल हो रही है। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति

के आंसू पोंछने का सपना देखा था। सत्ता हस्तांतरण के ऐतिहासिक क्षणों में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 'नियति से मिलन' की बात की थी, डा. बी.आर. अम्बेडकर जी ने समाज की मुख्यधारा में दलितों के सम्मिलित होने का सपना देखा था।

हमारी उपलब्धियों और असफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए पचास वर्ष का समय पर्याप्त है और हमें यह जानना चाहिए कि कितने लोगों के आंसू पौंछे जा चुके हैं और 'नियति से मिलन' का लाभ किन लोगों को मिला है।

यह दुर्लभ अवसर है जब हम भेद भाव भुलाकर राष्ट्र की दशा के संबंध में वस्तुनिष्ठ रूप में आम आदमी की भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सकते हैं ताकि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए समुचित भावी कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि सभी जगह वेदना और हिंसा विद्यमान है और 'नियति से मिलन' का लाभ केवल चंद लोगों को ही मिला है। अभी भी अधिकतर जनता गरीब है और अमीर और गरीब के बीच का अंतर और अधिक बढ़ा है। आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या स्वाधीनता के समय की भारत की कुल जनसंख्या का डेढ़ गुना है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 1947 में हमारी 33 करोड़ की जनसंख्या में अब दो और भारत जुड़ गए हैं और अगले बीस वर्षों में एक और भारत जुड़ जायेगा। जिससे पता चलता है कि जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में हम बुरी तरह से विफल रहे हैं।

भारत के संविधान में 1960 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना की गई थी। लेकिन आज 1997 में भी देश में असंख्य निरक्षर विद्यमान हैं जिनकी संख्या स्वतंत्रता के समय इनकी संख्या से भी अधिक है। जबकि हम वैज्ञानिक शक्ति की दृष्टि से विश्व में तीसरे नंबर पर होने का दम भरते हैं, तथापि पिछले वर्ष 45 विकासशील देशों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से मूल्यांकन करते समय कौशल और मानव शक्ति की गुणवत्ता में भारत का स्थान 42वां आंका गया। प्रतिशतता की दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद से विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी में कमी आई है। देश में प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 8000 रुपये का ऋणभार है। लोगों पर, विशेषरूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों पर अनेक नए प्रकार के और पहले से अधिक जघन्य अपराध किए जा रहे है। मादा (स्त्रीलिंगी) भ्रूण की हत्या, कन्या-शिशु की हत्या, बलात्कार, शिशु-बलात्कार, दहेज-उत्पीड़न हत्याएं आदि की घटनाओं में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई है। हमारे महान नेताओं द्वारा पोषित और हमारे लिए स्थापित मूल्यों का ह्रास हो चुका है।

हम पिछले पचास वर्षों के दौरान प्राप्त हुई कुछ उपलब्धियों के संबंध में गर्व से चर्चा कर सकते है लेकिन विश्लेषकों ने स्पष्ट शब्दों में इस ओर बताया है कि यदि पिछले पचास वर्षों में किए गए विशाल निवेशों में से यदि आधे निवेशों को भी ईमानदारी और उचित ढंग से खर्च किया गया होता तो हमारी उपलब्धियां कहीं अधिक होती। इसलिए हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, देश का पैसा कहां गया और भविष्य में हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए। आम आदमी की यह धारणा है कि वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। इसमें राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और व्यापारियों की मिलीभगत है।

सभी दलों को राजनीति के अपराधीकरण के पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस विषय पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता है। किसी भी राजनीतिक दल को अपने दल में किसी अपराधी को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। राजनैतिक दलों को चुनाव में अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए। जनता के मन में एक भय और तनाव है कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली को यदि सही नहीं किया जाता तो यह समाप्त हो सकती है। मैं श्री अटल बिहारी जी की इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि जब तक हम सब मिलकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ़ते और उस अपने कार्यों में उजागर नहीं करते तब तक लोगों को हमारी शासन प्रणाली में विश्वास पैदा नहीं हो सकता। सच यह है कि वर्तमान संदर्भ में लोकतांत्रिक प्रणाली से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सका है।

राष्ट्रीय स्मृति उत्सव आयोजक समिति के सभी प्रतिष्ठित सदस्यों ने यह माना है कि जैसा कि समिति द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण सिफारिश से स्पष्ट है, कि सभी सार्वजनिक व्यक्तियों, न्यायविदों आदि को राष्ट्रीय संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने के लिए मिल बैठकर विचार करना चाहिए।

सामाजिक न्याय और समानता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यदि हम इस बात का आत्म-विश्लेषण करें कि हमने स्वतंत्रता के पचास वर्षों में क्या प्राप्त किया तो हम पायेंगे कि उपलब्धियां बहुत कम है। संपूर्ण देश में दलितों पर अत्याचार बेरोक-टोक हो रहे हैं। इसका कारण सरकार और अफसर दोनों द्वारा दिखाई जा रही उदासीनता है। उदाहरण के लिए, संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक दो वर्ष पहले पारित किया गया था जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दो वर्षों के बाद भी इसे कार्यान्वित करने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यहां तक कि नौकरशाह भी आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं। दंड आदि देने के संबंध में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। यह चीजें लोगों के मन में विश्वास पैदा कर के ही दूर की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गांवों में रह रहे लोगों के लिए ''प्रजालवदोदकुपलना जन्मभूमि'' नामक एक नई और अच्छी विधि निकाली है। जिसका तात्पर्य यह है कि हमें उस स्थान के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए जहां हमने जन्म लिया है। वहां लोगों की कठिनाइयों को जानकर सरकार के माध्यम से तुरंत तथा वहीं के वहीं दूर करना चाहिए।

यद्यपि हमारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत अच्छे कार्य किए हैं तथापि प्रयोगशालाओं और कारखानों तथा ''फील्ड्स'' के बीच भारी अंतर है। हम विदेशों द्वारा बेची जा रही पुरानी तकनीकों को खरीद रहे हैं जिसके कारण देश में सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की यह स्थिति हुई है। हम अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दे रहे हैं। जब तक आप स्वयं प्रौद्योगिकी डिजाइन नहीं करते और इसे अपनी प्रौद्योगिकी के रूप में नहीं अपनाते तब तक हम विभिन्न

देशों की उच्च प्रौद्योगिकी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। राष्ट्र का विकास सीधे जनसंख्या के अनुपात से जुड़ा है क्योंकि संसाधनों को लोगों में वितरित करना होता है। शिक्षा, कपड़ा, परिवहन सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं। जब तक हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाते और जब तक अनचाहे बच्चों पर रोक नहीं लगाते तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

यह विशेष सत्र आत्म-निरीक्षण करने और कुछ विशेष उपाय करने के लिए बुलाया गया है। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाये जाने हैं। अब समय आ गया है जब हमें तेजी से आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए हमारे पड़ौसी देश चीन को लें। यह एक सबसे अधिक आबादी वाला देश था। जनसंख्या के संबंध में यह विश्व में पहले नम्बर पर था। अब वहां इस प्रकार के बहुत से कार्य हुए हैं जिनसे वहां हमारे देश की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर तेजी से कम हुई है। हमें इस दिशा में तेजी लानी चाहिए।

महोदय, आर्थिक दृष्टि से हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए वर्तमान संयुक्त मोर्चा की सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि यह पिछले वर्षों में अपनाई गई नीतियों का प्रभाव है। एक बड़ी भूल हमने यह की है कि हमने अनेक प्रमुख परियोजनाएं शुरू कर दीं जिन्हें समय से पूरा नहीं किया जा सकेगा। चालू परियोजनाएं कभी भी समय पर पूरी नहीं की गईं जिससे उन पर लागत काफी बढ़ गई। यह भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की बड़ी कमी रही है। अतः समय और बढ़ी हुई लागत हमारे विकास में बड़ी रुकावटें हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 04.57 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता का 50वां वर्ष मनाने के लिये बुलाये गये संसद् के विशेष सत्र को सम्बोधित करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष को स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के सिलसिले में इस विशेष सत्र का आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं ताकि हम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वाद-विवाद कर सकें।

महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. की ओर से तथा अपनी ओर से हमारे देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि और कृतज्ञता अर्पित करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का युग था और हमारा स्वतंत्रता संग्राम का गौरवमय इतिहास है। उस समय दो प्रमुख आन्दोलन थे जो साथ-साथ चल रहे थे। जैसाकि हम सब जानते हैं इनमें से एक आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था जोकि स्वतंत्रता आन्दोलन और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक साझा मंच था और इसी समय एक क्रांतिकारी आन्दोलन भी चल रहा था।

महोदय, अपनी स्वतंत्रता का पचासवां वर्ष मनाते हुए, हम देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने में क्रांतिकारी आन्दोलन और क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं भूल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आजकल स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा निभायी गई भूमिका को नजरअन्दाज करने की कोशिश की जा रही है। यदि हम उन्हें नजर अन्दाज करते हैं, यदि हम उस आन्दोलन को नजरअन्दाज करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम इससे भी बढ़कर अपने संसदीय प्रजातंत्र का 50वां वर्ष मना रहे हैं। स्वातंत्रयोत्तर भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय संसदीय प्रजातंत्र को कायम रखना और उसका संरक्षण करना ही है।

हमारे सामने ऐसे कई देश हैं जिन्हें भारत के लगभग साथ ही, कुछ को पहले और कुछ को बाद में, स्वतंत्रता मिली, परन्तु वे संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली को कायम नहीं रख सके। अपने थोड़े से संसदीय अनुभव में मैंने देखा कि 10 महीनों के भीतर तीन सरकारें निर्विघ्न और शांतिपूर्वक बदली। यह बात क्या दर्शाती है? यह भारत के लोगों की संसदीय प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

महोदय, अब जबकि हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं तो यह उपयुक्त समय है जब हमें इन उपलब्धियों और लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए जो हमने पिछले 50 वर्षों में हासिल की हैं इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि क्या हम उन लोगों जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं?

अपराह्न 5.00 बजे

मैं यह मानता हूं कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है परन्तु हमें और भी बहुत कुछ हासिल करना है जिसके लिए हम भारतीय मानव समाज की विशेष परिस्थितियों और मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। इस बारे में हर कोई सहमत है कि यह एक बहु-धार्मिक और बहुभाषी राष्ट्र है। हमारी 18 राज भाषाएं हैं। यह कहा जाता है कि इस देश में 1652 से ज्यादा अन्य भाषाएं हैं। यहां पर कई धर्म, जातियां इत्यादि हैं। पिछले कई दशकों से हमारे देश में एक मिश्रित मानव समाज व्यवस्था रही है। हम "अनेकता में एकता" में विश्वास रखते हैं। हम एकता में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना की अनुभूति करते हैं।

वर्तमान भारत को क्या हो गया है? ऐसे समय में जब हम स्वतंत्रता के पचास वर्ष अर्थात् स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं—इस समय हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है? देश के लगभग सभी भागों में अलगाववाद और आतंकवाद का बोलबाला है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले पांच दशकों में हम इस देश के लोगों की प्रजातांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच विकास में संतुलन रखने में असफल रहे हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने अपने राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दे दी है। हमने अस्थायी राजनीतिक फायदों के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको मैं उद्धृत कर सकता हूं। परन्तु मैं उन सभी उदाहरणों को यहां अभी उद्धृत करने नहीं जा रहा हूं। इसके परिणामस्वरूप देश आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद का सामना कर रहा है। यह भारतीय प्रजातंत्र को बहुत ही गंभीर चुनौती है। हम इसका समाधान कैसे करें?

मैं परसों "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपी एक उद्वेलित करने वाली रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट श्रीमती चित्रा सुब्रमणयन द्वारा की गई है। यह रिपोर्ट किस बात को दर्शाती है? इसका शीर्षक है : सेसेननिस्ट्स फ्राम इण्डिया इन द यू.एन. ह्यूमन राइट्स जम्बूरी: (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जम्बूरी में भारत के अलगाववादी) इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से 28 से भी अधिक प्रतिनिधि, जोकि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एकत्रित हुए हैं, मानव अधिकारों के आधार पर भारत के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्व की साम्राज्यवादी ताकतें भारत जैसे विकासशील देश की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पर हावी होने के लिए आर्थिक उपायों द्वारा मानव अधिकारों के नाम पर और पर्यावरण के नाम पर, कई तरह से प्रयास कर रही हैं। भारत के संप्रभुता के अधिकार और भारत की स्वतंत्रता को भी विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों से खतरा है। मैं मानता हूं कि मानव अधिकारों को बचाया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानव अधिकार सुरक्षित रहें। पर्यावरण को बचाया जाना चाहिए। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। परन्तु पर्यावरण और मानव अधिकारों की आड़ में भारत की एकता और अखण्डता को खतरा है। इनकी तिलांजलि नहीं दी जा सकती और इनके लिए सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। अलगाववाद और आतंकवाद से गंभीरतापूर्वक निपटना चाहिए। उनसे कठोरता से निपटा जाना चाहिए। हम इनसे समझौता नहीं कर सकते।

साथ ही मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हमें उन लोगों की न्यायोचित मांगों को सुनना चाहिए जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। यदि वे वास्तविक और वैध हैं तो हमें उन समस्याओं, विशेषकर बेरोजगारी और साथ ही हमारे देश के विभिन्न भागों के आर्थिक विकास की समस्या को सुलझाने के लिए कोई उपाय करने चाहिए। इसीलिए भारत सरकार को वैध और वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्य विधि योजना बनानी चाहिए। यदि वे नाजायज मांगें कर रहे हैं, यदि वे साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, यदि उनका वित्तपोषण विदेशी एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है—विशेष रिपोर्ट में स्पष्टत: और विशेष रूप से उल्लेख किया गया है उनको पैसा कैसे मिलता है, उन्हें मदद कैसे मिलती है; उन्हें जिनेवा जाने और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए, फैक्स और अन्य संचार माध्यमों के उपयोग के लिए पैसा कैसे मिल रहा है; इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में साफ-साफ बताया है—भारत सरकार को अलगाववादी ताकतों से निपटने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। परन्तु इसके साथ-साथ उन्हें लोगों की वास्तविक और प्रजातांत्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए।

मेरी अगली बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह है सही अर्थों में प्रजातंत्र। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें बताया था कि केवल सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा ही हम सार्थक प्रजातंत्र प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस तथ्य को उल्लिखित करना चाहता हूं और इस बात पर जोर देना चाहता हूं। सत्ता जनता के हाथ में पहुंचनी चाहिए। देश के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे देश की प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागी है और देश के शासन का अभिन्न अंग है। लोगों को ऐसा अहसास होना चाहिए। तभी उनमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना आएगी। मैं मानता हूं कि 73वां और 74वां संशोधन, जो कि दो या तीन वर्षों पूर्व प्रभावी हुए थे, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य में बहुत बड़ी उपलब्धि और उल्लेखनीय कदम हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं मानता हूं कि कई शक्तियों, जो राज्य सरकारों को सौंपी गई है पंचायत और नगरपालिका अधिनियम के माध्यम से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित हो गई है परन्तु केन्द्र से राज्यों को शक्तियों के हस्तांतरण और शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में क्या होगा?

ऐसी कोई शक्ति उन्हें नहीं दी गई है। अभी भी ज्यादातर शक्तियां केन्द्र के पास हैं। केन्द्र के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। 73वें और 74वें संशोधनों के प्रभावी होने के पश्चात् भी, केन्द्र से राज्यों को शक्तियों का हस्तांतरण नहीं हुआ है। मेरा यह सुझाव है कि केन्द्र से राज्यों को आर्थिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए कुछ सकारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

विकास संबंधी गतिविधियों के संबंध में, जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जैसी कई योजनाओं पर केन्द्र का ही अधिकार क्यों होना चाहिए? इन्हें राज्यों को सौंपा जाना चाहिए। राज्यों को मार्गनिर्देश जारी करने दीजिए। हर बात का निर्णय दिल्ली द्वारा लिए जाने का क्या कारण है?

विकेन्द्रीकरण का आशय केन्द्र द्वारा स्थानीय निकाय को धन देना नहीं है। विकेन्द्रीकरण ऊपर से प्रारंभ किया जाना चाहिए, यह दिल्ली से प्रारंभ किया जाना चाहिए, और इसे केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। शक्तियों का हस्तांतरण राज्यों को किया जाना चाहिए और राज्यों द्वारा इसे स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। विकेन्द्रीकरण का वास्तविक अर्थ यही है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा अधिकांश शक्तियों को राज्यों से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया गया है।

भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वे विकेन्द्रीकृत योजना और योजना में लोगों की भागीदारी से संबंधित हैं। मैं केरल राज्य का प्रतिनिधि होने में गर्व महसूस करता हूं। नौवीं योजना में हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं जो जनता की भागीदारी के साथ विकेन्द्रीकृत योजना है। मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में यह योजना काफी सफल रही है। हमने आठ पंचवर्षीय योजनाओं को देखा है तथा नौंवी पंचवर्षीय योजना की दहलीज पर हम खड़े हैं। पहली वार्षिक योजना आने वाली है। इन आठों पंचवर्षीय योजनाओं में हमने अनेक लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए थे। हमें इस बात का विश्लेषण करना होगा तथा सूक्षमता से जांच करनी होगी कि क्या हमने उन आठ पंचवर्षीय योजना के दौरान उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया है। मैं मानता हूं कि हम ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन साथ ही अवैज्ञानिक योजना के कारण इनमें अनेक खामियां रही हैं। अवैज्ञानिक योजना क्या है? योजना में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। दिल्ली में बैठे आर्थिक विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ और योजना विशेषज्ञ देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं और मांगों का निर्णय करते हैं। अत: मेरा यह सुझाव है कि योजना निचले स्तर से शुरू की जानी चाहिए। यह सबसे पहले ग्राम सभा से शुरू हो कर फिर 'ग्राम पंचायत' फिर 'ब्लाक पंचायत' फिर 'जिला पंचायत' के पास जानी चाहिए फिर वहां से राज्य योजना बोर्ड और फिर केन्द्रीय योजना आयोग के पास जानी चाहिए न कि यह इसके विपरीत ऊपर से नीचे जानी चाहिए। यदि आप पिरामिड के ऊपर से पानी डालेंगे तो वह नीचे तक नहीं पहुंचेगा। अत: यह योजना निचले स्तर तक नहीं पहुंचेगी। विगत आठ पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान यही हुआ है। इसलिए लोगों की भागीदारी के साथ हमें एक विकेन्द्रीकृत योजना शुरू करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे देश के लोग यह महसूस कर सकें कि देश के विकास में उनकी भी भागीदारी है। वे यह महसूस करे कि वे न केवल योजना तैयार करने में भाग ले रहे हैं अपितु योजना के क्रियान्वयन में भी भाग ले रहे हैं।

पंचायतों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। स्थानीय निकायों को स्थानीय सरकार बनाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा कहा गया ग्राम स्वराज का यही आशय था। ग्राम स्वराज का अर्थ स्थानीय स्व-शासन है। शिक्षा, स्वास्थ्य निगरानी, सिंचाई पेयजल सार्वजनिक कार्यों जैसे विभाग पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए। वे स्कूल खोलें। वे उन स्कूलों को चलाएं। वे शिक्षकों को नियुक्त करें। राज्य और केन्द्र एक निगरानी एजेंसियों के रूप में कार्य करें।

मेरा अगला मुद्दा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के बारे में है। लोकतंत्र का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की वास्तविक रूप से भागीदारी हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पचास प्रतिशत से ज्यादा लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। वे मतदान केन्द्र पर वोट डालने नहीं जाते है। अत: उनकी वास्तविक भागीदारी उसमें नहीं होती है। लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।

महिलाओं को शक्ति प्रदान करने का क्या रहा? विगत वर्षों में हुए अनेक संसदीय चुनावों के आंकड़ों से पता चलता है कि निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी दस प्रतिशत से अधिक कभी नहीं रही। आंकड़ों के अनुसार यह 7.2 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं रहा। इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे यह पता चलता है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। अत: महिलाओं को सशक्त बनाना एक कार्यक्रम होना चाहिए और संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए यह संसदीय प्रक्रिया का एक अंग होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि संयुक्त मोर्चा सरकार इस संबंध में एक विधेयक लाएगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन क्या चाहता है। मतदान द्वारा इसका निर्णय किया जाना चाहिए। मैं इस बात से भयभीत नहीं हूं कि सभा में मतदान के दौरान यह विधेयक गिर भी सकता है। निश्चय ही, हरेक दल व्हिप जारी करेगा और विधेयक पारित हो जाएगा।

अत: सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दर्शाते हुए इस विधेयक को मतदान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। यदि इसे मतदान के लिए रखा जाता है तो निश्चित ही विधेयक पारित हो जाएगा तथा मकसद हासिल हो जाएगा।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है जिसे करीब-करीब सभा के सदस्यों ने यहां कहा है और वह मानव समाज या भारतीय राजनैतिज्ञों की तीन मुख्य बुराइयों के बारे में है जो अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता हैं। वोहरा समिति ने इस संबंध में कुछ तथ्य उजागर किए हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में हाल में एक वक्तव्य जारी किया है। प्रधान मंत्री ने भी हाल ही में श्रीनगर में सम्पन्न हुए अखिल भारतीय विश्व सम्मेलन में इस संबंध में एक वक्तव्य दिया है। ये सभी वक्तव्य राजनीति में अपराधीकरण से संबंधित हैं जो कि देश के लिए क्षोभजनक तथा अपमानजनक हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या चुनाव सुधार से ही हमारी आवश्यकतायें पूरी होंगी; और मेरा उत्तर है "नहीं"। राजनैतिक दलों की लोगों के प्रति जवाबदेही और वचनबद्धता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस राजनैतिक दल से मैं सम्बद्ध रखता हूं यदि वह यह निर्णय लेने का साहस करे कि वह किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी तो इतना काफी है और यही महत्वपूर्ण है। इसी तरह, अन्य राजनैतिक दल भी आगे आकर ऐसी ही घोषणा करें कि वह किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को अपना उम्मीदवार नहीं बनायेंगे तो चुनाव सुधार में वह एक अच्छा कदम होगा। मैं मानता हूं कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता है लेकिन इससे अधिक आवश्यकता जवाबदेही

और उनकी वचनबद्धता की है जिसकी जिम्मेदारी प्रत्येक राजनैतिक दल पर निर्भर करती है।

संसद के प्रत्येक सत्र में हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। 14 अगस्त को मध्य रात्रि के सत्र में महामहिम माननीय राष्ट्रपति ने कहा था 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़िये।' दूसरी सुबह लाल किला पर झंडा फहराने के पश्चात हमारे प्रधान मंत्री ने 'सत्याग्रह' के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का आह्वान किया। इस 'सत्याग्रह' के बारे में अभी भी संदेह विद्यमान है कि यह सत्याग्रह किसके द्वारा और किसके विरुद्ध शुरू किया जाए। अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी दिया जाना है। अत: भ्रष्टाचार के संबंध में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। लोगों के मन में, विशेषकर भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के संबंध में, काफी शंकायें हैं।

यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि अभियोग चलाने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति दिए जाने हेतु अभी भी 149 मामले लंबित पड़े हैं। यह क्या दर्शाता है। वे लोग कौन हैं जिनके विरुद्ध यह स्वीकृति दी जानी है? ये लोग प्रबंध निदेशक, चेयरमैन, सचिव आदि जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर आसीन हैं। अत: भारत सरकार को मजबूत और कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और इस व्यवस्था को सुधारा जा सके।

यहां राजनैतिक भ्रष्टाचार और अफसरशाही भ्रष्टाचार विद्यमान है। अफसरशाही में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है। लेकिन राजनैतिक भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कोई कानून/अधिनियम क्यों नहीं है? भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री टी.एन. शेषन ने कहा था कि भ्रष्टाचार, विशेषकर राजनैतिक भ्रष्टाचार उसी वक्त शुरू हो जाता है जब चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। अत: राजनीति में अपराधीकरण पर नियंत्रण करने हेतु ही हमें चुनाव सुधार की आवश्यकता नहीं है अपितु चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार रोकने हेतु भी इसकी आवश्यकता है। अत: मैं निर्णय करता हूं कि एक व्यापक चुनाव सुधार कानून बनाया जाना चाहिए। संसद के समक्ष ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमें इस बुराई से गंभीरता से निपटना होगा।

मेरा अंतिम मुद्दा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जो संविधान के भाग-चार में उल्लिखित हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है या संविधान के भाग-तीन में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की भांति ही महत्वपूर्ण है। क्या हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त के बारे में कभी सोचा है? यदि हमने उसका अनुसरण किया होता तो आज यह देश एक कल्याणकारी राज्य होता, इसमें कोई संदेह नहीं है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि राज्य, इस संविधान के प्रारंभ होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर चौदह वर्ष की आयु से कम के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा। अब तक पांच दशक गुजर चुके हैं। इस संविधान और उसके उपबंधों का क्या हुआ? इसलिए, इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। यदि इसे अनिवार्य बनाया जाना है तो इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों से हटाकर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत लाना होगा।

तभी सरकार ही इसे लागू करेगी अन्यथा, हम इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अत: मैं यह सुझाव दूंगा कि मौलिक तथा प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग-III अर्थात् मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

काम तथा रोजगार के अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय मैं इसका ब्यौरा तथा आंकड़े नहीं दूंगा। लेकिन मैं केवल यह कहूंगा कि रोजगार के अधिकार को नीति निर्देशक तत्व वाले भाग से निकाल देना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाना चाहिए और उनके पास कार्यान्वयन की शक्ति होनी चाहिए। अन्यथा, इसे नीति निर्देशक तत्व वाले भाग से निकाल कर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

संविधान का अनुच्छेद 21 बिल्कुल स्पष्ट है। यहां तक कि स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा संबंधी देखरेख जैसे तत्व भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं जो कि जीवन तथा स्वातंत्र्य के अधिकार से संबंधित हैं।

अत: इसे भी इसी तरह से संरक्षण प्रदान करना चाहिए। काम के अधिकार तथा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत लाना चाहिए, जिनकी रक्षा की जानी चाहिए और इन्हें कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

हमने अनेक चर्चाएं की हैं तथा बड़े काम के वाद-विवाद हुए हैं। पिछले पांच दशकों में संसद की चारदीवारी अनेक महत्वपूर्ण सुझावों, वाद-विवादों की साक्षी रही है और सब कुछ यहां रिकार्ड में दर्ज हैं। यदि निर्णय लिया गया है तो उसे लागू नहीं किया गया है। निर्णय लागू किए बिना किसी भी चीज को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि हम इस निर्णय को कार्यान्वित करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यही राजनीतिक इच्छा शक्ति इस देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाएगी जो कि इस विश्व का आधुनिक युग है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे माननीय प्रधाम मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति से काम लेना चाहिए और भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, पृथकतावाद के विरुद्ध कड़े कदम उठाने चाहिए और गरीबी, बेरोजगारी जैसी विकट समस्याओं तथा अन्य मसलों का समाधान निकालना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद के इस विशेष सत्र में एक विशेष बहस हम लोग कर रहे हैं। कई विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात इस सदन में रखी है। हम आज मीमांसा कर रहे हैं पिछले पचास वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया? आजादी का लाभ किन लोगों तक पहुंचा और आजादी की स्वच्छ हवा के झोंके से कौन से लोग वंचित रह गए। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आगे के बारे में हम लोग एक सोच विकसित करेंगे। कोई योजना बनाएंगे तब जाकर इस सदन के विशेष सत्र की सार्थकता प्रमाणित हो पाएगी।

मैं आंकड़ों के सहारे नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन के अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं या किसी दूसरे ग्रामीण अंचल में जाता हूं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब हम लोग किसी गांव में पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में हमारे पीछे अधनंगे, फटेहाल और भूखे-प्यासे बच्चे दौड़ते हैं। उनको देखकर भय लगता है कि क्या होगा इस मुल्क का? जो सही चित्र है गांव का और देश का, उसी समय देखने को मिलता है। वे बच्चे कुछ दिन बाद बड़े होकर युवा बनेंगे और बच्चे पैदा करने लायक हो जाएंगे तो क्या होगा हमारी आबादी का, क्योंकि उनके समूचे शरीर से और चेहरे से गरीबी झलकती है। उसको दूर करने की योजना नहीं दिखती है, तो यह परेशानी होती है कि आखिर क्या होगा इस मुल्क का! ये खाना कहां से खाएंगे, पहनेंगे कहां से और इनके लिए क्या किया जा सकता है। अगर हम इन दो बिंदुओं पर विचार करें, शिक्षा पर विचार करें तो उपयुक्त होगा।

जब हम किसी गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि गांव में स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो स्कूल का भवन नहीं है। स्कूल का भवन बना हुआ है तो शिक्षक नहीं हैं। इन समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। चाहे जितनी योजनाएं बना लें, भारत सरकार के तमाम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम बने हुए हैं और संयुक्त मोर्चा की सरकार ने बेसिक नीड की बात अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की है। योजनाओं की कमी नहीं है, कार्यक्रमों की कमी नहीं है, लेकिन उन कार्यक्रमों पर अमल किस प्रकार हो रहा है, यह गौर करने का विषय होना चाहिए। जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल नहीं बन पा रहे हैं। बनते हैं तो दो-तीन साल बाद ढह जाते हैं या बनने के बाद ही उनकी दीवारों और छतों में दरारें पड़ जाती हैं और वह बैठने लायक नहीं रहते।

गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। पीने का पानी नहीं है। खेत की सिंचाई के लिए पानी नहीं है। बिजली का प्रबंध नहीं है। जितनी बिजली का इंतजाम होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। शहरों को हमने प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन गांव के लिए कोई बिजली की प्राथमिकता नहीं है। नतीजा यह है कि हमें जितने अन्न की जरूरत है उसको पूरा करने में हम अक्षम हैं। भले ही कुछ लोगों की क्रय शक्ति नहीं है, उसके कारण हम कह सकते हैं कि अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं लेकिन इस शताब्दी के अंत तक भारत सरकार का लक्ष्य 240 मिलियन टन अर्थात् 24 करोड़ टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य था। लेकिन जब हमने पाया कि हम इस जरूरत को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमने अपने लक्ष्य को घटा दिया। आज लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। हमारी क्रय शक्ति नहीं है।

वही हाल पीने के पानी का है। कल शरद यादव जी बोल रहे थे। मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। यदि हमने एक पीने के पानी की समस्या का समाधान अगर इन पचास वर्षों में कर दिया होता तो भी ठीक था। हवा के बाद सबसे जरूरी चीज पानी ही इंसान के लिए है। चाहे इंसान हो या कोई जीव-जंतु, पेड़-पौधे सबके लिए पानी जरूरी है। अगर इस पानी का इंतजाम हमने कर दिया होता तो एक बहुत बड़ी बात होती। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पानी नहीं है। पानी बहकर समुद्र में जा रहा है। अपने साथ हमारे यहां की उर्वरा जमीन को बहाकर ले जा रहा है और हम उसका कोई प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। इन सवालों पर जब हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल नहीं किया। हासिल कुछ लोगों की नज़र में जरूर किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश के दो नाम इंडिया और भारत रख दिए। उसी दिन ही गलती हुई। आज पचास साल के बाद हमको विचार करना चाहिए कि अगर इस देश के दो नाम नहीं होते, एक नाम होता तो यह देश विकास कर सकता था। हमने इंडिया और भारत दो नाम रख दिए तो कुछ हद तक इंडिया तो विकसित हुआ है और इंडियन तो कुछ हद तक अमीर हुए हैं लेकिन भारत पिछड़ता ही चला गया और भारतीय गरीब से और ज्यादा गरीब होते चले गए। अत: अब सवाल यह है कि पचास साल के बाद हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम फिर से इंडिया को और अमीर बनाएंगे या भारत के पिछड़ेपन को दूर करके हम अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी और दूसरे मुल्क नहीं तो अगले पचास सालों में कम से कम इंडिया के बराबर तो भारत को ला पाएंगे तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

जो हमारी आज़ादी के पुर्खे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता थे, जो कल्पनाएं उन्होंने नहीं की होंगी, पचास साल के अंदर, वे सब दिन हम लोगों को देखने पड़ रहे हैं लेकिन आज के दिन इतने महान लोग हमारे सामने नहीं हैं। वे कल्पना क्या करेंगे? पचास साल के बारे में क्या कोई सपना देखेंगे? मैं नहीं जानता हूं क्योंकि इस मुल्क

में एक विचित्र बात हो रही है। जो होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। जिसको जो करना है, वह नहीं कर रहा है। अब देश के प्रधान मंत्री जी जिनको इस देश का राज चलाना है, वह सत्याग्रह का आह्वान कर रहे हैं। जिनको शासन चलाना है, वह सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। जिसको पूजा-पाठ करना चाहिए, वह राजनीति की बात करता है। इस देश में एक विचित्र बात हो रही है। एक विचित्र विडम्बना चली आ रही है। अब प्रधान मंत्री की गद्दी पर वह इसलिए तो नहीं बैठे हैं कि लालकिले की प्राचीर से देश की जनता का आह्वान सत्याग्रह करने के लिए करें। यदि देश की जनता का सत्याग्रह करने के लिए आह्वान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको सत्याग्रह करना चाहिए। अब सरकार में रहते हुए तो सत्याग्रह नहीं कर सकते। पता नहीं कि कोई नया प्रयोग हमारे इन्द्र कुमार गुजराल साहब जी करना चाहते हैं, हम नहीं जानते हैं। आज इस देश में विचित्र बात होती जा रही है। हर आदमी संस्था की कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है।

अब यहां पर लोकतंत्र की बात होती है। मैं अटल जी की कुछ बातों से सहमत हूं। यहां के बारे में उनको चिंता है। हम उनके चिंतन में शेयर करते हैं। संसदीय व्यवहार में गिरावट नहीं आनी चाहिए। हमें अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। हमको अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम उनकी बातों से सहमत हैं। हम लोगों ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी से राजनीति की शिक्षा ग्रहण की है और चुनाव की राजनीति की शिक्षा बिहार के जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ग्रहण की है और बिहार में स्व. कर्पूरी ठाकुर जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे जिस तरह से आज अटल जी विपक्ष के नेता हैं। जब कोई विधायक कुआ या वैल ऑफ दि हाउस में जाता था तो वह उसको डांटते थे, और बाद में समझाते थे कि आप संसदीय परम्पराओं को तोड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि आपकी संसदीय परम्परा से सबसे अधिक किसका लाभ हुआ है? जो गरीब, उपेक्षित, वंचित, पीड़ित और लांछित लोग हैं, सबसे अधिक उद्धार उन्हीं लोगों का हुआ है।

आज कांशीराम जी बोल रहे थे। कांशीराम जी ने पोलिटिकल और डैमोक्रेसी तथा दूसरी बातों पर बोला। उनके अपने विचार हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन हम अगर संसद की मर्यादा बरकरार रखेंगे तो सबसे अधिक भला उनका होगा जिनकी वकालत वह कर रहे थे। दलितों या शोषितों का एमपॉवरमेंट हो। उनकी बात, उनका एमपॉवरमेंट तभी संभव है जबकि यह पद्धति और विकसित होनी चाहिए, इसमें और सुधार होना चाहिए। लेकिन जो वोट का अधिकार है, जो मताधिकार है वह अगर सुरक्षित रहेगा और उसको हम अपने आचरण से सुरक्षित रख पाएंगे। अगर वह सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से जो दबे कुचले लोग हैं उनको सबसे अधिक लाभ होगा। इसलिए उनकी जो चिन्ताएं हैं, उनके विचार से हम अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। हम सब लोगों को आज के दिन सोचना चाहिए, हमें मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए लेकिन इस देश में जिनको मर्यादाओं का ख्याल करना है क्या वे सभी मर्यादाओं के अनुरूप आचरण कर रहे हैं? यह संसद, समाज में जो हलचल हो रही है उसका यह प्रतिबिम्ब होगा। हम बहुत अधिक चिन्ता भी करेंगे तो भी काम नहीं चलने वाला है। हम यहां पर नौवीं लोक सभा से आ रहे हैं और हम हर बार सवाल उठाने का तौर-तरीका देख रहे हैं। कौन से सवाल उठाए जाएं उसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है। समाज का प्रतिबिम्ब यह सदन है और समाज में जो कुछ भी होगा उसका असर यहां पड़ेगा। अगर समाज के बाहर अशांति होगी तो सदन में हम शांति कायम नहीं रख सकते। इसलिए इस सदन का भी कर्तव्य है कि समाज के बाहर जो अशांति है, असंतोष है उसको समझे और उस असंतोष को दूर करने का प्रयत्न करे।

महोदय, आजादी के इन 50 वर्षों में हमने बाहर की अशांति और असंतोष को नहीं समझा और हम फिर गलत बुनियाद पर आगे कोई योजना बनाएंगे, कोई नीति बनाएंगे तो फिर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और नतीजा होगा—''वही ढाक के तीन पात।'' इसलिए आज जो इस सदन में बहस हो रही है, जो सरकार में हैं मैं उन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर आप कोई नतीजे पर पहुंचिए।

महोदय, जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या है। अगर जनसंख्या को काबू में नहीं किया गया तो देश की समस्याएं बेकाबू हो जाएंगी, उनको नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। आज हम चार प्रतिशत के करीब शिक्षा पर व्यय करते हैं उसको बढ़ाइए। दस प्रतिशत शिक्षा पर व्यय कीजिए और जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए। इसके लिए आप नारी शिक्षण के प्रति ज्यादा जोर दीजिए। केरल का उदाहरण है कि नारी शिक्षण पर, संपूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया। वहां जनसंख्या नियंत्रण की भी बात हो गई। जहां पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं वहां जनसंख्या अनियंत्रित है, आज हम बहस कर लें लेकिन आप किसी को टारगेट रूप में जनसंख्या नियंत्रण के मामले में रखेंगे। महिलाओं को रखेंगे, पुरुषों को रखेंगे, ये सब बहस कर लीजिए। यह विशेषज्ञों की बहस है लेकिन हकीकत यह है चूंकि शिक्षा का अभाव है, लोगों को जानकारी का अभाव है। आज जानकारी की कमी नहीं है, देश में ही नहीं दुनिया में जानकारी है। अब तो हम इंटरनेट से जुड़ गए हैं, कौन सी जानकारी की कमी है। हर तरफ हर प्रकार की इनफोरमेशन के प्रति कितनी आपकी पहुंच है लेकिन एक बात मैं इन सबसे ऊपर करना चाहता हूं कि जहां हम दुनिया भर की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं वहीं हमारे देश के अंदर सूचनाओं पर अधिकार नहीं है। हमें राइट टू इनफोरमेशन नहीं है। आज भी इस देश में बहुत सारी सूचनाएं गोपनीय हैं। सब पारदर्शिता की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए तो उन्होंने भी पहले दिन पारदर्शिता की बात की लेकिन राइट टू इनफोरमेशन का क्या हुआ? आज साधारण सूचनाएं नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाइए, साधारण सूचना लेने की कोशिश करिए, मैं तो नहीं जानता कि आप लोगों का क्या अनुभव है लेकिन आए-दिन यह होता है कि आपको सूचना नहीं मिलेगी। कोई क्या सूचना देगा, इस देश में भारत सरकार की अभी तक यह स्थिति है कि एक सांसद, जनप्रतिनिधि पत्र लिखता है तो उसका एकनॉलेजमेंट आ जाता है उस पर कुछ कार्यवाही भी हो जाती है लेकिन इसके

अलावा आप नीचे चले जाइए, जिले मे कोई पत्र लिखते हैं, मेरा आज तक का अनुभव है कि मुझको कोई एकनॉलेजमेंट मिला हो, कोई नहीं मिला। ये सूचना क्या देंगे, सूचना का कोई अधिकार नहीं है। गोपनीयता के नाम पर हम सूचना नहीं देंगे, पारदर्शिता के युग में इस तरह की गोपनीयता नहीं चल सकती है। इसलिए सदन को आज निर्णय लेना चाहिए कि राइट टू इनफोरमेशन होगा, लोगों को हर जानकारी मिलेगी और इस देश की सुरक्षा के संबंध में जो कुछ वाइटल इनफोरमेशन हो उसे गोपनीय रखा जा सकता है लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके हाथ में सब कुछ कैद रहते हैं वे इस देश को नहीं बचाएंगे। इस देश को यहां के लोगों ने बचाया है और यह देश जब भी गुलाम होता रहा है तो इसलिए होता रहा है क्योंकि हमारा देश कमजोर था, इसके चलते गुलाम नहीं होता रहा। इसलिए गुलाम होता रहा है कि इस देश की रक्षा करने में कुछ लोगों की हिस्सेदारी थी, सारे मुल्क की हिस्सेदारी नहीं थी। कुछ लोगों का काम राज करना था, कुछ लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे इसकी रक्षा करें इसलिए बार-बार यह देश गुलाम होता रहा।

हमारे देश का क्या इतिहास है? आप किस बात पर गर्व करते हैं, हम लोग गलत बोलते हैं इस देश का इतिहास हार से भरा हुआ है। हम लोग कभी उस पर समीक्षा नहीं करते हैं कि हार क्यों हुई? इसलिए हार हुई कि कुछ लोगों के हाथ में सारी सत्ता सारी शक्ति केन्द्रित रहती है, कुछ लोगों के हाथ में जिम्मेदारी आती है इस कारण से कुछ लोगों की हार होती है और कुछ लोगों की जीत होती है। यही देश है। जहां यह था कि—

''कोई नृप होई हमें क्या हानि, चेरी छोड़ हो अब की रानी।''

यानि यही स्थिति थो। हम लोग तमाशा देखते थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि अंग्रेज और हिन्दुस्तानियों के बीच में युद्ध हो रहा था और लोग तमाशा देख रहे थे। वे तमाशा इसलिए देख रहे थे कि राज-काज में किसी की हिस्सेदारी नहीं थी।

अब राज-काज में बालिग-मताधिकार के बाद हिस्सेदारी आई है लेकिन सूचना पर एकाधिकार के बारे में क्या है। क्या कुछ लोगों के हाथों में ही सूचनाएं रहेंगी। कौन उनकी जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है। क्या कभी हमने गौर करने की कोशिश की है। क्या कोई गरीब आदमी इस देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है, केवल बड़े-बड़े लोग ही इसमें पकड़े गये हैं। जिनके हाथों में सूचनाएं थीं, वे सूचनाओं को बेचते थे और सूचनाओं के साथ देश की अस्मिता, सार्वभौमिकता व स्वतंत्रता को भी बेचते थे। कोई गरीब और आम आदमी देश को नहीं बेचता है। इसलिए आम आदमी तक भी सूचनाएं पहुंचनी चाहिएं। अगर 50 सालों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं तो सबसे पहले सूचना का अधिकार होना चाहिए और रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए। कल जार्ज साहब कह रहे थे कि जब तक रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाएंगे तब तक यह नकली बहस इस देश में चलती रहेगी। आप जानते हैं कि कुछ लोग किस हाल में जी रहे हैं, जिनको भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है, जिनकी चर्चा मैं पहले चर्चा कर चुका हूं।

आज भ्रष्टाचार पर हम चर्चा करते हैं। आज चन्द्रशेखर जी बोल रहे थे। कभी-कभी उनकी बात सुनकर अच्छा भी लगता है और कभी-कभी हैरत में हम पड़ जाते हैं कि वे किसको बचाना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं। यह सही बात है कि इस देश में 95 प्रतिशत लोग ईमानदार हैं क्योंकि 95 प्रतिशत लोग अभाव में जी रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। वे ईमानदार हैं लेकिन भ्रष्टाचार का उन पर भी असर पड़ रहा है। हम बड़े मामलों की बात नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी तो मैं चिंता में पड़ जाता हूं। मेरी भी यह धारणा थी कि गंगोत्री साफ होगी तो गंगा पवित्र हो जाएगी। राजनीति में उच्च-पदों पर रहने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी तो नीचे ठीक हो जाएगा। लेकिन अनुभव ऐसा नहीं बता रहा है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ऊपर तो कुछ कार्रवाई हुई है लेकिन नीचे कुछ नहीं हो रहा है। अब हम और कहां जाएंगे? संसद के बाद किसके पास जाएंगे। हम संसद में यह बहस कर रहे हैं। आपने संसद को एक विशेषाधिकार का कवच दिया हुआ है। आपने लोगों की भलाई के लिए एक एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट योजना शुरू की। पाटिल साहब यहां पर बैठे हुए हैं। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सभी सदस्यों को यह योजना देकर अपने क्षेत्र में घूमने लायक रहने दिया है। उनके अपने भी अनुभव होंगे। वे अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछें कि क्या ईमानदारी से उन पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे अपने और दूसरे क्षेत्रों की भी सूचनाएं मिलती हैं। क्या गाइड-लाइन्स का पालन हो रहा है। एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम में, पाटिल साहब आपको जानकर आश्चर्य होगा, या आप जानते होंगे कि इसमें 40 प्रतिशत तो कमीशन में चला जाता है। एक करोड़ की जगह 60 लाख भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सांसदों का कसूर नहीं है। यह जो तंत्र है उसका कसूर है।

हमारे पूरे इलाके में बाढ़ आई हुई है। वहां जाति का प्रमाणपत्र लेने के लिए, आय का प्रमाण-पत्र लेने के लिए, दाखिल-खारिज़ के लिए पैसा लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 50 वर्षों के बाद भी किस काम के लिए पैसा नही लगता है, आप इस बात पर गंभीरता से गौर करेंगे। ऐसे लोग जो पग-पग पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या छिपकर चले जाएंगे, आंख से ओझल हो जाएंगे? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहे जितनी बहस यहां कर लें, जब तक जिन कार्यक्रमों को हम यहां स्वीकार करते हैं, जिन योजनाओं को हम यहां से नीचे भेजते हैं, उन योजनाओं पर अमल करने के सिलसिले में ईमानदारी और सख्ती से अमल नहीं होगा, तब तक उनका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

आज देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हमारे देश के एक युवा प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि ऊपर से अगर एक रुपया

जाता है तो नीचे केवल 17 पैसा पहुंचता है। प्रधान मंत्री की गद्दी से ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हम यहां कुछ बात बोल देंगे और जनता में हमारी चर्चा हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि 17 पैसे के बजाए पूरा रुपया कैसे गांव तक पहुंचे, इसके लिए क्या कोई कार्रवाई की गयी?

उसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़ने की बात महामहिम राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री कह दें और उसके लिए एक सैल बना दें तो उस सैल के बनाने से क्या भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मैं प्रधान मंत्री को सूचना देता हूं, वे कार्रवाई करें। मैं सूचना दे रहा हूं कि एम.पी. लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम में धांधली है, वे नीचे से लेकर ऊपर तक कार्रवाई करें। कौन कार्रवाई करेगा? एक बार पाटिल साहब अध्यक्ष थे, तो ये लोगों को कहते थे कि आप में ताकत नहीं है, दम नहीं है। किसी को इन्होंने कह दिया था। एक मंत्री ने कहा था। हम डर के मारे अपने इलाके की शिकायत लेकर नहीं गए। आज अध्यक्ष महोदय के पास शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन उसका क्या होगा? हम कुछ चीज करना चाह रहे हैं वह हो नहीं रही है। हम इस पर चाहे जितनी बहस कर लें लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम लोग दूसरी लड़ाई की उपज हैं। दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा चुकी है। हम उस समय काल कोठरी में बंद कर दिए गए। उस समय लोगों की जुबान पर ताले लगा दिए गए थे, मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, उनका हनन किया गया था। पूरे देश को जेलखाने में बदल दिया गया था। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। उस समय इसके खिलाफ लड़ाई हुई थी। जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उसको दूसरी लड़ाई की संज्ञा दी गई थी। तीसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है तो हम सब उसके लिए तैयार हैं लेकिन इसके लिए संकल्प होना चाहिए। इसके लिए बराबरी के आधार पर सब कुछ तय किया जाना चाहिए कि इस देश में कौन सी प्राथमिकताएं होंगी। उन प्राथमिकताओं को हम सब लोगों को तय करना होगा। आज चाहे जितनी भी एक दूसरे के खिलाफ बात करके डिबेटिंग प्वाइंट स्कोर कर लें, हम दूसरों के कपड़े जितने उतार लें लेकिन जो स्थिति है, उससे यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ मामलों में सब लोगों को मतैक्य स्थापित करने होंगे।

जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि पूरे देश में लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं था। रास्ते को लेकर मतभेद था। उस समय कांग्रेस पार्टी थी। वह आन्दोलन की प्रतीक थी। कुछ लोग दूसरी तरह से आजादी लाना चाह रहे थे लेकिन मुख्य धारा में कांग्रेस पार्टी थी। वह कांग्रेस का आन्दोलन था। वह बापू जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा आन्दोलन था। आज तीसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। समाज में जो विडम्बना है, विरोधाभास है, उनको समाप्त करना होगा। नया हिन्दुस्तान बनाना है। गैर बराबरी को दूर करके, विपन्नता को खत्म करके अगर दुनिया में उच्च कोटि का इन्सान बनना चाहते हैं, दुनिया में सबसे आगे का मुल्क बनना चाहते हैं तो कुछ मामलों में मतैक्य स्थापित करना होगा। इसकी इसी सदन में शुरुआत होनी चाहिए। हम पार्टी के आधार पर बंटकर सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। पवार साहब मुझे माफ करें। कल अटल जी का भाषण हुआ। संस्थाओं में जो गिरावट आ रही है, उसके प्रति उनके मन में चिन्ता थी। उनके भाषण में आगे के लिए दिशा निर्देश भी था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहले वक्ता आए, मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से बड़ी इज्जत करता हूं। मैं श्री सिंधिया जी का आदर करता हूं। उन्होंने यहां से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। चाहे जिस की जो मर्जी हो कहे। मैं अपील करूंगा कि यह सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है। हमें इसमें कोई न कोई नई चीज के बारे में फैसला करना चाहिए। यह सदन कुछ समस्याओं का समाधान करे। अगर जरूरत पड़े तो हम को संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। हमें लौटकर इस तरफ देखना चाहिए। हमने संविधान की रक्षा की शपथ खायी है। करने को बहुत कुछ बाकी है जिस को अभी प्राप्त करना जरूरी है। हमें इस बारे में सोचना होगा। हमें मौलिक परिवर्तन के बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रकार का सिस्टम चल रहा है और जिस प्रकार की हम स्थिति देख रहे हैं, उसको देखकर हमें चिन्ता होती है। सबसे बड़ी पार्टी यहां बैठी हुई है। उसके बाद वाली पार्टी बीच में बैठी है और सबसे कम संख्या वाली पार्टी मिलकर सरकार चला रही है। एक विचित्र परिस्थिति है क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है। क्या हम इसे बदल नहीं सकते? क्या सम्पूर्ण देश की जनता का यह प्रतिबिम्ब है। जो खंडित जनमत है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं संविधान में कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आजादी के पचास साल के बाद हम आपस में बहुत संघर्ष कर चुके हैं। देश बंट चुका है। यहां भ्रष्टाचार की समस्या है। कई और समस्याएं हैं। सारे सवालों पर देश उलझन की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में नया रास्ता निकालना है और उस पर चलना है। मैं आग्रह करूंगा कि इस सदन में पार्टी से ऊपर उठकर सभी पार्टी के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि हम मिलकर क्या काम कर सकते हैं? सम्भव हो तो एक साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाएं। क्या यह सम्भव है कि इस सदन में जो 544 सदस्य हैं, उनके बीच से गुप्त मतदान के जरिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चुनाव हो? क्या हम इस बात पर विचार करेंगे? चाहे कोई किसी पार्टी का हो, एक साथ मिलकर देश का कॉमन एजेंडा बनाएं, कॉमन प्रोग्राम बनाएं। अगर इसको लागू करके चलेंगे तो सही मायने में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है कि जिस आजादी की लड़ाई हमें लड़नी है, वह लड़ी जा सकेगी। अगर हम तीसरी आजादी की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शायद इस प्रकार की कुछ पहल करें तब कुछ हो सकता है। इसलिए यही आपसे निवेदन करके कि एक नये रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना चाहिए, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग पिछला लेखा-जोखा और भविष्य की रूपरेखा के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भूमिका के रूप में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे विद्वान पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें यहां पर रखी हैं। मैं केवल कृषि से संबंधित कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि भारत भूमि से सदा के लिए हमने अकाल का नामो-निशान मिटा दिया। मेरा मानना यह है कि हर विषय पर हानि-लाभ का विचार करके चिन्तन करना चाहिए और इस प्रभावशाली उपलब्धि का महत्व आंकने के लिए आवश्यक है कि हम गुलामी के दौर के भारत के आर्थिक इतिहास को देखें। 1860 से 1909 के पचास वर्षों में इस देश में करीब 22 छोटे-बड़े अकाल पड़े और 1850 के बाद के अकालों में कम से कम दो करोड़ लोगों को भूख के कारण जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा। सबसे ज्यादा दर्दनाक रहा। 1943 का बंगाल का अकाल जिसमें 30 लाख लोग मौत के शिकार बने। ब्रिटिश राज में लगातार अकालों का आना आश्चर्य का विषय नहीं था क्योंकि उनकी नीतियां गलत थीं। अंग्रेजी शासक हिन्दुस्तान के किसानों से अपने स्वार्थ के हिसाब से फसल पैदा करवाते थे और उन फसलों को प्रोत्साहन देते थे जिनसे ब्रिटिश उद्योग जुड़ा हुआ था। जैसे कपास, नील, अफीम और गन्ना। इस कारण खाद्यान्नों का क्षेत्र कम होता गया और अनाज की मांग तथा पूर्ति के बीच खाई बढ़ती गई। इसके कारण निश्चित अंतराल के बाद अकाल पड़ने का सिलसिला चलता रहा। आजादी के बाद हम कह सकते हैं कि इन वर्षों में हमको अकाल से मुक्ति मिली और इसको हम एक उपलब्धि के रूप में ही मान सकते हैं, उपलब्धि के रूप में आंक सकते हैं।

यह बात सही है कि आज़ादी के तुरन्त बाद देश में खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब थी। पंजाब और सिन्ध जैसे खाद्यान्न के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। उस समय अगर आपको ध्यान होगा तो तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने फरवरी, 1951 में लोक सभा में घोषणा की थी कि हमारी खाद्यान्न की स्थिति इतनी खराब थी कि हम जो अनाज विदेशों से लाते थे वह जहाज से सीधा खाने वाले के पास जाता था और उन्होंने 'शिप टु माउथ' की बात कही थी। इसके बाद हमारी स्थिति ऐसी रही कि हमें अकाल का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने इसका मुकाबला किया। अन्न का आयात किया, कीमतों पर लगान लगाई और अनाज के वितरण को सही दिशा दी। 1951 में अनाज का बड़ा संकट खड़ा हुआ। इस बारे में ध्यान आकर्षित किया गया और 'अधिक अन्न उपजाओ' का अभियान छेड़ा गया। कई उपाय तेजी से अपनाए गए। इसमें लोगों का विमत हो सकता है पर जो उपाय उस समय अपनाए गए, जैसे भूमि-सुधार, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, अधिक उर्वरक उत्पादन, अनुसंधान ढांचे का विकास और किसानों को नयी जानकारी दिलाने का काम। अगर ध्यान करें तो 50 के दशक में अन्न के उत्पादन में कुछ तेजी आई और कुछ राहत भी मिली। पर सबसे ज्यादा गौरवशाली सफलता हमें तब मिली जब 1965-66 के समय हमारी स्थिति खाद्यान्न के मामले में बहुत खराब हो गई। उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया और एक हरित क्रांति इस देश में लाने का प्रयास किया। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हमने उस समय एक मैक्सिकन बीज, अधबौना गेहूं का बीज यहां बनाया और हिन्दुस्तान के किसान ने परिश्रम करके इस देश में आत्मनिर्भरता हासिल की। एक अच्छी शुरुआत हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि खराब मौसमी दशाओं के बावजूद देश को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा। 1987-88 में देश का सबसे विनाशकारी सूखा पड़ा फिर भी देश में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि भारतीय कृषि ने प्रतिकूल दशाओं से निपटने की पूरी क्षमता विकसित कर ली थी। देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अनाज के सुरक्षित भंडारों ने इस सूखे का मुकाबला भी करवाया और हमारी प्रणालियां कुछ सही दिशा में समझ में आई। भारतीय कृषि ने इसमें छलांग भी लगाई। देश का किसान और कृषि वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र माने जा सकते हैं। 50 वर्षों में भारतीय कृषि में बदलाव आया, यह बात समझ में आती है। 1950-51 में पांच करोड़ टन के मुकाबले में 1996-97 में जैसा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी बताया कि अभी लगभग चार गुना बढ़कर 19 करोड़ 80 लाख टन का अन्न का उत्पादन हमने करवाया और इसका नतीजा यह हुआ कि 1955 में जब प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धता 157 किलोग्राम थी, 1995 में यही आंकड़ा बढ़कर 177 किलोग्राम हो गया। 1970 के दशक में अन्न का उत्पादन बढ़ने की दर 2.2 प्रतिशत थी, जो 1980 के दशक में बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई। परंतु इस अवधि में आबादी बढ़ने की दर केवल दो प्रतिशत थी। फिर भी हमें स्वीकार करने में यह संकोच नहीं करना चाहिए कि प्रति हेक्टेयर अनाज के उत्पादन में एक ठहराव सा आ गया। दूसरे देशों के मुकाबले में हम उनसे कहीं कम स्थिति पर ठहरते हैं और इस ओर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं।

इसी दौरान इसके साथ-साथ यह हुआ कि भारत में श्वेत क्रांति हुई। 1950 के दशक में देश ने दूध का करीब 2 करोड़ टन का उत्पादन किया और आज यह बढ़कर 6 करोड़ 80 लाख टन हो गया। हिन्दुस्तान

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश हो गया और हमारी हिस्सेदारी करीब दस प्रतिशत है। मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूध ही एकमात्र ऐसा उत्पाद है जिससे 52 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आमदनी होती है और इसके उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर करीब पांच प्रतिशत है। इस भारी बदलाव के पीछे हमारे छोटे और सीमांत किसानों की सूझ है जिन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के और बिना कोई बहुत अधिक वैज्ञानिक लाभ के पशुपालन की दिशा में प्रयास किया और इस दिशा में चले। हरित क्रांति के जरिये भारत ने अच्छी लागत लगाकर अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की। परंतु श्वेत क्रांति में कम से कम खर्च करके ग्रामीण परिवर्तन लाने में हमने सक्षमता दिखाई। दूध के उत्पादन में हुई क्रांति ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हरित क्रांति उस क्षेत्र में हुई जहां पर पानी की सुविधाएं थीं। इस देश में करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र ड्राई लैंड फार्मिंग रहा, जहां सूखे में खेती होती है और यह कृषि भूमि जो 70 प्रतिशत है, इसमें 40 प्रतिशत अन्न उपजता है और इसमें करीब 83 प्रतिशत ज्वार, 81 प्रतिशत दालें और 90 प्रतिशत तिलहन प्राप्त होता है। योजनाकारों ने बारानी यानी ड्राई लैंड फार्मिंग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि इस क्षेत्र में उपज में लगातार गिरावट होती रही। संसाधनों के मामले में भी सिंचित क्षेत्र को लाभ ज्यादा मिला और बारानी क्षेत्र को कम लाभ मिला। इस क्षेत्र का किसान गरीबी के जाल में फंसता रहा। अत: इस क्षेत्र की प्रगति के लिए कुछ ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं जैसे किसानों को सूखा सहने वाली किस्में उपलब्ध कराई जाएं। बीज उनके घर तक पहुंचाएं जाएं। कम लागत वाली उचित तकनीक का विकास किया जाए और इस क्षेत्र में बाजार, सड़कें तथा परिवहन के साधन उपलब्ध करायें जाए। बरानी कृषि के विकास के लिए अनुसंधान का ढांचा पशुपालन पर आधारित होना चाहिये।

एक और समस्या जो सामने आई है वह यह है कि इस देश में कृषि जोतें भी तेजी से छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट गई हैं। 1976-77 में कृषि जोत का औसतन आंकड़ा दो हेक्टेयर था जो अब घटकर दशमलव दो हेक्टेयर रह गया। आबादी बढ़ने की वर्तमान दर को देखते हुए अनुमान है कि 2020 में यह घटकर 0.11 हेक्टेयर रह जायगा। कृषि जोतों का इतना छोटा आकार निश्चित रूप से किसानों को नई तकनीक अपनाने से रोकेगा। इसलिए आवश्यक है कि इस समस्या से निपटने के लिए दोतरफा प्रयास किये जाएं। एक तो युद्ध स्तर पर भूमि सुधार का कार्य किया जाए। दूसरा छोटे किसानों के लिए उपयुक्त तकनीक का विकास किया जाए। साथ में यह भी निश्चित किया जाए कि कृषि जोतों का आकार दो हेक्टेयर तक सीमित किया जाऐ। मैं माननीय संसद सदस्यों का ध्यान खाद्यान्न उपलब्धता से जुड़ी एक गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत दो सौ किलोग्राम प्रतिवर्ष है। जो मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। अत्यंत शर्म की बात है कि आज आजादी के पचास वर्षों के बाद भी पांच वर्ष से कम आयु के 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। साथ ही करीब 40 प्रतिशत आबादी न्यूनतम शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषण खरीदने में असमर्थ है। सरकारी तौर पर हमारे देश की 36 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करती है। परंतु जहां तक मेरी जानकारी है पांच सदस्यों का परिवार जिसकी वार्षिक आमदनी छ: हजार रुपये से कम होती है, उसे गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। आई.सी.एम.आर. की सिफारिशों के अनुसार यदि यह परिवार संतुलित खुराक खरीदे तो उसको उसकी कीमत तीस हजार रुपये प्रतिवर्ष चुकानी पड़ेगी। मुझे आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति में, इस देश की जनता को हम कैसे पौष्टिक खुराक दे सकते हैं?

सन् 2050 तक हमारे देश की जनसंख्या एक अरब पचास करोड़ हो जाएगी जिसके लिए हमें न्यूनतम 3 करोड़ 20 लाख टन अनाज की आवश्यकता होगी। सन् 2001 में हमें 2 करोड़ 13 लाख टन खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। इतने खाद्यान्न को पैदा करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? वर्तमान में एक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर हमें खाद्यान्न का उत्पादन 1.7 टन प्रति हेक्टेयर करना होगा। इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हमारे सामने खतरे की घंटी बजाती है। गौरतलब यह है कि 1991 से 1996 के दौरान अनाज उत्पादन में वृद्धि की दर 1.7 प्रतिशत थी जो आबादी बढ़ने की दर 1.9 प्रतिशत से कम रही। यदि अनाज के उत्पादन में तीन से चार प्रतिशत की कमी आ जाती है तो उससे भारी असंतुलन होगा और गम्भीर समस्या पैदा हो जाएगी। इस अवस्था में हमारे कृषि वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को सतत् प्रयास करने की जरूरत है कि इसका स्तर कैसे बढ़ाया जाए।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कृषि अनुसंधान पर सरकार का व्यय निरंतर कम होता जा रहा है, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कृषि योजना के विकेन्द्रीकरण की दिशा में विचार करें। हमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। कृषि कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, मध्य भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के उपेक्षित स्थानों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। अभी तक यह कार्यक्रम उत्तर, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक सीमित रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को भारत के राइस बाउल के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से सही दिशा का अनुसरण करेंगे। इसके लिए हमें एक समन्वित कार्यक्रम की शुरुआत करना जरूरी है। बागवानी व सब्जियों और दलहनी फसलों में उत्पादन बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है ताकि इन फसलों की क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।

पशुपालन के क्षेत्र में न सिर्फ चुनौतियां हैं बल्कि अवसर भी बहुत हैं। दूध की मांग आमदनी की वृद्धि से जुड़ी हुई है जो प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के रूप में बढ़ रही हैं। भविष्य में दूध की मांग लगभग 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा है। सन् 2000

तक बाजार की मांग को पूरा करने के लिए करीब आठ करोड़ टन दूध की आवश्यकात होगी। यदि ग्रामीण और गरीबों के बीच से हमें कुपोषण सदा के लिए मिटाना है तो अपनी गौ-रक्षा जैसी प्राचीन परम्पराओं की ओर जाना होगा और पशुपालन को नई दिशा देनी होगी, खेती को एक साथी न मानते हुए, उसे एक लाभकारी धंधा मानना पड़ेगा तभी ग्रामीण भारत में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और समृद्धि आएगी।

ग्रामीण जनता को पौष्टिक आहार और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए पशुपालन धंधे का आगे विकास करने की दिशा में चिन्तन करना होगा। मूल अनुसंधान के ढांचे में आमूलचूल प्ररिवर्तन करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता है जहां से हमें अधिक से अधिक लाभ मिले और रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा किए जा सकें। वर्तमान प्रणाली में यह क्षमता नहीं है। आज वास्तव में हमारी अनुसंधान की आवश्यकताओं और अनुसंधान कार्यक्रमों के बीच तालमेल नहीं है जिसके कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वे सम्पूर्णता का दृष्टिकोण अपना रहे हैं तथा अनुसंधानकर्ता संकीर्ण दायरे में सिमटते जा रहे हैं। हमें इस स्थिति को बदलना होगा।

मैंने आपके सामने अपनी बातें बहुत संक्षेप में इसलिए रखीं क्योंकि कृषि आज की चर्चा का विषय नहीं है। जब तक कृषि को हम मुक्त नहीं करेंगे, देश की आबादी को भोजन और पोषण की सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती। हमारे देश में दो-तिहाई लोग गांवों में रहते हैं। अगर हमने उनकी चिन्ता नहीं की, कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। हमें विचार करना पड़ेगा कि पिछले 50 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था किधर जा रही थी। हम जहां कहीं जाते हमें लोग हमसे कहते हैं कि अगर इस देश को सही दिशा में चलाना है तो उसके लिए सरदार पटेल जैसे नेतृत्व की जरूरत है। यदि हमें वैसा नेतृत्व मिला होता, कृषि के आधार पर इस देश की व्यवस्था की गई होती तो निश्चित रूप से जैसा परिवर्तन हम चाहते थे, जैसा देश बनाना चाहते थे, 95 करोड़ के देश में हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, दूसरे देशों के मुकाबले हम खड़े हों, वैसा सम्भव था लेकिन उस हिसाब से हम नहीं चल पाए।

आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, आज जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो हमें विचार करना होगा कि भविष्य में हमारी कृषि की क्या आवश्यकताएं होंगी, कृषि को हम किस प्रकार आगे ले जाने का काम करेंगे, कैसे इस देश का समुचित विकास संभव है ताकि हमारा देश दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि आज हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। अगर हमने गांवों की तरफ जाना शुरू कर दिया होता, वैसे गांव की दशा का वर्णन करना आसान है परन्तु उस पर अमल करना, उस पर चलना उतना ही मुश्किल है। सदन में खड़े होकर किसानों की बात बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है पर किसानों को हम कितना लाभ पहुंचाते हैं, यह भी देखना चाहिए। ऐसे संगठनों को हमें विकसित करना पड़ेगा। मैं ऐसे तमाम स्थानों पर गया। अभी कुछ दिन पूर्व मैं चित्रकूट में गया था। वहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र चल रहा है। श्री नाना जी देशमुख उसको चला रहे हैं। वास्तव में लगता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से हम समाज की सेवा और देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं। हमारे पास वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। आज भी एक वैज्ञानिक मेरे पास आये थे। वह कह रहे थे कि उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है, जिससे गाभिन न होने वाले जानवरों को गाभिन किया जा सकता है। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की है और उसको आई.सी.ए.आर. जो यहां पर है, इतने बड़े प्रतिष्ठान में बंद है और उस वैज्ञानिक को सुविधा नहीं दी जा रही है जबकि दूसरे राज्य की सरकारें उस वैज्ञानिक को प्रोत्साहित कर रही है, उसको सम्मानित कर रही हैं परन्तु हमारा आई.सी.ए.आर. उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

मेरा आग्रह है कि ऐसी चिंता की जाये। उस हिसाब से व्यवस्था की जाये। यह एक श्वेत क्रांति होगी। इस देश का किसान तभी सफल होगा जब वह साथ में कोई न कोई उद्योग चलायेगा और किसान का उद्योग गाय व भैंस है। अगर गाय व भैंस को हमने इस प्रकार से नहीं जोड़ा तो हम समाज का और देश का भला नहीं कर पायेंगे। मैं यहां पर उस वैज्ञानिक का नाम न लेते हुए केवल यही कहना चाहता हूं कि आई.सी.ए.आर. के सब लोग जानते हैं कि सिंगल डोज़ में वह वैज्ञानिक फर्टिलिटी पैदा कर रहा है। उसके बाद भी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि हमारी रुचि इस देश में कम है। इस देश को आगे बढ़ाने में कम है।

मेरा आग्रह है कि इन 50 वर्षों में चिंता की जाये कि दो तिहाई लोग जो गांवों में बसते हैं, उनकी हम गरीबी दूर करना चाहते हैं या उनको इस देश में ऊपर उठाना चाहते हैं। आज वास्तव में गरीबी दूर करने के लिए एक सही दिशा में काम करना होगा और उस दिशा में काम करने के लिए हमको इस सदन से उठकर अंदर जाना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं? अगर इस देश में बेईमानी और भ्रष्टाचार है, तो हम यह देखें कि हम कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सदन में बैठे हुए लोग यह तय कर लें कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और भय, भूख और भ्रष्टाचार आदि सबसे लड़ाई लड़ेंगे और सारा काम करेंगे, परन्तु अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, तो हम आपको भ्रष्टाचार दूर करने की सलाह नहीं दे सकते। चोरी चाहे एक रुपये की हो या एक करोड़ रुपये की है, वह चोरी होती है। इसलिए इस 50वें वर्ष में हम संकल्प करें कि जो इस सदन में आये हैं, वे चोरी से अपने आपको बिल्कुल दूर रखेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज को जो दिशा देना चाहते हैं, वह दिशा देंगे और समाज एक सही दिशा में चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एन.एस.वी. चित्‌यन

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्‌यन (डिंडीगुल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक सत्र में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। भारत की संसद के इतिहास में यह निश्चय ही एक अद्‌भुत सत्र है चूंकि आपने पिछले पांच दशकों में हमारे कार्य निष्पादन का विश्लेषण करने का निर्णय लिया है।

हम उन सभी शहीदों के आभारी हैं जिन्होंने विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए बड़े-बड़े बलिदान दिए। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। मेरे ससुर भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। मैं इस स्मरणीय सत्र में भाग लेकर बहुत खुशी और गर्व का अनुभव कर रहा हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और निडर नेता जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और दक्षिण में कामराज, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, सत्यामूर्ति और मुथुरामालिंगन थेवर ने लिया जिन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के साथ-साथ एक दिशा भी प्रदान की।

अपराह्न 5.58 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

महोदय, हम यहां इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं और क्या नहीं। इस दौरान क्या गड़बड़ी हो गई और अपने आपको सुधारने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश में हुई प्रगति की याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने आधुनिक भारत का स्वप्न देखा था और हमारी सोच तथा कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाए। सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी सरदार पटेल ने इस देश को एक सत्र में पिरोया। यहां तक कि वर्ष 1947 में हम सूई तक बाहर से मंगवाते थे। अब हम पिन से हवाई जहाज और राकेट से उपग्रह तक बना रहे हैं। वर्ष 1951 में 50 मिलियन टन खाद्य का उत्पादन होता था जो कि अब 195 मिलियन टन से भी ऊपर हो गया है।

अपराह्न 6.00 बजे

प्रत्याशित औसत आयु 25 से 60 वर्ष हो गई है। हमारे कम्प्यूटर, साफ्टवेयर निर्यात की दर से एक वर्ष में 45 प्रतिशत बढ़ रही है। आर्थिक सुधारों ने विश्व व्यापार के साथ हमारे व्यापार करने की क्षमता को उन्मुक्त कर दिया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी बीस वर्षों में भारत विश्व की एक महान आर्थिक ताकत होगा। लेकिन राष्ट्र की महान उपलब्धि यह है कि हम पिछले 50 वर्षों में अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकें जबकि हमारे आस-पास के अनेक देशों में कहीं भी राजनीतिक स्थिरता नहीं है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और हमें वास्तव में श्री जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अपने अन्य राष्ट्रीय नेताओं पर गर्व है। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि हमने गरीब लोगों के आंसू पोंछ दिए हैं? सीधा उत्तर है, नहीं। दूसरी ओर अभी भी हमारी जनसंख्या का 38 प्रतिशत भाग अर्थात् 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और 29 प्रतिशत लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा कई गुना बढ़ गई है। इस वर्ष की यू.एन.एफ.पी.ए. रिपोर्ट कहती है कि भारत में प्रत्येक 54 मिनटों में एक बलात्कार होता है। प्रत्येक 26 मिनटों में एक छेड़-छाड़ का मामला होता है, प्रत्येक 1 घंटा और 42 मिनट में दहेज के कारण एक मौत होती है और प्रत्येक 32 मिनटों में एक अत्याचार होता है। अभी भी हमारी आधी जनसंख्या अनपढ़ है। क्या हमें इस बात पर गर्व है।

महोदय, क्षण भर के लिए मेरी याद्दाश्त इतिहास में 50वर्ष पीछे चली गई है जब स्वतंत्रता के सुनहरे दिनों की छवि मेरे सामने आ रही थी 14-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को संसद को केन्द्रीय कक्ष में गूंजती श्री जवाहर लाल नेहरू की आवाज आज भी मेरे कानों में सुनाई पड़ती है जब उन्होंने ''भारत का नियति से मिलन'' की बात कही थी। उन्होंने कहा था :

''मध्य की रात्रि बेला पर जब विश्व
सो रहा होगा भारत नव जीवन और
स्वतंत्रता के नए युग में प्रवेश करेगा।''

निश्चय ही हमने विदेशी शासन से मुक्ति की सांस ली थी, लेकिन क्या हम भूख गरीबी, अशिक्षा, अन्याय, अहिंसा इत्यादि से स्वतंत्र होने के लिए भी जागे थे। उत्तर है ''नहीं''।

महोदय वर्ष 1947 में उस महान स्वतंत्रता दिवस के दौरान जब पूरी दिल्ली समारोह, जगमगाहट, झांकियों और खुशियों से ओत-प्रोत थी तो एक व्यक्ति इस समारोह में नहीं था। वह थे महात्मा गांधी। वे यहां से कहीं दूर कलकत्ता में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। 50 वर्ष बाद हम अभी भी महात्मा जी की भावना का अभाव महसूस करते हैं। हम अभी भी इस संग्राम से मुक्त नहीं हुए हैं। हमने जो कुछ भी विगत में किया है उसका सच्चा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और केवल सही आत्मनिरीक्षण द्वारा ही हम कोई समाधान निकाल सकेंगे।

महोदय, मैं एक वाक्य बयान करूंगा जिससे हमारी वर्तमान स्थिति का पता चलता है।

एक बार नदी के किनारे एक भिखारी बैठा था। उसके पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे और वह ठंड से कांप रहा था। अचानक उसने नदी पर तैरता हुआ एक कंबल देखा। उसने सोचा उससे उसे अपना तन ढकने में मदद मिलेगी। इसलिए वह नदी में कूद गया और उसने कंबल को पकड़ लिया। कुछ समय बाद, उसने पाया कि वह नदी के पानी द्वारा खिंचा जा रहा है। नदी के किनारे खड़े लोगों ने चिल्लाकर उससे बाहर आने के लिए कहा पर वह धीरे-धीर नदी के बीच खिंचता चला गया। तब लोगों ने उससे कंबल छोड़ देने तथा बाहर आने के लिए कहा उस व्यक्ति ने उत्तर दिया : मैंने बहुत पहले कंबल छोड़ दिया था परन्तु कम्बल मुझे नहीं छोड़ रहा है क्योंकि जो कुछ नदी के पानी के साथ आया था वह कम्बल नहीं, एक भालू था।" आज सभी राजनैतिक दलों की यही स्थिति है। उस व्यक्ति ने कम्बल बहुत पहल छोड़ दिया था परन्तु कम्बल उसे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वह एक भालू था। आज, चाहे यह वामपंथी हो या दक्षिण पंथी या कोई अन्य पंथी हों, उन्होंने जातिवाद, जातीयतावाद, साम्प्रदायिकतावाद जैसे सिद्धान्तों को पकड़ा हुआ है, आप उन्हें छोड़ना भी चाहें तो भी वे सिद्धान्त आपको नहीं छोड़ेंगे।

महोदय, दुनिया पूरी तरह बदल गई है। यहां कि सिंगापुर और मलेशिया जैसे छोटे-छोट देशों ने काफी तरक्की की है। परन्तु आज भी हम अपने आंतरिक मतभेदों के कारण संघर्ष कर रहे हैं।

सत्ता में आने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं चाहे कुछ स्थानों में हिंसा का बीज ही क्यों न बोना पड़े। कोई भी इस सुनहरे नियम को नही तोड़ सकता कि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। हम थोड़ा बोते हैं पर हम अधिक मात्रा में काटते हैं। इसलिए, महोदय, मेरी पार्टी की यह इच्छा है कि हम यह कसम खाएं कि हम एक ऐसा दल नहीं बनाएंगे जो सम्प्रदायों में नफरत पैदा करे, चाहे लाभ कुछ भी हो। हमारे प्यारे नेता श्री जी.के. मूपनार ने पार्टी के लोगों से इस बात पर जोर देकर कहा कि हमें जातियों और सम्प्रदायों द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में भाग नहीं लेना चाहिए। यह हमारे कार्यक्रमों और नीतियों की कार्यसूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय अखण्डता और राष्ट्र की एकता मजबूत होगी।

महोदय, आज प्रत्येक व्यक्ति देश में गरीबों की दशा से चिंतित है। चाहे यह प्राकृतिक संकट हो या मानव निर्मित, वास्तव में गरीब लोग ही इसके शिकार होते हैं। मुझे हमारे नेता श्री कामराज जी के जीवन की एक घटना याद आती है। जब वे मुख्यमंत्री थे तो वे तमिलनाडु का दौरा कर रहे थे। एक बहुत गरीब विधवा उनसे मदद मांगने के लिए आई। कामराज जी ने जिलाधिकारी, जो उनके साथ था, पूछा कि क्या वे कुछ कर सकते हैं? जिलाधिकारी ने कहा कि नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत वे मदद कर सकें। श्री कामराज जी ने तुरन्त जवाब दिया, अगर कानून किसी गरीब स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो कानून को बदल दो। अगर कानून गरीबों की मदद नहीं करता तो हम सभी इसे बदलने के लिए यहां बैठे हैं। हमारे देशभक्त कवि, श्री सुब्रमण्यम भारती ने कहा है, "अगर किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता तो हम दुनियां को बरबाद कर देंगे।"

"थानी ओरुवनुकु यूनाविलाइयेनिल जगथिनाई अजिथिदुवोम"

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। इस शती के अंत तक हमें कम से कम इतना कर लेना चाहिए कि भारत में किसी को भी भोजन की कमी न हो। अगर हम यह कर लेते हैं तो हम अगली शताब्दी में प्रवेश करके गर्व से कह सकते हैं कि हमने अपने देश से भूख मिटा दी हैं।

महोदय, हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं का कार्य भ्रष्टाचार से काफी प्रभावित हुआ है। न्यायपालिका भी इस संकट से नहीं बची। आम जीवन में भ्रष्टाचार का होना हमारी प्रणाली पर एक धब्बा है। अधिकांश सरकारी दफ्तरों में घूस दिए बिना कुछ नहीं होता। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक कड़ा कानून होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कानून में कमी के कारण भ्रष्ट लोग पनाह पा रहे हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार का एक कारण हमारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अधिक नियमों का होना है। जितने अधिक नियम और कानून होंगे उतना अधिक भ्रष्टाचार होगा। जितने कम नियम और कानून होंगे उतना कम भ्रष्टाचार होगा। हमें सभी नियम और कानूनों को सरल बनाना चाहिए। कागजी कार्य कम और कार्रवाई ज्यादा होनी चाहिए। पंचायत संघों के स्तर तक शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इससे तालाब से अधिकांश गंदी मछलियों को हटाया जाएगा।

इसके अलावा, नौकरशाही को भी अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मैं इस विचार को भी समर्थन करता हूं कि जिन व्यक्तियों का आपराधिक रिकार्ड हो उन्हें चुनाव न लड़ने दिया जाए और सभी दल इससे सहमत हो जाएं। अन्यथा संसद में भ्रष्टाचार और नैतिकता की बात करने से कोई फायदा नहीं है।

यही प्रमुख कारण है कि हाल ही में हुए विरुधुनगर सम्मेलन में कामराज के स्वप्न अर्थात्, सरलता, ईमानदारी, स्वच्छता, पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन में सत्य को बनाए रखने की हमारे दल तमिल मनिला कांग्रेस (मूपनार) ने शपथ ली थी।

इसमें संदेह नहीं है कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की है। परन्तु अगर हम भारत की सड़कों को देखते हैं तो हमें मुश्किल से ऐसी कोई कार या वाहन देखने को मिलता है जो भारत में बना हो। यहां तक कि पुरानी अम्बेसडर और फिएट कारें भी विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित है। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम पाते है कि सभी सामान यहां तक कि टेलीविजन और संगीत प्रणाली सहित सभी अन्य वस्तुएं विदेशी ब्रांड नामों वाले हैं। हमने पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का विकास है परन्तु हम विदेशी सहयोग के बिना कपड़े धोने की मशीन नहीं बना सकते ...*(व्यवधान)*

अपने दल का नेता होने के नाते मैंने अधिक समय नहीं लिया है। मैं अब अधिक समय नहीं लूंगा।

इसका क्या कारण है? क्या हमारे पास ऐसे इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं हैं जो ये चीजे बना सकें? समस्या यह है कि काफी समय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास राज्य सरकार का ही एकाधिकार रहा है। हमने विज्ञान के विज्ञान क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए पर्याप्त संस्थाओं को प्रोत्साहित नहीं किया है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति लाने में काफी अच्छा कार्य किया है परन्तु उनके अनुसंधान की खोजों को विदेश से रायल्टी पाने के लिए दिया या निर्यात नहीं किया जा सकता।

अब हाल ही में इस संबंध में कुछ संकेत मिले हैं। हमारे विचारों में बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। अन्य देश अनुसंधानों के व्यवसायीकरण के कारण प्रगति कर सके हैं। हमें भी अनुसंधान में निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ना चाहिए। इससे भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा नई खोजें तथा आविष्कार हो सकेंगे। ऐसा दिन भी आएगा जब भारत में निर्मित उत्पादों की दुनिया में काफी मांग होगी। आयुर्वेदिक, यूनानी और अन्य प्रकार की भारतीय दवाईयों के निर्यात से शुरूआत की जा चुकी है। इन दवाईयों का निर्यात पर्याप्त रूप से बढ़ा है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

किसी भी विकास के लिए आधारभूत संरचना आवश्यक होती है। हमारी आधारभूत संरचना न केवल अपर्याप्त है बल्कि उसकी दशा दयनीय भी है। एक अनुमान के अनुसार, केवल सड़कों की मरम्मत के लिए हमें 70,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 4,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये से चालू प्रावधान के अनुसार इस आवश्यकता को पूरा करने में तीन से चार पंचवर्षीय योजनाएं लग जाएंगी। ऊर्जा क्षेत्र का निष्पादन काफी निराशाजनक है। इसी शती के अंत तक विद्युत की चालू मांग और आपूर्ति में अन्तराल 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। पेट्रोलियम पर आयात निर्भरता भी 70 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। पतनों पर भीड़ बढ़ रही है। टेलीफोनों के लिए दो मिलियन लाइनों की प्रतीक्षा सूची है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? $7^1/_2$ लाख करोड़ रुपये का प्राकल्लित अनुमान अकेले सरकार द्वारा वहन नहीं किया जा सकता। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है तथा यदि आवश्यक हुआ तो काफी हद तक विदेशी निवेश की भी आवश्यकता होगी। जब तक हम अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तब तक इस स्थिति से निपटने की कोई आशा नहीं है।

सौभाग्य से मानव संसाधन भारत का प्रमुख संसाधन है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंह केवल एक होता है परन्तु हाथ दो होते हैं। अगर मानव संसाधन का समुचित रूप से विकास होता है तो इससे लोगों की आवश्यकता पूरी होने के साथ-साथ देश में खुशहाली भी आएगी। परन्तु जनसंख्या सहित विभिन्न क्षेत्रों में समुचित योजना तैयार की जानी चाहिए। इन सभी वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है क्योंकि इसे कभी जन आंदोलन नहीं बनाया गया था। गर्भ निरोधकों के अधिक वितरण से समस्या का समाधान नहीं होगा। जन आंदोलन द्वारा इस बड़ी समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। यह एक अन्य सरकारी कार्यक्रम न प्रतीत हो। जनसंख्या नियंत्रण में महिला साक्षरता से बहुत सहायता मिलेगी। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, 1997 ने इस समस्या के एक आकर्षक पहलु को प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया कि ''महिलाओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए।'' अर्थात् उन्हें सन्तानोत्पत्ति का अधिकार होना चाहिए तथा उनका स्वास्थ्य सन्तानोत्पत्ति होना चाहिए। महिलाओं के मानव अधिकारों में सन्तानोत्पत्ति संबंधी मामलों में सन्तानोत्पत्ति पर रखने का निर्णय लेने तथा उसके उत्तरदायित्व का अधिकार शामिल है।

जनसंख्या में अधिक परिवर्तन तो केवल तभी लाया जा सकता है जब लड़कियों को पढ़ाया जाए। इस क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि व्यय किए बिना हम जनसंख्या वृद्धि को वास्तव में कम नहीं कर सकते। यदि हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो एक तरह से हम सम्पूर्ण परिवार को और इसके साथ पूर्ण समुदाय को शिक्षित करते हैं। हम सम्पूर्ण साक्षरता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षा तथा दसवीं कक्षा तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि मैं बहुत समय से हो रहे राष्ट्रीय अपव्यय की ओर संकेत नहीं करता तो शायद अपने कर्त्तव्य से विमुख होऊंगा। उत्तरी तथा पूर्वी भारत में हर साल बार-बार आने वाली बाढ़ों से बहुत सी अमूल्य जानें जाती हैं और सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। बहुत सारा पानी समुद्र में व्यर्थ ही बह जाता है। दूसरी ओर दक्षिणी भारत में बार-बार मानसून के न आने से पीने के पानी की कमी हो जाती है और सूखा पड़ता है।

जब तक बारह मासी नदियों को दक्षिणी नदियों से नहीं जोड़ा जाता कृषि के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त सुविधा नहीं होगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चित्यन् कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस.वी. चित्यन : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी पार्टी का नेता हूं। अपनी पार्टी की ओर से मैं अकेला ही वक्ता हूं। मैं बस समाप्त ही कर रहा हूं। दूसरी पार्टियां, जिनके एक या दो सदस्य है पर्याप्त समय ले रही हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले ही सत्रह मिनट बोल चुके हैं।

श्री एन.एस.वी. चित्यन : मैं सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं बस समाप्त ही कर रहा हूं।

अपनी बात पर आते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दक्षिणी भारत में हम सब पानी की कमी से तंग हैं। मैं एक मुख्य मुद्दे पर बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

75 वर्ष पूर्व देश भक्त तमिल कवि सुब्रहमण्यम भारती ने तमिल में कहा था:-

बंगाथील ओडीवरुम नीराम भिआईल,
माईयथू नदुमलिल पायिर सईमुवोम।''

उन्होंने सपना देखा कि बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ ही गिरने वाली गंगा तथा यमुना आदि नदियों को देश के मध्य और दक्षिणी भागों की ओर मोड़ा जाएगा। कब तक यह स्वप्न मात्र स्वप्न ही रहेगा। क्या जल्दी से निर्णय लेने और काम करने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है।

महोदय, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए पचास वर्ष हो चुके हैं, परन्तु हमारे कार्य निष्पादन के लेखे-जोखे से तो यही पता चलता है कि लाभ बहुत कम हुआ है। अब हमें लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने

वाली अधिक कुशल और जिम्मेदारीपूर्ण प्रणाली की आवश्यकता है। प्रगति और खुशहाली के लिए हमें लोगों की क्षमता का उपयोग करना है। हमारे पास खनिजों के प्रचुर भण्डार हैं। बस हमें उनका खनन कर उनका उपयोग करना है। यदि हम इस कार्य को ईमानदारी से नहीं करते तो हमें अपने देश की समस्याओं को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आईये हम अपने आपको राष्ट्र की सेवा में; भारत माता तथा भारत के महान लोगों की सेवा में समर्पित करें।

अब, मैं कवि भारती की पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं:-

''वाझिया सेनथमीझा
वाझगानट्टरमिझार
वाढिए भारत मणिथिरू नाडू
वन्दे मातरम्''
तमिल जिन्दाबाद
तमिलवासी जिन्दाबाद।
सुन्दर आराध्य भारत जिन्दाबाद,
वन्दे मातरम।

श्री सैयद मसूदल हुसैन

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): सभापति जी, कल से यह चर्चा सुन रहा हूं। भारत में जो समस्याएं हैं, उनको पांच हिस्से में बांटकर जिस तरह से आपका बैक-ग्राउंड नोट बनाया गया था, मैं समझता हूं कि एक-एक हिस्से को अगर चुनकर उस पर चर्चा करते हैं और सुझाव देते हैं तो शायद बहुत कम समय में कुछ काम की बात हो सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे पोप्युलर इश्यूज हमारे सामने हैं कि हर कोई उन इश्यूज को घसीटते हैं। हर वक्ता हर इश्यू पर बोलना चाहता है। मैं समझता हूं कि स्पेशल सैशन का जो मकसद था, जो इंतजाम किया गया था, उससे शायद हम लोग थोड़ा हट गए हैं।

कोई पार्टी कह रही है कि हम लोगों ने पचास साल में बहुत तरक्की की है। हम लोग फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। साइंस एंड टैक्नॉलोजी में हम लोग आगे बढ़ गए हैं। स्पेस में हमारा पृथ्वी घूम रहा है और एंटार्कटिका में तो हम लोग रोज जाते और आते हैं। कोई पार्टी कह रही है कि यह इलेक्शन स्पीच है। इस तरह की टीका-टिप्पणी, नुक्ताचीनी में हम लोग वक्त गंवा रहे हैं। तरक्की हमने बहुत की है लेकिन यह तरक्की किस काम की है? मुट्ठीभर पूंजीपति, जमींदार और ठेकेदार लोगों ने तरक्की है। यह मैं कैसे भूल जाऊं कि आज़ादी के पचास साल बाद भी ज्यादातर लोग गरीब हैं। यह मैं कैसे भूल जाऊं कि हमारे देश में कालाहांडी, कोरापुट और बोलंगीर जैसे क्षेत्र हैं। यह मैं कैसे भूल जाऊं कि आज भी मां भूख के कारण अपने बच्चों को चालीस-पचास या सौ रुपए में बेच देती है। यह मैं कैसे भूल जाऊं कि आज भी हमारे देश में बौंडेड लेबर जैसा गुनाह हो रहा है और आज़ादी के पचास साल के बाद भी गांव के लोगों के लिए पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं किया गया है। यह हमारी तरक्की का नमूना है तो इस पर कोई अपनी पीठ थपथपाता रहे लेकिन हकीकत कोई दूसरी है। मैं अपनी बात को सिर्फ ग्रामीण इलाके तक सीमित रखने की कोशिश करूंगा। यहां पर बहुत बड़े-बड़े नेतागण हैं, उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं के ऊपर चर्चा की है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। सरकारी आंकड़ें पर तो हमारा भरोसा नहीं है लेकिन फिर भी उसी पर ही मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाहर मैं नहीं जा सकता। सरकारी आंकड़ों में भी मैं यह देख रहा हूं कि हमारा जीडीपी तीन से पौने चार प्रतिशत तक चढ़-उतर रहा है इससे ज्यादा तरक्की नहीं है। जीडीपी का यह हाल है। 1960 से हमारी फसल, फूड प्रोडक्शन जरूर बढ़ा है लेकिन उसका भी कारण था, जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी उसको बढ़ाया। कभी हाई यिल्डिंग बीज बाहर से लाए लेकिन शायद अब इस एरिया में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया है। ...*(व्यवधान)* जिसका नतीजा यह है कि हमारे फूड प्रोडक्शन की बढ़ोत्तरी सिर्फ 1.7 प्रतिशत है लेकिन पापुलेशन की बढ़ोत्तरी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू नहीं हुआ है, यह अभी भी 2.14 प्रतिशत है। मुझे मालूम है इसमें थोड़ा मतभेद है लेकिन यह 2.14 प्रतिशत की बात इस किताब में भी एक जगह आ गई है। यह अगर 1.9 प्रतिशत भी हो तो फिर भी 1.7 प्रतिशत से ज्यादा है और इस हालत में हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है।

महोदय, जीडीपी में इंडस्ट्री में जो बढ़ोत्तरी थी और जो 51 से 97 तक है, इंडस्ट्री में सर्विस में जिस तरह की बढ़ोतरी है उतनी कृषि के क्षेत्र में नहीं है। कृषि के क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से यह घट गई है और उसके ऊपर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ के इशारे से जो इनपुट्स था उसके ऊपर भी हम सब्सिडी हटाने की बात सोच रहे हैं, उनके कहने से सब्सिडी हटानी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)* फूड में हम सब्सिडी रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सिडी रहेगी। ...*(व्यवधान)* अगर आप इसे हटा दें तो बहुत अच्छी बात है। इससे यह नतीजा हुआ है कि जो मुट्ठी भर 30 प्रतिशत लोग हैं, ग्रामीण इलाके में 52 प्रतिशत और शहरी इलाके में 54 प्रतिशत हैं उनके पास क्षमता है, जो यह उपभोग करते हैं और 30 प्रतिशत इलाके में 54 प्रतिशत हैं उनके पास क्षमता है, जो यह उपभोग करते हैं और 30 प्रतिशत गरीब लोग हैं जिनके नसीब में सिर्फ 15 प्रतिशत जुड़ रहा है बाकी बीच के जो 40 प्रतिशत हैं उनके पास 32 प्रतिशत से 33 प्रतिशत कंज्यूमर गुड्स खरीदने की क्षमता है, आज यह हालत हो गई है। हमारे यहां बड़े उद्योग और छोटे उद्योग में तरक्की हुई थी।

इनका जो श्रम था वह खरीदने वाला कोई नहीं है। एक के बाद एक उद्योग बंद हो रहे हैं। अगर ग्रामीण लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो इंटरनल मार्किट सिंक करेगा और एक के बाद एक उद्योग बंद हो

जाएंगे। आज यही हो रहा है। सुझाव के तौर पर मैं कहूंगा कि भारत का मतलब ग्रामीण भारत से है न कि सिर्फ शहरों से है। गांव बचेगा तो भारत बचेगा और ग्रामीण भारत को बचाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है।

एक है रैडिकल लैंड रिफोर्म। दूसरा है पंचायत और तीसरा है कोओपरेटिव मूवमेंट। अगर इन तीन चीजों का मेल हो, तभी हम ग्रामीण भारत को बचा सकते हैं। हमें अमीर भारत नहीं चाहिए। अमीर भारत का सपना जो देखते हैं वे देखें। कम से कम अभी गरीबी-विहीन भारत तो बने। गरीबी-विहीन भारत बन जाए, भारत के लोगों को गरीबी से बचाया जाए तो मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में हमारे लिए बहुत कुछ होगा। बाद में तरक्की अपने आप आयेगी। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। पश्चिमी बंगाल में हमने दो चीजें की हैं। रैडिकल लैंड रिफोर्म और पंचायत। हर पांच साल में वहां पंचायत का चुनाव हो रहा है और पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि 60 प्रतिशत पंचायत में जो लोग जीतकर आते हैं वे आदिवासी, शैड्यूल्ड कास्ट और महिलाएं हैं। ये गांव में रहने वाले गरीब, खेतिहर मजदूर और बटाईदार हैं। इनके हाथ में पंचायतें हैं। बड़े-बड़े लोग पंचायत के मालिक नहीं हैं। गांव के विकास की जो प्लॉनिंग हो रही है वह पूरी तरह से इनके हाथ में है। ठेकेदारों का राज वहां खत्म है। अब गांव में ठेकेदारों का राज नहीं है। ये पिछड़े और गरीब लोग जो कुछ समय पहले कुचले और दबे हुए थे इनमें इससे बहुत उत्साह है। जिस उत्साह से ये लोग काम कर रहे हैं अगर आप इन्हें देखें तो आप ताज्जुब करेंगे। जिला परिषद अपनी असैट बना रही है और पूरे जिले के काम से कंट्रेक्टर राज खत्म हो रहा है। पूरा खत्म हो गया है यह बात हम नहीं कहेंगे लेकिन आज वहां यह कोशिश चल रही है।

लैंड रिफोर्म के पहले हमने यह काम किया था कि पार्टी और सरकार का अपना एक संकल्प होना चाहिए। वहां जब सीलिंग का कानून बना था कि सीलिंग से ज्यादा जमीन किसी को रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार जब यह संकल्प लेकर निकली तो उसे पता था कि जितनी जमीन निकलेगी वह हम सबको दे नहीं पाएंगे और जो लोग आये थे उन्हें भी मालूम था कि पूरी जमीन उन्हें नहीं मिलेगी लेकिन सामंतवाद के खिलाफ लड़ने का उन्हें जो पहला मौका मिला, हजारों की तादाद में लोग निकल कर आए और इस जमीन को हमने सब में बांटा। हमने भूमि सुधार किया। पूरे देश में जितनी जमीन बंटी हुई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में उसका 20 परसैंट है। नतीजा यह हुआ है कि कृषि जमीन जो पूरे भारत में है, उसका केवल 3 परसैंट हमारे पश्चिम बंगाल में है। पूरे भारत की जितनी पापुलेशन है, उसका 8 परसैंट पश्चिम बंगाल में है। आज हमारे यहां जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है पूरे भारत में जितना फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसका 7 परसैंट वहां हो रहा है। तीन परसैंट जमीन मिलने पर सात परसैंट फूड प्रोडक्शन हो रहा है। कारण यह है कि छोटी-छोटी जमीन का टुकड़ा छोटे-छोटे किसानों को मिला है। आप फैमिली प्लानिंग के बारे में कहते हैं कि अगर एक-दो बच्चे होंगे तो मां-बाप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। जिन को छोटी-छोटी जमीन मिली हैं, उनके पत्ते पर छोटा सा कीड़ा कभी आ जाता है तो वे दवाई छिड़कते हैं। छोटी सी जमीन पर फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है। हमें मालूम है कि यह प्रोडक्शन और ज्यादा नहीं बढ़ेगा अगर इस छोटे-छोटे टुकड़े को कोआपरेटिव के जरिए कनसॉलिडेट न करेंगे, कोआपरेटिव के जरिए फूड प्रोडक्शन शुरू न करेंगे तो अभी तक जो मॉडर्न इक्विपमैंट्स हैं, उनसे हम काम नहीं ले पाएंगे। हम इस मामले में पीछे हैं।

सभापति महोदय : आपका अच्छा प्वाइंट है। अब आप समाप्त करें।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : पूरे देश में कोआपरेटिव मूवमेंट जिस गति से चल रहा है, उसकी पश्चिम बंगाल में गति ज्यादा बढ़ी है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। हमारे यहां हर पंचायत में कोआपरेटिव की स्टैंडिंग कमेटी बनी है और हम लोग इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा दावा है कि ग्रामीण इलाके में भूमि सुधार, पंचायत और इसके साथ कोआपरेटिव का संगम हो जाए तो ग्रामीण इलाके का चेहरा बदल जाएगा। अफसोस है कि गांवों में कोआपरेटिव मूवमैंट बहुत पिछड़ा हुआ है। कामरेड लेनिन ने एक बात कही थी कि पूंजीवादी अर्थ नीति जहां चल रही है, उस जगह में वह पूंजीवाद के हाथ मजबूत करती है लेकिन फिर भी हमें कोआपरेटिव मूवमैंट चलाना पड़ेगा। आखिर में कोआपरेटिव मूवमैंट ही पूंजीवाद को खत्म करेगा।

हमने गुजरात में क्या देखा? अमूल पहले जब शुरू हुआ तो दूध काफी था। उनको बहुत सहायता दी गई लेकिन आज इंटरनैशनल कोआपरेटिव के नाम से विदेश से जिस तरह पैसा आ रहा है, जिस तरह से मशीनें आ रही हैं और विदेश से जिस तरह पाउडर मिल्क आ रहा है, उसको मिला कर जिस तरह प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट कर रहे हैं क्या यही सही कोआपरेटिव है? लेकिन अफसोस है कि हमारे देश की सरकार ने कोआपरेटिव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट सैक्टर जब यहां खत्म हो रहा था तो हमने उनको नैशनलाइज किया और उसे पब्लिक सैक्टर में लाए। आज पब्लिक सैक्टर की हालत खराब है। हम उसे डीग्रेट करके उधर घसीट रहे हैं लेकिन अफसोस है कि कोआपरेटिव को खास सैक्टर समझ कर भी उस पर हमारी सरकार ने कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की।

मैं मानता हूं कि को-आपरेटिव स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन स्टेट सब्जैक्ट होने के बावजूद सैंट्रल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि इम्पार्टेंट कानून बनाये। यदि मॉडल एक्ट नहीं रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा नहीं मिलेगा, न मिल रहा है। 15 साल से को-आपरेटिव कानून बनाने का वायदा हो रहा है लेकिन ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आप बार-बार कह रहे हैं तो चेयर का डायरेक्शन जरूर मानूंगा। केवल यही कहूंगा कि ग्रामीण भारत को बचाने की कोशिश करें और जैसा मैं समझा हूं कि जिस तरह से सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं, अगर सरकार सही समझे तो इस तरह सही कदम उठाने का काम करे तो शायद इससे काम हो सकता है।

[अनुवाद]

महोदय, चूंकि मैं अध्यक्ष के निदेशों की अवमानना नहीं करना चाहता। अतः मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : सभापति जी, देश की आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस विशेष सत्र में अतीत में क्या हुआ और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर विचार और चर्चा कल से इस सदन में हो रही है। समय बहुत कम है और कम समय में हमें अपने विचार इस सदन के सामने रखने हैं।

सभापति महोदय : दस मिनट के अंदर।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, 50 साल बीतने के बाद जितने भी सदस्यों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये हैं, किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि आज हमारा देश अच्छी स्थिति में है या हमारे देश में गरीबी खत्म हुई है या 50 वर्ष पूर्व जो समस्यायें थीं, वे समस्यायें आज समाप्त हो गई हैं।

सभापति जी, हम यहां पर जापान और कोरिया का उल्लेख करते हैं और प्राय: कई छोटे राष्ट्रों का उल्लेख करते हैं, संदर्भ देते हैं। जब हम उनकी प्रगति के बारे में बोलते हैं, उनका उल्लेख करते हैं या संदर्भ देते हैं तो हमें इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिये कि जो राष्ट्र हमसे क्षेत्र में बहुत कम हैं, आबादी में हमसे कम हैं, जिस राष्ट्र का शायद कोई इतिहास नहीं और शायद परम्परा भी नहीं, ऐसे राष्ट्र आज प्रगति की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। जब हम जापान और कोरिया की बात करते हैं कि कोरिया ने इतनी प्रगति कैसे की है, उसकी सही वजह क्या रही होगी तो मालूम होगा कि उस देश की जनता के अंदर जो अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान है, जो राष्ट्रवाद की भूमिका है, उस भूमिका की वजह से वे राष्ट्र आगे बढ़ सके हैं। इन पचास वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया, हमने इस देश और इस समाज को क्या दिया? आज इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि आज़ादी के पचास वर्ष बाद भी आज हम इस देश के अंदर राष्ट्रवाद को मजबूत नहीं कर पाए। सभापति जी, पिछले 20-25 साल से मैं सिनेमाघर में सिनेमा देखने नहीं गया लेकिन 25 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल से छुट्टी लेकर सिनेमा देखने सिनेमाघर में जाता था। इस बात का जिक्र मैं इसलिए यहां कर रहा हूं कि 25 साल पहले सिनेमा खत्म होते ही सिनेमाघर में राष्ट्रगान होता था। हर सिनेमाघर में राष्ट्रगान होता था। मुझे मालूम नहीं कि आज वह राष्ट्रगान कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। आज हमारे देश की जनता राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं करती, राष्ट्र का आदर नहीं करना चाहती है। जब राष्ट्र के प्रति आदर हमारे दिल में नहीं होगा, राष्ट्र के प्रति सम्मान हमारे दिल में नहीं होगा, कट्टर राष्ट्रवाद हमारे दिल में नहीं होगा तो हम सामाजिक विषमता के साथ लड़ नहीं सकते, आर्थिक विषमता को दूर नहीं कर सकते। जब राष्ट्रभावना ही हमारे दिल में पचास वर्ष बाद भी नहीं होगी तो राष्ट्र कैसे प्रगति कर पाएगा?

सभापति जी, यहां पर नीतीश कुमार जी ने हमारे देश के नाम का उल्लेख किया। दुनिया में शायद हमारा देश ही होगा जिसके दो या तीन नाम हैं - इंडिया, भारत और कुछ लोग आज भी हिन्दुस्तान मानते हैं। शायद धर्मनिरपेक्षता के डर से हिन्दुस्तान नाम का उल्लेख नहीं हो सकता। हमारी धर्मनिरपेक्षता बहुत खोखली है, बहुत कमजोर है। वह 'हिन्दुस्तानी' शब्द को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन भारत और इंडिया कम से कम एक नाम तो जरूर हम अपने देश को दे सकते हैं। भारत नाम का भी एक इतिहास है। अपने इतिहास पर तो हम गर्व कर सकते हैं। यहां ममता बनर्जी जब बोलने के लिए खड़ी हुईं तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रभाषा में बोलने की कोशिश करूंगी। मैं नहीं मानता कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिन्दी हमारी प्रचार की भाषा है, उपयोगिता की भाषा है, इस देश की 14 भाषाओं में से एक भाषा है। जिस देश का अपना एक नाम नहीं, पचास वर्ष की आजादी के बाद जिस देश को हम उसकी राष्ट्रभाषा नहीं दे पाए, तब हम विकास की चर्चा करते हैं, प्रगति की चर्चा करते हैं। हमारे देश में हमारी ही भाषा हिन्दी का विरोध होता है। इस सदन को मैं 20 साल पहले की एक घटना की याद दिला रहा हूं। उस वक्त हिन्दी का भारी विरोध दक्षिण में हुआ करता था। आज दक्षिण में उतना विरोध नहीं है। यह 1967-68 की बात है। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया कि तमिलनाडु के अंदर हिन्दी के विरोध में एक भी हिन्दी सिनेमा दिखाया नहीं जाएगा। इस देश में उस वक्त किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ एक आवाज मुम्बई से आई। वह आवाज़ थी हमारे शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे की। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को चेतावनी दी कि यदि तमिलनाडु के अंदर हिंदी फिल्में बंद की गईं, हिंदी फिल्मों पर रोक लगाई गई तो मुम्बई के अंदर एक भी तमिल में बनी फिल्म हम नहीं चलने देंगे। इसके बाद तमिलनाडु में हिंदी फिल्में दिखाई गईं। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि राष्ट्रवाद के बारे में कौन नहीं लड़ना चाहता। राष्ट्रवाद के हित में कोई बुराई नहीं लेना चाहता। हर एक अपनी-अपनी विचार प्रणाली में सीमित है। हर एक अपने-अपने राज्य में सीमित रहना चाहता है। हर एक अपनी-अपनी पार्टी में सीमित रहना चाहता है। आज हम पार्टियों में बंटे हैं। आज हम राज्यों में बंटे हैं। आज हम भाषा में बंटे हैं। राष्ट्र का विचार कोई नहीं कर रहा है, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है। हमारा विकास तो होना चाहिए, हमारी प्रगति तो होनी चाहिए, भुखमरी खत्म होनी चाहिए, यह सब कुछ होना चाहिए। लेकिन यह होते हुए हमें राष्ट्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक वक्त हम भूखे पेट रहेंगे तो दुनिया में हम पर कोई नहीं हंसेगा। लेकिन जब एक राष्ट्र की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है तो सारी दुनिया हम पर हंसती है। तो राष्ट्रवाद के अभाव के कारण पचास वर्षों के बाद भी आज इस देश में यह स्थिति है। आज राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे पास स्वाभिमान नहीं है, हम आपस में लड़ते हैं। पार्टी की नीति होती है, पार्टी की नीति के मुताबिक चलना पड़ता है। कल से हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी से हटकर हम कुछ विचार करेंगे। पार्टी से हटकर हम कुछ देश की समस्याओं को कम करने की कोशिश करेंगे। चार

दिन का हमारा यह सत्र है। चार दिन हम यहां पर पार्टी से हटकर बोलेंगे और जिस दिन सत्र खत्म होगा, उस दिन जब यहां से निकलेंगे तो पार्टी की राजनीति ही करने के लिए जायेंगे। हमें इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र के मुताबिक बोलने वाले लोग हैं और हर पार्टी अपने विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। कुछ सदस्यों के भाषण तो यहां पर चुनावी भाषण हुए हैं। कुछ सदस्यों के भाषण अपने तत्व के प्रचार के भाषण हुए हैं। हर सदस्य ने यहां पर चिंता जाहिर की और इसलिए जब हम राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं तो राष्ट्रवाद को जातीयवाद का सिक्का लग जाता है। किस वजह से इस देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। राजनीति में जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई, वोट की राजनीति, सत्ता और कुर्सी की राजनीति जो अपनाई गई, उससे इस देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यदि महाराष्ट्र में हम कुछ मोर्चा लगाते हैं, महाराष्ट्र में हम कुछ मांग करते हैं तो केन्द्र में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र को नाराज नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र को नाराज करेंगे तो हमारी लोक सभा में सदस्यों की संख्या कम हो जायेगी। तमिलनाडु में कुछ मांग होती है तो सोचते हैं कि तमिलनाडु को दुखी नहीं करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम राज्यों को तुष्ट रखते हैं। हम धर्म को तुष्ट रखना चाहते हैं, हम समाज को हृष्ट रखना चाहते हैं इस तरह से जो ये सारे सवाल आज देश के सामने खड़े हो गये हैं, वे खत्म होने वाले नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ हम यहां पर गांधी जी का नाम लेते हैं, नेहरू जी का नाम लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेते हैं, जो हमारे बुजुर्ग नेता और सेनानी थे, उनका नाम लेते हैं और ये नाम लेते हुए हम यहां पर इस बात को कबूल करते हैं, मानते हैं कि आज उनके जैसे ऊंचे नेता हमारे देश में नहीं हैं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, मैं खत्म करने जा रहा हूं। 95 करोड़ की आबादी के इस देश में आज हमें कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो देश को समर्थ नेतृत्व प्रदान कर सके — इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं इस बात को नहीं मानता कि हमारे पास कोई समर्थ नेता नहीं है, कई नेता मौजूद हैं। वह वक्त दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ रहा है जब इस देश को एक समर्थ नेता मिलेगा, समर्थ नेतृत्व इस देश को मिलेगा। आज समर्थ नेतृत्व की जरूरत है ताकि हमारी सब समस्याएं हल हो सकें, खत्म हो सकें। यदि हमारा प्रधानमंत्री असमर्थ होगा, असहाय होगा, हमारे मंत्री कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती, वे समझते हैं कि हम टैम्पेरेरी हैं, यदि इस तरीके से राज चलेगा, ऐसे राज चलाने वाले होंगे तो हमारे प्रश्न, हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी।

यदि हमें देश को मजबूत बनाना है, देश से गरीबी मिटानी है, गरीबी को कम करना है तो उसके लिए एक समर्थ नेतृत्व की जरूरत है जो नेता देश के हित में निर्णय ले सकें, किसी धर्म विशेष की परवाह न करे, किसी समाज की परवाह न करे, किसी राजवाद की परवाह न करे - ऐसे समर्थ नेतृत्व की हमें जरूरत है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।

यहां कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने रखे। सदन का यह विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है ताकि देश को भविष्य में हम किस दिशा में ले जाएं, देश को कैसे आगे बढ़ाएं ताकि दुनिया के देशों में उसे सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो, हमारा देश दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सके, इस बारे में अपने विचार रख सकें। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा कि सदन में जितनी पोलिटिकल पार्टियां हैं, उन सबको एक साथ मिलकर देश हित में काम करना चाहिए, यहां सर्वदलीय सरकार हो, सबसे बड़े दल का जिक्र यहां हुआ और सबसे छोटे दल का जिक्र भी हुआ। हम लोकतंत्र में आचार-विचार की तुलना में संख्या को महत्व देते है जिसका नमूना हमें पिछले डेढ़ साल में यहां देखने को मिला। यहां विचारों का महत्व कम है, आचार का महत्व कम है, संख्या का महत्व ज्यादा है। यहां संख्या के बल पर सरकारें बनती हैं और संख्या घटने से सरकारें गिर जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम देश के प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। इसलिए जब हम राष्ट्र के हित में सोचते हैं तो मुझे शिवसेना प्रमुख के ऊपर गर्व होता है। उन्होंने 15 अगस्त को मुम्बई में झंडा फहराते हुए, हजारों की संख्या में उपस्थित जनता को सम्बोधित करते हुए एक शपथ दिलाई थी, जिसकी याद मैं सदन में दिलाना चाहता हूं। उन्होंने शपथ दिलाई थी कि अब हमें जातिवाद से हटकर, धर्म से हटकर, राजवाद से हटकर, देश-हित में एक हो जाना चाहिए और देश के लिए लड़ना चाहिए। आज देश को शिवसेना प्रमुख द्वारा दिलाई गई शपथ लेने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नवल किशोर शर्मा

श्री नवल किशोर शर्मा (अलवर): सभापति जी, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर, इस सदन के माध्यम से आज हम आत्म-विवेचन कर रहे हैं, आत्म-निरीक्षण कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद, हमारे देश ने क्या खोया, क्या पाया। विषय बहुत गम्भीर है जिस पर अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है। अलग-अलग विषयों पर एम्फैसिस होना भी जरूरी है परन्तु मूल प्रश्न यह है कि हमने अपनी आजादी एक लम्बे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्राप्त की थी।

सभापति महोदय, दुनिया में यह पहला एक्सपैरीमेंट था कि इस देश ने एक अहिंसक तरीके से आजादी प्राप्त की थी और इस देश के आजाद होने के बाद, दुनिया के अनेक शोषित मुल्क आजाद हुए। आज हमें इस बात पर गर्व है कि आजादी प्राप्त करने के बाद इस देश को जिसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता और रूढ़िवादिता का शिकार बनाया गया था वह देश आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बारे में अलग-अलग राय हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, मगर इस बात

से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 50 सालों में हमने इस देश में तरक्की की है।

सभापति महोदय, मेरे पास समय का अभाव है। कभी भी आपकी घंटी बज सकती है इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, परन्तु यह तथ्य है कि औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, उसमें कमियां रह सकती हैं, लेकिन हम आगे बढ़े हैं। इन हालात में यह बात तो निर्विवाद है कि कोई यह कहे कि देश ने आजादी के बाद कुछ नहीं पाया, सब कुछ बिगड़ गया, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि देश के सामने समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। गरीबी है, अत्याचार है, सामाजिक न्याय नहीं है, अज्ञानता है, शिक्षा का अभाव है और इन्फ्रास्ट्रक्टर की कमी है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज प्रश्न यह है कि हम इन सारे प्रश्नों को हल कैसे करें। आज मैं इस देश में ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। आज क्राइसिस आफ कान्फीडेंस है। आज चरित्र और आस्था का संकट है। अगर हम इस संकट का निदान खोज पाएं, तो शायद हमारी बहुत सी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकल आएगा।

सभापति जी, प्रजातंत्र के चार स्तंभ माने गए हैं-एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक प्रैस, जिसको आज मीडिया कह सकते हैं। हम जरा सोचें कि इन चारों स्तंभों की आज स्थिति क्या है। माननीय अटल जी और लोक सभा के अध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपने-अपने भाषणों में कहा है और इसका जिक्र किया है। आज विधायिका की स्थिति यह है कि पार्लियामेंट वह नहीं रही, जो पार्लियामेंट 30 साल पहले थी। उसमें धीरे-धीरे काफी गिरावट आई है। यह चिन्ता की बात है और इस चिन्ता का निराकरण कैसे हो, यह सोचने की बात है। राज्यों की विधान सभाओं के हाल तो और भी बदतर हैं। वहां तो हालत यह है कि विधान सभा का सत्र जरूरी काम पूरा करने के लिए, बजट पास करने के लिए होता है और महीने डेढ़ महीने से ज्यादा उसका समय नहीं होता। वैधानिक अनिवार्यता है इसलिए छः महीने के अंदर सात-आठ दिन के लिए सदन बुलाया जाता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नवल किशोर जी, सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आशा है कि समय बढ़ाए जाने से मुझे भी बोलने का उचित समय मिलेगा।

[हिन्दी]

मैं यह अर्ज कर रहा था कि विधान सभाओं की स्थिति तो और भी चिन्तनीय और शोचनीय है।

सायं 7.00 बजे

यह हमारी विधायिका की, लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की स्थिति है। इस पर सबने चिंता प्रकट की है।

दूसरा स्तम्भ है एक्जीक्यूटिव। लोक सभा के अध्यक्ष ने एक्जीक्यूटिव का जिक्र करते हुए कुछ वाक्य कहे हैं जो कि मैं यहां पढ़ रहा हूं:

[अनुवाद]

> "नागरिक सेवाओं को जिन्हें निरपेक्ष स्वरूप दिया गया था, राजनीतिक नेताओं की सेवाओं में लगाया जा रहा है तथा पुलिस बलों का प्रयोग राजनीतिक मामलों को निपटाने के लिये करना आज के जीवन का सत्य है।"

सायं 7.01 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

यह लोक सभा के अध्यक्ष का हमारी कार्यपालिका के बारे में आब्जर्वेशन है। हम सबका अनुभव यह है कि कार्यपालिका में संवेदनशीलता आ गयी है और उस संवेदनशीलता के कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता। भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं करता परन्तु दुर्भाग्य एक और है। आज की सरकारें कार्यपालिका को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, पुलिस मशीनरी को, एक्जीक्यूटिव को भी कास्ट लाइन्स पर, जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश करती हैं। अगर हमारी एक्जीक्यूटिव कास्ट लाइन्स पर बंटने लग गयी, जातिगत आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग हो गयी तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। फिर आप अपेक्षा करें कि कार्यपालिका लोगों के दुख-दर्द का निवारण कर सकेगी, यह नामुमकिन है। इसलिए हमारी कार्यपालिका की स्थिति भी यह है। मैं थोड़े में कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे खतरा है कि कहीं आपकी घंटी न बज जाये।

तीसरा स्तम्भ ज्यूडिशियरी है। ज्यूडिशियरी के बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं होगा लेकिन इतना सत्य है कि न्यायपालिका से गरीब आदमी को, आम आवाम को न्याय की कोई उम्मीद नहीं रहती। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता परन्तु तथ्य यह है कि हजारों मुकदमे हरेक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बरसों से लंबित हैं और उनका कोई निदान, कोई रास्ता नहीं है। मुकदमा लड़ने वाला मर जाता है। दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तीसरी पीढ़ी आ जाती है और वह न्याय की गुहार करता रह जाता है। फौजदारी के मामलों में भी यही होता है। बरसों लोग जेल में रहते हैं और उनका कोई रास्ता, कोई न्याय नहीं मिलता। यह सही है कि पिछले दिनों पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन के नाम पर ज्यूडिशियरी ने कुछ वाह-वाही अर्जित की है। कुछ अच्छे काम भी किये हैं, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन उसके साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन, जनहित याचिका के नाम पर

कभी-कभी डर लगने लगता है कि कहीं यह किसी के खिलाफ पेश न हो जाये। इस जन हित याचिका का इनडिसक्रिमिनेट यूज होना चाहिए।

चौथा स्तम्भ मीडिया है, प्रेस है। यह सही है कि प्रेस ने अच्छे काम किये हैं। कई दफा खोजी पत्रकारिता के जरिये से बहुत से घोटाले सामने आये हैं परन्तु प्रेस में येलो जर्नलिज्म है, वह खतरे की घंटी है। जब से इलैक्ट्रानिक मीडिया आयी है तब से तो गजब हो गया है। इस देश में हिंसा, टिस्को, डिस्को, सैक्स, वॉयलैंस और उसके साथ ही इनडिसक्रिमिनेट कमर्शियलाईजेशन, कंज्यूमरिज्म, यह उसका रूल ऑफ लॉ बन गया है। इससे देश को नुकसान होगा। इन चार स्तंभों के बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि ये चार स्तंभ जो इस देश के प्रजातंत्र के अहम हैं, उनकी हालत पर विचार करना चाहिए। जब तक आप मुद्दों पर नहीं जाएंगे, पैरीफेरी की बात करते रहेंगे तब तक देश के बड़े सवालों का हल नहीं होगा। यदि हमको देश के बड़े सवालों का हल करना है तो उसके मूल में जाना होगा। बीमारी का इलाज जड़ से करना होगा और जड़ से इलाज करने के लिए हमको सोचना होगा। आज राजनीति चौराहे पर खड़ी है। आज राजनेताओं की विश्वसनीयता नहीं रही है। आज राजनेताओं के बारे में कथनी और करनी में अंतर है, ऐसा लोग कहने लगे हैं। आज देश की यह हालत है कि यदि आपके पास शक्ति है तो सब काम हो सकते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, चाहे वह राजनीतिक ताकत हो या धन, बल अथवा बाहुबल। आज देश में एक तरह से जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

माननीय अटल जी ने क्रिमिनलाईजेशन ऑफ पौलिटिक्स की बात की। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव सुधार होने चाहिएं। पर क्या चुनाव सुधार से काम चल जाएगा? चुनाव की निष्पक्षता में लोगों को विश्वास नहीं है। आज तो चुनाव में रिगिंग ही नहीं होती बल्कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जीते हुए को हारा घोषित किया जाता है और हारे हुए को जीता हुआ घोषित किया जाता है। यह स्थिति भी है। चुनाव सुधार जरूरी है। पर चुनाव सुधार के साथ हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। असल में जब अटल जी कह रहे थे कि इलैक्शन के लिए फंडिंग होनी चाहिए तो साथ ही यह भी कह रहे थे कि मैंने जब 1957 में चुनाव लड़ा था तो मेरे साथ दो जीपें थीं। कार्यकर्ता साइकिलों में जाते थे। आज अटल जी और सब लोगों से मैं पूछता हूं कि चुनाव क्यों महंगा हुआ। चुनाव इसलिए महंगा हुआ कि कार्यकर्ताओं की पार्टी के लिए प्रतिबद्धता नहीं रही है। राजनीति पेशा बनती जा रही है, व्यापार बनती जा रही है, सेवा का माध्यम नहीं रही है। जब राजनीति में व्यापारीकरण आ जाए, जब राजनीति में विज़िटिंग कार्ड की संस्कृति पैदा हो जाए, पद इसलिए लिए जाएं कि उनके विज़िटिंग कार्ड बनाकर अफसरों के पास जाया जाए, दूसरे लोगों के पास जाया जाए, कुछ फायदा उठाया जाए तो फिर राजनैतिक कार्यकर्ता मन से काम नहीं करेंगे, पैसे से काम करेंगे, जीप से काम करेंगे। इसलिए राजनीति में भी सोच में परिवर्तन की जरूरत है। यह सब काम सिर्फ कानून से नहीं होने वाला है। इस सब काम को करने के लिए राजनैतिक दलों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्रतिबद्धता सिर्फ सत्ता में आने के लिए नहीं होनी चाहिए। सत्ता जरूरी है। राजनैतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ते हैं, राजनैतिक दल सत्ता प्राप्ति के जरिए सेवा का अवसर ढूंढते हैं पर प्रतिबद्धता सिर्फ सत्ता की नहीं होनी चाहिए। आज दुर्भाग्य यह है कि राजनीति ही नहीं बल्कि सारा देश सत्तात्मक हो गया है। सत्ता के बिना कोई काम नहीं होता। यदि कोई धर्म सम्मेलन भी हो रहा है तो उसके लिए भी कोई मंत्री चाहिए, यदि कोई विद्वत सभा हो रही है तो उसके लिए भी मंत्री चाहिए। आज राजनीति सत्तात्मक जो बन गई है, इसके दूषित परिणाम इस देश को भुगतने पड़ रहे हैं।

क्रिमिनिलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स की बात हम सब करते हैं। आज से नौ साल पहले सन् 1988 में, अटल जी चले गये, मैंने और आज के उपराष्ट्रपति कृष्णकान्त जी ने ...*(व्यवधान)* मैं पांच मिनट का समय चाहूंगा।

आज के गवर्नर रघुनाथ रेड्डी ने और रामधन जी ने क्रिमिनिलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स के खिलाफ एक बयान जारी किया और उसके बाद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में हमने एक परिचर्चा की थी। उसमें माननीय अटल जी भी आये थे, चन्द्रशेखर जी भी आये थे और वी.पी. सिंह जी भी आये थे और देश के जाने-माने पत्रकार, जजेज़ हाईकोर्ट और फारूखी साहब भी आये थे, बहुत से नेता आये थे। लेकिन उस चर्चा के बाद चुनाव आ गया, यह 14 अक्तूबर की बात है, 17 अक्तूबर को चुनाव हो गया, उसके बाद यह सब मुहीम खामोशी के बस्ते में बन्द हो गई। अब देश में चर्चा बहुत करते हैं और चर्चाएं करने के बाद उसके नतीजे नहीं निकलते और जरूरत इस बात की है कि आज की चर्चा को लेकर भी हम चार दिन की चर्चा कर रहे हैं, देश के लोगों को बड़ी आशाएं जगी हुई हैं, लोग समझते हैं कि शायद इस विशेष अधिवेशन से कुछ निकलेगा या देश में इस विशेष अधिवेशन के बाद कुछ नहीं निकल पाया, खाली चर्चा चर्चा रह गई तो फिर इस चर्चा का कोई मंतव्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से, मेरे दल के नेता शरद पवार जी ने भी कहा और मैं भी इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि इन चर्चाओं के निष्कर्ष के रूप में कुछ सामूहिक फैसले नेतृत्व को नेताओं को मिलकर अध्यक्ष जी की मौजूदगी में करने चाहिएं और फैसले ही नहीं करने चाहिएं, क्योंकि फैसले हम बहुत करते रहे हैं, लेकिन फैसलों पर अमल के लिए कोई निश्चित समयावधि भी होनी चाहिए। कम से कम एक दो तीन चार बातें तो ऐसी कीजिएगा, जो सर्वमान्य हों, जिन पर विवाद नहीं हो। उस पर तो कोई हल निकल जाये और उस पर कोई रास्ता ढूंढा जाये, इस बात की सख्त जरूरत है। अगर हम इस अधिवेशन की, इन चार दिनों की बैठक की सार्थकता चाहते हैं।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि करप्शन की बात बहुत होती है। लोकपाल बिल की बात भी बहुत होती है, पर करप्शन खाली

ऊपर नहीं है, करप्शन नीचे तक चला गया है और आम जनता को तकलीफ नीचे के करप्शन से है। इस करप्शन को कैसे रोकेंगे, इस करप्शन को रोकने के लिए इंस्पैक्टर, सी.आई.डी. और उसके ऊपर इंस्पैक्टर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरी मान्यता यह है कि चाहे ऊपर का करप्शन हो, चाहे नीचे का करप्शन हो, मैं नीतीश कुमार जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मेरी निश्चित मान्यता है कि राइट ऑफ इन्फोर्मेशन एक स्टेचूटरी राइट होना चाहिए, एक ऐसा अधिकार होना चाहिए, जो हर व्यक्ति को हर नागरिक को मिले और अगर राइट ऑफ इन्फोर्मेशन स्टेचूटरी अधिकार बन जाये तो मैं यह मानता हूं कि नीचे के स्तर के, ऊपर के स्तर के बहुत से करप्शन को, डेवलपमेंट में जो भ्रष्टाचार होता है, इस सब को नंगा होने का एक मौका मिलेगा। सही है कि ऐसे सेंसिटिव मैटर्स पर, ऐसे संवेदनशील मामलों पर जो डिफेंस के हों, विदेश के हों या कोई टैक्नोलोजी से सम्बन्धित हों, उस बारे में हमको यह इन्फोर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, पर इसके लिए प्रावधान सेफगार्ड्स किये जा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन में एक चैप्टर है, चैप्टर चार। यह चैप्टर चार डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स में स्टेट पॉलिसी को डील करता है। यह डायरेक्टिव प्रिंसीपल आफ स्टेट पालिसी क्या है, अभी महिलाओं पर अत्याचार की बात हुई, अभी हरिजनों, दलितों पर अत्याचार की बात हुई। हरिजनों, दलितों तथा महिलाओं को अधिकार मिलें, यह बात भी हुई। माननीय शरद जी चले गए, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमारे यहां टेकनोलॉजी के लिए जो हमारी पारस्परिक व्यवस्था है, दस्तकारी है, उसको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय होने चाहिएं। गांधी जी ने पहले ही कहा था, आजादी के दौरान भी कहा कि हमें ग्रामस्वराज चाहिए और ग्राम स्वावलम्बन चाहिए। इस दिशा में पंचायतीकरण, खादी और कॉटिज इंडस्ट्रीज दो अहम पहलू हैं। आज हो यह रहा है कि पचास साल के बाद कॉटिज इंडस्ट्रीज समाप्त की जा रही हैं। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं और दूसरे धंधों की तलाश में जा रहे हैं, स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के आने का खतरा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ते हुए हाथों को रोजगार देना सरकार का दायित्व है। ग्रामीण इलाकों के अंदर कॉटिज इंडस्ट्रीज और खादी के जरिए ही देश में गांधी जी का सपना साकार किया जा सकता है।

हमने पंचायतीराज की स्थापना की, लेकिन उसको अधिकार नहीं दिए। डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स में सारी बातें निहित हैं जिस पर हमने चर्चा की है। चाहे प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, चाहे असमानता की बात हो, चाहे समाज के साधनों के केन्द्रीकरण की बात हो, ये सब बातें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स में 36 से लेकर 51 तक में अंतर्निहित हैं।

लोक सभा के अध्यक्ष और दलों के नेताओं की सहमति से एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन हो। जो इस पर विचार करे कि इन डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स को क्यों नहीं पूरा कर पाए, किस हद तक पूरा कर पाए, क्या बाधाएं हैं, क्या उन पर कदम उठाने चाहिएं, क्या दिशा होनी चाहिए। कम से कम उन मुद्दों पर जिन पर दलों में मतभेद नहीं हैं, जैसे हरिजनों पर अत्याचार न हों, महिलाओं को अधिकार मिले, उनका वेतन एक हो, बंधुआ मजदूरी समाप्त हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर नेतागण सहमत हो सकते हैं क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अध्यक्ष जी सब नेताओं की एक मीटिंग बुलाकर, हाई पावर्ड टेक्नीकल, नॉलेजेबुल विशेषज्ञों की कमेटी का गठन करें। वे लोग विचार करें और समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इन डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स के लिए सदन के सामने पेश हों, सरकार के सामने पेश हों, तो मैं यह मानता हूं कि आज जिन सवालों पर चर्चा हो रही है उनका निदान निकलने की बात हो सकती है। वैसे चर्चा तो हम करते रहते हैं। यह सदन चर्चा के लिए है। चाहे चर्चा का स्तर नीचे आ गया हो, घट गया हो, घटिया हो गया हो, उससे कुछ निकलता न हो, लेकिन यह सदन चर्चा करता रहता है। इसीलिए लोगों को निराशा है।

सभापति जी, मैं 30-35 साल पहले की बात करता हूं। आप भी उस जमाने के हैं। उस वक्त सदन में कोई विषय उठता था तो लोग महसूस करते थे कि संसद में मामला उठ गया। लेकिन अब संसद में रोज मामले उठते हैं, कोई पूछता नहीं है, किसी में इसको लेकर गम्भीरता नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि लोक सभा के सदस्यों को चिट्ठी मिल जाती है, वह एक्नॉलेजमेंट मिलती है। उसके बाद क्या कार्यवाही हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। पहले के जमाने में बड़े-बड़े मंत्री थे। उनके पास भी जाने की हमें जरूरत नहीं होती थी। खाली पत्र व्यवहार से सारी समस्याओं के निदान हो जाया करते थे।

आज मंत्रियों के चक्कर लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। यह संसद और सांसदों की दुर्व्यवस्था है।

आज सब जगह गिरावट आई है। मूल बात यह है कि इस गिरावट को कैसे रोंके? इस गिरावट को रोकना केवल किसी प्रधान मंत्री, मंत्री या किसी नेता के अकेले बस की बात नहीं है। इसके लिए हम सबको इस देश को भेंट देनी चाहिए। हमें उन आजादी के दीवानों को एक छोटी सी भेंट देनी चाहिए जिन्होंने इस देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया और हमें आज़ादी दिलाई। हम सबको इस गिरावट को रोकना चाहिए और देखना चाहिए कि यह और नीचे न जाए और देश ऊंचा उठने लगे। ऐसी व्यवस्था हम कर सकें तो यह व्यवस्था सार्थक होगी। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, ऐसा तय किया गया था कि मान्यवर वक्ता केवल दस मिनट में अपनी बात रखेंगे। आज दूसरा दिन है। थोड़े समय बाद यह समाप्त हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से चला तो मैं जानता हूं कि जो कई सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि जिन नेताओं ने अपने विचार रखे हैं, उन्होंने पूरा कर दिया है तो उसके आगे *...(व्यवधान)* आज आप जैसे चलाना है, वैसे चलाइए लेकिन कम से कम दस मिनट न हो। पहला वक्ता जो होगा, वह बात ठीक है नहीं तो *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। आज शुरुआत ही ऐसे हुई है। कर्नल राव राम सिंह जी से आज शुरुआत हुई है और वहां से लेकर उसी तरह चल पाया है। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल पाया है। अब देखिए कि इनको कितनी दफा मैंने कंट्रोल किया है। क्या करें? हम कोशिश करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश आर. जाधव (परभनी) : जूनियर लोगों पर बिल्कुल अन्याय होता है। जब जूनियर बोलते हैं तो पांच मिनट में उन्हें अपनी बात समाप्त करने के लिए कहते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। जूनियर और सीनियर में भेदभाव नहीं किया गया है और न करेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं

...(व्यवधान)

श्री सुकदेव पासवान : (अररिया) : अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलने का मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : शुरुआत वाले काफी समय तक बोल लेते हैं। उसके बाद दूसरों को उपदेश देते हैं कि आप कम समय तक बोलिए। यह बात हमको उचित नहीं लगती है। शुरुआत वाले लोग आधा-आधा, एक-एक घंटा बोलते हैं और बाकी सदस्यों को कहें कि आप पांच-दस मिनट में अपनी बात समाप्त करिए तो यह बात हमें उचित नहीं लगती है। *...(व्यवधान)*

डा. बल्लभ भाई कथीरिया (राजकोट) : सभापति जी, एक ही बात सब लोग बोल रहे हैं। अलग-अलग विषय पर बोलना चाहिए। पहले भी ऐसे ही बहस होती रहती थी। अलग-अलग विषय पर बोलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : स्पीकर्स को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, चेयर डाइरेक्ट नहीं कर सकती।

...(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : चारों विषयों पर एक-एक दिन चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : कोई मेम्बर एक ही विषय पर नहीं बोले हैं। अभी आने वाले दो दिनों के विषय भी आज आ गए हैं, इसलिए गुप्त जी, आप बैठिऐ। हाउस इसी तरह से चलेगा।

...(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त : अगर चेयर यह कहती है तो वाकई कैसे चलेगा?

सभापति महोदय : चेयर किसी को कंपेल नहीं कर सकती। यह बताइए। दूसरी बात बताएं।

...(व्यवधान)

डा. बल्लभ भाई कथीरिया : स्पेशल सैशन तो इसीलिए रखा है।

सभापति महोदय : हाउस ऐसे ही चलेगा।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विशेष सत्र में बोलने का अवसर दिया। इस विशेष सत्र में विशेष विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन चार दिनों के बाद यह सत्र संकल्प के साथ उठेगा। देश में जो ज्वलंत समस्या है उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उस पर ठोस संकल्प के साथ यहां से उठेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदय, आजादी के 50 वर्ष बीत गए हैं और हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं मगर मैं समझता हूं कि इस आजादी को प्राप्त करने का जो उद्देश्य था और जिस उद्देश्य से इस आजादी को हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी देकर लिया था, उनकी कुर्बानी की जो मंशा थी वह पूरी नहीं हो सकी। देश की जो मूलभूत समस्या है - रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी, खेत और खलिहान में सिंचाई की व्यवस्था, इन तमाम चीजों में हम उपलब्धियां नहीं पा सके हैं, जितना मात्रा में होनी चाहिए थीं। आज भी हम बड़े पैमाने पर भुखमरी और बेरोजगारी से मर रहे हैं। देश की 75 प्रतिशत आबादी जो गांवों में रहती है वे आज रो रही है, बिलख रही है। यह कहा जाता है कि भारतवर्ष गांवों का देश है और जब तक गांवों की खुशहाली, गांवों में रहने वाले लोगों की खुशहाली हम नहीं करा पाएंगे तब तक हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। देश के लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि जिनके कंधों पर यह भार देश की आजादी के बाद दिया गया था, वे आजादी से लेकर आज तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सके और यही कारण है कि आज भी करोड़ों ऐसे इन्सान इस देश में हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं। दिन भर कमाने के बाद अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पाते, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा नहीं दे पाते, यहां तक कि बिजली और पानी भी नहीं दे पाते हैं।

महोदय, आज जो देश की स्थिति है वह हमसे और आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। इस 50 साल की आजादी के बाद हम मानते हैं कि उतनी उपलब्धियां हमको हासिल नहीं हुईं, मगर बहुत से क्षेत्रों में हमको उपलब्धियां हासिल हुई हैं, इस बात को भी मैं मानता हूं। आज जिस पैमाने पर इस देश की आबादी बढ़ रही है उस पर भी गौर करना होगा। मैं समझता हूं कि देश को आगे बढ़ने में जो रुकावटें पैदा कर रही हैं वह हमारी जनसंख्या है। कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को रखा है मैं उसको विस्तारपूर्वक नहीं रखना चाहता। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि 1950 में जहां हमारे देश की आबादी 34 करोड़ थी आज वह बढ़कर लगभग 96 करोड़ हो गई है और आने वाले दिनों में जब दो हजार पार करेंगे तो यह आबादी बढ़कर एक अरब हो जाएगी, यह चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि यहां सदन में बैठे हुए जितने पोलिटीकल पार्टी के लोग हैं उन्हें इस पर चिन्तन करना चाहिए। देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ने का काम कर रही है उसको रोकने का काम नहीं किया तो लाख प्रयास करने के बाद भी इस देश को समृद्धि के मार्ग में हम नहीं ला सकते हैं।

हमें इस संकल्प के साथ कोई उपाय निकालना होगा। लोगों में जागरूकता लानी होगी और उन्हें शिक्षा देनी होगी। हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि हम इस पर अमल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम घर-घर और गांव-गांव तक शिक्षा की रोशनी ले जाएं। आज हमारे देश में पिछड़ापन है और इसका कारण यह है कि हमारे देश के अधिकांश लोग गांव में अशिक्षित हैं। यह बात जरूर है कि हमने जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 153 करोड़ रुपया खर्च किया था वहीं आज हमने उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया कर दिया है। सभापति महोदय, आप भी उस क्षेत्र से आते हैं जो क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी गांव में हम देखें तो हमारे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की दशा क्या है? गांव के स्कूलों में आज भी बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत से स्कूलों में क्लॉस रूम में दरवाजे और खिड़कियां नहीं हैं और पूरा स्कूल बहुत ही जर्जर अवस्था में होता है। कहीं छत नहीं है और बारिश के दिनों में बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। अगर स्कूल में ये सब चीजें हैं तो वहां मास्टर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में गांव के बच्चे को जो गरीब हैं, अक्लियत का है और जिनकी संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है आप कैसे उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बन सकेगा।

भारत गांव का देश है। अगर उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि जहां हम जनसंख्या को घटाने की बात करते हैं वहीं हमें शिक्षा को घर-घर और गांव-गांव तक ले जाने की बात भी करनी होगी, तभी यह देश आगे बढ़ेगा।

इस देश की प्रमुख समस्याओं में सिंचाई भी एक प्रमुख समस्या है और देश की तरक्की में सिंचाई की भी एक प्रमुख भूमिका होती है। लेकिन आज हमारे किसानों के लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आज गांव के अधिकांश लोग खेत और खलिहानों में काम करते हैं और देश की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। जब हम गांव के लोगों को सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो हम कृषक लोगों को उत्साहित नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अधिकांश किसान गरीब हैं।

यहां पर जिस पैमाने पर उद्योग लगने चाहिए थे वे भी नहीं लग पाए हैं। यही कारण है कि जिस पैमाने पर हमारी समृद्धि बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ पाई है। इसका कारण भी यह है कि जो हाथ खेत और खलिहानों में लगे हुए हैं उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। सिंचाई की सुविधा के लिए जो नहर और व्यवस्थाएं हैं वे टूटी-फूटी पड़ी हैं। सिंचाई में प्रकृति का भी बड़ा हाथ होता है। कभी यहां पर अतिवृष्टि हो जाती है तो कभी सुखाड़ आ जाता है। देश के ऐसे बहुत से राज्य हैं जो कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं। इसलिए किसान की दशा दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। जिस देश की अर्थव्यवस्था खेती पर विशेष तौर से निर्भर है वहां हमारा ध्यान नहीं जाएगा, वहां हम ठोस रूप से बजट से रुपया खर्च नहीं करेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों को खुशहाल करने के लिए सिंचाई और सड़कों की व्यवस्था करें। गांवों को शहर से जोड़ने का काम करें। आज गांव के लोगों में शहरों की तरफ आने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, उसको रोकना होगा। अधिकांश लोग शहरों में क्यों आते हैं? क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलती है। उन्हें रहने, बिजली और पानी की सुविधा मिलती है। आज सारे लोग खेती छोड़कर नौकरी के चक्कर में शहर की तरफ जा रहे हैं। देश इतना बड़ा है कि यहां सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए हमे खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों में आकर्षण पैदा करना होगा। अगर हम उन्हें सारी सुविधाएं मुहैय्या करा दें तो गांव के लोग शहर में नहीं आएंगे। जिस रफ्तार से आज शहरीकरण हो रहा है, उसको रोकना होगा। गांवों के लोग जिस तेजी से शहर में आ रहे हैं, उसमें रुकावट डालनी होगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि खेत होंगे लेकिन काम करने वाला

कोई नहीं मिलेगा। अगर खेत में उपज नहीं होगी तो पैसा होने पर भी खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगर देश को समृद्धि की ओर ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों की तरफ नजर डालनी होगी। देश को सम्पन्नता की ओर ले जाना होगा तभी हम इस देश में खुशहाली को कायम रख सकते हैं। आज देश की जो स्थिति है, उसको देखने से पता लगता है कि हर चीज में गिरावट आई है। यहां विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। यहां भ्रष्टाचार, सिस्टम और लोकतंत्र की बात कही जा रही थी। आज हर तरह से लोकतंत्र खतरे में है। अगर यही स्थिति रही तो ठीक नवल किशोर बाबू ने कहा कि इस देश के जो चार मुख्य स्तम्भ हैं जिससे संविधान और देश चल रहा है, उनमें और खामियां पैदा होंगी। उन्होंने कमियों और खामियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता लकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारों ने अपने आचरण में परिवर्तन करने का काम नहीं किया तो नवल किशोर जी ने ठीक कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान बच नहीं सकेगा। आज सभी लोगों की निगाह पॉलिटिकल पार्टियों पर लगी है। सभी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भ्रष्ट हैं लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि पिछले 50 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग दोषी हैं। समाज में दूसरे वर्ग के जो लोग हैं चाहे वह विधायिका हो, न्यायपालिका हो, पत्रकारिता हो, सब में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कहा जाता है कि एम.पी. और एम.एल.ए. चोर हैं। भ्रष्टाचार की जो मेन जड़ है, उसको लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस सदन में चिल्ला-चिल्ला कर यह कह रहे हैं कि तुम चोर हो। पॉलिटिकल पार्टी के लोग चोर नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता सुबह छः बजे उठ कर रात के बारह बजे तक सामाजिक सेवा में लगा रहता है। हो सकता है पांच परसैंट या सात परसैंट या दस परसैंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हों। मगर 95-96 परसैंट लोग आज भी बिलकुल स्वच्छ और साफ हैं। अगर कोई कुर्त्ता और पाजामा पहन कर जाता है तो लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं। पालिटिकल पार्टी के लोग और कार्यकर्त्ता अगर नहीं रहें तो समाज में सुधार नहीं आ सकता और देश आगे कदापि नहीं बढ़ सकता।

यह बात सही है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमें इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि कौन कितना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है? हम दूसरों की तरफ देखते हैं। अपने आप को नहीं देखते। जब तक अपने आपको नही देखेंगे तब तक समाज और देश आगे बढ़ने वाला नहीं है।

न्यायपालिका का जो राजनीतिकरण हो रहा है, मैं उस पर भी कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, केवल विधायिका में नहीं, कार्यपालिका में नहीं बल्कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार आया है। अब पूरे देश की जनता न्यायपालिका के ऊपर आंख लगाये बैठी है कि उसको न्याय मिलेगा। जब ऐसी बात सुनेगी तो उसका न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास उठ जायेगा। इससे देश का लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। इसलिये मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिन्तन करें। एक दूसरे के प्रोटेक्शन में खड़े न हो जायें। यदि हम बोलते हैं तो आप हमारे खिलाफ बोलें, यदि ऐसा काम करेंगे तो इस सदन की मर्यादा खत्म हो जायेगी। जो लोग अपनी सीमा से बाहर जाने का काम करते हैं या अपनी सीमा को लांघने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं यदि यही प्रवृत्ति रही तो इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिये यदि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो पालिटिकल पार्टीज़ को आत्मचिन्तन करना चाहिये, एक रूप होकर भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको निश्चित रूप से दंडित करना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं मगर न्याय दिलाने वाले लोगों की तरफ हम कहना चाहेंगे कि इन दिनों उनका अच्छा कार्यकलाप नहीं रहा। इसलिये लोगों में संशय है कि हमारा क्या होगा?

सभापति महोदय : प्लीज कनक्लूड।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं 5-7 मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं बहुत कम बोलता हूं।

सभापति महोदय : आपने 17 मिनट ले लिये हैं।

श्री राम कृपाल यादव : अभी 17 मिनट हुये हैं, लोग तो 40-40 मिनट बोले हैं।

सभापति महोदय : अभी तो आप खत्म कीजिये।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि इस बच्चे को थोड़ा और समय दीजियेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमें दूसरी आजादी के लिये लड़ना है। चूंकि मैं मानता हूं कि मुझे राजनैतिक आजादी मिली है लेकिन इस समाज में आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं मिली है। हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिये लड़ना है। मैं सब पालिटिकल पार्टीज के लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी वे इस सदन में आयें तो निश्चित तौर पर ठोस विचार लेकर आयें, ठोस कार्यवाही करने की मंशा लेकर आयें, आरोप-प्रत्यारोप न लगायें। इस देश की जनता न्याय मांग रही है। गांधी जी ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिये लड़ने का काम किया था। यदि हम इस देश में अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति को आगे लाना चाहते हैं तो दूसरी आजादी के लिये, खासकर इस देश के नौजवानों से अपील करूंगा कि वे एकताबद्ध होकर संघर्ष करने का काम करें। यदि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने का काम नहीं किया जायेगा तो निश्चित तौर पर उनमें गुस्सा आयेगा। आज उग्रवाद बढ़ रहा है बात-बात पर हिंसा हो रही है। उसका मूल कारण यह है कि वे असंतुष्ट लोग हैं। यदि अंतिम पंक्ति के असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने का काम नहीं किया जायेगा तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। इस देश में रहने वाले 85 प्रतिशत लोगों को उनका हक दिलाना होगा।

सभापति महोदय, मंडल कमीशन आपने लागू किया लेकिन उसकी रिकमेंडेशन्स पूरी तरह लागू नहीं हो पाई हैं। इस समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं, हर राज्य में उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पिछड़ा वर्ग है जो संकट में है, उनके अधिकार को देना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, मुख्यधारा में जोड़ सकते हैं नहीं तो हम अपनी बात कहते रह जायेंगे और देश पीछे रह जायेगा। इसलिये इस देश को मजबूत करने के लिये, इस देश को एकताबद्ध करने के लिये हमें सोचना होगा। मैं यह मानता हूं कि इस देश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इस अपराधीकरण को खत्म करने के लिये एकता के साथ और दृढ़-संकल्प के साथ कहना चाहता हूं कि अपराधी व्यक्ति को

चुनाव में टिकट नहीं देंगे और इस देश को एक स्वच्छ प्रशासन देंगे, स्वच्छ विचार वाले लोगों को लायेंगे तभी सदन की मर्यादा बच सकती है। हमारे शर्मा जी ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में सदन की मर्यादा गिरी है।

एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस देश की मज़बूती के लिए, इस देश की जो आर्थिक बदहाली है, उसको दूर करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए हमें विचारों में तबदीली करनी होगी। हमें हर चीज से ऊपर उठकर ठोस निर्णय लेने होंगे। सारी पोलिटिकल पार्टीज़ कुछ बातों को एकत्रित करके प्रस्ताव लेकर इस सदन से जाएंगे और आने वाला जो समाज होगा, आने वाला जो देश होगा, वह मज़बूत होगा, देश मज़बूत होगा और मज़बूत रखने के लिए हम हर तरह से प्रयास करेंगे ताकि दुनिया में हमारा नाम ऊंचा हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. प्रवीन चंद्र शर्मा

[अनुवाद]

डा. प्रवीन चंद्र शर्मा (गुवाहाटी) : देश की स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती समारोहों के अवसर पर बुलाये गये संसद के इस विशेष सत्र के दौरान होने वाली चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैंने लगभग सभी भिन्न-भिन्न वक्ताओं को सुना है और मुझे लगा है कि हमारे बहुत से वक्ता इन पचास वर्षों के दौरान हमारे कार्य-निष्पादन से संतुष्ट हैं और कुछ मामलों में वे आत्म-तुष्ट और कुछ मामलों में वे असंतुष्ट हैं और कल से सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा चल रही है, उससे यह लगता है कि वक्ता उन्हीं विषयों पर बार-बार बोलते जा रहे है। अतः जैसा कि सुझाव दिया गया है, मेरी चर्चा का मुख्य मुद्दा केवल एक ही रहेगा शिक्षा तथा विशेष रूप से उच्च शिक्षा।

अपनी चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं उपनिषदों में से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं:—

ऋण्वन्तु विषये अमृतस्य पुत्राः
आ जे धामानि दिव्यानि तस्थुः
तमसः परस्तात्।

हम संसद में कल से जिस संदेश की चर्चा करते रहे हैं, वो यही था जो 3000 वर्ष पूर्व दिया गया था परन्तु आज 3,000 वर्ष बाद भी हम परस्पर विरोधों पर काबू नहीं कर पाये हैं। परिणामतः पूरा देश आज उद्वेलन से गुजर रहा है। हम अभी भी परस्पर विरोधों से ग्रस्त हैं और हम सब उसके शिकार हैं, विशेषकर ग्रामीण जनता। इस देश की जनता ने हममें अपना विश्वास व्यक्त किया है वरना हम अपने आप को उस विश्वास के योग्य सिद्ध नहीं कर पाये हैं। हमने भ्रष्टाचार, गरीबी उन्मूलन और निरक्षरता जैसे बहुत से मुद्दों पर चर्चा की है और हमने स्वयं ही पाया है कि हम इनसे उबर नहीं सके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इन मुद्दों को नहीं सुलझा पाए और इसका मुख्य कारण उचित शिक्षा की कमी है और आजादी के बाद हम यह आशा करते हैं कि हम शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जो इस देश की धरती के लोगों के अधिक अनुरूप होगी।

दुर्भाग्य से स्वाधीनता प्राप्ति के पचास वर्षों के पश्चात् भी हम अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का ही अनुसरण कर रहे हैं।

राजनैतिक तौर पर यद्यपि हम स्वतंत्र हो चुके हैं किन्तु शिक्षा तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में हम अभी भी अपने आपको गुलामी से मुक्त नहीं कर पाये हैं। मैं सरकार अथवा किसी राजनैतिक दल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मेरा आरोप यह है कि हम अभी तक भी देश की जनता को यह सन्देश नहीं दे पाए हैं कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो कि वास्तव में हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता और उत्कृष्टता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। हम केवल शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। एक विस्तृत शैक्षिक ढांचा होने के बाद भी 13 करोड़ लोगों से 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों को शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आप भी यह जानते हैं और इनमें से बहुत से विषयों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं।

अब मैं, उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ उदाहरण देता हूं। 1947 में हमारे देश में 23 विश्वविद्यालय थे और 1995 में मानित विश्वविद्यालयों सहित 224 विश्वविद्यालय थे। 1947 में यहां केवल 700 महाविद्यालय थे और 8613 महाविद्यालय हैं। 1947 में डिग्री कक्षाओं के लिये 1 लाख 5 हजार विद्यार्थियों का नाम दर्ज किया गया था जबकि 1995 में यह संख्या बढ़कर 70 लाख हो गई। 1947 में 15,000 शिक्षक थे जिनकी संख्या 1995 में 61,300 हो गई। इस प्रकार इतना विशाल ढांचा होने के बावजूद भी हम राष्ट्रीय कल्याण व्यय करने के बावजूद भी हम वह सब प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो कि वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है।

उच्च शिक्षा निश्चित रूप से शिक्षा के विस्तार पर बल देती है। देश में आज 70 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर हैं जिन्होंने इस उच्च

शिक्षा तंत्र के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण की है हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं जबकि आज शिक्षा की गुणवत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा है। हम उपयोगिता के साथ-साथ कार्य कुशलता भी चाहते हैं। किन्तु स्थिति अच्छी नहीं है। उच्चतर शिक्षा उत्कृष्टता पर बल देती है और शिक्षा में उत्कृष्टता भी कोसों दूर है। अत: इन परिस्थितियों में मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं। सभापति जी के माध्यम से इस सदन से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि हमारे यहां दो बड़ी संस्थाएं हैं, एक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है किन्तु यह संस्था प्राथमिक, उप प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने में सफल नहीं हो सकी है। दूसरी संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो कि शिक्षा की योजना बनाने के कार्य के साथ न्याय नहीं कर सका है। मैंने यह आरोप क्यों लगाया है, यह आप उस विवरण से जान जायेंगे जो मैं देने जा रहा हूं।

विश्वविद्यालयों में कला वर्ग में हम 40.4 प्रतिशत विद्यार्थियों का नाम दर्ज कर रहे हैं। मैं 1995 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं। विज्ञानवर्ग में हम 19.6 प्रतिशत विद्यार्थियों का तथा वाणिज्य वर्ग में 21.9 प्रतिशत छात्रों को दर्ज कर रहे हैं। सामान्य शिक्षा में यह प्रतिशत 2.3 है। अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तथा चिकित्सा शास्त्र में यह प्रतिशत 3.4 है। कृषि विज्ञान में 1.1, पशु चिकित्सा शास्त्र में 0.3, विधिशास्त्र में 5.3 तथा अन्य क्षेत्रों में 0.8 प्रतिशत है। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। 40.4 प्रतिशत स्नातक जो कि सामान्य कोर्सो में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी क्या उपयोगिता है। हम निर्धनता और बेरोजगारी की बात करते हैं और हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विविध उद्योगों की बात करते हैं। उद्योग किस प्रकार उन्नति कर सकते हैं? इन विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित की जाने वाली श्रम शक्ति का किस तरह उपयोग किया जा सकता है। जब तक हम एक खास मकसद और प्रयोजन के साथ नहीं चलंगे तब तक उच्च शिक्षा अर्थहीन रहेगी। हम अभी भी विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं किन्तु इनकी स्थापना आवश्यकता के कारण न होकर राजनैतिक प्रभाव के लिये हो रही है। अत: मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस सदी के अंत तक 84 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन इन विश्वविद्यालयों में हो जायेगा और सन् 2010 तक लगभग एक करोड़ छात्र महाविद्यालयों में अपना नामांकन कराएंगे।

शिक्षा के इस क्षेत्र में विशेषरूप से ''प्लस टू'' स्तर पर और उच्च शिक्षा के संबंध में हम कोई विशेष दिशा निर्धारित नहीं कर पाये हैं। जब तक हम इस विषय में कोई दृढ़ संकल्प नहीं कर लेते तब तक हम इन इस विकट स्थितियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। हमारा एक मकसद होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे पूरा किया जाएगा। यहां बहुत से दार्शनिक, प्रबुद्ध और प्रौढ़ राजनीतिज्ञ हैं और मैं समझता हूं कि वे ही ऐसा कोई समाधान निकालेंगे जिससे कि हमारा देश बेरोजगारी की समस्या से पूरी तरह से निजात पा ले और गरीबी की समस्या भी काफी हद तक सुलझ जाये।

डा. डी. एस. कोठारी ने एक दूरदर्शितापूर्ण वक्तव्य दिया कि भारत का भविष्य शिक्षण संस्थानों की चार दीवारी में तैयार हो रहा है, किन्तु ऐसा नहीं हो पाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि यदि हमारे विश्वविद्यालय अच्छे हैं तो हमारे देश का भविष्य भी अच्छा होगा यह भी नहीं हो पाया। संसद के कुछ सदस्यों ने महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किन्तु वह भी हम पूरा नहीं पाए हैं। अब, पढ़ाई का माध्यम किस भाषा को बनाया जाऐ, इस संबंध में लोगों में मतभेद हैं। बहुत से माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें और बहुत से माता-पिता इस दुविधा में फंसे हैं कि वे बच्चों को शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दिलाएं या फिर स्थानीय स्कूलों में। क्योंकि हम हिन्दी की बात भी करते हैं और अंग्रेजी की भी तथा वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा की बात भी करते हैं, इसीलिये हमारे लोग इस संबंध में निर्णय नहीं ले पाते।

डा. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था किन्तु इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। 1986 में नई शिक्षा नीति भी बनाई गई जो कि आज तक क्रियान्वित नहीं हो पाई। मैं नहीं जानता कि इस आयोग से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा या नहीं। इसीलिये मेरा आपसे और सारे सदन से अनुरोध है कि वे निश्चित रूप से एक संकल्प लें और ऐसे उपाय करें जिससे कि शिक्षागत ढांचे का पुनर्निर्माण किया जा सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली देश की बुराईयों को दूर करने में समर्थ नहीं है।

रात्रि 8.00 बजे

महोदय, हमारे विश्वविद्यालय तो हैं लेकिन इन विश्वविद्यालयों को धनराशि प्रदान नहीं की जाती। कुछ विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय हैं और कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों का बुरा हाल है। इन विश्वविद्यालयों में से अधिकांश सम्बद्ध विश्वविद्यालय हैं और इन 224 विश्वविद्यालयों में से 176 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत आते हैं। इन 176 विश्वविद्यालयों में से 144 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुल 8,300 महाविद्यालयों में से केवल 4500 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हो रहा है।

अत: महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों ही अनुदानों की कमी का सामना कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं है और अनुसंधान का स्तर तो बिल्कुल चरमरा ही गया है। इसलिए, हमें इस समस्या को दूर करना है। यदि अनुसंधान कार्य को जारी रखना है, यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है तो हमें अवश्य ही विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धनराशि देनी पड़ेगी।

महोदय, ऐसा प्रस्ताव था कि बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए लेकिन किसी भी व्यापारिक घराने से विश्वविद्यालयों की

मदद करने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। यद्यपि इन व्यापारिक घरानों को विश्वविद्यालयों की सहायता करने पर कर में छूट दी गई है लेकिन फिर भी इन घरानों ने कोई सहायता नहीं की। इसलिए, मेरा अनुरोध है ...

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : जी हां, महोदय।

विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में अवश्य सुधार होना चाहिए और इनके ढांचे में परिवर्तन करके इन्हें नया स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि समाज में व्याप्त इस बुराई को दूर किया जा सके।

सभापति महोदय : डा. शर्मा, कृपया अब समाप्त करें मुझे अगले वक्ता को भी बोलने का अवसर देना है।

डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मैं समय की कमी से अवगत हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपनी बात अभी समाप्त कर रहा हूं।

मुझे सभापति महोदय के माध्यम से एक और अनुरोध करना है कि शिक्षा के संबंध में एक आयोजना बनाई जानी चाहिए। हमारे यहां शिक्षा के संबंध में कोई योजना और शैक्षिक आयोजना नहीं है जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए, इन संस्थानों की कुछ जवाबदेही भी निर्धारित की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : डा. प्रवीन चंद्र शर्मा, कृपया अब समाप्त करिए।

डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : महोदय, मैं एक श्लोक के बाद समाप्त कर रहा हूं।

''ध्यायतो विषयान् पुंसः
सङ् गस्तेषूपजायते।
सङ्गातसंजायते कामः
कामात् क्रोधउ भिजायते॥
क्रोधाद्भवति सम्मोहः
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धि नाशो
बुद्धि नाशात् प्राणश्यति॥

महोदय, हमें अपने आपको इस प्रकार मारना नहीं चाहिए। यह संसद है। हम सम्पूर्ण राष्ट्र की आत्मा हैं और इसलिए हमें अपने आपको इस प्रकार मारना नहीं चाहिए ताकि भावी पीढ़ी हमें इसके लिए दोषी न ठहराए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, मेरे पास तीन वक्ताओं के नाम और हैं। इसलिए प्रत्येक को 10 मिनट देते हुए – यह हमारी सहमति है – हम इन तीनों वक्ताओं का भाषण समाप्त कर सकते हैं और इसके पश्चात् हम आज के लिए इस सभा को स्थगित कर देंगे।

अब, श्री लाल बिहारी तिवारी।

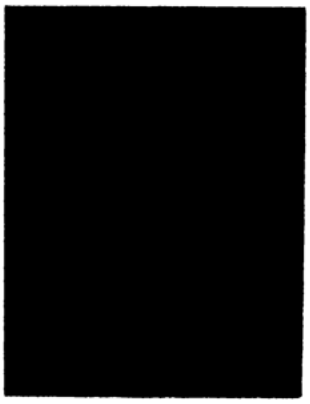

श्री लाल बिहारी तिवारी

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं अभी-अभी लोक सभा के उप चुनाव में पूर्वी दिल्ली से विजयी होकर संसद सदस्य बना हूं और मुझे आजादी के पचासवें स्वर्ण जयंती अवसर पर यहां बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

सभापति महोदय, आज से 50 वर्ष पहले, देश की आजादी की लड़ाई, महात्मा गांधी, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. जवाहर लाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पंत जैसे बड़े-बड़े नेताओं के नेतृत्व में लड़ी। उस समय महात्मा जी ने आह्वान किया कि ''अंग्रेजो भारत छोड़ो।'' उस समय सारे देश में एक भावना आ गई और आंदोलन के लिए सारी जनता कूच कर गई। उस समय यह देखा गया कि गांवों में, खेत-खलिहानों में, देश के हर कोने में आजादी की लड़ाई लड़ने और अंग्रेजों से जूझने की हिम्मत पैदा हो गई। उस समय हर व्यक्ति का एक ही फैसला था कि मरना है या आजादी लेनी है। उन दिनों जब लड़ाई चल रही थी तो वहां पर गांव के अंदर एक चौपाल के अंदर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग दोपहर में अपना मनोरंजन कर रहे थे। कोई ताश खेल रहा था तो कोई हुक्का पी रहा था। उस समय जब कोई आदमी दूर से आता हुआ दिखा जो गांधी जी की टोपी, खादी का कुरता और धोती पहनकर आ रहा था उसे देख सारे लोग खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि आज कोई महापुरुष आ रहा है। आज का दिन ठीक निकलेगा। लेकिन आज आजादी के 50 वर्ष बाद उसी चौपाल के अंदर बैठे हमारे बुजुर्ग जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति खादी का कुरता, धोती और टोपी पहनकर आ रहा है तो लोग कहते हैं कि आज का दिन ठीक निकालना नसीब में नहीं है। आज रोटी मिलना नसीब में नहीं है। यह जमाना हमने देखा है और सुना है। उस समय जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के अंदर हमारा नेतृत्व किया, तो उस समय कोई असभ्य व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलता था। लेकिन आज 50 साल के अंदर कितना परिवर्तन हो गया है। हमको ईमानदार आदमी ढूंढने में कितनी कठिनाई हो रही है। यह जो हमारा 50 साल का नैतिक पतन हुआ है, जो हमारा नैतिक

चरित्र गिरा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को हमारे नैतिक पतन की तरफ विशेष ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, हम लोगों ने यहां पर देखा कि नेता और हमारे यहां विकास की तरफ से देश के अंदर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं, तो वहां पर हमारा क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। वहां पर चाहे भवन निर्माण हो, चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे बड़े-बड़े मार्गों का निर्माण हो, उसके अंदर भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है। मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे देश के अंदर जब किसी चीज के निर्माण के लिए उसका एस्टीमेट बनाया जाता है तो उस एस्टीमेट के अंदर भी जो कमीशन होता है, वह रेट भी चार्ज कर लिया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह पैसा कहने के बाद भी हमारे देश की इमारतों के अंदर पूरा पैसा नहीं लगाया जाता है। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि एक रुपये में से 10 पैसे आम लोगों तक पहुंचते हैं। आजादी की हमारी सही वकालत करने का यह अर्थ होगा कि हमें उस चीज को बचाना होगा। हमें उसकी रक्षा करनी होगी।

सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले इस सदन के अंदर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक विधेयक पर बहस हुई थी। हमने कहा कि इस देश के अंदर भिक्षावृत्ति ठीक नहीं है। यहां पर बहुत सारे गरीब बच्चों का शोषण होता है। बहुत सारे लोग उनका शोषण करते हैं, पेशा कराते हैं। अनेक राज्यों में बच्चों का शोषण रोकने के लिए, भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बने हैं लेकिन उन कानूनों का भी उल्लंघन हो रहा है। हम यह चाहते हैं कि देश के अंदर भिक्षावृत्ति रुके। लेकिन जहां हम भिक्षावृत्ति को रोकना चाहते हैं वहां हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आज हम दुनिया के बड़े-बड़े देशों के सामने कटोरी उठाकर भिक्षा दो, भिक्षा दो, की जो बात करते हैं, वह न करें। हमें स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब कोई पिता अपने बेटे को यह कहता है कि तुम्हारे लिए शराब पीना ठीक बात नहीं है। अगर रात को खुद वह शराब पीता है तो उसका असर कभी भी समाज के अंदर नहीं हो सकता। उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं ऐसा आपके सामने लाना चाहता हूं कि हमने अपनी आजादी के 50 साल में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था लागू करके अपनी जो विकास दर है, उसको 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया है। हमारी बचत करने की रुचि रहने के कारण निवेश दर पहली पंचवर्षीय योजना से 12 फसदी से बढ़कर 25 फीसदी अवश्य हुई है। यह बचतों और निवेशों की बढ़ी हुई राशि के कारण 1950-51 से भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 8,938 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,70,269 करोड़ रुपये हो गया था। परन्तु खेद का विषय है कि जनसंख्या की न्यूनतम आबादी के 20 प्रतिशत को राष्ट्रीय आय का केवल 8.7 प्रतिशत मिलता है जबकि इससे ऊपर की 20 प्रतिशत की आबादी को 42.6 प्रतिशत मिल रहा है। जो लगभग 5 गुना है। इस देश के अंदर हमारी आजादी की रक्षा और आजादी मिलने का सही मायने तब होगा जब हम इस संकल्प को दूर करेंगे और तभी हम आजाद भारत की कल्पना कर सकते हैं।

हमने यह देखा है कि लक्षित गरीबी उन्मूलन योजना के तथ्यों पर अगर हम नजर दौड़ायें तो हम देखेंगे कि आय और वितरण की विषमता को पिछले 50 सालों में हम कम नहीं कर पाये हैं। जनसंख्या का 30 फीसदी सर्वाधिक प्रभावित व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निजी उपयोग का 52 फीसदी खर्च करता है, शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 54 फीसदी खर्च करने की है। वहीं जनसंख्या के 30 फीसदी सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति के हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल उपयोग 15 फीसदी होगा और शहरी क्षेत्रों में मात्र 14 फीसदी आता है जो उनके अनुपात के हिसाब से बहुत ही कम है। हमारे समाज में इतनी अधिक विषमता हो गई है कि हम इसे दूर करने में कामयाब नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषमता ने मृत्यु के समय भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। आप देखते होंगे कि सड़कों पर ऐसे गरीब इंसान धूप से मर जाते हैं और उनका दाह-संस्कार करने के लिए साधारण लकड़ी भी नहीं मिलती लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाश को चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है। क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपने देश में लक्ष्य की पूर्ति करने में कामयाब हो सकते हैं? हमारे देश में करोड़ों लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। लोग उनका यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि वहां पर टेलीविजन चलता है, झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती में कोई गरीबी नहीं है। यदि नजदीक से जाकर देखा जाए तो कड़कती धूप में, सर्दी में और बिजली के करैंट से वे बच्चे मर जाते हैं और उनको गरीब बस्ती में कोई पूछने वाला नहीं होता।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है, अपनी आजादी को कायम रखना है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम झुग्गी-झोपड़ी में जाएं और उनसे प्यार बढ़ाएं, उनकी उन्नति के लिए इस देश में तरक्की करें, उनके लिए विशेष धन रखें तभी हम आजाद भारत का अच्छा सपना देख सकते हैं।

निर्यात के मामले में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1950 में 1.85 फीसदी से गिरकर 1970 में 0.64 हो गया, 1980 में तो मात्र 0.42 रह गया। यह हमारे देश के लिए दयनीय स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश को इस पर ध्यान देना चाहिए।

पिछले पांच दशकों में अनाज के बारे में कहा जाता है कि हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। अनाज हमारी मांग के अनुसार पैदा हो रहा है, यह बात ठीक भी है लेकिन पिछले 15 वर्षों में यदि खाद्यान के प्रतिशत को देखें तो 1952 से 1966 तक खाद्यान का प्रतिशत 2.0 था और गैर-खाद्यान का प्रतिशत 3.87 हो गया। खाद्यान्न के उत्पादन का प्रतिशत गिर रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि 1950-51 में खाद्यान का उत्पादन 50.8 मिलियन था जोकि 1994-95 में 191.15 मिलियन हो गया। 1950-51 में जो 42.0 मिलियन टन था, वह 1994-95 में 177.5 मिलियन टन हो गया। लेकिन दलहन का उत्पादन 11.12 मिलियन टन ही रह गया है जोकि चिन्ता का विषय है। पहले गरीब व्यक्ति दाल से रोटी खाकर अपना पेट भरने की बात करता था लेकिन पिछले दिनों 30 से 40 रुपये प्रति किलो तक दालें बिकी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दलहन के उत्पादन की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा और यदि इसके लिए हमें बजट में राशि भी बढ़ानी पड़े तो बढ़ानी चाहिए।

आप देखें कि उपज के हिसाब से, यह ठीक है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहां पर उत्पादन के मामले में हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से चावल के उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, अभी तो शुरू हुआ है।

सभापति महोदय : 11 मिनट के बाद शुरू हुआ है।

श्री लाल बिहारी तिवारी : मैं इंगित करना चाहता हूं, यह ठीक है कि भारत को खाद्यान्न के मामले में गर्व है लेकिन थोड़ा सा इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि भारत, चीन, अमरीका और जापान, इन चार देशों में प्रति हैक्टेयर उत्पादन का जो प्रतिशत है, वह चौंकाने वाला है। भारत के अन्दर 1987-88 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 क्विंटल पैदावार होती है तो जापान में 40 क्विंटल पैदावार होती है। हमारे वैज्ञानिकों को चाहिए कि देशों में जाकर तकनीकी आदान-प्रदान करें और इसको बढ़ाने के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए।

अब मैं संक्षेप में कहूंगा। कृषि मंत्री चतुरानन मिश्र जी ने अभी 25 अगस्त को एक समाचार-पत्र के माध्यम से बताया कि 20 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ है और उन्होंने यह भी कहा कि हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 19,500 करोड़ रुपये की मांग की थी, उसके मुकाबले में 8700 करोड़ रुपया मिला है, वरना यह उत्पादन और अधिक बढ़ सकता था। जहां उत्पादन की तरफ हमारा ध्यान है, वहां हमें वितरण और रख-रखाव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सारे देश के अन्दर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एफ.सी.आई. की जो अनाज को रखने की क्षमता है, वह मात्र 23 मिलियन टन की है। सारा अनाज आप देखें कि गोदामों से बाहर पड़ा रहता है और बरसात के दिनों में गेहूं चावल सड़ जाता है और सारे देश के अन्दर वही गेहूं चावल वहां सप्लाई होता है और गरीब आदमी को वही चावल दिया जाता है। हमारी सारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अभी यहां 30 लाख टन गेहूं का आयात किया गया। केवल यही नहीं कि 1996-97 के अन्दर तो 20 लाख टन किया गया, 1994-95, 1995-96 में 30 लाख टन किया गया और मेरी जानकारी के मुताबिक जो हमने यहां से गेहूं दिया, वह सस्ते दामों पर दिया और जो वहां से गेहूं मंगाया, वह महंगे दामों पर मंगाया। हमने यह देशहित में नहीं किया, जिन लोगों ने किया है। देश के अन्दर अन्न का भंडार भरा हो और हम विदेशों से आयात करें, इस विदेशों से आयात करने की पद्धति को समाप्त करना होगा।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

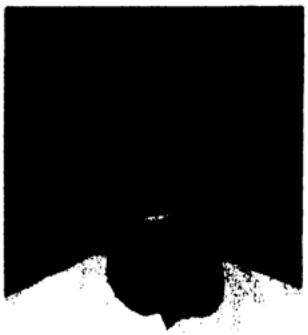

श्री मनोरंजन भक्त

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति जी, आज दो दिन से इस सदन में आजादी की 50वीं सालगिरह के ऊपर चर्चा हो रही है। दो दिन से बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और जो मुद्दे सबसे आगे हैं, शायद हम लोग उसको देख नहीं पाये, क्योंकि आज सारे देश में एक ही सवाल है। वह सवाल यह है कि संसदीय लोकतंत्र से आम जनता का भला हो सकेगा या नहीं होगा या देश के सामने दूसरी किसी किस्म की प्रक्रिया या व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इस देश की 96 करोड़ आबादी की खुशहाली बढ़ सकती है और रोजाना जो तकलीफ उनके सामने आती है, वह तकलीफ दूर हो सकती है। लेकिन एक सवाल मैं इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं, हम जो लोग यहां चुनकर आते हैं या जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, क्या यह जो डैमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात हम करते हैं, क्या सचमुच में यह सही ढंग से, सही तरीके से चल रही है, यह सवाल हमारे सामने है। आजादी हासिल करने के बाद में जब ऑब्जेक्टिव्ज़ रैजोल्यूशन जो पास हुआ था, इसमें एक बात बताई कि

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं:-

> "भारत के सभी नागरिकों को कानून और लोक नैतिकता के अध्यधीन, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, प्रास्थिति और अवसर की समानतायें, तथा बातचीत, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, उपासना, संगठन और कार्य की मौलिक स्वतंत्रता-प्रत्याभूतित और प्रतिभूत होगी।"

[हिन्दी]

मेरा सवाल यह है कि क्या इस देश में संविधान में जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, क्या वह अलग-अलग है या सारे देश के लोगों को एक ही अधिकार नागरिकता का प्राप्त है। हम जब देखते हैं जहां केन्द्र शासित इलाका है, जैसे लक्षद्वीप है जहां से सभापति जी आप आते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां से मैं आता हूं, हमें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। देश के बाकी हिस्सों में जो लोगों को अधिकार प्राप्त हैं, वे हमें नहीं हैं। सारे प्रदेशों में विधान सभाएं हैं, वहां के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन इलाकों के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इसी तरह से शासन में जो बाकी प्रदेशों में लोगों की हिस्सेदारी है, वर्तमान व्यवस्था के चलते केन्द्र शासित इलाकों के लोगों की भागीदारी नहीं है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इन बातों की तरफ किसी को सोचने का और देखने का मौका नहीं मिला। हम लोग छोटी सी जगह से आते हैं। इस सदन में भी हमें बोलने के लिए सही समय पर मौका नहीं मिलता। सभापति जी, आप आसन पर बिराजे हैं इसलिए आपकी हमसे हमदर्दी हुई और हमें इस वक्त समय मिल गया, जबकि सारा सदन लगभग खाली है और केवल दो-चार सदस्य ही उपस्थित हैं। हमारा दु:ख-दर्द क्या है, यह सुनने के लिए भी लोग नहीं हैं।

सभापति महोदय : सारा भारत सुनता है, आप बेफिक्र रहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : सारा भारत सुनता है, लेकिन सिद्धांत वाले लोग नहीं सुनते। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आजादी को पचास साल हो गए, लेकिन एक सुनहरा मौका पिछले दिनों सदन में आया। जब मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और उसी सत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाने की बात कही। इस बारे में सर्वदलीय मीटिंग में भी सहमति हो गई थी, लेकिन आज तक वह बिल नहीं आया। यह एक मौका था जब आप हम लोगों के लिए ठोस काम कर सकते थे। देश के सभी नागरिकों को जो हक है, वह हमें भी दिया जा सकता था। मुझे इस बात का भी खेद है।

आप देश में कहीं भी जाएं, विज्ञापनों की बात करें। अभी कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान टाइम्स में हमने देखा कि एक विज्ञापन आया उसमें भारत का मानचित्र था। उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप नहीं था। सही मायने में भारत की भौगोलिक सीमा रेखा उसमें नहीं थी। हमारे देश के लोग नहीं जानते, सरकार भी नहीं जानती

कि हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है। ऐसे ही जब हम दूरदर्शन देखते हैं तो उसमें कोई कमी हमें नजर आती है तो हम चिट्ठी लिखते हैं। इसी तरह से हमने उस प्राइवेट एडवर्टाइजर को चिट्ठी भेजी और उसने कहा कि हमसे गलती हो गई। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने मंत्री महोदय को लिखा कि भारत की भौगोलिक सीमा है, आपको उसको देखना चाहिए।

पिछले दिनों इंडोनेशिया के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया का है। इसी तरीके से कई लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह से हमने दो दिन पहले दूरदर्शन में देखा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी नहीं, लक्षद्वीप भी नहीं। इसी से मालूम हो जाता है कि इन छोटे-छोटे इलाकों के लिए हम किस प्रकार की सोच रखते हैं। इसका मुझे खेद है और दुःख भी है।

हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुदलीय शासन व्यवस्था चलेगी, एक पार्टी की शासन व्यवस्था नहीं चलेगी। मैं इस बात को नहीं मानता । मैं समझता हूं कि देश के लोगों का विश्वास जिस पार्टी में होगा, जिस पार्टी में उनकी आस्था होगी, वह पार्टी शासन में आएगी। यह कहने से नहीं होगा कि एक पार्टी की शासन व्यवस्था यहां नहीं आएगी। अगर भारत में तरक्की होनी है और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है। जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। उनका आश्वासन पूरा तभी हो सकता है जब एक मजबूत राजनैतिक शक्ति उभरकर आएगी तब जाकर इस काम को पूरा किया जा सकता है। आज हम यूनाइटिड फ्रंट की सरकार देखते हैं और कई लोग इसके बारे में बोलते हैं और पश्चिम बंगाल की मिसाल देते हैं। आज बीस साल से वहां यूनाइटिड फ्रंट की सरकार चलती है। उसका कारण यह है कि उनकी एब्स्योलूट मेजोरिटी है। अगर बाकी लोग निकलकर भी चले जाएं तो भी वह सरकार चला सकते हैं। लेकिन केन्द्र में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके पास ऐसी ताकत हो।

आज आप यह बात देखते हैं कि एक राजनैतिक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है? दो बड़ी पार्टी अलग हैं, सत्ता में नहीं हैं। छोटी-छोटी पार्टी सत्ता में हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको यह देखना चाहिए कि राजनैतिक नेतृत्व कहां-कहां फेल हो गया। यह हमको देखना पड़ेगा। अगर वह चीज हम ठीक कर सकते हैं तो आने वाले समय में बहुदलीय नहीं बल्कि एकदलीय सरकार बनेगी।

मैं विकास के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हमने विकास किया है और विकास का काम हुआ है। लोग चाहे जो कुछ भी बोलें, यह मानना पड़ेगा कि हमारे देश ने दुनिया के बाकी देशों से पचास साल के अंदर तरक्की की है। हमने हर पहलू पर तरक्की की है लेकिन लोग नाराज क्यों हैं? हमारे प्रथम प्लान से लेकर अभी तक जो खर्चा हुआ है, वह ढ़ाई हजार करोड़ रुपए का हुआ है और उसके बाद वर्तमान योजना पर करीब चार लाख करोड़ का खर्च होगा। हर जगह में इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी लोग नाराज क्यों हैं? मैंने इस दृष्टि से थोड़ा सोचने की कोशिश की है और उसमें हमने देखा कि सरकार ने सड़क बनवा दी लेकिन सड़क बनवाने के बाद उस सड़क में गढ्ढा हो गया। सड़क का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसी तरह स्कूल बनवाया लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं हैं और टीचर्स हैं भी तो वे अपना झोला कंधे से टांगकर राजनैतिक क्रियाकलाप करते हैं और उनके पास बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं है।

इसी प्रकार से जिस जगह पीने के पानी के लिए गांव-गांव में नल लगवा दिया गया है लेकिन नलके में पानी नहीं आता क्योंकि जिस डैम से पानी आएगा, उस डैम में पानी नहीं है। किसी जगह में खर्च करने में कमी नहीं की लेकिन उसके परिणाम आम जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए आम जनता नाराज है। करोड़ों हजारों रुपया सरकार खर्च करती है लेकिन उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। आप करोड़ो रुपया खर्च करते हैं, उससे उनको क्या मतलब है? उनको तो लाभ नहीं पहुंचता है।

अगर लोकतंत्र को कायम रखना है तो हमको एक निर्णय लेना पड़ेगा। वह निर्णय यह है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, उसको मजबूत करना है और उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाना है। मैं आज आपसे यह विनती करना चाहूंगा कि आने वाले दिन में हमको यह भी करना पड़ेगा कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप भी महसूस करते होंगे कि हम लोगों की क्या अथोरिटी है? एक पटवारी अगर चिट्टी लिखता है, उसकी जितनी भी हमारी मर्यादा नहीं है। एम.पी. के चिट्ठी लिखने की मर्यादा नहीं है। दिल्ली में तो मंत्रियों से एकनॉलेजमेंट मिल जाता है लेकिन बाकी रिजल्ट सामने नहीं आते। हम इक्कीस साल से इधर हैं, मैंने यही देखा है। प्रधान मंत्री जी से चिट्ठी मिलना आसान है, बाकी लोगों से मिलना आसान नहीं है। जितने माननीय सदस्य एक-एक जगह में हैं आप उन सब को एक-एक करके पूछिए, उन सब के अंदर दुख है। सब आदमी मंत्री नहीं बन सकते, लिमिटेड लोग ही बनेंगे। लेकिन जो किसी मंत्री से मिलने के लिए जाने से मर्यादा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। आप ऊधर आधा घंटा बैठिए, जब उनके स्टाफ की मर्जी होगी तब वह आपकी स्लीप भेजेगा। वे बोलते हैं कि अभी मंत्री जी व्यस्त हैं इसलिए थोड़ी देर बाद हम भेजेंगे। मेरा कहना यह है कि संसद के जो माननीय सदस्य हैं उनके अंदर भरोसा नहीं है इसलिए वे दुखी हैं तो वे आम लोगों के दुख को कैसे दूर करेंगे?

महोदय, मैंने क्षेत्र में जाने पर यह भी देखा है, क्षेत्रों में लोग सोचते हैं कि ये एम.पी. हैं, ये सब काम कर सकते हैं। खास करके आपकी और मेरी हालत तो एक ही है। हमने देखा कि लोगों की भीड़ लग गई और यह रोजाना का काम है। फिर किसी आफिसर से मुलाकात होने पर बोलते हैं कि आपतो बहुत पापुलर हैं, आपके पास बहुत आदमी आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि यह मेरा पापुलेरिटी का बैरोमीटर नहीं है, नार्मल चैनल में जो रिड्रेसल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है इस कारण से वे इधर-ऊधर हरेक के पास दौड़ते हैं कि मेरा कुछ काम हो जाए। यह बात भी चर्चा में आनी चाहिए कि जो सांसद जिस इलाके से आते हैं वे वहां से लोगों के विश्वास को लेकर आते हैं। उनके इलाकों की जो दुख-दर्द की बात है उसके ऊपर इस सरकार की तरफ से सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद उस पर कुछ काम होना चाहिए।

मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हम किसी लाइसेंस कोटा परमिट के लिए जाते हैं तो बिलकुल न कर दीजिए,

उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिस जगह में पब्लिक के दुख तकलीफ की बात है उसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आप वचनबद्ध हैं। इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो हमारी डेमोक्रेसी है, यह डेमोक्रेसी एक एक्सपेरीमेंटल के ऊपर है। आज 50 साल हो गए हैं इसके बाद अगर हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आगे जाकर भी यह संसदीय प्रणाली नहीं रहेगी और उस समय क्या होगा, सिविल वार होगी या कुछ और होगा, उसको मैं अभी नहीं बोल सकता। दूसरी बात यह है कि जहां तक सिक्यूरिटी का सवाल है, यह भी मैंने एक अजीब चीज देखी कि अंडमान-निकोबार आईलैंड में हर दफा पोचर्स आ जाते हैं वे लकड़ी काट कर ले जाते हैं। इधर से ऊधर हमारी सम्पदा ले जाते हैं। लेफ्टीनेंट गर्वनर से लेकर हम सभी लोग हर जगह भारत सरकार के पास रोते-रोते जाते हैं लेकिन अब तो ऐसा करने की भी इच्छा नहीं करती। ऊधर एक मरीन पुलिस की फोर्स थी, फ्रिक में जो पोचर्स आते हैं उनकी रोकथाम करने के लिए थी। यह एक अजीब किस्म की बात है देश की सिक्यूरिटी के लिए अगर उस जगह में भी सरकार की तरफ से देखभाल नहीं होती है तो बाकी कौन सी जगह में होगी।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बड़े-बड़े नेताओं से बात करते हैं कि अंडमान-निकोबार की यह तकलीफ है तो वे बोलते हैं कि आपकी तकलीफ बहुत आसान है आप इनडिपेंडेंट हो जाओ। यही बात एक बार मोरारजी भाई ने हमको कही थी जब हम उनके पास गए थे। उन्होंने कहा-अंडमान निकोबार में क्या डेमोक्रेसी चाहिए? आप इंडिपेंडेट हो जाओ। वही बात आज भी सब मजाक में बोलते हैं। वे समझने की कोशिश नहीं करते कि जो इतने दूरदराज इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका जो अपना हिस्सा है, जो सारे भारतवासी हैं, इस बात को बोलने से उनको कितनी चोट लग सकती है, इस बात को नहीं समझते हैं। आप जानते हैं कि अंडमान-निकोबार आईलैंड में सेलूलर जेल है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को ले जाकर रखते थे।

कितना अत्याचार उनके ऊपर हुआ। उस जगह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसम्बर, 1943 को तिरंगा झंडा फहराया था। भारत का यह हिस्सा अंडमान-निकोबार सबसे पहले आाजाद हुआ था। उस जगह में भी इस तरह की बातें सुनने पर दुख होता है।

दूसरी बात यह है कि इंदिरा जी उस द्वीप को मिनी-इंडिया कहती थीं। देश का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जिसकी आबादी अंडमान-निकोबार में न रहती हो। कोई भी धर्म और जात नहीं है जिसके लोग वहां न रहते हों। वहां न कभी दंगा हुआ न फसाद हुआ। वहां हिंदू और मुसलमान में शादी होती है, क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोगों में शादी होती है। वहां हिन्दुस्तानी सभी लोग बोलते हैं और अपने-अपने घरों में अपनी-अपनी भाषाएं बोलते हैं। बंगाली वहां 20 प्रतिशत हैं बाकी सब मिले-जुले हैं। हमारे पास आदिवासी लोग हैं। इतना सब होते हुए भी सरकार वहां ध्यान नहीं देती है। यहां सदन में दो-चार लोग जो बैठे हैं मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और सदन के और सदस्यों का ध्यान भी आकर्षित करें।

एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। हमारे द्वीप के अंदर जो आईलैंड डवलपमेंट अथॉरिटी बनी, वह भी बंद पड़ी हुई है। मैंने प्रधान मंत्री से बात की कि जल्दी से उसके ऊपर मीटिंग बुलाएं और हमारी समस्या का हल निकालें। सभापति जी, आज इधर से एक संदेश जाना चाहिए क्योंकि हमने सदा देखा है कि जहां फसाद, दंगा और वायलेंस होता है, भारत सरकार जल्दी से उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। चाहे मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणीपुर हो, इन जगहों में जब लोग हथियार हाथ में लेते हैं तो उनसे बात होती है। सरकार कहती है कि आइये, बैठिये, समस्या का हल कीजिए। देश के अंदर यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि अंडमान या लक्षद्वीप में आप भी डंडा लेकर खड़े होंगे तभी भारत सरकार सुनेगी। यह संदेश नहीं जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तकलीफ में वहां के लोग काम करते हैं। चाहे हम संख्या में छोटे हैं लेकिन हम भी भारत का हिस्सा हैं। इस देश की तरक्की और खुशहाली में हमारा भी हिस्सा है। राजनीतिक जोड़-तोड़ में सारे भारत में, गिनती के हिसाब से हम बहुत छोटे हैं, इन्सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन देश का हित सोचा जाए तो हम देश के गेट-वे में खड़े हैं। इसलिए भारत सरकार को इस बात को सोचना चाहिए और अगर नहीं सोचेंगे तो लोग मजबूर होंगे। आप कितने दिनों तक नौजवान पीढ़ी को रोककर रखेंगे। आज उनके अंदर एक बैचेनी है, एम्पलाएमेंट की तकलीफ है। आज क्या हो रहा है। यू.पी.एस.सी. सारे देश से एप्लीकेशन लेकर सिलेक्शन करेगा। लेकिन जो अंडमान-निकोबार में पढ़ा हुआ है, क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको नहीं लेगा। जब यह नहीं होगा तो बेचैनी बढ़ेगी। इस बात पर सोचने की आवश्यकता है।

आने वाले 50 सालों के लिए मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। हमारा जो संविधान है, ऐपेक्स कोर्ट के मुताबिक हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। हम लिमिटिड तरीके से बदलाव कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को हम बदल नहीं सकते। हमारा संविधान स्टैटिक नहीं है। इसके चलते हुए समाज की जरूरत के मुताबिक उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। दूसरी संविधान सभा बना कर संविधान की दोबारा रचना करनी चाहिए और उसमें पिछले 50 सालों का एक्सपीरियेंस लेना होगा। हमने संविधान में 80 संशोधन कर दिए हैं। अगर इतने संशोधन कर दिए हैं तो इसके ऊपर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या-क्या तकलीफें हुई हैं, कहां तकलीफ हुई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यह सोचना पड़ेगा।

जुडिशियरी की बात है। उसने कई जगह पर अच्छा काम किया है लेकिन कई मामलों में जो वर्डिक्ट दिया था कि संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वही जुडिशियरी इसका उल्लंघन कर रही है। पटना हाई कोर्ट ने आर्टिकल 356 के बारे में जो राय दी, वह इस बात की गवाह है। उसने कहा कि आर्टिकल 356 के बारे में कोर्ट को भी अधिकार है। यह गलत ऑब्जर्वेशन है। यह ट्रेंड ठीक नहीं है। जो उनके अख्तियार में नहीं है, उसमें उसने जाने का काम किया। इसके ऊपर देखना होगा। इस देश के जो नागरिक हैं, संसद है, वह सुप्रीम है। जनता जिन्हें चुन कर भेजती है, वे लोगों की आशा को पूरा करने का काम करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि आजकल संसद में क्या काम है? जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? वे कहने लगे कि अभी सारा काम कोर्ट के आदेश से चलता है। किस अफसर को कहां रखा जाए, यह कोर्ट ऑर्डर करती है। कौन सा काम करना है, उस पर भी कोर्ट ऑर्डर देती है। हम जो कानून बनाते हैं,

उसके बारे में भी वह कहती है कि यह ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं रहा है। हम लोग पूरे देश में घूमें, आराम करें और मौज करें क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से देश चलता है। यह एक भयानक बात है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सब के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। सब अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हरेक काम में चैक ऐंड बैलेंस होता है, वैसे ही इनके काम का भी चैक ऐंड बैलेंस होना चाहिए। हमें यह देखना होगा।

हम 50 सालों में नेशनल वेज पॉलिसी नहीं बना पए हैं। एक ही क्वालिफिकेशन का एक ही काम करने वाला आदमी किसी जगह पांच हजार रुपए लेता है, किसी जगह तीन हजार और किसी जगह दो हजार रुपए ही लेता है। इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इस तरफ ध्यान दे सके तो मुश्किल काम आसान हो सकते हैं क्योंकि देश में बहुत बेरोजगारी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। उसमें बहुत से सदस्यों ने कहा है कि नेशनल एजेंडा होना आवश्यक है। कम से कम आल पार्टीज़ मिलकर ऐसे क्रास वोट में आकर खड़े हुये, यह सोचना पड़ेगा और इस तरीके से कुछ मुद्दों को चुनना पड़ेगा। सरकार कोई भी आये, आज जो मुद्दे हैं, दस साल के लिये प्रोग्राम बनाईये कि उनका दस साल में परिवर्तन नहीं होगा। क्या देखते हैं कि एक सरकार ने कुछ योजना ली और वह सरकार बीच में चली गई तो वे योजनायें भी चली गईं। तो यह नहीं होना चाहिये। इससे लोगों का मनोबल टूट जाता है।

सभापति जी, मैं आपका किस तरह से आभार व्यक्त करूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया और मैं इस सदन में अपनी दुख-दर्द की बात रख सका। यहां हमारी सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुये हैं। अगर हमारी बात के मुद्दे समझ में लगते हों तो मेहरबानी करके उन्हें कीजिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त, सभी आपकी बात की प्रशंसा कर रहे हैं। जो आपने कहा वे समझ गए हैं। अब, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त : इस बात को कहते हुये कि देश में पिछले 50 साल में तरक्की हुई, मुल्क का विकास हुआ और इनफ्रास्ट्रक्चर बना, कोई मुल्क में कमी नहीं है। हम पार्टिज़न तरीके से नहीं बनायें, यह देश की प्रगति है, आम जनता की प्रगति है। देश की आम जनता की मंशा है जिससे यह काम हुआ है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि 50 साल में देश का विकास नहीं हुआ है तो इससे देश के लोगों के साथ अपमान होता है। इस देश के लोगों के साथ अपमान नहीं करना चाहिये। इतना कहते हुये कि जो भी हुआ है, आने वाले समय में कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे, चार दिन की डिस्कशन में, यह उम्मीद करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कमरूल इस्लाम जी, क्या आप आज कम्पलीट करेंगे?

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : महोदय, अब मैं अपना भाषण आरंभ करूंगा और इसे कल तक जारी रखूंगा।

सभापति महोदय : इससे कठिनाई होगी।

श्री कमरूल इस्लाम : मुझे खुशी है कि आपके निर्देश और सभा की इच्छानुसार मुझे बोलने का अवसर दिया गया। अन्यथा मुझे सबसे अंत में मौका दिया जाता। इस समय माननीय सदस्य बहुत अधिक अधीर हो चुके हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे कल अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : आपको अपना भाषण आज शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि नए सदस्यों को कल बोलने का मौका दिया जाएगा। नियमों के अनुसार यदि आप अपना भाषण दे रहे हैं तो आप कल जारी रख सकते हैं। इसलिए आप अपना भाषण केवल कल शुरू कर सकते हैं।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। सारा राष्ट्र हमें दूरदर्शन के माध्यम से देख रहा है। हम सम्पूर्ण राष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है कि पांच प्रतिशत सदस्य भी सभा में उपस्थित नहीं है। कृपया नेताओं की कल की बैठक में यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम कुछ सांसद अवश्य उपस्थित रहें। यह ठीक नहीं है कि पांच प्रतिशत सांसद भी यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री कमरूल इस्लाम : महोदय, सारा राष्ट्र कार्यवाही देख रहा है। मैं काफी समय से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरा नाम सूची में है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा नाम कल की सूची के अंत में नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको कल अवसर दिया जाएगा।

श्री कमरूल इस्लाम : आपको मुझे तत्काल अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक-दो वरिष्ठ नेताओं के बोलने के बाद अवसर देंगे, कम से कम मुझे यह आश्वासन तो दे दें।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 28 अगस्त, 1997/6 भाद्र, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।